दशम माला, खंड 10, अंक 24

सोमवार, 30 मार्च, 1992
10 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

63
7/4/93

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

ग्रन्थमाला, खंड 10 | **तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)**

अंक 24, सोमवार, | **30 मार्च, 1992/10 चैत्र, 1914 (शक)**

विषय	पृष्ठ
नों के मौखिक उत्तर :	1—28
रांकित प्रश्न संख्या : 450 से 457	
नों के लिखित उत्तर :	28—244
तारांकित प्रश्न संख्या : 458 से 469	
*अतारांकित प्रश्न संख्या : 5097 से 5147, 5149 से 5240, 5242 से 5310 और 5312 से 5326	
भा पटल पर रखे गए पत्र	244—245
राज्य सभा से सन्देश	246
नियम 377 के अधीन मामले	246—250
(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से निकली विषाक्त गैस से मरने वाले बच्चों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामकृष्ण कोंताला	246—247
(दो) गुरूवयूर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को जोड़ने वाले सम्पर्क राजमार्ग को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी० सी० चाक्को	247
(तीन) अजमेर, राजस्थान में एक इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत	247—248
(चार) कापड़गंज-मदासा बड़ी रेल लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने के आवश्यकता	
डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	248

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(पांच) कर्नाटक में राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष से धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री बी० देवराय नायक 248

(छः) मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले सरगुजा में आंत्रशोथ पर नियंत्रण करने के लिए दवाइयों की व्यवस्था किए जाने और अन्य कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह 248

(सात) पश्चिम बंगाल के बारपेटा जिले में एक पटसन मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री उद्धव बर्मन 249

(आठ) गुजरात को कच्चे तेल पर बढ़ी हुई दर से रायल्टी दिए जाने की आवश्यकता

श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा 249—250

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 250—287

और

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती गीता मुखर्जी 250—253

श्री रामेश्वर ठाकुर 253—254

श्री जसवन्त सिंह 254—260

श्री शरत् चन्द्र पटनायक 260

श्री सुधीर गिरि 260—264

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या 264—266

श्री गिरधारी लाल भार्गव 266—269

श्री ए० चार्ल्स 269—273

श्री नीतीश कुमार 273—274

श्री पृथ्वीराज डा० चव्हाण 274—277

श्री शंकरसिंह वाघेला 277—279

श्री कमला मिश्र मधुकर 279—280

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 280—282

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 282

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प —अस्वीकृत	
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक	
खंडवार विचार	
पारित करने लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	283—287
खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	288—292
और	
खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक	299—308
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	288—289
श्री बलराम सिंह यादव	289—292
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	299—303
श्री सोमनाथ चटर्जी	303—307
श्री लोकनाथ चौधरी	307—308
मंत्री द्वारा वक्तव्य	292—298
बोफोर्स जांच	
श्री माधव सिंह सोलंकी	
संविधान (संशोधन) विधेयक	309—322
(नए भाग 11 क का अंत:स्थापना)	
(श्री चित्त बसु का)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	309—312
श्री भगवान शंकर रावत	312—314
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	314—316
श्री सुधीर गिरि	316—319
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	319—320
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	320—322
अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान की समय तालिका में परिवर्तन	322

लोक-सभा

सोमवार, 30 मार्च, 1992/10 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों से लाभान्वित जनसंख्या

[अनुवाद]

+
* 450. श्री के० प्रधानी :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का लाभ कितने-कितने प्रतिशत जनता को मिलने लगेगा;

(ख) क्या देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को प्रसारण परिधि में लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा 1992-93 के अन्त तक कवर की जाने वाली अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1.	आन्ध्र प्रदेश	99	98.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	98	44.4
3.	असम	98	82.8

1	2	3	4
4.	बिहार	99 ×	91.7
5.	गोवा	99 ×	100.00
6.	गुजरात	99 ×	76.8
7.	हरियाणा	99 ×	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	91	61.9
9.	जम्मू और कश्मीर	94	90.3
10.	कर्नाटक	96	68.7
11.	केरल	95	86.3
12.	मध्य प्रदेश	96.5	60.1
13.	महाराष्ट्र	98.5	81.7
14.	मणिपुर	99 ×	66.4
15.	मेघालय	96	97.2
16.	मिजोरम	95	72.3
17.	नागालैंड	97	69.6
18.	उड़ीसा	98	77
19.	पंजाब	99 ×	100.0
20.	राजस्थान	98.5	61.5
21.	सिक्किम	80	95.0
22.	तमिलनाडु	98.5	90.1
23.	त्रिपुरा	99 ×	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	97.5	92.4
25.	पश्चिम बंगाल	99 ×	96.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80	99.0
27.	चंडीगढ़	99 ×	100.0
28.	दादरा और नगर हवेली	99 ×	43.6
29.	दिल्ली	99 ×	100.0
30.	दमन और दीव	99 ×	100.0
31.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप समूह	99 ×	99
32.	पांडिचेरी	99 ×	100.0

×पूर्ण रूप से कवर

टिप्पणी :—दूरदर्शन के सम्बन्ध में कवरेज आंकड़ों में किनारे के क्षेत्र की वह जनसंख्या भी शामिल है, जहां संतोष जनक संग्रहण के लिए ऊंचे एंटीनों और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन कवरेज में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम;

इस समय, आकाशवाणी और दूरदर्शन कवरेज क्रमश: देश की लगभग 95.9 प्रतिशत और 81 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध हैं। पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए इलेक्ट्रानिक मीडिया का और विस्तार चरणों में किया जा रहा है। आकाशवाणी की 32 और दूरदर्शन की 152 ट्रांस मीटर परियोजनाएं या तो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं अथवा इन्हें स्थापित करने का कार्यक्रम है। इन परियोजनाओं के चालू हो जाने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज देश की क्रमश: 97.5% तथा 90% जनसंख्या को उपलब्ध होगी।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 1992-93 के अंत तक जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो उससे देश की 77 प्रतिशत जनता को लाभ मिलेगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा निर्वाचन क्षेत्र देश का सबसे बड़ा है जो 400 कि० मी० लंबा और 150 कि० मी० चौड़े क्षेत्र में फैला है और वहां एक भी टी० वी० ट्रांस मीटर केन्द्र नहीं है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि इस संबंध में भेदभाव क्यों किया गया है जबकि उड़ीसा के कुल 21 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 ट्रांस मीटर केन्द्र हैं लेकिन हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी ट्रांसमीटर केन्द्र नहीं है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : महोदय, जहां तक मैं समझती हूं कोरापत और जैपोर, जोकि माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के अत्यन्त निकट हैं, टी० वी० ट्रांसमीटर केन्द्र का उन्हें लाभ मिल रहा है। मल्कनगिरि को जल्द ही टी० वी० ट्रांस मीटर का लाभ मिलने वाला है। हमने उसके लिये आदेश दे दिये हैं। माननीय सदस्य के विचार को हमने नोट कर लिया है।

श्री के० प्रधानी : जैपोर हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। यह कोरापट निर्वाचन क्षेत्र में है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी ट्रांस मीटर केन्द्र नहीं है।

नौरंग पुर संसदीय क्षेत्र के आस पास अलग-अलग केन्द्र है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि यह बहुत ही विशाल निर्वाचन क्षेत्र है जहां अत्यधिक वन और विभिन्न ऊंचाईयों वाले पहाड़ हैं। यहां तक कि बूस्टर और ऊंची सेटिंग के बावजूद भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र के पचास प्रतिशत लोग दूरदर्शन कार्यक्रमों को नहीं देख सकते हैं। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और नौरंगपुर में नए ट्रांसमीटर केन्द्र शुरू करने की परियोजना को वर्ष 1992-93 में पूरा करेंगे।

कुमारी गिरिजा व्यास : मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य की बात को नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पूरा जवाब नहीं दिया है। प्रश्न पूछने का मकसद यह जानना था कि देश की पूरी जनसंख्या को प्रसारण परिधि में लाने के लिए क्या योजना है। इसी तरह से इन्होंने क्षेत्रवार आंकड़े दिए हैं तथा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केंद्रों की संख्या बताई है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन कवरेज लगभग 95 तथा 81 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन आम जनता तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन मंत्री महोदय ने रूरल एरियाज के बारे में अलग से जानकारी नहीं दी है, जबकि उनको अरबन और रूरल एरियाज की अलग-अलग जानकारी देनी चाहिए थी। जैसाकि राजेश पायलट जी ने बताया है कि प्रत्येक ग्राम-पंचायत को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी तरह से टेलीविजन सेट अगर हर ग्राम-

पंचायत में उपलब्ध हों तो गांवों तक ग्राम-सुधार कार्यक्रम, परिवार-कल्याण कार्यक्रम तथा देश में चल रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं को साल्व करने में सुविधा हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम-पंचायत को कब तक टी० वी० सेट और प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, छठीं पंचवर्षीय योजना में कुछ 18 टेलीविजन सैंटर थे, इस देश में जब दूरदर्शन का प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे आज इस पर्सेंटेज तक पहुंचे हैं। जब यह प्रारम्भ किया था तो उद्देश्य यह था कि बड़े शहरों, मैट्रोपोलिटन सिटिज, नार्थ-वैस्ट के इलाकों को महत्ता दी जाए। उसके बाद एक लाख की जनसंख्या को महत्ता दी गयी। लेकिन देखा गया कि उससे भी पूरा एरिया कवर नहीं होता। इसलिए अब उन इलाकों को विशेष तौर से महत्ता दी जा रही है जो बार्डर एरियाज हैं, नार्थ-वैस्ट के हिली एरियाज हैं, ट्राइबल और सैंसेटिव एरियाज हैं। धीरे-धीरे आज इस परसेंटेज तक हम पहुंचे हैं। जैसे-जैसे हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे पूरे इलाके कवर होते जायेंगे। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता गांव के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने की है।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, मेरे सहयोगी ने जो उत्तर दिया है उसमें मैं बस थोड़ा जोड़ना चाहता हूं। पंचायतों को टी० वी० सेट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया गया था। यह मामला उच्च शक्ति या निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों से अलग है।

जहां तक टी० वी० सेटों का संबंध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सातवीं योजना अवधि में 5000 सामुदायिक टी० वी० सेटों का आवंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया था क्योंकि यह सुदूर जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र है।

हम पूर्वोत्तर परिषद की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे थे और उनके सुझावों के अनुसार हमने कुछ स्थानों के लिए सामुदायिक टी० वी० सेट मंजूर किये हैं। ये जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्र हैं। यदि हम जनसंख्या के आधार पर भी ट्रांस मीटर से उनकी आवश्यकता पूरी कर दें फिर भी जब तक लोगों के पास टी० वी० सेट खरीदने का सामर्थ्य नहीं होगा उक्त सुविधा बेकार साबित होगी।

इसलिये हम योजना आयोग को यह सुझाव दे रहे हैं कि वह और अधिक सामुदायिक टी० वी० सेट उपलब्ध कराए लेकिन यह योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात को कई बार आश्वासन इन्होंने दिया है कि गुजरात को नेटवर्क के साथ लिंकअप किया जाएगा, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ। मन्त्री महोदय ने कहा कि हम हिली एरियाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउन्ड एरिया तो अभी पूरा नहीं किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ट्राइबल एरिया में प्रोग्राम नहीं पहुंच पाते हैं। जो बात लोगों को कहनी है वह बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। हमें आश्वासन मिले। हम जानना चाहते हैं कि यह कार्य कब तक पूरा होगा ? कब तक के लिए हम लोगों से कहें कि यह सरकार इस कार्य को पूरा करेगी ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, रीजनल सर्विस से इनका तात्पर्य है तो इनसैट-2 के आने पर उस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, गुजरात अभी अच्छी तरह से कवर्ड है--99 परसेंट बाय ए० आई० आर० और 76.8 बाय दूरदर्शन ।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी पटना से जो आकाशवाणी द्वारा विविध भारती कार्यक्रम दिया जाता है या दूरदर्शन द्वारा जो 7.30 बजे के समाचार दिखाए जाते हैं उसकी कवरेज पूरे बिहार में नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार को प्रसारण परिधि में लाने के लिए कब तक कार्यवाही कर पायेंगे ताकि पूरे बिहार के लोग समाचार सुन सकें ?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : उस समय इंजीनियरों ने जो पूरे बिहार को माइक्रो वेव उपलब्ध कराने की सलाह दी थी हम उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं। अब उपग्रह सुविधा मिल गई है। इसीलिए हमने पांच राज्यों को इसमें शामिल कर लिया है और हमारा यह विचार है कि सभी 25 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भी आठवीं योजना के अन्त तक शामिल कर लें बशर्ते कि वे सभी स्थान के लिए जिसका प्रस्ताव योजना आयोग समक्ष रखा गया है, मंजूरी प्राप्त हो जाए ।

अपर ताप्ती परियोजना

[हिन्दी]

*451. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेरिया गुटीघाट बांध, नवाथा डायवर्जन बांध, खेरिया बायीं तट नहर, नवाथा दायीं तट नहर और हतनूर बायीं तट नहर के सम्बन्ध में अपर ताप्ती परियोजना चरण-दो की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिंचित होने वाली भूमि का ब्योरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें कितना खर्च अन्तर्ग्रस्त है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) अपर ताप्ती चरण-II, जिसमें 303 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश में लगभग 46,700 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 59,800 हेक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है, की जांच करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। केन्द्र में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यहां संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उसे पूरा करने में लगने वाले समय और उसकी लागत का निर्धारण किया जा सकता है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या अपर ताप्ती योजना के द्वितीय चरण को महाराष्ट्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए कोई सिफारिश की है, यदि नहीं तो जो पुरानी योजना तीन चरण में होने वाली है और एक चरण पूरा होना है, उस योजना को बीच में क्यों छोड़ दिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार ने नहीं की है। यद्यपि हम लोगों की राष्ट्रीय नीति है कि जो परियोजनाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं, जिनमें काम हो चुका है, उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से इस प्रश्न को उठाया है। आशा है कि वे इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर राजी हो जाएंगे।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित रूप में इतना विलम्ब क्यों लगा और इस परियोजना के द्वितीय चरण में 1991-92 में क्या काम हुआ और 1992-93 में सरकार क्या काम करने जा रहे है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा मैंने कहा है कि इस योजना की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। उनसे इस पर कुछ ऐसी टिप्पणियां मांगी गई और स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी आवश्यकता है। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए। यह स्पष्टीकरण महाराष्ट्र से अभी तक नहीं मिला है, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अभी सूचित किया है कि उनकी तकनीकी आवश्यकताएं जो हैं, उसके बारे में ध्यान देकर उनको पूरा करके हमारे पास सूचनाएं भेजेंगे, मगर महाराष्ट्र सरकार से हमें जवाब नहीं मिला है इसलिए एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद यह योजना महाराष्ट्र सरकार के पास वापस भेजी गई है।

श्री राम कापसे : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा जो योजना आपके पास आनी थी उसके लिए आप एक बरस रुके और उसके बाद दुबारा उनको भेजी गई। वह कब भेजी गई और आप उनसे कौन से मालूमात करने के लिए रुके रहे?

श्री विद्याचरण शुक्ल : करीब तीन साल पहले योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस भेजी गई थी...

श्री राम कापसे : आपने कब उनके पास भेजी, तारीख बतायें और आप कौन से मालूमात उनसे चाहते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : लगभग तीन साल पहले उनके पास भेजी गई थी, तारीख और महीना मेरे पास मौजूद नहीं है। हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है वह आवश्यक रूप से तकनीकी है, हाइड्रोलोजी के सम्बन्ध में जो वहां पर जल की उपलब्धि है उसके सम्बन्ध में है तथा अन्य तरह की चीजें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो पैसा लगाया जा रहा है उसका पर्याप्त उपयोग हो रहा है या नहीं। इसलिए उनके पास भेजी गई हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी हमको आगे उसकी सूचना मिलेगी।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों में 'क्रास बार' प्रणाली

*452. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कौन कौन से टेलीफोन एक्सचेंजों में क्रास-बार तथा अन्य प्रणालियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या क्रास-बार प्रणाली लगातार खराब रहती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त प्रणाली को बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]:

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) (क) राजस्थान सर्किल में, निम्नलिखित स्थानों में क्रास-बार किस्म के टेलीफोन एक्सचेंज हैं :—

अजमेर (8000 लाइनें)—पेंट कोंटा क्रास-बार।

जोधपुर (8000 लाइनें)—पेंटा कोंटा क्रास-बार।

जयपुर (10,000 लाइनें)—जापानी सी-400 एक्सचेंज।

राजस्थान में अन्य किस्म की टेलीफोन प्रणालियों की संख्या और उनकी क्षमता, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उन एक्सचेंजों को, जिनकी मियाद समाप्त हो गई है और जो असंतोष ढंग से कार्य कर रहे हैं, उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है।

(ङ) इन एक्सचेंजों को, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न चरणों में बदलने की योजना है।

विवरण

राजस्थान सर्किल में क्रास-बार के अलावा विभिन्न किस्मों के टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या :

क्रम सं०	एक्सचेंज की किस्म	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1.	मैनुअल		
	सीबीएम	19	10680
	सीबीएनएम	65	13900
2.	इलेक्ट्रानिक		
	ई 10बी	8	31500
	ई सी 2	11	4340
	ई सी 3	84	10168
	ई आई एक्स	97	5712
	ई एक्स आर	6	1412
	ई एन एक्स	17	10100

1	2	3	4
	ई पी आर	3	11000
	ई आर 3	7	63
	पी ए एम	1	192
3.	स्ट्रोजर		
	एस एस 1	5	39200
	एस एस 2	19	19000
	एस एस 3	540	18076

संक्षिप्त रूप

मैनुअल		स्ट्रोजर
सीबीएम	सैंट्रल बैटरी मल्टीपल	एसएस 1—मैक्स—1 टाइप
सीबीएनएम	सैंट्रल बैटरी नान-मल्टीपल	एसएस 2—मैक्स-2 टाइप
सीबीएनएम		एसएस 3—मैक्स-3 टाइप

इलेक्ट्रानिक

ईसी 2 सी-डाट 512 पोर्ट

ईसी 3 सी-डाट 128 पोर्ट

ईआईएल आईटीआई एम आई एल टी

ईएमआर मेटाकोंटा टाइप

ईएनएक्स जापानी एनईएएक्स 61 एस

ईपीआर फिलिप्स पीआरएक्स टाइप

ईआर 3 आई टी आई 10 लाइनें

पीएएम आई टी आई 200 लाइनें

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वैसे मन्त्री जी ने काफी विस्तृत उत्तर दिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह कटु सत्य है कि अजमेर नगर में कार्यरत आठ हजार लाइन वाली पेंटा कोटा क्रास-बार प्रणाली, जिसका मन्त्री जी ने अभी जिक्र किया है, अजमेर शहर के टेलीफोन उपभोक्ताओं को और अधिक सेवा करने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रही है तथा टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? इनके प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं और उपभोक्ताओं की इन शिकायतों को दूर करने के लिए और मियाद खत्म हो रही क्रास-बार प्रणाली के समुचित अनुरक्षण और रख रखाव की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो क्रास-बार एक्सचेंज चल रही थी और जिसकी कुछ शिकायतें भी आई थीं तथा हम लोगों ने, जहां-जहां से शिकायतें मिली थीं, उन्हें दूर करने की कोशिश की थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब से इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की टैकनालाजी आयी है, तब से सारे देश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की डिमांड बढ़ गई है। अब जहां क्रास बार अलाट भी करते हैं, वहां के लोग कह देते हैं कि क्रास बार मत दो, भले ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज देने में दो साल लग जाएं। इसलिए इस हालत में इतना फर्क है दोनों तरफ की टैक्नालाजी में। सरकार की परेशानी यह है कि जहां ये लग चुकी हैं उनके तब तक वहां से हटा नहीं सकती है, जब तक इनकी लाइफ एक्सपायर न हो या टोटली अनसर्विसेबल हो जाएं। इसके अतिरिक्त हमारे पास इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की क्षमता नहीं है कि एकदम से दे सकें। अजमेर में 5 हजार के करीब वेटिंग लिस्ट चल रही है और पिछले साल 1991-92 में हमने चार हजार अलाट की थीं लेकिन किसी कारणवश से वह अजमेर नहीं पहुंच पायी। अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि 1992-93 में बहुत जल्दी 4 हजार की एक्सचेंज लाइन अजमेर को अलाट की जाएं, जिससे उन लोगों की असुविधा में फर्क पड़े।

जहां तक फाल्ट की बात कही है, इस एक्सचेंज में सबसे ज्यादा फाल्ट की रिपोर्टस हमारे पास जंक्शन एक्सचेंज की आयी हैं। उसके लिए हमने एक टेक्नालाजी टीम भेजी है और इसको दिखवा रहा हूं कि इसमें कितनी जल्दी और कितना अच्छा सुधार हो सकता है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वैसे मन्त्री जी काफी सक्रिय और संवेदनशील हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं परन्तु मैं आप के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द्र के आदर्श समस्त धर्मों की संगम स्थली और ऐतिहासिक शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर की जनता के हितों को दृष्टिगत रखकर और हजारों की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ती हुई प्रतिक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्रास-बार प्रणाली को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली में कब तक अजमेर में बदल दिया जायेगा और इसके लिए क्या क्या तैयारियां अब तक कर दी गयी है?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और देश से ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट्स भी वहां जाते हैं और जो रिलीजियस लोग रिलीजन के लिए अजमेर दरगाह शरीफ आते हैं, वह एक महत्वपूर्ण जगह है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से इस माडर्न टेक्नालाजी को दे सकें।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि राजस्थान में 822 एक्सचेंजेंस 14 किस्म के हैं जिनमें अलग-अलग प्रकार की टेक्नालाजी के कारण उनको मेनटेन करना, लोगों को सर्विस दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनको लेटेस्ट टेक्नालाजी में बदल पाना कब तक संभव होगा ताकि इनको कन्वर्ट कर सकें और दूसरा यह कि जहां आप कृपा करके इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजेंस सैंक्शन कर देते हैं, आपके अधिकारी प्रदेशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल रहे हैं, इससे बड़ी समस्या आ रही है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री राजेश पायलट : जहां तक इन सारी टेक्नालाजी को क्रास-बार और मैनुअल हैं, इनको एकदम बदलना असम्भव है क्योंकि हमारे पास अपने आर्थिक लक्षण हैं। जैसा मैंने कहा जो एक्सचेंजेस लगी हैं, उनकी लाईफ या तो एक्सपायर हो तब चेंज करते हैं या वे इतनी खराब हो जायें कि चल नहीं सकती हैं तब हम चेंज करते हैं। दूसरी बात क्षमता इतना हो और एवेलेबल हो तो भी हम रिप्लेस कर दें और

अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है। सारे देश में करीब 40 परसेंट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कर पाये हैं। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग इसको 60-70% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे विरोध के माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं हैं लेकिन एकनामिक पालिसी से जितना हमें या इस विभाग को बूस्ट मिला है उससे हमारी क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

एक उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष जी, मैं आपका एक मिनट लूंगा। हमारी एक लाइन की प्रोडक्शन की कास्ट 8 या 10 हजार के बीच है। जब कभी खरीदते थे तो भी 7-8 और 10 हजार के बीच मिलता था। अत: हमने ओपन टेण्डर किया रूपी पेमेंट का, तो हमें आठ हजार कुछ रुपए पर लाइन मिली। 20 करोड़ रुपए हमने एक ही ऐक्शन से बचाए हैं इस देश के लिए। 20 करोड़ रुपया आप सड़कों पर लगाओ, पानी पर लगाओ। कम से कम ऐसे जो काम हैं, उन से हमारे विभाग में, जो मुझे अपने विभाग का ज्ञान है, उसमें बहुत वृद्धि होगी और जो इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की प्रोडक्शन की नयी पालिसी हमने ली है 51 प्रतिशत इक्विटी से, हमें उम्मीद है कि अगले दो साल में हमारी क्षमता इतनी बढ़ जानी चाहिए कि कम से कम हम 70-80 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक कर सकें।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है कि कहीं-कहीं एक्सचेंजेंस इधर-उधर चले जाते हैं। यह बात सही है अध्यक्ष जी। अभी यू० पी० का एक उदाहरण था कि लाइन अलाट कहीं के लिए हुई थी और गलती से ट्रक वहां पर पहुंच गया। सारे रिप्रजेंटेटिव बैठ गए कि यहां से जाने नहीं देंगे, इसको जला देंगे। तीन दिन तक वह एक्सचेंज वहां पड़ा रहा और भी वहां पड़ा है। वह कहते हैं कि यहां से पास क्यों हो रहा है। यहां पहले क्यों नही लगाया आपने ?

श्री राज वीर सिंह : क्या अभी आधार पर एक्सचेंज मिल सकता है? ···(व्यवधान) जन प्रतिनिधि उसे घेर लें तो वह एक्सचेंज मिल सकता है ?

श्री राजेश पायलट : मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ऐसे हालात जब हो जाते हैं तो कहीं-कहीं डिले हो जाता है, लेकिन सरकार की जो पालिसी है, जो सरकार की नीति है, उसके द्वारा हम लोग हर जिले और हर स्थान को अलाट करते हैं और उन स्थानों पर उन्हें लगाने का पूरा प्रयास करते हैं।

तीस्ता बांध परियोजना

[अनुवाद]

+

*453. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** :

श्री बसदेव आचार्य : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बांध परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आज तक कितनी राशि जारी की जा चुकी है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तीन बराजों, तीस्ता महानन्दा सम्पर्क नहर और महानन्दा मुख्य नहर का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा डाक-नागर, नागर-टांगोन और तीस्ता जल-डाका मुख्य नहरों और वितरण प्रणाली का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों पर है जून, 1991

के अन्त तक 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(ख) इस परियोजना पर सितम्बर, 1991 तक 359.55 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है जबकि इसकी संशोधित अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना को 1983-84 के दौरान 5 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता और 1986-87 के दौरान 15 करोड़ रुपए तथा 1987-88 के दौरान 10 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की गयी।

(घ) इस परियोजना को 9 वीं योजना में ले आये जाने की आशा है।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह केन्द्र की ही आर्थिक नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है। जैसाकि आप जानते है, तीस्ता परियोजना एक मात्र ऐसी परियोजना है जिससे 22 लाख एकड़ भूमि—कृषि भूमि जो उत्तर बंगाल के पांच जिलों में फैली है, को लाभ मिलेगा। यह परियोजना केवल फसल उपजाने की समस्या को ही हल नहीं करेगी बल्कि उत्तरी बंगालऔर पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति को यह बदल देगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री जितेन्द्र नाथ दास : मैं अपना प्रश्न पूछने ही जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमें समस्या की गम्भीरता को स्पष्ट करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कृपया सीधे प्रश्न पर आएं।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। राज्य सरकार द्वारा 365 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है जिसमें 5 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल हैं। यदि केन्द्रीय सरकार कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सिंचाई बिना कैसे संभव हो सकता है?

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता देने में केन्द्र सरकार को क्या अड़चन है और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं को नाम क्या है जो केन्द्र सरकार की देख रेख में चल रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इस परियोजना को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए विशेष केंद्रीय सहायता दी गई है। हम यह स्पष्ट करना चाहते है और योजना आयोग को यह प्रस्ताव दिया गया है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना में परिवर्तित कर दें और पूरी धन राशि केन्द्रीय सहायता से दी जाए। लेकिन विचार विमर्श के बाद योजना आयोग ने अभी तक यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है। हम उनसे इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन इस परियोजना पर कार्य चल रहा है। हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भी इस परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही है।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री से तीस्ता परियोजना के सम्बन्ध में को पत्र प्राप्त हुआ है। यदि ऐसा है तो उस पत्र में उठाए गए मुद्दों के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने इस परियोजना के लिए पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की सहायता की मांग की है। हमारे दृष्टिकोण यह है कि हम इसे 100 प्रतिशत सहायता देने के लिये तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बिगत दो दिन हम उत्तर बंगाल में थे। हमने इस परियोजना की संभावनाओं पर गौर किया। यह उत्तर बंगाल के पांच जिलों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। पश्चिम बंगाल के सिचाई मन्त्री के नेतृत्व में विधायकों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सिचाई मन्त्री श्री शुक्ला और योजना के उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी से तीस्ता परियोजना के लिए विशेष सहायता प्राप्त करने के मुद्दे पर मिलेगी ताकि इसे आठवी योजना अवधि में पूरा कर लिया जाए और ऐसा नहीं कि यह नौवी योजना में प्रवेश कर जाए, इसे आठवीं योजना की अवधि में ही पूरा कर लिया जाना है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि वह इस मामले को योजना आयोग के समक्ष प्रचूर और पर्याप्त सहायता के लिए रखेंगे ताकि······।

अध्यक्ष महोदय : "ताकि" आवश्यक नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : इस महत्वपूर्ण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनाविधि में पूरा किया जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसाकि मैंने बताया है इस परियोजना पर पहले से ही योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा हैं। विचार-विमर्श का परिणाम तभी बताया जा सकता है जब विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा। मैंने पहले यह कहा है कि इस परियोजना को हमने अच्छी और उच्च प्राथमिकता दी है। यह बड़ी परियोजना है इसलिए ऐसा नहीं लगता कि यह आठवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएगी। यदि मंजूरी समय पर मिल भी जाए और सभी कार्य ठीक से चले फिर कार्य की असफलता को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह परियोजना आठवीं योजना में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस परियोजना को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसाकि इन्होंने बताया है कि यह नैशनल प्रोजैक्ट है, तो जैसे भाखड़ा नंगल डैम की तरह का ही जब यह नैशनल प्रोजैक्ट है, तो इतने दिनों तक इसकी खिचाई क्यों हो रही है और जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया जाना है, वह क्यों नहीं दिया जा रहा है और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है कि यह नैशनल प्रोजैक्ट है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट परसेंट खर्चा देंगे, तो इस वर्ष और आने वाले वर्षों में सेंट परसेंट कितना रुपया इस पर खर्च के लिए सरकार देगी और कब तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की आशा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, सिचाई राज्यों का विषय है। इसलिए सिचाई के ऊपर पूरा खर्च राज्य सरकार को करना पड़ता है। केन्द्र सरकार उसमें सामान्यतौर पर कोई खर्चा नहीं देती है। विशेष रूप से इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपया और एडवांस प्लान के लिए 15 करोड़ रुपया दिया गया है और इस प्रोजेक्ट का जो महत्व है, उसको देखते हुए हम लोगों ने यह प्रस्ताव किया है कि हम इसमें पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रीय परियोजनाओं की जो कल्पना की गई है, उसके अनुसार यदि इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार

से कार्य होगा, अन्यथा इस कार्य को पश्चिम बंगाल सरकार को अपने ही साधनों से पूरा करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, अभी इसमें बात चल रही है, कुछ निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार तीस्ता बांध परियोजना के एक भाग के रूप में उत्तर बंगाल में कोरोनेशन ब्रिज पर अथवा उसके निकट कोई बांध बनाने का विचार रखती है। इस मामले में मैं और सिक्किम के लोग तीस्ता बांध परियोजना के विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु यदि इस बांध विशेष का निर्माण इसी स्थान विशेष पर किया जाता है, तब उस स्थिति में लोगों को भय है कि तीस्ता नदी के किनारे स्थित तीनों कस्बे जलमग्न हो जायेंगे। केवल ये तीन कस्बे ही नहीं, बल्कि पूरा राजमार्ग संख्या 31 ए जलमग्न हो जायेगा। यदि ऐसा है तब मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नही समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य द्वारा बताये गये क्षेत्र, इन तीन बांधों में से किस बांध से प्रभावित हो रहा है।

एक बांध का निर्माण जलपाईगुड़ी जिले के गजोलडबा पर बनाने का विचार है, दूसरे बांध का निर्माण जलपाई गुड़ी के फूलबाड़ी में और तीसरे बांध का निर्माण डौक नदी पर किया जायेगा और यह तीस्ता—जलढाका मुख्य नहर पर बनाया जायेगा। इन तीन बांधों का निर्माण विचाराधीन है।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय महिला सदस्य द्वारा बताया गया क्षेत्र किस बांध से प्रभावित होगा। परन्तु मैं इस मामले पर विचार करूंगा और पता लगाऊंगा कि इन तीनों बांधों से भूमि के जलमग्न होने संबंधी प्रभाव की क्या स्थिति होगी।

तांबे का उत्पादन

*454. श्री अरविंद नेताम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे देश में तांबे का अनुमानतः कितना भंडार उपलब्ध है;

(ख) देश में तांबे की मांग की तुलना में इसका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) तांबे के उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम को उक्त उत्पादन से कितना-कितना लाभ हो रहा है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार, देश में तांबे के भंडार लगभग 632 मिलियन टन हैं। ये भंडार अधिकांशतः मध्य प्रदेश (38 प्रतिशत), बिहार (35 प्रतिशत), राजस्थान (19 प्रतिशत) में हैं, और कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम और अन्य राज्यों में लघु निक्षेप भी उपलब्ध हैं।

(ख) देश में तांबे का घरेलू उत्पादन लगभग 50 हजार टन वार्षिक है, जबकि मांग लगभग 1.8 लाख टन वार्षिक है।

(ग) देश में केवल हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एस० सी० एल०) तांबा धातु उत्पादक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है। कम्पनी द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभ इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपए में)
1989-90	45.18
1990-91	45.10
1991-92	66.42*

(*अप्रैल से फरवरी, 1992 तक अनंतिम)

[अनुवाद]

श्री भाग्ये गोवर्धन : महोदय, जो उत्तर दिया गया है उससे आपको पता लगेगा कि इस समय तांबे की केवल 27.7 प्रतिशत मांग की पूर्ति ही घरेलू उत्पादन से की जा रही है। दो वर्ष पूर्व यह मांग 34 प्रतिशत थी और आगामी समय में यह मांग और बढ़ेगी और हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

मेरा प्रश्न यह है कि इस समय विदेशी मुद्रा निर्गम की क्या स्थिति है और तांबे के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार नया कदम उठा रही है ताकि विदेशी मुद्रा का निर्गम कम से कम हो और इसी के साथ तांबे के लिए बाहरी साधनों पर हमारी निर्भरता भी कम हो ?

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग में मुझे कहना है कि जो सरकार का अनुमान है उसमें जो फौरन एक्सचेंज विदेश से तांबा मंगाने में हमारे यहां से खर्च होता है उसमें लगभग आठ सौ करोड़ रुपये इनवाल्व हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, इसमें गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेना चाहती है जैसे देश में माईनिंग क्षमता को बढ़ाना, सेकंडरी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, विद्यमान स्मैलटिंग और रिफाईनरी क्षमता की जो इनस्टाल्ड केपैसिटी है उसका अधिकतम उपयोग करना। इसके साथ-साथ आठवीं योजना में धन की उपलब्धतता के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में तांबा बढ़ाने के लिए जो स्मैलटर और रिफाईनरी है, उसकी क्षतता का 31 हजार से 45 हजार टन प्रतिवर्ष का विस्तार करना, मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में मलाजखंड खान का दो से तीन मिलियन टन वार्षिक अयस्क का विस्तार करना, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में बनवास खान का विकास करना तथा पूर्वी क्षेत्र बिहार में छापरी, सिद्धेश्वरी खान का विकास 0.5 मिलियम टन की क्षमता का एक मैंचिग कनसैंनटेटर लगाने का विचार है।

[अनुवाद]

श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या सरकार तांबें के उत्पादन में निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित करना चाहती है ? इस समय हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र ही तांबे का विशेष रूप से अयस्क-खनन और प्रोसेसिंग सेक्टर में मुख्य उत्पादक है। यदि ऐसा है, तो उदारीकृत वातावरण के अन्तर्गत सरकार की अब क्या नीति है ?

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : यह बात सही है कि इस समय तक कौपर की माईनिंग और प्रोसेसिंग पब्लिक सैक्टर के लिए रिजर्व थी। मगर बढ़ते हुए हालात में तांबें की प्रोसैसिंग को लिबरलाईज

कर दिया गया है और अब प्राईवेट सैक्टर के लोग भी विदेश से स्क्रैप इत्यादि खरीदकर स्मैलटिंग कर सकते हैं और तांबा बना सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तांबे की मांग की पूर्ति करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु पूर्व स्थापित उद्योग की वर्तमान क्षमता जानना चाहता हूं। केवल खनन से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आठवीं योजना के दौरान सरकार इसमें कितनी और क्षमता का विस्तार करना चाहती है ?

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : इस समय रिफाईन्ड तांबे प्रोडक्शन की इनस्टाल्ड केपैसिटी 47500 हजार टन वार्षिक है। जो कमी है उसको धीरे-धीरे पूरा करने के लिए स्टैप्स लिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : तांबे के कुल भंडारण का 38 प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाया जाता है और उसमें एक भी स्मैलटिंग प्लाट आज वहां मौजूद नहीं है। अभी मंत्री जी ने जो विस्तार का कार्यक्रम बताया है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बालाघाट के मलाजखंड, जो सबसे बड़ा रिजर्व है अपने देश का, क्या वहां पर स्मैलटिंग प्लांट की योजना है और उसे कब तक लगाने का विचार है ?

श्री बलराम सिंह यादव : इसमें सरकार बड़ी सक्रियता से विचार कर रही है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौपर का भंडार और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी मजलखंड ऐरिया में सबसे ज्यादा कौपर पाया जाता है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक स्मैलटर लगाने के लिए विचार चल रहा है और इसकी फीजीबिलिटी रिपोर्ट जापान की एक एक कनसलटैंसी फर्म को दी गई है, उनको दो वर्ष का समय दिया गया था। हमें आशा है कि दो-तीन महीने में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और हम देखेंगे कि वहां पर फीजीबिलिटी है और हमारा तांबे का प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से सरकार आने वाले ऐटथ फाईव ईयर प्लान में उसको लगाने के लिए विचार करेगी।

श्री शरद यादव : मैं श्री दिग्विजय सिंह की बात की पुष्टि करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मलजखंड की माईनिंग से जो कौपर की ढुलाई पर खेतरी के लिए यूनिट है उसमें कितना खर्चा आता है और जो कीमत बढ़ती है, इसमें जो प्लानिंग हुई है उसकी यह त्रुटि है कि जहां कौपर पैदा होता था यदि वहीं डिसमैंटल का कारखाना प्रोडक्शन के लिए लगता है तो उसमें खर्च कम आता। मैं पूछना चाहता हूं कि ढुलाई के लिए खर्च कितना आता है ?

श्री बलराम सिंह यादव : इसके लिए हमें सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह कम्पनी बहुत पहले यहां लगाई गई थी और यह प्रश्न बार-बार माननीय सदस्यों ने उठाया है कि वहां से यहां तक इसको लाना पड़ता है। उसमें ढुलाई का खर्चा पड़ता है लेकिन मेरा अपना विचार है कि निश्चित रूप से ढुलाई का खर्चा तो पड़ता ही है, जिससे ओवर आल कास्ट ज्यादा आती है लेकिन दूसरी तरफ जब हम वहां स्मैल्टर लगाएंगे तो स्मैल्टर लगाने का जो ओवर आल खर्चा होगा, वह बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि कण्ट्री के अन्दर कापर का ओवर आल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ने आपको स्टैप्स गिनाये हैं कि यह सारे स्टैप्स

लिए आ रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले वक्त में हमारी जो समस्या है, उसको कुछ हद तक हम पूरा कर सकेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर को माइनिंग पर पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो सूचना सदन को दी है, वह सूचना उन्हीं सरकारी अधिकारियों से प्राप्त हुई है, चूंकि इस मामले में धातु कर्मीय और खनन-अभियंताओं से परामर्श नहीं किया गया है। सभा को बताये गये तांबे के ये 632 मिलियन टन भण्डार क्या खनन करने योग्य भण्डार हैं ? क्या हमारे देश में तांबा अयस्क के भण्डार 2000 मिलियन से भी अधिक हैं ? विशेष रूप से मलाज खंड में लोह अयस्क की तुलना में तांबा अयस्क का क्या प्रतिशत है जिसके आधार पर खेतड़ी में स्थित खदान के मजदूरों द्वारा देशी संसाधनों से ही परियोजना रिपोर्ट तैयारी की जा सकती है जिन्होंने इस कार्य को अत्यन्त शानदार ढंग से किया है। जापान अथवा आस्ट्रेलिया से सहायता लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे देश में ही डिजाईन पैरामीटर उपलब्ध है। स्वयं मलजखंड में ही एक तांबा का स्मैल्टर स्थापित करने के बारे में सरकार निर्णय क्यों नहीं लेती ?

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, खेतड़ी एरिया में कई वर्षों से जो लगातार माईनिंग हो रही है, उससे कापर ओर का कण्टेंट रा मैटीरियल में कम होता जा रहा है ···(व्यवधान)··· अब इसकी सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है। हमारी टैक्नोलोजी से जापानीज की टैक्नोलोजी अच्छी है और इसीलिए उनकी एक्सपर्टिज को एंगेज किया गया है ताकि वह विभिन्न स्टडी करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर हमें दें।

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात को धन का आवंटन

[हिन्दी]

+

*455. श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेश चन्द तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों को पर्यटन-स्थलों के विकास के लिए 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इन स्थलों के विकास के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उपरोक्त राशि की सहायता से इन राज्यों में 1990-91 के दौरान कितने पर्यटन स्थल विकसित किए गये ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पर्यटक स्थलों का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों के लिए स्वीकृत तथा अवमुक्त राशि निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए में)

राज्य	1990-91 राशि स्वीकृत/अवमुक्त		1991-92 (अब तक) राशि स्वीकृत/अवमुक्त	
उत्तर प्रदेश	397.87	205.25	54.65	27.80
गुजरात	99,55	42.50	126.34	64.85

1990-91 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों में उत्तर प्रदेश में 32 स्थानों पर और गुजरात में 7 स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि गुजरात में सिर्फ 7 स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है। यह बहुत ही कम है। गुजरात और सौराष्ट्र की अपनी एक संस्कृति है और जूनागढ़ में विश्व प्रसिद्ध शेर पाये जाते हैं और वहां वास्तुकला के बेजोड़ नमूने बनते हैं, वह भी जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर स्थित है। अगर सही माना जाए तो जूनागढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाए तो उससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जूनागढ़ को इण्डियन एयरलाइन्स की दैनिक उड़ान और रेल को अगर ब्राडगेज से जोड़ा जाये तो यह जूनागढ़ जो बहुत पुरातत्व के बेजोड़ नमूने के रूप में अवस्थित है, इसके जरिए जूनागढ़ का औद्योगिक और आर्थिक विकास हो सकता है तो क्या गुजरात सरकार ने जूनागढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना केन्द्र सरकार को दी है?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : मैं माननीय सदस्य की मनोव्यथा को समझ सकता हूं। मैं उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए यह कहूंगा कि जहां तक रेलवे का सवाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परन्तु जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है, यदि गुजरात सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा होगा, तो मेरे ख्याल से हम उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूं कि हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव जी ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या को पर्यटन स्थल में विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी तो स्वर्गीय श्री राजीव भैया की जो इच्छा थी, वह आपको पूरी करनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूं तो क्या सरकार इसके बारे में कुछ करना चाहती है या कुछ किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में दो यात्री निवासों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था। हम उस बारे में विचार कर रहे हैं। हम बहुत शीघ्र ही कुछ दिनों के अन्दर दो यात्री निवासों की स्थापना की मंजूरी देने की स्थिति में होंगे।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : हम अयोध्या में ऐसे यात्री निवासों की स्थापना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी अनुक्रिया बिल्कुल असंतोषजनक है। हमने उन्हें स्मरण कराने के लिए अनेक तार भेजे हैं। हमने उन्हें पत्र भी लिखे हैं। परन्तु हमारे पिछले सात स्मरण पत्रों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जवाब दिया है। बड़ी कठिनाई से हम उन्हें उत्तर भेजने के लिए मना सके हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : यह बिल्कुल गलत बात है—(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कौन-कौन से पत्र गये हैं, और प्रदेश सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है, वे सब सभा-पटल पर रखें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया : दिनांक 10 अक्टूबर को हमने उन्हें एक अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजा है। 31 अक्टूबर को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखा था। 13 नवम्बर को पर्यटन विभाग द्वारा एक स्मरण-पत्र भेजा गया। 23 दिसम्बर को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पुनः राज्य सरकार को स्मरण-पत्र भेजा 28 दिसम्बर को अर्द्ध-सरकारी पत्र के रूप में संयुक्त सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव पर्यटन विभाग को स्मरण-पत्र भेजे हैं। 6 जनवरी को एक और स्मरण-पत्र भेजा गया और दिनांक 11 मार्च को राज्य सरकार को एक और अर्द्ध-सरकारी स्मरण-पत्र भेजा गया। अंत में हमें उनका यह उत्तर मिला कि "जी हां। 16 मार्च के लिए कुछ योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की काफी सम्भावनायें हैं और केन्द्र सरकार को पर्यटन के लिए मदद करनी चाहिये, लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा है—(व्यवधान)—आप पहले सुन लो माननीय मन्त्री महोदय ने जो इसका उत्तर दिया है, वह इससे उल्टा लगता है। 1990-91 में 398 लाख रु० सेंक्शन हुए थे, उसमें से 205 लाख रुपये उत्तर प्रदेश को दिये 1991-92 में 55 लाख रुपये सेंक्शन किये थे, उसमें से 27 लाख रुपये दिये, जबकि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में अर्द्ध-कुम्भ का मेला हरिद्वार में लग रहा है, वहां करोड़ों देशी-विदेशी पर्यटक आयेंगे, उनकी सुविधा के लिए

तथा जो अभी गढ़वाल में भूकम्प आया है, उससे पर्यटन स्थल तमाम क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनके विकास के लिए क्या केन्द्र सरकार द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई थी, उनको पूरा का पूरा देने का विचार कर रही है, मेरा "क" पार्ट तो यह है—(व्यवधान)—कम धनराशि देने का क्या कारण है और जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए जो पूरी की पूरी धनराशि सैंक्शन की गई थी, उसे देने जा रहे हैं या नहीं ? मेरा "ख" पार्ट यह है कि आप राशि बढ़ा रहे हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी-अभी मैंने कहा है कि अयोध्या में यात्री निवास की स्थापना के बारे में हमें उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल उदासीन रुख देखने को मिला है। मैं यहां यह और कहना चाहूंगा कि चित्रकूट में भी यात्री निवास की स्थापना के बारे में हमें उनका ऐसा ही उदासीन रुख देख रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रमेश चंद तोमर : यह तो कोई बात नहीं है जिस की वजह से धन को कम कर दिया गया। 398 लाख रुपये जो सैंक्शन किये गए थे, उसको कम क्यों कर दिया गया है ?

श्री माधव राव सिंधिया : वह बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को चार करोड़ बयालिस लाख रुपये सैंक्शन किए गए थे और वर्ष 1991-92 में स्कीम जो कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपये की थी यानी कि जो पांच वर्षों में दिए गए, उसका 50 परसेंट एक ही वर्ष हम सैंक्शन करना चाहते हैं, पर यह निर्भर होता है यू०पी० गवर्नमेंट के रिस्पौंस पर। जब हम इसे सैंक्शन करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लें। इसके बारे में हम यू०पी० गवर्नमेंट से सलाह-मशविरा करते हैं, उनसे पत्र व्यवहार करते हैं। उसमें हमारा यह प्रयास रहता है कि जो 2 करोड़ 20 लाख रुपये सैंक्शन होंगे तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिस्पौंस और उनका सहयोग बना रहे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह पैसा निश्चित रूप से रिलीज नहीं होता है। माननीय सदस्य ने जो यह पूछा कि 54 लाख रुपये में से मात्र 27 लाख रुपए रिलीज हुए, यह इसी का रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से हमें कोई रिस्पौंस यू०पी० गवर्नमेंट से मिल नहीं रहा है न पिछले वर्ष और न ही इस वित्तीय वर्ष।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि अयोध्या के मन्दिर के सम्बन्ध में, इन्होंने अभी जो वहां टूरिज्म के विस्तार करने की बात कही, क्या यह सच है कि वहां पर कई मंदिर उखाड़े गये हैं जिसके कारण टूरिज्म का सत्यानाश हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी वहां से मिली है कि वहां अनेक मंदिरों को उखाड़ दिया गया है और यह काम बी० जे० पी० की सरकार ने वहां पर किया है। क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी जगहों पर टूरिज्म के विस्तार के लिए दिए गये पैसे का मिसयूज होगा या सही उपयोग होगा।

श्री माधव राव सिंधिया : इसके बारे में मैंने दूसरे सदन में पहले ही जवाब दे दिया है और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई टूरिज्म संबंधी प्रोपोजल, अयोध्या के बारे में, प्रदेश सरकार से नहीं मिला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में है लेकिन

मन्त्री महोदय चित्रकूट पहुंच गये। भगवान राम को भी अयोध्या से चित्रकूट जाने में बहुत समय लगा था। क्या प्रश्नकाल का उपयोग कोई मंत्री किसी प्रदेश सरकार पर लांछन लगाने के लिए करेगा क्योंकि मध्य प्रदेश से इस प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है; मगर मंत्री जी मध्य प्रदेश की सरकार को भी बीच में ले आये। (व्यवधान) हां, आप सुन लीजिए। यह चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं सोचता हूं कि वाजपेयी जी अपना रास्ता भूल गए हैं, मार्ग से भटक गए हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है।

एक अन्य माननीय सदस्य : वाजपेयी जी को उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए और पहले पता करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आप मंत्री महोदय से पूछिए ताकि बात साफ हो जाये। आप मन्त्री जी से पूछिये कि जब इन्होंने चित्रकूट का उल्लेख किया तो इनके दिमाग में उत्तर प्रदेश की सरकार थी या मध्य प्रदेश की सरकार थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 456

उड़ीसा में दूरसंचार सुविधाएं

[अनुवाद]

*456. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के नाम क्या है जहां वर्ष 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० तथा अन्य दूरसंचार सम्पर्क सुविधाएं प्रदान की जानी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : उड़ीसा के उन स्थानों के नाम अनुबंध 'क' और 'ख' में दिए गए हैं जहां 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा तथा अन्य दूरसंचार लिंक प्रदान करने की योजना बनाई गई है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

अनुबन्ध 'क'

1992-93 के दौरान जिन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनके नाम

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम
1.	औल
2.	कठीकटा
3.	केगिग
4.	देवगढ़

1	2
5.	बोनाई
6.	खरियार रोड
7.	राज खरियार
8.	नवापाड़ा
9.	करंजिया
10.	बंगामुंडा
11.	अठगढ़
12.	छेन्दीपाडा
13.	सुरादा
14.	पुरूषोत्तमपुर
15.	बुगुडा
16.	खालीकोट
17.	जयपटना
18.	बासपल्ला
19.	खांडपाड़ा
20.	अट्टाबीरा
21.	बासुदेवपुर
22.	नागराम
23.	पुपसा
24.	रानीताल
25.	वेलपोरा
26.	बिम्का
27.	हरिशंकर रोड
28.	लोइसिंगा
29.	सालेभाटा
30.	बहुग्राम
31.	बलीकुडा
32.	बारंबा

1	2
33.	बिनझारपुर
34.	छतिया
35.	लारका
36.	कुन्जग
37.	कंडारपुर
38.	किशोर नगर
39.	कुंटुनी
40.	कौखिया
41.	कुगुपुर
42.	मौवा
43.	सुब्बुडा
44.	निश्चित कोइली
45.	रघुनाथपुर
46.	महाकाल पाडा
47.	पानी कोइली
48.	बिलेई पाडा
49.	गंधिया
50.	हरीचन्दपुर
51.	छाइगांव
52.	जोरडा
53.	तिरतोल
54.	कंकरडा
55.	बनमालीपुर
56.	बालाकाटी
57.	गोविन्डगिरी
58.	भाटली
59.	राडाबहल
60.	सोहेला
61.	शीलखंडेतिया

1	2
62.	पैकमल
63.	पातापुर
64.	पुदाम्बरी
65.	शेरेगाड (जी एम)
66.	नारला रोड
67.	सीनापल्ली
68.	जमसोला
69.	जोशीपुर
70.	कान्तामल
71.	बोसुनी
72.	गोप
73.	माचुनी
74.	राजसुनाखला
75.	नवहाई
76.	मोहाना
77.	काकटपुर
78.	सरंकुल
79.	छाहताना
80.	ओडेगांव
81.	बाहडझोला
82	टिगिकिया
83.	ब्राह्मणीपुर
84.	गिंगपुर
85.	बाड़ी-कटक
86.	पूरनपानी
87.	बिसरा
88.	लाठीकाटा
89.	पाडीयाबहाल

1	2
90.	दहासपुर
91.	बगडेही
92.	मेलकरमुंडा
93.	रोमेंडा
94.	बिसेपुर
95.	रूपारोड
96.	उपकेला
97.	हैयाडीही
98.	भूबन
99.	परजंग

अनुबन्ध "ख"

प्रस्तावित दूरसंचार लिंको (रेडियो संचारण स्कीम) की सूची

क्रम सं०	दूरसंचार लिंक का नाम
1.	औल-केन्द्रपाडा
2.	बयालीसमौजा-कटक
3.	ज्ञानपुर-केन्द्रपाडा
4.	कंदरपुर-कटक
5.	कुसुपुर-केन्द्रपाड़ा
6.	कोरूआ-केन्द्रपाड़ा
7.	महाकालड़ा-केन्द्रपाड़ा
8.	टिगिरिया-आठगढ़
9.	ओलतपुर-कटक
10.	पांचुपांडव-कटक
11.	रघुनाथपुर-जगतसिंहपुर
12.	राजनगर-पट्टामुंडई
13.	राजकनिका-पट्टामुंडई
14.	सुनगुडा-सालेपुर

1	2
15.	तिरान-पारादीप
16.	असका-शोरेगढ़
17.	बासुनी-सोनेपुर
18.	कंटामल-सोनेपुर
19.	पुरमाकाटक-बौद्ध
20.	बौला-मदक
21.	जमसोला-बारीपाड़ा
22.	खुंटा-उदाली
23.	पाथुरी-बारीपाड़ा
24.	सुलियापाड़ा-बारीपाड़ा
25.	बालकाटी-भुवनेश्वर
26.	बनमालीपुर-भुवनेश्वर
27.	बलियन्ता-भुवनेश्वर
28.	गोप-नीमपाड़ा
29.	कानस-जाटनी
30.	राजरानपुर-खुर्दा
31.	चित्रकुन्दा-बालीमेला
32.	अम्बाडोला-विसमकटक
33.	बोइपारीगुडा-जेपोर (के०)
34.	कासीपुर-कोटापुर
35.	अगडेही-झरसूगुड़ा
36.	कान्ताकाली-बाड़गढ़
37.	बालसोर-बारीपाड़ा
38.	ब्रह्मपुर-पथरा-भानजंगर
39.	कटक-नीलगिरी-केन्द्रपाड़ा
40	झरसुगुडा-बृजराजनगर
41.	केसिंग-तितलागढ़
42.	कोरापुट-आर-लखीमपुर
43.	पारलेखामुंडी-आर/आर श्रीकाकुलम्
44.	राजगंगपुर-राउरकेला
45.	कोरापुट-चित्रदुर्ग
46.	कटक-नालूगिरी

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह माननीय मंत्री जी ने उड़ीसा में ऐसे अनेक स्थानों के लिए मंजूरी दे दी है जहां पर तुरन्त एस० टी० जी० सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किसी स्थान विशेष पर यह एस०टी०डी सुविधा प्रदान करते समय क्या वह उप-मंडलीय मुख्यालयों को प्राथमिकता देंगे अथवा तहसील मुख्यालयों को। वहां कुछ उप-मंडलीय मुख्यालय हैं जिन्हें सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चालू वर्ष के लिए बनाई जाने वाली सूची में वह कम से कम इन उप-मंडलीय मुख्यालयों को सम्मिलित करें।

संचार मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति के अन्तर्गत जिला मुख्यालय को प्राथमिकता दी जाती हैं। सभा को और विशेष कर उड़ीसा के माननीय सदस्य को सूचित करते हुए मुझे हर्ष होता है कि उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों पर एस०टी०डी सुविधा प्रदान कर दी गई हैं। 58 उप-मंडलीय मुख्यालयों में से 48 मुख्यालयों को यह एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई हैं। केवल दस मुख्यालयों पर ही यह सुविधा प्रदान की जानी शेष है। मैं इसके लिए उड़ीसा के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। लगभग 50 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को बदल दिया गया है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

हमारी तो सब पर नजर रहती है लेकिन देखने का तरीका सब का दूसरा हो सकता है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, 26 तीर्थस्थलों और पर्यटक केन्द्रों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है। केवल दस ही शेष बचे हैं। यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कुछ और भी जानकारी है, तो वह मुझे बता दें और मैं निश्चित रूप से उस स्थान को वीरयता दूंगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस समय कम से .कम एक उप-प्रभागीय मुख्यालय अभी छोड़ा हुआ है वह नीलगिरि है। इसे शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें ऐसे अन्य उप-प्रभागीय मुख्यालयों के साथ-साथ कम से कम इस उप-प्रभागीय मुख्यालय को भी शामिल करने चाहिए, जहां आदिवासी लोगों का बाहुल्य है।

श्री राजेश पायलट : वह अनुरोध श्रीमती सेठी का लगता है, ताकि वह हर रोज आपसे बातचीत कर सके। मैं निश्चय ही ऐसा करवाऊंगा।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदय, निश्चय ही दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के मामले में देश में चमत्कारिक तथा महत्वपूर्ण उन्नति हुई है।

महोदय, जो विवरण हमें दिया गया है, उसमें उड़ीसा के उन 99 स्थानों के नाम है, जहां के टेलीफोन एक्सचेंजों में इस वर्ष एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

मैं मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में कुल कितने प्रतिशत ऐसे एक्सचेंज होंगे जिनमें एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त देवगढ़ जैसे महत्वपूर्ण उप-प्रभागी मुख्यालय को, जिन्हें शीघ्र ही जिला-

मुख्यालय बना दिया जायेगा, अभी यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इसका तर्क यह किया गया है कि आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने में कुछ देरी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देवगढ़ और पल्लाहारा को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट : जैसा मैंने पहले कहा था, जहां तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का सम्बन्ध है, उड़ीसा थोड़ा सा आगे ही है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में वहां एक्सचेंजों की संख्या कम है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं।

जहां तक राष्ट्र का सम्बन्ध है, आज उड़ीसा में 50% इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार सत्तारूढ़ हुई थी—यदि माननीय सांसद वाजपेयी जी ने सरकार की तारीफ न की होती—उस समय उड़ीसा में एस०टी०डी० सुविधा युक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सं० 66 थी। तब जनता दल और आपकी सरकार थी। सत्ता में आने के सात महीने के भीतर हमने इनमें एक सौ एक्सचेंज और जोड़ दिए हैं। इस वर्ष यह सुविधा हम 99 और एक्सचेंजों में देने जा रहे हैं।

इस प्रकार हम उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि संचार के मामले में वे उन्नत राज्यों की गिनती में आ जाएं।

बोइंग 734 विमान में आग लगना

[हिन्दी]

*457. **श्री मृत्युञ्जय नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डियन एयरलाइंस" के बोइंग 734 विमान में लगी आग से हुई क्षति के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जांच करने वाली एजेंसी का क्या नाम है; और

(ग) अन्तिम जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त समिति की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि आक्सीजन प्रणाली के न्यूमैटिक कन्टीन्युअल फ्लो नियंत्रण यूनिट से आग शुरू हुई। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, 1980 से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई है और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इंडियन एयर लाइन्स के विमानों द्वारा यात्रा करते हुए कितने लोगों की जानें गई और क्या ऐसे मामलों में कोई जांच पड़ताल की गई और ये समय पर पूरी हुई।

महोदय, उप-समितियों की रिपोर्टों में हमेशा देरी हुई है। विशेषतया मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस विमान-दुर्घटना की रिपोर्ट का क्या हुआ। जिसमें 1980 में श्री संजय गांधी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि इस दुर्घटना के प्रति राष्ट्र को भारी चिन्ता रही है।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : माननीय सदस्य वर्ष 1980 से लेकर आगे की रिपोर्टों के बारे में पूछ रहे है। उसके लिए, एक अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बता सकता हूं कि ये सब जटिल मामले हैं विश्व स्तरीय उलझनें है। हमें सारे मामले को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि इनमें बहुत सी एजेंसियां सम्बद्ध होती है, जिनमें विदेशी एजेन्सियां भी शामिल हैं।

श्री मृत्युंजय नायक : ऐसी जांच समितियों के गठन के लिए किन पूर्वोदाहरणों को देखा जाता है। तथा प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सरकार द्वारा रिपोर्टें कैसे स्वीकार की जाती है ?

श्री एम० ओ० एच फारूक : महोदय, मुद्दा यह है कि जब कोई मुख्य खामी पता चलती है, तो तुरन्त ही डी० जी० सी० ए० वहां जाते है वह एक समिति नियुक्त करते हैं और जांच शुरू हो जाती है।

जब वे इसे शुरू करते है तो फेडरल एवीएशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें शामिल करते है और फिर निर्माताओं को भी इस मामले से जोड़ा जाता है। अन्तिम रिपोर्ट की जांच की जाती है। सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है। अन्त में रिपोर्ट संकलित करके सरकार को दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्राइवेट एजेंसियों से दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करना

460. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रतियोगिता लाने संबंधी वर्घन और दामोदरन समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन होने तक, दूरदर्शन के दूसरे चैनल के लिए कार्यक्रम तैयार कराने के लिए 'टाइम स्लाट' के आधार पर प्राइवेट एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने का है।

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश में विदेशी नेटवर्क के प्रसारणों के प्रति आकर्षण किस हद तक कम हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सरकार दूरदर्शन के चार महानगर चैनलों पर कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। दूरदर्शन द्वारा स्वयं और कार्यक्रम तैयार किए जाने तथा बाहरी निर्माताओं द्वारा कार्यक्रम तैयार करवाए जाने की स्कीम की औपचारिकताएं तैयार की जा रही हैं जिन्हें इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस संबंध में जिन पार्टियों ने रुचि दिखाई है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों की विषय वस्तु और फार्मेट में गुणात्मक सुधार करने का सतत् प्रयास रहता है ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे।

विवरण

1. पी० टी० आई—टी० वी० दिल्ली
2. टी० वी० पी० प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया, कलकत्ता
3. पैराडिज्म मीडिया, बम्बई
4. बिजनेस इंडिया टेलीविजन, नई दिल्ली
5. मैसर्स ईस्टर्न न्यूज एंड फीचर्स एजेंसी (प्रा०) लिमिटेड
6. फोरम फार बैटर सिनेमा, बम्बई
7. मैसर्स जैन स्टुडियोज लिमिटेड, नई दिल्ली
8. मैसर्स सेंटर फार मीडिया स्टुडियोज, नई दिल्ली
9. मैसर्स सिनेविस्टा ऐड्स, बम्बई
10. मैसर्स विशाल प्रोडक्शंस, बम्बई
11. दि हिन्दू, 5, आई एन एस बिल्डिंग, नई दिल्ली
12. शोभा क्रीएशंस, त्यागराज नगर, मद्रास-600017
13. रोशनी टी०वी पेजेंट, त्रिवेन्द्रम
14. टेक्नो विजुअल्स कलकत्ता-700007
15. एन्के विजन्स (प्रा०) लिमिटेड, मद्रास
16. डा० डैडी बलसारा, सिंगापुर
17. स्पाट फिल्मस टी०वी० न्यूज एंड फीचर्स एजेंसी, नई दिल्ली
18. श्री सिद्धार्थ राय, इंडीपेडेंट टेलीविजन कं० प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
19. पत्रिका टी वी, नई दिल्ली
20. देव फीचर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
21. यू टी वी (युनाइटेड टेलीविजन), बम्बई-400018
22. सेल्युलिक्स प्रोडक्शंस (प्रा०) लिमिटेड, जे-71, कालकाजी, नई दिल्ली
23. श्री सिद्धार्थ बसु, साइनर्जी कम्युनिकेशंस प्राइवेट, लिमिटेड, डी 2571, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110030.
24. प्रणव राय, एन डी टी वी, डब्ल्यू-17, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-48
25. आई पी० बाजपेयी, ओक्टवे कम्युनिकेशंस, जी-151 कालकाजी, नई दिल्ली
26. रमेश शर्मा, 3/42, जंगपुरा 'बी', प्रथम तल, नई दिल्ली-14
27. राकेश खन्ना, द्वारा चाणक्य पिक्चर्स, एच-11, कनाट सर्कस (मिडल सर्कल), नई दिल्ली

28. प्रेम प्रकाश, एशियन फिल्म्स टी वी, 72, जनपथ, नई दिल्ली 17

29. विनोद दुआ, एस-69, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17

30. नरेश बेदी, ई-19, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-17 और

31. राजीव मेहरोत्रा, 136, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-3

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*461. श्री सुधीर गिरि : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अत्यधिक आधुनिक मशीनरी विकसित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) ये उद्योग किन-किन अड़चनों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में कुल कितने मूल्य के प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआ ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/संगठनों और कुछ मशीनरी निर्माता कम्पनियों ने अलग अलग स्तर की कुछ प्रकार की आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण मशीनरियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आयात और विदेशी सहयोग की स्वीकृति भी दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० टी० आर० आई०) मैसूर में खाद्य इंजीनीयरी केन्द्र की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है। यह केन्द्र अन्य बातों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी की डिजाइनिंग एव विकास और सबंधित अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप करेगा।

(ख) इस समय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अपने विकास के लिए अनेक अड़चनो का सामना करना पड़ रहा है। इन अड़चनों में पेकिंग सामग्री की अधिक लागत, बुनियादी सुविधाओं की कमी, पैकिंग सामग्रियों पर अधिक कर और शुल्क और राज्य शुल्क भी शामिल हैं। अपर्याप्त विपणन सुविधायें एवं 'बाजार आंकड़े, पुराने किस्म की मशीनरी और प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों के क्वालिटी मानकों के बारे में लोगों को कम जानकारी भी इस उद्योग की अड़चनें हैं।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को लम्बे समय तक उचित मूल्यों पर सही किस्म ओर मात्रा में कच्चा माल न मिलने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। विशेषकर विकेन्द्रीकृत मात्रा प्रसंस्करण एवं प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए सही किस्म की मशीनरी का उपलब्ध न होना, भंडारण, परिवहन आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता भी अन्य अड़चनें हैं।

मांस एवं पाल्ट्री उद्योग को आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी, पशुओं के कुछ बीमारियों से ग्रस्त रहने, सामाजिक अड़चनों, प्रशिक्षित जनशक्ति और अच्छे किस्म की स्वदेशी मशीनरी और रेफ्रिजरेटिड परिवहन जैसी विपणन सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है।

गहन समुद्री मात्स्यिकी एवं मछली प्रसंस्करण उद्योगो का पर्याप्त रूप से बिस्तार नहीं हो पाया है और गहन समुद्री ससाधनों के दोहन के लिए साधनयुक्त विशिष्ट जलयानों की अपर्याप्तता, मात्स्यकी कार्यों में विविधीकरण की कमी और गहन समुद्री क्रियाकलापों और प्रौद्योगिकी के लिए धन की कमी इसके कारण है।

कुछ राज्यों में लेवी के अधिक प्रतिशत के कारण चावल हुलरों के तेजी से आधुनिकीकरण में बाधा पहुंची है। प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग विशेषकर पारम्परिक खाद्य पदार्थों के लिए प्रौद्योगिकी की कमी, सही किस्म की स्वदेशी मशीनरी का अभाव, विपणन समस्यायें, कुछ उत्पादों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी और परम्परागत खान पान की आदतें उपभोक्ता खाद्य उद्योग के विकास की अड़चने हैं।

(ग) यद्यपि उत्पादन किये गए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के कुल मूल्य के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती परन्तु यह अनुमान है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का देश के सकल घरेलू औद्योगिक उत्पादन में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान है। लघु उद्योग उपायुक्त के कार्यालय द्वारा लघु उद्योगों के लिए की गई अखिल भारतीय गणना से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 1987-88 में लघु क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का उत्पादन 9632·95 करोड़ रुपए था। वर्ष 1990 91 और 1991-92 के दौरान चुनिंदा उत्पादों के उत्पादन के अनुमान संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

चुनिंदा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अनुमानित उत्पादन

उत्पाद	1990-91	1991-92
धान से चावल (मि० टन)	70	72
मिल के गेहूं के उत्पाद (मि० टन)	8	8
फल एवं सब्जी उत्पाद (लाख टन)	3.8	उपलब्ध नही
तैयार एक्सट्रूडिड खाद्य पदार्थ (टन)	13200	14500
कोको आधारित उत्पाद (टन)	39383	40600
अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ (टन)	9356	10000
मृदु पेय (मिलियन बोतलें)	उपलब्ध नहीं	2490
दुग्ध पाउडर/दूध पर आधारित शिशु आहार (टन)	155000	उपलब्ध नहीं
माल्टयुक्त खाद्य पदार्थ एवं माल्ट-युक्त दुग्ध आहार (टन)	39000	41000
पनीर (टन)	2500	3000
गहन समुद्री मात्स्यिकी से मछली उत्पादन (लाख टन)	2.3	उपलब्ध नही
बीयर (लाख कि० लीटर)	2.24	उपलब्ध नहीं
मांस एवं पाल्ट्री (मिलियन टन)	2.08	उपलब्ध नहीं
मांस उत्पादन (टन)	20,000	उपलब्ध नहीं

ताप विद्युत घरों से निकलने वाली फ्लाई एश

*462. श्री उत्तम राव देवराव पाटील : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप विद्युत वाली फ्लाई एश से पर्यावरण दूषित होने के अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य को भी बहुत हानि पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों से निकलने वाली उड़न राख (फ्लाई ऐश) का यदि उपयुक्त रूप से निपटान न किया जाए तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानि कारक हो सकता है।

(ग) और (घ) जन-स्वास्थ्य के बारे में 1988-91 के दौरान सिंगरौली क्षेत्र में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विशेष रूप से उड़न राख सम्बन्धी प्रदूषण के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी प्रकार की समस्या का पता नहीं लगा है।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों के समीप उड़न राख के एकत्र के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) ईंटों, सीमेंट आदि जैसे उड़न राख आधारित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना।

(2) विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले कोयले के लिए पिटहैड कोयला परिशोधन संयंत्रो की स्थापना करना।

(3) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यांत्रिक एवं इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण यन्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(4) विद्युत केन्द्रों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक करना।

(5) गैसों के अधिक तेजी से निस्सरण की व्यवस्था करना।

पायलट स्टडी स्टेशन

*463. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पायलट स्टडी स्टेशनों को रेडियो और स्क्रीन व्यवस्था से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकाशवाणी ने देश के सुदूर स्थानों तक और वहां से संचार सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए कोई "पेजिंग सिस्टम" विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग ने रेडियोटेक्स्ट/एस० सी० ए० (सबसिडियरी चैनल आथोराइजेशन एक दोहरी सब कैरियर प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली द्वारा प्रसारण बैंड में सामान्य कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाए बिना अतिरिक्त सहायक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। आकाशवाणी का कार्य कर रहे किसी एफ०एम० केन्द्र में पायलट अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली से सभी भारतीय भाषाओं में पाठ प्रेषित करने और एक उच्च गुणवत्ता ध्वनि कार्यक्रम (क्वीन क्वालिटी साउंड प्रोग्राम) की व्यवस्था होगी। श्रोता इस पाठ को मानीटर सहित एक विशेष डिकोडर से देख सकेंगे।

आकाशवाणी का अनुसंधान विभाग इस समय एक पेजिंग प्रणाली का विकास कर रहा है जिसे आकाशवाणी के एफ०एम० नेटवर्क पर इस्तेमाल किया जाएगा। पेजिंग प्रणाली से केवल शीघ्र संचार स्थापित करने में मदद मिलती है और इससे दोतरफा संचार लिंक की व्यवस्था नहीं होती।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

*464. कुमारी फ्रिडा टोपनो :

श्री राम [illegible] : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सरकार ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाये जायेंगे ताकि उनका प्रसिद्ध विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में विकास किया जा सके। प्रथमतः, इस तरीके से चार-चार होटलों के दो ग्रुपों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है।

ऊर्जा की मांग और पूर्ति

*465. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा की मांग और पूर्ति में अन्तर है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अन्तर को दूर करने के उद्देश्य से ऊर्जा के इस्तेमाल में मितव्ययता बरतने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी ऊर्जा बचाई गई ?

विद्युत और परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा की आवश्यकता 262799 मिलियन यूनिट थी जिसकी तुलना में उपलब्धता 242367 मिलियन यूनिट थी जोकि 7.8% कमी का द्योतक है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अधिकांश परियोजनाएं विकेन्द्रित आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं और इसलिए बचत की मात्रा का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है । तथापि, यू० एन० डी० पी० प्रोजैक्ट द्वारा 45 यूनिटों की लेखा-परीक्षा के बाद 37.98 करोड़ रुपये के बराबर वार्षिक ऊर्जा बचत की शक्यता का अनुमान लगाया गया है । इसी प्रकार, इण्डो ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के सम्बन्ध में अध्ययन करने के बाद उनमें 7 करोड़ रुपये के बराबर वार्षिक ऊर्जा बचत की शक्यता की परिकल्पना की गई है ।

[हिन्दी]

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा रोजगार

*466. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में बिलासपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कक्ष स्थापित करने का विचार है; और

(ग) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करायी गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1989-91 की अवधि के दौरान बाल्को द्वारा दिए गए रोजगार का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
ग्रुप "क"	21	5	3	13
ग्रुप "ख"	—	—	—	—
ग्रुप "ग"	29	7	16	6
ग्रुप "घ"	48	12	9	27
	98	24	28	46

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों के आकृष्ट करने का अभियान

467 श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान रिकार्ड संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आये;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो एयर लाइनों, होटलों और ट्रैवल एजेन्सियों द्वारा एक संयुक्त रूप से तैयार की जा रही विशेष रियायत योजना (पैकेज) का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान क्रमशः 1,77,475 और 1,67,268 विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आए इस प्रकार गत वर्ष के तत्सम्बन्धी महीनों की तुलना में 23.1 प्रतिशत एवं 46.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) नियमित प्रचार प्रयासों के अतिरिक्त, ग्रीष्मकालीन पैकेज का एक प्रचार-कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। संभावना है कि अप्रैल से सितम्बर, 1992 के दौरान 7,60,188 विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आएंगे।

(घ) 1992 से लेकर तीन वर्ष तक अप्रैल से सितम्बर के दौरान यूरोप तथा संयुक्त राज्य में इस पैकेज की पेशकश एक-समान प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर की जाएगी।

(ङ) अप्रैल से सितम्बर 1992 के दौरान पर्यटन से 1570 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय होने की संभावना है।

सातवीं योजना के दौरान चालू किए गए पावर सैट

468. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 200 मेगावाट और 500 मेगावाट के कितने थर्मल सैट चालू किए गए;

(ख) इनमें से कितने सेटों की सप्लाई भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड ने की थी और कितने सेटों का आयात किया गया; और

(ग) आयातित सेटों की तुलना "भेल" द्वारा सप्लाई किए गए सैटों की प्रति मेगावाट क्षमता की औसत लागत (भारतीय रुपयों में) कितनी है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान 500 मे० वा० क्षमता के 11 तापविद्युत यूनिटों और 210 मे० वा० क्षमता के 39 तापविद्युत यूनिटों को चालू किया गया। इनमें से 500 मे० वा० के 2 यूनिटों और 210 मे० वा० के 6 यूनिटों का आयात किया गया था। शेष स्वदेशी थे और 210 मे० वा० यूनिटों के 3 मामलों जिनमें बायलर यद्यपि स्वदेशी थे परन्तु मैसर्स ए० बी० एल० द्वारा सप्लाई किए गए थे, को छोड़कर सभी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा सप्लाई किए गये थे :

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू किए गए 210 मे० वा० क्षमता के आयातित एवं स्वदेशी तापविद्युत यूनिटों की औसत पूंजीगत लागत/मे० वा० नीचे दी गई है :—

आयातित (लाख रुपये में)	स्वदेशी (लाख रुपये में)
108.1	103.5

जहां तक 500 मे० वा० सैट का सम्बन्ध है, सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू किए गए स्वदेशी सैट, 210 मे० वा० के स्वदेशी सैटों के समनुरूप हैं तथा कुल परियोजना लागत में दोनों प्रकार के सैटों की लागत सम्मिलित है और इसलिए स्वदेशी एवं आयातित 500 मे० वा० सैटों की प्रति मे० वा० लागत की तुलना सम्भव नहीं है।

एस० टी० डी० सुविधा

469. श्री दत्तात्रेय बंडारु :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के और अधिक क्षेत्रों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

धनबाद कोयला खानें

5097. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद कोयला खानों में खनन कार्य का खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयला खानों की आधुनिकीकरण की योजना सहित कोई ठोस सुरक्षा उपाय किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) चसनाला कोयला खान परिसर के प्रबंधन ने कामगारों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सभी उपाय, संवैधानिक तथा अन्यथा भी किये है (और ये उपाय किए जाते रहेंगे। इन उपायों के परिणामस्वरूप इस परिसर में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई। पिछले 2 वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में हुई कमी का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	घातक दुर्घटना	गंभीर दुर्घटनाओं	प्रतिविध दुर्घटना
1990	शून्य	13	100
1991	1	7	47
1992 (फरवरी तक)	शून्य	3	7

(ग) और (घ) चसनाला भूमिगत खान जिसमें विकास कार्य चालू है, में जल-आप्लावन, गैसे फैलने और छत तथा/अथवा साइड की दीवारों के ढहने के कारण संकटमय है। खान में पुराने कार्य स्थानों से पानी को निकालने के लिए बोर होल्स की ड्रीलिंग, संचालन प्रणाली की पर्यावरणात्मक टेली-मानिटरिंग और हाइड्रोलिक स्टोटिंग का प्रयोग आदि जैसे आवश्यक उपचारात्मक उपाय/कदम उठाए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बौद्ध पर्यटन केन्द्र

5098. श्री प्यारे लाल जाटव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बौद्ध पर्यटन केन्द्रों को जापान की सहायता से विकसित करने की कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन योजनाओं पर कार्य कब से चल रहा है तथा इस समय यह कार्य किस स्थिति में है;

(ग) इन योजनाओं के कार्य निष्पादन में विलम्ब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 15 दिसम्बर, 1988 को भारत सरकार और जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के बीच एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध यात्रा परिपथ पर 220.43 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से आधारभूत सुविधाओं का एकीकृत विकास किया जा सके, जिसमें से विदेशी आर्थिक सहयोग कोष 9.244 बिलियन येन

लगभग (100 करोड़ रु०)आपानी सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगा इस परियोजना के मुख्य घटक हैं :—राष्ट्रीय तथा राज्यीय मार्गों का विकास, होटलों एवं मार्गस्थल सुख-सुविधाओं का निर्माण, भू-दृश्यांकन, जल एवं विद्युत आपूर्ति में वृद्धि, कारों तथा कोचों का आयात और दूरसंचार सुविधाओं में वृद्धि। यह परियोजना दिसम्बर, 1988 में शुरू हो गई थी और दिसम्बर 1993 तक पूरी होने की संभावना है। सड़क तथा दूरसंचार क्षेत्रों का कार्य प्रगति पर है। तथापि तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप देने में और बिहार राज्य के बजट से धन अवमुक्त होने में विलम्ब होने के कारण बिहार में कार्य धीमी गति से चल रहा है।

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन विकास

5099. श्री मनोरंजन भक्त : नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पर्यटन के विकास के लिए गन्तव्य स्थल के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। प्राप्त परियोजनाओं और अनुमानों के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के आधार पर वर्ष 1991-92 के दौरान पर्यटन को आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 48.32 लाख रुपये की राशि की परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति दी गई है।

[हिन्दी]

नागपुर में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

5100 श्री गोविंदराव निकाम

श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर, महाराष्ट्र में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम मौजूदा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार

5101. श्री शिवाजी पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और सुविधाओं की बढ़ोत्तरी 1992-93 से आगे चरणबद्ध तरीके से की जाएगीं।

[अनुवाद]

'डेसू' द्वारा शुरू की गई 'काल्पनिक बिल' प्रणाली

5102. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने उपभोक्ताओं के लिए 'काल्पनिक बिल' प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को काफी अधिक धनराशि के बिलों का अग्रिम भुगतान करने पर विवश किया जाता है;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों में 'डेसू' मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं देता है; रीडिंग नहीं लेता;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को अग्रिम बिल भेजने के बारे में निदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थाव की वर्तमान प्रणाली के अधीन घरेलू एवं गैर-घरेलू (निम्न वोल्टता) उपभोक्ताओं को बिजली के बिल द्विमासिक आधार पर भेजे जाते हैं। प्रत्येक चार महीने में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर एक बिल तैयार किया जाता है तथा इस बीच विगत में उपभोग की गई बिजली की मात्रा के आधार पर दो महीने का एक अन्तिम बिल भेजा जाता है। अन्य श्रेणियों के मामले में मासिक बिल जारी किए जाते हैं। मीटर रीडरों की कमी होने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा चारमासी मीटर रीडिंग प्रणाली को अपनाया गया है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ताओं को मद्देनजर रखते हुए इस संबंध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को निजी प्रकार के निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली के होटलों द्वारा वायु और जल प्रदूषण विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

5103. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पांच तारा होटलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने वायु और जल प्रदूषण विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली में ऐसे पांच तारा होटलों के नाम क्या है; और

(ग) ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सभी पांच सितारा होटलों को जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रबंधन की सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है ।

इन होटलों को एक अवधि के भीतर इन मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया था। उनमें से कुछ ने अपेक्षित शर्तें पूरी कर ली है। जबकि दूसरों ने इन मानकों को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर दी है।

[अनुवाद]

5104. श्री कोडीकुन्नील सुरेश

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल के अनेक स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य में कुल 650 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 178 एक्सचेंजों (163 केन्द्रों) में पहले ही एसटीडी/आईएसडी सुविधा प्रदान की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 472 एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से एसटीडी सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के श्रमिकों को "कोक ब्रीज" की सप्लाई

5105. श्री पीयूष तीरकी : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड कुल्टी, पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को "कोक ब्रीज" रियायती दरों पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रमिकों को सप्लाई किए गए "कोक ब्रीज" का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) श्रमिकों में "कोक ब्रीज" की सप्लाई के मानदण्ड और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में प्रबंधक को कालाबाजारी की कोई शिकायतें मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान कामगारों की वितरित की गई "कोक ब्रीज" की मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (टन)
1986-87	2334.28
1987-88	3769.86
1988-89	3797.74
1989-90	3734.48
1990-91	3155.82

(ग) "कोक ब्रीज" का वितरण ठेकेदार के माध्यम से उपस्थिति नामावली के कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों को क्रमशः 1 "माउण्ड" और 3 "माउण्ड" प्रति माह की दर से किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रबन्धन को दिनांक 13-12-91 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो उन 9 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित है जो कोक ब्रीज के वास्तविक प्राप्त कर्ता हैं जिन्हें 12-12-1991 को कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी थी शिकायत के ब्यौरे की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का दिल्ली में धरना

5106. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों ने फरवरी, 1992 को दिल्ली स्थित संचार भवन के बाहर धरना आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) डाकघर अनुसूचित जाति/जनजाति वेलफेयर एसोसियेशन ने संचार भवन के सामने 25 फरवरी, 1992 को धरना दिया था।

(ख) यह धरना निम्नलिखित मांगों के समर्थन में दिया गया था :—

(1) समयबद्ध एक पदोन्नति स्कीम के अंतर्गत 30-11-83 से पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू करना।

(2) समयबद्ध एक पदोन्नति स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति पर एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा स्कीम के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति।

(3) समयबद्ध एक पदोन्नति तथा द्विवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षा स्कीम की नॉन-टेस्ट कैटेगरी ग्रुप 'घ' कर्मचारियों पर लागू करना।

(4 अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के जे० टी० ओ० का 12 वर्ष की सेवा के सामान्य मानदंड के स्थान पर 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर शाखा पदोन्नति देना।

(5) बुद्ध धर्मावलम्बियों को आरक्षण का लाभ।

(6) डाकतार अनुसूचित जाति/जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करना।

(ग) डाकतार अनुसूचित जाति/जनजाति वेलफेयर एसोसिएशन बिना मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है। फिर भी संगठन की मांगों पर विचार किया गया और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/नीति विषयक मानदंडों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई।

केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा का विकास

5107. **श्री थाइल जान अन्जोल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य में राज्य सरकार, कार्यान्वयन अभिकरणों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय प्रणालियों सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, लघु-सूक्ष्म जल-विद्युत संयंत्रों, बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों, इत्यादि का विकास तथा प्रचार किया जा रहा है। केरल राज्य में विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों सम्बन्धी उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि पर आधारित अनेक अन्य नई तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के अलावा, 2000 बायोगैस संयंत्र तथा 70,000 उन्नत चूल्हे स्थापित करने का अनन्तिम प्रस्ताव है।

विवरण

केरल राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों सम्बन्धी उपलब्धियों की स्थिति

क्रम सं०	कार्यक्रम/प्रणालियां तथा युक्तियां	संचय उपलब्धि 31-12-1991 तक
1.	बायोगैस संयंत्र	28,119
2.	उन्नत चूल्हा	2,51,311
3.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणाली	28
4.	घरेलू सौर जल हीटर	9
5.	सौर वायु तापन प्रणाली	1
6.	सौर आसवन प्रणाली	10

1	2	3
7.	सौर कुकर	149
8.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था टी० वी० प्रणालियां	11
9	प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणाली	6
10.	सड़क प्रकाश व्यवस्था से युक्त गांव	93
11.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	1
12.	जल पम्पन पवन चक्कियां	19
13.	मानचित्रण केन्द्र	30
14.	पवन प्रबोधन केन्द्र	9
15.	पवन विद्युत जनरेटर	1
16.	बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजन	4

दूरसंचार में प्रौद्योगिकी मिशन

5108. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार में प्रौद्योगिक मिशन प्रारम्भ करने के परिणाम स्वरूप क्या सुधार हुए हैं;

(ख) प्रौद्योगिकी मिशन पर अब तक कितनी पूंजी निवेश की गई है;

(ग) क्या टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में कोई उपलब्धि हुई है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में किसी विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी सुधार किये गए हैं, जैसे सेवा की गुणवत्ता, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की अभिगम्यता, तारों का वितरण तथा मांग करने पर टेलेक्स की व्यवस्था, जिला मुख्यालयों की एस टी डी सुविधा और राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क।

(ख) प्रौद्योगिकी मिशन सम्बन्धी गतिविधियां दूरसंचार विभाग की कार्य योजना की अभिन्न अंग हैं और इन पर किया जाने वाला निवेश वार्षिक आवंटन में से किया जाता है।

(ग) इस मिशन की शुरूआत से लेकर अब तक टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरसंचार में प्रौद्योगिकी मिशन की महत्वपूर्ण गतिविधियों की स्थिति

		निम्नलिखित के दौरान स्थिति		
क्रम सं०	मद	मार्च, 86	मार्च, 91	जनवरी. 92
1.	स्थानीय कालों की प्रभावी काल सफलता दर (%)	90	96.82	97.17
2.	एसटीडी कालों की प्रभावी काल सफलता दर (%)	20	85.54	88.75
3.	प्रति 100 केन्द्रों में प्रतिमाह टेलीफोन दोष दर	35	17.36	17.68
4.	शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन (सभी प्रकार के शामिल हैं)	19868	81854	103531
5.	मैनुअल ट्रंक कालों की प्रभावीप्रतिशतता	73	80.50	82.48
6.	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	24025	29545	40898
7.	जिला मुख्यालयों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा	192	417	440
8.	चालू सीधी एक्सचेंज लाइनें	3165224	5077099	5410809
9.	प्रमुख केन्द्रों पर कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ प्रणाली	2	22	28
10.	डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	—	29	39

मंत्रालय में मितव्ययता उपाय

5109. श्री मोहन रावले : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा खर्च में कमी करने के लिए किये गए बचत उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपायों को अपना कर अब तक कितनी धनराशि की बचत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा खर्च में बचत करने की जरूरत को हमेशा दृष्टिगत रखा जाता है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप बचत की गई धनराशि की गणना अलग से नहीं की गयी है। फिर भी, इस मंत्रालय ने वर्ष 1991-92 के दौरान बजट में स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की है।

[हिन्दी]

ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार

5110. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमश: प्रथम नौ महीनों के दौरान ग्वालियर नागरिक हवाई अड्डे से कितने यात्रियों ने यात्रा की और इससे सम्बन्धित विमान सेवाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इनसे क्रमश: कितनी आय हुई;

(ग) क्या इस हवाई अड्डे का विस्तार करने और वहां से नई उड़ानें शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई सी-433/434 ग्वालियर से होकर परिचालन करती है। 1990-91 और 1991-92 के पहले नौ माह के दौरान ग्वालियर से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है :

अप्रैल-दिसम्बर	अप्रैल दिसम्बर
1990	1991
4227	2376

(ख) 1990-91 के पहले नौ महीनों के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने आई सी 433/434 का परिचालन किया जिसमें ग्वालियर को अप्रैल से 15 सितम्बर, 1990 तक दैनिक आधार पर और 16 सितम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक सप्ताह में चार बार की सेवा के आधार पर जोड़ा गया। 1991-92 की तदनुरूपी अवधि के दौरान, उससे आई सी 433/434 के द्वारा ग्वालियर के लिए अगस्त, 1991 से दिसम्बर 1991 तक दैनिक आधार पर सेवाएं परिचालित की। 1990-91 और 1991-92 के पहले नौ महीनों के दौरान ग्वालियर से परिचालनों से अर्जित यातायात राजस्व क्रमश: 209.00 लाख रुपए और 549.20 लाख रुपए था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बिजली उत्पादन

5111. श्री श्रीकांत जेना : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में बिजली उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लाख यूनिट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) इस वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा के लिए 5260 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किए गया है। फरवरी, 1992 तक की वास्तविक उपलब्ध की मात्रा 5580 मिलियन यूनिट थी।

[अनुवाद]

टी० वी० फिल्म और नाटक उत्सव

5112. श्री महेश कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे पर्दे पर दिखाई जाने वाले कार्यक्रम के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टी० वी० फिल्म और नाटक उत्सव आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के जिलों में डाकघर

5113. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश के भोपाल और सिहोर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों से नए डाकघर खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) (क) दिनांक 31-12-91 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के भोपाल और सिहोर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :—

जिला का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
भोपाल	3	57
सिहोर	8	132

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुबन्ध "क" में दिए गए हैं।

लोक सभा में श्री सुशील वर्मा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5113 के भाग (ख) के उत्तर में दिनांक 30-3-92 को सभा पटल पर रखा जाने वाला अनुबन्ध।

अनुबन्ध—"क"

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए 1-4-91 से प्रभावी निर्धारित मापदंड/मानदंड।

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-91 से लागू हुए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए हैं :—

(I) जनसंख्या

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

गांवों में एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :

किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000

(II) दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होगी।

पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का औचित्य होगा, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(III) अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से प्लान स्कीम के अन्तर्गत विभागीय उपडाक घर की मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रों नये औद्योगिक क्षेत्रों/नगर क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभाग और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में विभागीय उप डाकघर खोलना शामिल है। दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ii) प्रस्तावित उप डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iii) हालांकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रु० तक के घाटे की अनुमति दी जाती है। (पहाड़ी/पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में 4800 रु०)

[अनुवाद]

केरल में उसी दिन डाक वितरण सेवा

5114. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल के और अधिक केन्द्रों में उसी दिन डाक वितरण सेवा लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य में किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। केरल के और अधिक केन्द्रों में उसी दिन वितरण सेवा शुरू करने का संघ सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिजों का वर्गीकरण

5115. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई प्रतिवेदन मिला है कि सीमेंट उद्योग के लिए अनिवार्य 'क' श्रेणी के चूना और जिप्सम को मुक्त श्रेणी में सम्मिलित किया जाए;

(घ) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची 'च' में उस खनिज नीति को भी शामिल करने का है, जिसके द्वारा शेष खनिजों को अलग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अप्रधान खनिज और प्रधान खनिज अप्रधान खनिजों को खान और खनिन (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 3 (ई) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है और साथ ही समय-समय पर राजकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। भवन निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत, संगमरमर, ईंट भट्ठों में प्रयुक्त चूना, पत्थर, क्वार्टजाइट, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त बालू और पत्थर आदि को अप्रधान खनिजों की श्रेणी में रखा गया है, जो आमतौर पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के अप्रधान खनिज रियायत नियमों द्वारा शामिल होते हैं।

अप्रधान खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित होते हैं। इनमें से कुछ खनिज जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनि-

लिप्त हैं, उनके मामले में पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनिनपट्टे की मंजूरी अथवा नवीकरण से पहले केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। इन्हें 'प्रथम अनुसूची खनिज' कहा जाता है। प्रथम अनुसूची में कुल 38 खनिज दर्ज हैं।

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत 'ए श्रेणी' अथवा जैसी कोई श्रेणी नहीं है, परन्तु खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची से चूना पत्थर और जिप्सम को हटाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) खान और खनिज (अधिनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में कोई अनुसूची 'एफ' नहीं है।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

5116. श्री शंकर राव काले : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि का अखबारी उद्योग की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) स्टैंडर्ड अखबारी कागज और ग्लेजड अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है। रुपये का अवमूल्यन तथा ऋणों के आगे बढ़ने से समाचार पत्र उद्योग की देयताओं को 60.63 करोड़ रुपए से घटाकर 29.20 करोड़ रुपये कर दिया गया। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरें भी बढ़ा दी गयी।

ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग

5117. श्री नानी भट्टाचार्य

श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों में जल का पूरा उपयोग करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन पर नौहवन की सुविधा में सुधार के लिए गंगा और हुगली में जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए और महानदी, गोदावरी और कृष्णा बेसिनों को पानी की सप्लाई करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) महानदी, गोदावरी और कृष्णा बेसिनों को नहीं बल्कि गंगा बेसिन को जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र के जल का उपयोग करने के वास्ते कुछ अध्ययन किए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्रह्मपुत्र से जल आपूर्ति बढ़ाने की दो वैकल्पिक संभावनाएं हैं,

(i) भारत और बंगला देश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र-गंगा ग्रेविटी सम्पर्क नहर, जिसके लिए बंगला देश की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(ii) भारत क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र-गंगा सम्पर्क नहर लेकिन उसमें 125 मीटर की ऊंचाई तक जल को उठाना शामिल है।

(ङ) विकल्प (i) के लिए अवधारणा निबंध हेतु अध्ययन किए गए हैं और विकल्प (ii) के लिए भूमि पर पूर्व व्यवहार्यता अध्यय किए गए हैं।

आयाकट वाली सिंचाई योजनाएं

5118. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने बछावत न्यायाधिकरण के निर्णय के अन्तर्गत राज्यों को किए गए जल आबंटन से अधिक जल का उपयोग करते हुए विभिन्न लघु तथा उठाऊ सिंचाई योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने 500 एकड़ तक एक आयाकट वाली सिंचाई योजना को मंजूरी नहीं दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय टेलीकाम टेक्निशियंस यूनियन के साथ साथ दूरसंचार विभाग के समझौते

5119. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अगस्त, 1986 और 10 नवम्बर, 1986 को मुख्य श्रम आंयुक्त के समक्ष दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय टेलीकाम टेक्निशियंस यूनियन के साथ किया गया कोई समझौता लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) समझौता ज्ञापन पर सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष, भारतीय तकनीशियन संघ और दूरसंचार विभाग के बीच दिनांक 5-8-86 को हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 10.11.1986 के दूसरे समझौता ज्ञापन पर, दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ के बीच मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों समझौता ज्ञापनों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी।

(ख) समझौता ज्ञापनों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठाता।

विवरण

दिनांक 5-8-86 का समझौता ज्ञापन

समझौते की शर्तें

1. टेक्नीशियनों के वेतनमान को संशोधित करने का प्रस्ताव उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और वेतन आयोग की सिफारिशों से बेहतर वेतनमान देने के सबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

2. वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाए।

3. दूरसंचार विभाग द्वारा सर्किल प्राधिकारियों से, अनुपस्थिति के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

4. ऐसोसिएशन/यूनियन, भूख हड़ताल वापस लेने तथा प्रबंधकों को दिया गया हड़ताल का नोटिस तत्काल वापस लेने के लिए सहमत हो गए।

तारीख 10.11.86 का समझौता ज्ञापन

समझौते की शर्तें

1. यह सहमति हुई है कि यूनियन की ऊपर उल्लिखित मांगों को ध्यान में रखते हुए, तकनीशियनों के संवर्ग की पुन: संरचना की जाएगी।

2. यह सहमति हुई है कि अन्त—विभागीय चर्चा करने से पहले जितनी बार भी सम्भव होगा, योजना तैयार करने समय भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ के साथ परामर्श से विचार किया जाएगा।

3. यह सहमति हुई कि विभिन्न संवर्गों की अर्हताओं और अन्य कार्य-मदों (जाब कंटेंट) को दूरसंचार विभाग द्वारा ही निर्धारित किया जाना होगा।

4. यह सहमति हुई है कि अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ इस संबंध में अंतिम रूप से चर्चा करके लिए गए निर्णय के तत्काल बाद ही यह योजना कार्यान्वित की जाएगी।

गोआ में प्राइवेट होटलों को सुविधाएं

5120. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में गत तीन वर्षों के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाले अनेक प्राइवेट होटल खोले गये हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सुविधा अथवा वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाती है। सरकार आई एफसीआई,

टी एफ सी आई तथा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिए गए ऋणों पर अनुमोदित होटल परियोजनाओं को ब्याज इमदाद देती है। 1 से 3 स्टार होटल परियोजनाओं के लिए ऋण की कुल राशि पर 3 प्रतिशत और 4 और 5 स्टार होटल परियोजनाओं के लिए 75 लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि पर । प्रतिशत ब्याज इमदाद दी जाती है। इसके अतिरिक्त होटल परियोजनाओं तथा चालू होटलों को विभिन्न प्रोत्साहन/रियायतें भी दी जाती हैं।

[हिन्दी]

खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड

5121. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निगम के कार्यकरण की जांच पड़ताल करने हेतु एक समिति का गठन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे अर्थक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) (क) और (ख) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) जो वर्ष 1989-90 तक लाभ कमा रहा था, उसे वर्ष 1990-91 के दौरान 329 लाख रुपए की हानि हुई। इस हानि का मुख्य कारण पर्याप्त ड्रिलिंग/खनन कार्य न मिलना और कर्मचारियों, प्रचालन और ऊपरी खर्चों की ऊंची लागत होना था।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई सी. एल.) से कहा है कि वह अपने ग्राहक संगठनों से और अधिक कार्य प्राप्त करे तथा अपने प्रचालन खर्च में कमी करे।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

5122. श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल इस्पात का उत्पादन कितना है;

(ख) इस्पात के सबसे अधिक उत्पादक का नाम क्या है;

(ग) 1989 के दौरान कितने इस्पात का निर्यात किया गया;

(घ) क्या बाद के वर्षों में इसके निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान तैयार इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 145.5 लाख टन होने का अनुमान है।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है।

(ग) वर्ष 1989-90 (अप्रैल—मार्च) में मुख्य उत्पादकों द्वारा निर्यात की गयी यह इस्पात की मात्रा 2.99 लाख टन थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान मुख्य उत्पादकों द्वारा 3.11 लाख टन का निर्यात किया गया था। वर्ष 1991-92 (जनवरी-1992 तक) में 2.82 लाख टन निर्यात हुआ है।

महाराष्ट्र में गांवों में डाकघर

5123. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं; और

(ख) डाकघर की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31 जनवरी, 1992, की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में ऐसे गांवों की कुल सं० 25224 है जिनमें डाकघर नहीं हैं।

(ख) हालांकि, राज्य का मौजूदा डाक नेटवर्क समूचे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन पोस्टल इनफास्ट्रकचर का विस्तार करने के लिए वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर नए डाकघर खोले जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लिए अब तक 104 अतिरिक्त विभागीय डाकघर मंजूर किए गए हैं।

देश में विद्युत उपलब्धता

5124. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में कुल कितनी बिजली उपलब्ध है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विद्युत उत्पादन की स्थिति में 1991 में इसी अवधि की तुलना में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विद्युत उत्पादन की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की स्थिति कैसी है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) अप्रैल, 1990—फरवरी, 1991 तथा अप्रैल, 91—फरवरी, 92 के दौरान देश में विद्युत की कुल उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े मिलियम युनिट में)

राज्य/प्रणाली का नाम	विद्युत की उपलब्धता	
	अप्रैल, 90-फरवरी, 91	अप्रैल, 91-फरवरी, 92
चंडीगढ़	553	611
दिल्ली	7834	8543
हरियाणा	7915	9218
हिमाचल प्रदेश	1341	1326
जम्मू और कश्मीर	2533	2712
एन०एफ०एफ सहित पंजाब	14207	15004
राजस्थान	10367	11764
उत्तर प्रदेश	24331	25818
गुजरात	20226	22136
मध्य प्रदेश	16365	18111
महाराष्ट्र	33811	36559
गोवा	551	613
आन्ध्र प्रदेश	18238	20190
कर्नाटक	13641	13923
केरल	6192	6529
तमिलनाडू	18955	19954
बिहार	4403	4789
दामोदर घाटी निगम	5469	5583
उड़ीसा	6007	6832
पश्चिमी बंगाल	8383	9247
अरुणाचल प्रदेश	90	1 1.4
असम	1828.1	1908.3
मणिपुर	198	235.4
मेघालय	209.3	240.0
मिजोरम	68.1	78.1
नागालैण्ड	88.1	105.0
त्रिपुरा	171.5	186.8
अखिल भारत	223976	242367

कृष्णा के जल का मार्ग परिवर्तन

5125. **श्री के० कोयका राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान बछावत न्यायाधिकरण पंचाट के निर्णय के विपरीत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृष्णा के जल का मार्ग पश्चिम की ओर बदलने के मामले की ओर दिलाया है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पंचाट द्वारा की गई सिफ़ारियों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्थिति स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार का ध्यान पंचाट में इस उपबंध की ओर दिलाया गया है कि यह संबंधित राज्य सरकारों के लिए है कि वे इस अधिकरण के निर्णय की धाराओं में कोई परिवर्तन, संशोधन अथवा आशोधन के बारे में आपस में कोई करार करें। कृष्णा बेसिन राज्यों में जल उपलब्धता एवं उपयोग के लिए आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के वास्ते किसी तन्त्र को अन्तिम रूप देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय जल आयोग को, राज्य सरकारों से परामर्श करके, सौंपी गई है, ताकि जल उपयोग के बारे में आशंकाओं को दूर किया जा सके।

विवरण

धारा

(1) महाराष्ट्र राज्य को कोयना हाइडल परियोजना अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए ऊपर कृष्णा (के-1) उप बेसिन में नदी आपूर्तियों से किसी जल वर्ष में कृष्णा नदी बेसिन से बाहर आबंटित किए गए जल से 67.5 टी एम सी से अधिक व्यपवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

किन्तु कोयना हाइडल परियोजना जल के वास्ते कृष्णा नदी बेसिन से बाहर एक जून, 1974 से आरम्भ करके 10 वर्षों की अवधि के दौरान 97 टी एमसी तक सालाना जल की मात्रा और एक जून, 1984 से आरंभ करके अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान 87 टी एम सी तक जल की मात्रा तथा एक जून, 1989 से आरम्भ करके अगले आगामी 5 वर्षों की अवधि के दौरान 78 टी एम सी तक जल की मात्रा व्यपवर्तित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य स्वतन्त्र होगा।

2. टाटा हाइडल वर्कस के रूप में जाने वाली सामूहिक परियोजनाओं अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए अपर भीमा (के-5) उप बेसिन में नदी आपूर्तियों से किसी जल वर्ष में 54.5 टी एम सी सालाना जल से ज्यादा तथा एक जून, 1974 से आरम्भ करके लगातार पांच जल वर्षों की अवधि में 213 टीएमसी से ज्यादा जल को अथवा इसे आबंटित किए गए जल को कृष्णा नदी बेसिन से बाहर न तो स्वयं व्यपवर्तित करेगा और न इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा।

3. उपर्युक्त मात्रा को छोड़कर, महाराष्ट्र सरकार कृष्णा नदी बेसिन से और कोई जल व्यपवर्तित नहीं करेगा अथवा व्यपवर्तन करने की अनुमति भी नहीं प्रदान करेगा।

एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद

5126. श्री सुरेंद्र सिंह दूहड़ा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा 1977 से विमानों की खरीद पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ख) एअर इण्डिया और इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा संगत अवधि में टिकटों की बिक्री और माल भाड़े से कितनी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान इन दोनों विमान सेवाओं के कार्मचारियों के भत्तों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1977 से एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान की खरीद पर विदेशी मुद्रा के रूप में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

एअर इण्डिया	1008.129 मिलियन अमरीकी डालर
इण्डियन एयरलाइन्स	1184 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा टिकटों की बिक्री और मालवाही भुल्कों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्न प्रकार है :—

एअर इण्डिया	7955.08 करोड़ रु०
इण्डियन एयरलाइन्स	1998.53 करोड़ रु०

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मीदल भत्ते और अन्य स्टाफ की यात्रा पर एअर इण्डिया ने लगभग 21 करोड़ रुपए व्यय किए जबकि इण्डियन एयरलाइंस ने पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किये ।

इण्डियन एयरलाइंस के कार्य क्रम में संशोधन

5127. श्री भजन लाल खुराना : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस अपनी समय-सारणी में परिवर्तन करती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले बारह महीनों के दौरान अपने कार्यक्रम में कितनी बार संशोधन किया गया; और

(घ) इण्डियन एयरलाइंस के कामकाज और कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) इण्डियन एयर-लाइंस, खराब मौसम, उड़ानों में भार-गुणक, चार्टर परिचालनों आदि की विशेष आवश्यकताओं, विमान परिचालन में अस्थायी कटौती, हवाई अड्डा सुविधाओं की अनुपलब्धता और औद्योगिक अशांति जैसे कारणों से जब भी आवश्यक होता है, अपनी उड़ान समयावलि में परिवर्तन करती है । इन कारणों

से अपनी समयावलि में परिवर्तन करने के अतिरिक्त, इण्डियन एयरलाइंस सामान्यतः वर्ष में दो बार शरद एवं ग्रीष्मकाल के लिए अपनी उड़ान समयावलि को संशोधित करती है।

(ख) इस सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइंस ने उड़ानों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) बेस स्टेशनों पर वैकल्पिक विमान-क्षमता की व्यवस्था;

(2) विमानों के रख-रखाव के लिए अधिक वास्तविक समय-सारिणी;

(3) खराबियों को ठीक करने के लिए की गई कार्रवाई पर निगरानी रखना;

(4) अपेक्षाकृत अधिक युक्तिसंगत समयावलि और यातायात मांग के अनुरूप विमानों की तैनाती।

असम में नए डाकघर

5128. श्री प्रबीन डेका : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान असम में किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) हालांकि 1992-93 के दौरान असम में डाक नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है, लेकिन असम के उन स्थानों का नाम बताना सम्भव नहीं है जहां नये डाकघर खोले जाने हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में 1992-93 के लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्यकरण

5129. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यक्रम की समीक्षा हेतु सरकार द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया;

(ख) इन समितियों द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूर्णतया लागू किया गया है और कितनी सिफारिशें अभी क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूर्णतया लागू नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने श्री आ० के० डांग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी हां।

(ङ) इस आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समीक्षा के लिए विचारार्थ विषय

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंपे गये कार्यों के संदर्भ में उसके कार्य क्षेत्र के स्वरूप का मूल्यांकन करना और मात्रा की दृष्टि से अपनी लागत सहित पूर्ति स्तर दर्शाना।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य (अथवा कार्यों) का अध्ययन करना और उन्हें अन्य संगठनों को अन्तरण करने की संभाव्यता तय करना, ताकि उसकी कार्य मदों अथवा प्राथमिकताओं को समाप्त किये बिना खर्च में किफायत की जा सके तथा ऊपरी कार्यों को समाप्त करने की गुंजाइश का अध्ययन किया जा सके।

3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशिष्ट कार्यकलापों का उत्पादकता की दृष्टि से मूल्यांकन करना और उनकी लागत में कमी करने का अनुमान लगाना। इस संदर्भ में वर्तमान कार्य मानकों और उत्पादकता पैरामीटरों का अध्ययन करना और खर्च घटाने/उनका इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से उनमें सुधार करने के उपाय सुझाना।

4. उपकरणों की पर्याप्तता और रख-रखाव की प्रणाली का अध्ययन करना और फील्ड तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों, दोनों में उपकरणों और अन्य परिसम्पत्तियों के उपयोग की कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन करना। ऐसी नीतियां तैयार करना जो उनके इष्टतम उपयोग के लिए मानदण्ड निर्धारित करते समय अपनाई जा सके।

5. भारतीम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का अध्ययन करना जिसमें सर्वेक्षण और गवेषण के लिए अति-आधुनिक उपकरणों और कल पुर्जों सहित स्टेट आफ आर्ट टेक्नालाजी आरंभ करना, ताकि विशेषज्ञता और कार्य निष्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर बढ़ाया जा सके। ऐसी प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की एक सूची दी जाये। जिसमें उनकी खरीद की अनुमानित लागत हो।

6. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम लि० की खनिज गवेषण से संबंधित पारस्परिक भूमिकाओं का अध्ययन करना ताकि यदि कोई पुनरावृति/दखल हो, तो उसका आकलन किया जा सके और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया जा सके।

7. वित्तीय प्रबन्धन की वर्तमान पद्धतियों, जिसमें लागत की मानिटरिंग का अध्ययन और आकलन करना तथा शून्य आधारित बजट व्यवस्था आरंभ करने की व्यवहारिकता सहित सुधारों के बारे में सुझाव देना।

8. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंपे गये कार्यों और स्थायी जिम्मेदारियों के संदर्भ में आदान सामग्री से इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्मिकों और संसाधनों के पुन: नियोजन की गुंजाइश का अध्ययन करना।

9. उपर्युक्त पैरा 1 से 8 के अन्तर्गत किये गये अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यों और उत्तर-दायित्वों के सम्बन्ध से एक संशोधित घोषणा-पत्र का सुझाव देना। कार्य और उत्तरदायित्वों के संशोधित घोषणा-पत्र के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठनात्मक स्वरूप में संशोधन के सुझाव देना।

10. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण एवं खोज कार्यों पर लगी लागत प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का सुझाव देना।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में रिक्तियां

5130. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, पश्चिम क्षेत्र, जयपुर में गत एक वर्ष से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद (पदनाम-वार) रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या ये पद आस्थगित रखे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में तैनात आकस्मिक कर्मचारी

5131. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में कितने आकस्मिक कर्मचारी तैनात हैं;

(ख) इन आकस्मिक कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु क्या है;

(ग) उनकी सेवा-निवृत्ति के समय उन्हें दिए जाने वाले आवधिक लाभों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार, यहां 661 दिहाड़ी कर्मचारी हैं।

(ख) दिहाड़ी कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए अधिवर्षिता के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर सिंचाई परियोजनाएं

5132. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर सिंचाई परियोजनाएं किस वर्ष शुरू की गई थी;

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नर्मदा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) के लिए अक्तूबर, 1889 में निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तीनों परियोजनाओं पर की गयी प्रगति निम्नवत हैं :—

(i) **नर्मदा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)** :

विद्युत घर की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है तथा काफर बांध का कार्य प्रगति पर है।

हेड रेस और टेल रेस चैनलों का कार्य भी आबंटित कर दिया गया है।

स्पिलवे द्वारों सहित पूरा करने का सम्भावित वर्ष सन 2000 ई० है।

(ii) ओंकारेश्वर और महेश्वर बांधों पर सड़कों तथा भवनों का निर्माण जैसी अवसंरचनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। पूरा करने का सम्भावित वर्ष 1998 है।

हल्दिया, पश्चिम बंगाल में तटीय इस्पात संयंत्र

5133. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में तटीय इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) संसाधन सम्बन्धी अड़चनों और विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकताओं के कारण सरकारी क्षेत्र में नया इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रकाशनों का पंजीयन

5134. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा 31 दिसम्बर, तक भाषा-वार तथा राज्य-वार कुल कितने नामों का पंजीयन किया गया;

(ख) क्या नाम का पंजीयन कराने के बाद उसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर प्रकाशित नहीं करना पड़ता है;

(ग) क्या नाम का पंजीयन कराने वाले के पंजीयन के वास्तविक उपयोग की सूचना निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं देनी पड़ती है;

(घ) क्या पंजीयक पंजीकृत प्रकाशन के नाम के वास्तविक उपयोग की जांच स्वतः ही करते हैं;

(ङ) क्या यह सच नहीं है कि जिन पंजीकृत प्रकाशनों के नामों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें निरस्त न किये जाने से अनावश्यक भीड़-भाड़ हो रही है और नये आवेदक अपने प्रकाशनों के लिए उपयुक्त नामों का चयन नहीं कर पा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 तक भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर०एन०आई०) ने लगभग 2.30 लाख प्रकाशनों के नाम सत्यापित किये थे। इन प्रकाशनों के नामों के सत्यापन के बारे में राज्यवार और भाषावार सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) जी, नहीं। प्रकाशन के नाम, भाषा, आवधिकता प्रकाशन के स्थान आदि के बारे में

सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ऐसा समाचारपत्र छपेगा या प्रकाशित होगा, निर्धारित घोषणा के अधिप्रमाणन के बाद यदि प्रकाशक प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1967 में निर्धारित समय के अन्दर अपना प्रथम अंक प्रकाशित नहीं करता है तो उसे प्रस्ताविक प्रकाशित करने से पूर्व, मात्रा नयी घोषणा करनी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की भूमिका केवल सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को यह सूचित करना होता है कि आवेदित प्रकाशन का नाम उपलब्ध है या नहीं।

(ङ) और (च) जी, हां। उपयुक्त उपचारात्मक उपाय प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत ही किये जा सकते हैं।

पोरबन्दर गुजरात में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

5135. **श्री हरिभाई एच० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात स्थित पोरबन्दर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) गुजरात में पोरबन्दर में फरवरी, 1989 से एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है और यह रिपोर्ट मिली है कि यह ट्रांसमीटर अपने कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, पोरबन्दर में एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

5136. **श्री सुधीर सावंत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिले के उन स्थानों की सूची क्या है जहां मई, 1992 के अन्त तक एस० टी० डी० युक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पहले से ही ये सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(घ) कितने गांव ऐसे हैं जो अभी तक टेलीफोन से नहीं जुड़े हैं?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिले में वेंगुरला-काकाबली, सांवतवाड़ी और लोटे में मई, 1992 के अंत तक एस० टी०डी० सुविधा सहित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना की जानी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय इन जिलों में किसी भी स्थान पर यह सुविधा नहीं है।

(घ) सिंधुदुर्ग में 338 ग्राम पंचायतों में 279 ग्राम पंचाययों को टेलीफोन अभी तक प्रदान नहीं किए गए है रत्नागिरिमें 768 ग्राम पंचायतों में से 587 को अभी तक टेलीफोन प्रदान नहीं किए गए हैं।

सिंचाई क्षमता जुटाने और इसका उपयोग करने में अन्तर

5137. **श्री जायमल अबेदिन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई की क्षमता जुटाने और इसका उपयोग करने में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के बीच का संचयी अन्तर 8.32 मिलियन हेक्टेयर था।

(ग) सरकार सूचित की गई और उपयोग की क्षमता के बीच के अन्तर को कम करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है तथा इस अन्तर को कम करने के लिए जल प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार करने हेतु अनेक उपाय भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को सृजित क्षमता के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने के वास्ते भी कहा गया है ताकि यदि अधिक आंकड़े सूचित किए गए हैं तो उन्हें ठीक किया जा सके।

[हिन्दी]

बिहार की पंचायतों में शाखा डाकघर

5138. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हजारीबाग जिले की कितनी पंचायतों में शाखा डाकघर स्थापित किए गए हैं और कितनी पंचायतों में ऐसे डाकघर स्थापित किए जाने अभी बाकी हैं; और

(ख) सरकार का विचार शेष पंचायतों में शाखा डाकघर कब तक खोलने का है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बिहार में हजारीबाग की उन पंचायतों की संख्या 281 है जिनमें शाखा डाकघर खोले गए हैं और उन पंचायतों की संख्या 113 है जिनमें डाकघर नहीं हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर जनसंख्या, आय और दूरी सम्बन्धी मानदंडों को ध्यान में रखकर मंजूर किए जाते हैं। तथापि डाकघर खोलने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को यथोचित प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि ये निर्धारित मानदंड पूरे करते हों।

"सिंहस्थ कुम्भ" के अवसर पर पर्यटन की सुविधाएं

5139. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उज्जैन में अप्रैल, 1992 में आयोजित किये जाने वाले "सिंहस्थ कुम्भ" उत्सव के अवसर पर दी जा रही सहायता और पर्यटक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटक मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों के लिए धन की उपलब्धता, उनके गुण दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों से परामर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अप्रैल, 1992 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुम्भ पर्व के सम्बन्ध में, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उज्जैन में 60 बिस्तरों वाले एक यात्री निवास का निर्माण करने को स्वीकृति प्रदान की है जिसके लिए 1990-91 के दौरान 45.00 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, मेले के लिए प्रचार सामग्री मुद्रित कराने के लिए 10.00 लाख रुपए और 1991-92 के दौरान टैन्टों की व्यवस्था करने के लिए 9.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

सेंसर बोर्ड द्वारा दृश्यों को हटाना

5140. श्री राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में अनेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें फिल्म प्रदर्शक निर्माता अनेक ऐसे दृश्यों को दिखाते हैं जिन्हें निर्माता आरम्भ में ही इन फिल्मों को सेंसर प्रमाण पत्र देते समय हटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम क्या है; और ये किन भाषाओं की हैं;

(ग) इस प्रकार का अपराध करने के बारे में चलचित्र अधिनियम 1952 में किस प्रकार की सजा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार का अपराध करने पर इससे अधिक कठोर सजा देने की मांग करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जिनमें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा रही कुछ फिल्मों को उस रूप में नहीं दिखाया जाता, जिस में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उसे प्रमाणित किया गया था।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, शिकायत मिलने पर, पुलिस ने कई फीचर फिल्मों/ट्रेलरों के प्रिंजब्त किए थे जिनमें इन फिल्मों को सार्वजनिक रूप से उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा था, जिस रूप में बोर्ड द्वारा उन्हें प्रमाणित किया गया था। इन फिल्मों/ट्रेलरों के नाम और उनकी भाषा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्रकार के अपराध के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 में अब दण्ड रखा गया है; कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों इसके अलावा, निरंतर अपराध करने पर 20,000/-रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माना।

अप्रमाणित वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन से सम्बन्धित अपराधों के मामले में कम से कम तीन महीने के कारावास की सजा है जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जाता है तथा कम से कम 20,000/-रुपये तक के जुर्माने

की व्यवस्था है, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा निरन्तर अपराध के मामले में 20,000/-रुपये तक प्रति दिन के हिसाब से और जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार जारी किया गया प्रमाण-पत्र निलंबित/रद्द कर सकती है।

(घ) और (ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर और अधिक कठोर सजा देने तथा कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त होते रहते हैं।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों का है। इन्हें अधिनियम का और अधिक प्रभावी ढंग से अनुपालन करने के लिए समय-समय पर कहा गया है।

विवरण

उन फिल्मों/ट्रेलरों के नाम तथा भाषा, जिनके प्रिंटों को जब्त किया तथा पता लगाया गया क्योंकि इनको उसी रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था, जिस रूप में इन्हें प्रमाणित किया गया था।

क्रम संख्या	नाम	भाषा
1.	थ्री वे लव	अंग्रेजी
2.	सिरोको	तथैव
3.	डायरी आफ फारबिडन ड्रीम्स	तथैव
4.	गार्डन आफ ईडन	तथैव
5.	एण्ड गाड क्रियेटिड वूमेन	तथैव
6.	पोटलाच का ट्रेलर	तथैव
7.	हालोआ का ट्रेलर	तथैव
8.	गार्डन आफ ईडन का ट्रेलर	तथैव
9	टर्मिनेटर का ट्रेलर	तथैव
10.	इन्तजार की रातें	हिन्दी
11.	जवानी की कुर्बानी	तथैव
12.	जवानी सोलहवां साल की	तथैव
13.	कातिल जवानी	तथैव
14.	मालायती पेन्नू	मल्यालम
15.	रात्रिकाल मीनाड़कूवेंडी	तथैव

1	2	3
16.	अवसंता रात्रि	तथैव
17.	आयीराम चिराकुल	तथैव
18.	माई डियर रोजी	तथैव
19.	कैकेयी	तथैव
20.	केनेमा सुन्दरी	तथैव
21.	अम्बादितान्नीलोरूनी	तथैव
22.	प्रायपूर्तियायावारकू मातरम	तथैव
23.	जंगल की हसीना	हिन्दी
24.	अंचाराकुल्ला वंडी	मलयालम
25.	गुमराह जवानी	हिन्दी
26.	रंगीन जवानी	हिन्दी
27.	लुट गई प्यार में	तथैव
28.	खून की प्यासी	तथैव
29.	रेशमा की जवानी	तथैव
30.	आग और शबाब	तथैव
31.	101 रातें	तथैव
32.	गुलाबी रातें	तथैव
33.	जंगल में ओये ओये	तथैव
34.	उर्वशी	मलयालम
35.	अपूर्व संगमम	तथैव
36.	वी० आई० पी०	तथैव
37,	पेड्डालाकू मातरम	तेलुगु
38.	अंदाला सातांकिला चिलुकालू	तथैव
39.	शान्ति मुहर्दम्	तमिल

[हिन्दी]

पंचेश्वर और करनाली परियोजनाएं

5141. श्री नवल किशोर राय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचेश्वर और करनाली परियोजनाओं का अविलम्ब निर्माण करने का विचार है; और

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर नदी पर बांधों के विस्तार को संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिये जाने के बाद नेपाल में बाढ़ नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना कब तक की जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नेपाल और भारत द्वारा संयुक्त रूप से करनाली बहुप्रायोजनी परियोजना के लिए परियोजना पैरामीटरों को शीघ्र अन्तिम रूप देने तथा पंचेश्वर बहुप्रयोजनी परियोजना के वास्ते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सहमति हुई है। उनका निर्माण दोनों देशों द्वारा किए जाने वाले सरकार पर निर्भर करेगा ।

(ख) नेपाल में वर्ष 1992 के मानसून तक पूरी तरह से प्रचलन योग्य बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने के लिए स्कीम बनाने के वास्ते नेपाल प्रयास करेगा । भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त रूप से तत्काल क्रियान्वित करने के लिए नदी तटबन्धों का विस्तार करने हेतु स्कीमों को अन्तिम रूप देने की भी सहमति हुई है ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5142. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) अब तक प्रत्येक वर्ष कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(वित्तीय वर्ष के अन्त में स्थिति)

वर्ष	बरेली जिला	बदायूं जिला
1988-89	1086	26
1889-90	840	26
1990-91	790	26
1991-29 फरवरी, 92 तक	1422	100

(ख) प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का वर्ष-वार ब्यौरा :

प्रदत्त टेलीफोन कनेक्शन

वर्ष	बरेली जिला	बदायूं जिला
1988-89	481	130
1986-90	1037	202
1990-91	1571	140
1991-29, फरवरी, 92 तक	978	83

(ग) उपस्करों की समय से उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, बरेली और बदायूं दोनों जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सूची को 31 मार्च, 94 तक निपटा दिए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

5143. डा० विश्वनाथम कैनिथी : क्या नागर और विमानन पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक महत्व के कतिपय स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) ऐतिहासिक अभिरुचि के स्थानों सहित पर्यटक स्थलों का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट परियोजना के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

बिहार को बाढ़ नियन्त्रण हेतु सहायता

5144. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-89 की अवधि के दौरान बिहार में बाढ़ नियन्त्रण हेतु 4700 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो यह वादा किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) सरकार का इसे कब तक पूरी तरह कार्यान्वित करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार में बाढ़ नियन्त्रण के लिए 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान 144 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया था। तथापि, इसके क्रियान्वयन में कुल 217-44 करोड़ रुपए व्यय हुआ। 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के प्रारूप में करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

ओ०सी०बी०-283 प्रौद्योगिकी

5145. श्री श्याम लाल कमल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग मनकापुर, उत्तर प्रदेश में उपयोग में लायी गयी ई-10 बी प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाकर ओ० सी० बी०-283 प्रौद्योगिकी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर को ओ० सी० बी०-283 प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह किस प्रकार से लाभदायक होगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस नई प्रौद्योगिकी से आधुनिक विशेषताओं से युक्त उच्च क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को संस्थापित किया जा सकता है ।

कृष्णा बेसिन में सिंचाई परियोजनाएं

5146. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

श्री एच० डी० देवगौंडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा बेसिन की उन बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत हेतु अभी लम्बित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) कृष्णा बेसिन में, आज तक की स्थितिनुसार, जिन बड़ी और मंझली परियोजनाओं पर कार्यान्वियन शुरू हो गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना पर अभी तक लगभग कितनी राशि व्यय की गई है;

(ङ) अब तक कितनी भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितना अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त हुई कृष्णा बेसिन की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।

(ग) से (च) कृष्ण बेसिन की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

केन्द्र में कृष्ण बेसिन की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभान्वित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	स्वीकृति के लिए विचार किए जाने के वास्ते राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई
(क) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है और परामर्श समिति द्वारा कतिपय टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पायी गयी हैं।				
वृहद				
आंध्र प्रदेश				
1.	जुराला	204.75	47.835	पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति।
कर्नाटक				
2.	हिप्पारगी	186.70	56.99	पश्च जल अध्ययन तथा यदि आवश्यक हो महाराष्ट्र में जलमग्नता को रोकने के लिए उपायों की आयोजना एव वन एवं पर्यावरण दृष्टिकोण से स्वीकृति।
महाराष्ट्र				
3.	बदना	284.75	113.02	पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति।

1	2	3	4	5
4.	सुंगुला शाखा नहर	25.43	9.24	पर्यावरण एवं वन दृष्टिकोण से स्वीकृति और राज्य के वित्त विभाग की सहमति ।
5.	कोयना-कृष्णा	187.43	85.90	योजना आयोग की स्वीकृति ।
मध्यम				
1.	जंगमभाती	3.45	3.46	वन स्वीकृति, जल विज्ञान का पुनरीक्षण तथा निधियों की उपलब्धता
2.	मोर्थमंड	4.17	4.59	वन स्वीकृति, विस्थापितों का पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना, निधियों की उपलब्धता और जल विज्ञान की पुनरीक्षा ।
3.	तराली	8.96	8.76	राज्य के वित्त विभाग की सहमति, निधियों की उपलब्धता विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन के विज्ञान ।
4.	मोरना गुटचार	7.31	5.320	वनस्वीकृति तथा निधियों की उपलब्धता की उपलब्धता की पुष्टि ।
5.	बेनतुरा	4.01	2.51	संशोधित प्रस्ताव पर टिप्पणियों की अनुपालना ।
(ख) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किन्तु परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार-विमर्श आस्थागित ।				
वृहद				
आंध्र प्रदेश				
1.	तेलुगु गंगा	834.49	199.00	अन्तर्राज्यीय मुद्दों का निपटारा ।
महाराष्ट्र				
2.	दुध गंगा	154.73	81.97	पर्यावरण एवं वन दृष्टिकोण से स्वीकृति ।

1	2	3	4	5
(ग) राज्यों में साथ पत्राचार किया जा रहा है ।				
2 वृहद				
कर्नाटक				
1. वेनीथोरा		73.23	20234	तकनोकी पहलुओं पर मुद्दों को हल करना ।
2. रामथल तिकट		64.14	22.27	—वही—
3. अपर थंगा		279.87	94.698	संशोधित रिपोर्ट हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग ने प्राप्त हुई है ।

विवरण-II

कृष्णा बेसिन की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

कृष्णा बेसिन में निर्माणधीन परियोजनाएं

1. वृहद परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	7वी योजना के अन्त तक व्यय	आगे लायी गयी लागत	चरम क्षमता	7वी योजना के अन्त तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
	आंध्र प्रदेश					
1.	नागार्जुनसागर	778	655	123	895	800
2.	पुलिबेन्दुला शाखा नहर	27	12	15	24	16
3.	श्रीसेलम दायी तट नहर	545	51	494	77	—
4.	श्रीसैलम बायी तट नहर	462	43	419	121	—
5.	तेलुगुगंगा	1100	313	787	233	—
6.	जुराला (प्रियदर्शिनी)	275	83	192	88	—
	तंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर चरण-II (ब०रा०)	176	86	90	90	45

1	2	3	4	5	6	7
	कर्नाटक					
1.	तुंगभद्रा बांध और वायी तट नहर	112	92	20	244	242
2.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर (अ०रा०)	28	17	11	81	68
3.	मालप्रभा	342	233	109	218	149
4.	अपर कृष्णा चरण-I	1500	561	939	425	112
5.	बेनीथोर	73	15	58	22	—
6.	हिप्पारगी बराज	187	5	182	60	—
7.	दुधगंगा	26	4	32	20	—
8.	घाटप्रभा चरण-III	371	105	266	178	25
	महाराष्ट्र					
1.	खड़कवासला	192	116	76	62	41
2.	कृष्णा	212	168	44	113	78
3.	भीमा	497	287	210	163	106
4.	वरना	419	155	264	114	1
5.	दुधगंगा (अ० रा०)	233	79	154	65	—
6.	चस्काउन	106	22	84	39	—
7.	कृष्णा कोयना लिफ्ट	259	21	238	36	—
	कुल वृहद	7920	3123	4557	3268	1683

मध्यम परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7
	आन्ध्र प्रदेश					
1.	वरदाराज स्वामी गुडी	18.21	3.42	14.79	4.17	—
	कर्नाटक					
1.	अमरजी	37.41	8.85	28.56	8.90	—
2.	लोअर (पुल्लामार)	48.57	6.05	42.62	9.71	—
3.	मस्कीनाला	23.85	2.38	21.47	2.83	—
4.	रानी की पोषक नहर	6.85	4.41	2.44	3.24	—
5.	हायरहासा	48.72	3.62	45.10	8.01	—
	महाराष्ट्र					
1.	येओतासमासोली	7.62	5.09	2.53	1.80	0.80
2.	ज्वालामाव (हटीझीगरी)	11.54	8.10	3.43	1.34	1.16
3.	चिकोत्तरा	14.66	0.59	14.07	4.69	1.02
4.	कसरी	14.44	9.66	4.78	9.46	3.53
5.	कुमथी	17.47	1.53	15.94	8.89	0.53
6.	कदवी	15.22	1.19	14.03	9.22	1.40
7.	जंगामहत्ती	11.19	1.35	9.84	3.14	—

1	2	3	4	5	6	7
8.	वादीबलि	16.16	7.20	8.96	3.63	2.88
9.	अरमोदी	20.46	0.93	19.53	9.04	—
10.	बोरी (कोल्हापुर)	14.00	0.25	13.75	10.45	—
11.	संख	17.13	6.63	10.50	2.83	—
12.	पटगांव	23.37	7.97	15.40	8.36	0.76
13.	कसारसई	12.52	2.08	10.44	3.64	—
	कुल मध्यम	379.39	81-30	298.09	117.30	12.47
	कुल योग (वृहद और मध्यम)	8299.39	3204.30	4855.09	3385.30	1695.47

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए धनराशि

5147. श्री कांशीराम राणा :

श्री रामलखन सिंह यादव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और गुजरात को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि मंजूर की गई राशि से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी ?

विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) यद्यपि बिहार और गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य किए जाने हेतु चालू वर्ष (1991-92) के लिए योजना आयोग द्वारा क्रमशः 27.45 करोड़ और 34.96 करोड़ रुपये के परिव्यय का मूल रूप से अनुमोदन किया गया था तथापि संसाधनों की चरमराई स्थिति के कारण इस परिव्यय की राशि को कम करना पड़ा था। बिहार और गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए फरवरी, 1992 के अन्त तक संशोधित आबंटन और संवितरण की गई निधियों की स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आबंटन	संवितरण राशि
1.	बिहार	14.85	4.23
2.	गुजरात	22.56	17.00

बिहार राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण निगम को देय राशि का भुगतान किए जाने में अत्यधिक चूक कर रहा है। इसलिए राज्यों को मुहैया कराई जाने वाली निधियां सीमित करनी पड़ी थी। गुजरात के मामले में शेष आबंटन की राशि को मार्च, 1992 के अन्त तक मुहैया कराई जाने की आशा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए बिहार और गुजरात को क्रमशः 14.05 करोड़ रुपए और 26.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विद्युतीकृत गांव

5149. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कितने गांव विद्युतीकृत किए गए हैं; और

(ख) 1991 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या और उनके नाम क्या हैं तथा 1992 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू० पी० एस० ई० बी०) ने सूचित किया है कि मार्च 1991 के अन्त तक रामपुर जिले में 807 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की सूचना के अनुसार मई 1990-91 के दौरान रामपुर जिले के 15 गांवों का विद्युतीकरण किया गया विवरण संलग्न है । उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान रामपुर जिले में 5 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विवरण

1998-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विद्युतीकृत गांवों की सूची

क्रमसं०	जनगणना कोड संख्या	गांव का नाम	ब्लाक का नाम
1.	94	मोथरपुर	शाहाबाद
2.	150	गंगापुर जादीद	मिलाक
3.	281	अलीनगर जानुबी	चामारवा
4.	68	आंगा	शईदनगर
5.	80	कुम्हारियां	—वही—
6.	80	धांकारा	बिलासपुर
7.	90	अलीनगर सुमाली	शईदनगर
8.	81	उदयपुर	बिलासपुर
9.	188	मेहतोष	—वही—
10.	110	लूम्बा खेड़ा	स्वर
11.	220	शिवपुरी	—वही—
12.	227	श्रीतीनगर	—वही—
13	228	साल्वाईनगर	—वही—
14.	231	हरनागला	—वही—
15.	132	मिलाक हुडी	—वही—

[अनुवाद]

वाराणसी का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या

5150. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वाराणसी का भ्रमण करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। यद्यपि 1990 और 1991 के दौरान वाराणसी की यात्रा करने आए कुल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि 1991 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आई है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	स्वदेशी पर्यटक	प्रतिशत अन्तर	विदेशी पर्यटक	प्रतिशत अन्तर	कुल पर्यटक	प्रतिशत अन्तर
1989	75,339	—	23,422	—	98,761	—
1990	79,512	5.5	46,041	96.6	125,553	27.1
1991	95,772	35.4*	25,741	—37.8*	121,513 (नवम्बर तक)	8.4*

* गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में।

महानगरों के आस-पास छोटे शहरों में ग्रुप डायलिंग प्रणाली

5151. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में महानगरों के आस-पास छोटे शहरों के लिए ग्रुप डायलिंग सुविधा का विस्तार का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन छोटे शहरों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ग्रुप डायलिंग सुविधा से जोड़ा गया है;

(ग) क्या यह सुविधा एस० टी० डी० सुविधा से सस्ती होगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और यह सुविधा कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) "ग्रुप डायलिंग सुविधा" शब्द का प्रयोग सामान्यतः ग्रामीण एक्सचेंजों के एक समूह के बीच इण्टर-डायलिंग के संदर्भ में किया जाता है। महानगरीय शहरों और उनके सीमावर्ती एक्सचेंजों के बीच सीधी डायलिंग सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार सभी चार महानगरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सीमावर्ती एक्सचेंजों के साथ सीधी डायलिंग सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) शहरों की एक्सचेंज प्रणाली और उनके सीमावर्ती एक्सचेंजों के बीच शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(घ) महानगरीय शहरों और उनके सीमावर्ती एक्सचेंजों के बीच डायलिंग सुविधा पहले से उपलब्ध है। संशोधित शुल्क लागू करने पर निर्णय अभी लिया जाना है।

विवरण

महानगरीय शहरों के उन सीमावर्ती एक्सचेंजों की सूची जिनमें सीधी डायलिंग सुविधा उपलब्ध है।

दिल्ली से	1.	नौएडा (सूरजपुर)
	2.	सोनीपत
	3.	लोनी
	4.	शाहदरा पूर्व
	5.	गुड़गांव
	6.	गाजियाबाद
	7.	फरीदाबाद
	8.	बहादुरगढ़
	9.	बल्लभगढ़
	10.	नौएडा
बम्बई से	1.	न्यू मुम्बई
	2.	बेसीन
	3.	कल्याण
कलकत्ता से	1.	भटपाड़ा
	2.	चितुरा
	3.	डायमंड हार्बर
	4.	कल्याणी
	5.	त्रिवेणी
मद्रास से	1.	पोन्नेरी
	2.	तिरुवल्लूर
	3.	एम० एम० नगर (ई० पी० जेड)
	4.	गुम्मिडीपोंडी
	5.	गुडुवंचेरी

[हिन्दी]

बिजली बोर्डों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम

5152. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के बिजली बोर्डों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत वित्त निगम के माध्यम से चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत वित्त निगम के लिए विश्व बैंक का ऋण 18-2-92 से प्रभावी हो गया है। इस ऋण के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान किसी राज्य को कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय

5153. श्री सूरज मण्डल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर मैथान में धनबाद में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केरल के लिए पर्यटन विकास की योजनाएं

5154. प्रो० के० वी० थामस :

श्री थाइल जान अंजलोज :

श्री कोडी कुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन पर्यटन परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है, जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) केरल में वर्ष 1992-93 और आठवीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1991-92 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं/स्कीमों में से केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर माइक्रोलाइट फ्लाइंग की एक परियोजना के बारे में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है। पथिरामनाल, वेली और ओचिरा की परियोजनाओं के भी ब्यौरे अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

(ख) पर्यटन का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजनाओं केलिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93 और आठवीं योजना के लिए, उपर्युक्त मानदण्ड पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता

5155. श्री बी० धनंजय कुमार :

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता देने के कार्य में कितनी प्रगति की है; और

(ख) इसे संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) प्रसार भारती स्थापित किए जाने से पहले बहुत सी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। मंत्रालय इस मामले के प्रति सजग है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

सेलुलर टेलीफोन के लिए कांफ्रेंस

5156. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार विभाग ने गत माह सेलुलर टेलीफोन के लिए एक खुला निविदा सम्मेलन (प्री बिड कान्फ्रेंस) आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्मेलन का स्थान अन्तिम क्षणों में बदल दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसमें दूरसंचार विभाग के आयोजन का प्रयोजन सिद्ध हो गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) मूल्य वर्धित सेवाओं को लोकप्रिय बनाने में सरकार की नीति क्या है; और

(छ) उन भारतीय और विदेशी बोलीदाताओं के नाम क्या है जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) निविदा दस्तावेज के उपबन्धों के अनुसार निविदा पूर्व (प्रिबिड) सम्मेलन फरवरी, 1992 को बुलाया गया था]।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्याशित बोलीदाताओं की संभावित भीड़ के लिए संचार भवन के सम्मेलन कक्ष में पर्याप्त जगह नहीं थी।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने मूल्य वर्धित सेवाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को फ्रैंचाइज करने का निर्णय लिया है।

(छ) उन कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न, जिनके प्रतिनिधियों ने बोलीदाता सम्मेलन में भाग लिया था।

विवरण

निविदा पूर्व (बिडिंग) सम्मेलन में भाग लेने वाली बोलीदाता कम्पनियों (भारतीय और विदेशी) के नाम

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	ए टी एण्ड टी नई दिल्ली
2.	ए टी एण्ड टी इण्डिया लिमिटेड
3.	आर्या कम्युनिकेशन
4.	ए टी एण्ड टी इण्टरनेशनल
5.	अशोक लीलैंड
6.	अशोक जयपुरिया
7.	अल्काटेल मोदी नेटवर्क
8.	अर्चना टेलीकाम सर्विस
9.	अरुण आनन्द
10.	एण्ड्र यूल एण्ड कम्पनी
11.	भारती टेलीकाम
12.	बेल साउथ इन्टरनेशनल
13.	बी० टी० ई० टेलीकाम [illegible]
14.	[illegible] इण्डिया प्रम
15.	बी० पी० एल० सिस्टम एण्ड प्रोजेक्टस लि०
16.	[illegible] कारपोरेशन लि०
17.	भारत इलेक्ट्रानिक्स
18.	क्राम्पटन ग्रीव्स लि०

1	2
19.	सी० आई० टी० ओ० एच० एण्ड कं० लि०
20.	कम्प्यूटरोनिक्स इण्डिया
21.	डी० एस० एस० इन्टरप्राइजेस (पी०) लि०
22.	डंकन ऐग्रो इण्डस्ट्रीज
23.	डी० सी० डब्ल्यू० लि०
24.	डिजिटल इक्यूपमेंट (आई०) लि०
25.	डाटा कंसलटेंसी सर्विसेस
26.	इरिक्सन इण्डिया (प्रा०) लि०
27.	आइडर इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज
28.	ए० के० टेलीकम्यूनिकेशनस (इण्डिया)
29.	ई० टी० एण्ड टी
30.	एनाराय इन्वेस्टमेंटस एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस (आई) लि०
31.	एस० कार्टस लि०
32.	जेनेसिस टेलीकाम लि०
33.	जिगसिन इण्डिया (प्रा०) लि०
34.	गुजरात ट्रांस रीसिवर्स लि०
35.	हाई टेक टेली एक्सेस
36.	हैमिलटन रिसर्च एण्ड टेक्नोलाजी (प्रा०) लि०
37.	एच० सी० एल०
38.	एच० एफ० सी० एल०
39.	एच० टी० एल०
40.	हिंदुस्तान केबल लि०
41.	ह्यूजेस एस०कार्टस
42.	इम्पेक्स (इण्डिया) लि०
43.	इण्डिया टेलीकाम्प लि०
44.	आई० ई० पी० सी० लि०
45.	आई० टी आई० लि०
46.	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनास सर्विसेस लि०

1	2
47.	इंफार्मेटिका इन्टर नेशनल
48.	इंडकैम कम्यूनिकेशनस
49.	जिवल सिट्रस्स लि०
50.	खेमका एविएशन (प्रा०)
51.	केनिया डीजिटल सिस्टम लि०
52.	क्रिसोस इलेक्ट्रानिक्स सिस्टमस
53.	कर्नाटका टेलीकेबल लि०
54.	कृष्ण नारायण
55.	कुवैत मोबाइल टेलीकाम
56.	करोड़िया इण्डस्ट्रीज
57.	लुनायच सेलुलर कम्यूनिकेशन (प्रा०) लि०
58.	एल० एण्ड टी लि०
59.	मैक्स इण्डिया लि०
60.	मोबाइल कम्यूनिकेशन सर्विसेस
61.	मित्सुबिशी कार्पोरेशन
62.	मोटरोला इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स
63.	मेलट्रान
64.	मोबाइल कम्युनिकेशन (इण्डिया) प्रा० लि०
65.	मेकास्टर टेलीकाम
66.	महिम्रा टेलीकाम
67.	मोदी इन्टरप्राइसेज
68.	मोदी आरे लि०
69.	नेलको
70.	एन० ई० सी० कार्पोरेशन
71.	नैपको आई० एन० सी०
72.	नाईनेक्स आई० एन० सी० यू० एस० ए०
73.	नरिन्द्राकुमार जैन
74.	नेटेलको

1	2
75.	ओ० टी० सी० मैरीटाइम
76.	ओमनीटेल इण्डस्ट्रीज लि०
77.	उड़ीसा सीमेंट लि०
78.	आगडेन काम्युनिकेशन
79.	पी० सी० एल०
80.	पापुलर एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट
81.	पापुलर बेवरस एण्ड कैपीटल (प्रा०) लि०
82.	पुलसार इलेक्ट्रानिक्स लि०
83.	दी पुरटाबपोर कम्पनी लि०
84.	क्लेज इण्डस्ट्रीज लि०
85.	रौसकान (इण्डिया) प्रा० लि०
86.	राजस्थान कम्युनिकेशनस
87.	सुजुकी (इण्डिया) लि०
88.	श्याम एण्टीना इलेक्ट्रानिक
89.	सीमेंट लि०
90.	स्टोन इण्डिया लि०
91.	स्टरलिंग कम्पयूटर लि०
92.	सैमीटेल कोलर लि०
93.	स्पिक इलेक्ट्रानिक्स एण्ड सिस्टम लि०
94.	सेन इलेक्ट्रानिक्स लि०
95.	एस० ई० डब्ल्यू० कन्सट्रक्शनस लि०
96.	श्याम एस० भारतीया
97.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०
98.	सैट टेलीकम्युनिकेशन
99.	टी० सी० आई० एल०
100.	टाटा इण्डस्ट्रीज
101.	टेस्को इलेक्ट्रानिक (प्रा०) लि०
102.	ट्रीवैस्ट कम्युनिकेशनस लि०

1	2
103.	टैक्सटोन टेलीकाम (प्रा०) लि०
104.	उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज
105.	ऊषांक क्रेडिट्स (प्रा०) लि०
106.	उषा सर्विसेस एण्ड कन्सलटेंटस
107.	वी० एस० एन० एल
108.	विन्टोन रोविक प्रा० लि०
109.	योगेन्द्र के० मोदी
110.	फ्रांस टेलीलाम
111.	आर० टी० आई० एल०
112.	जेरथ इलेक्ट्रानिक्स
113.	बेल कनाडा इन्टरनेशनल
114.	ऊषा बेलट्रान लि०

बंगलौर और हुबली के बीच उड़ानें स्थगित करना

5157. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तथा अन्य स्थानों से हुबली के लिए वायुदूत सेवाएं स्थगित कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हुबली हवाई अड्डे पर प्रतिदिन आने वाली एवं वहां से जाने वाली उड़ानों की संख्या कितनी हैं; तथा प्रत्येक महीने कर्मचारियों पर तथा रख-रखाव पर कितनी धन राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या हुबली के लिए उड़ानें पुन: आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, हुबली के लिए सप्ताह में तीन बार की सेवा को जनवरी, 1990 में बन्द कर दिया गया था। इस सेवा को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्टाफ और रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि इससे सम्बन्धित स्टाफ को वहां से हटा लिया गया है।

जिला मुख्यालयों के लिए एस० टी० डी० की सुविधा

5158. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले वर्ष अगस्त में घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए प्रतिदिन 100 टेलीफोन लगाये जाने की सम्भावना है, ताकि वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क मे 20,000 अतिरिक्त पंचायतों को लाया जा सके;

(ख) क्या उन्होंने यह घोषणा भी की थी कि इसी अवधि के दौरान सारे जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(घ) इन टेलीफोनों में से कितने प्रतिशत टेलीफोन पिछले एक पखवाड़े अथवा इससे अधिक समय से खराब पड़े हैं और इस प्रयोजनार्थ निगरानी के क्या प्रबन्ध किये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों के दूरदराज के इलाकों को इस सुविधा से जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार सभी जिला मुख्यालय।

(ग) पंचायत गांवों के सम्बन्ध में प्रगति विवरण-I के रूप में संलग्न और एस० टी० डी० के सम्बन्ध में विवरण-II के रूप में।

(घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन-पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण-I

पंचायत गांवों की वर्ष 1991-92 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसके ब्यौरे

क्रम सं०	सर्किल	29-2-92 तक पंचायत टेलीफोन
1.	आंध्र प्रदेश	1200
2.	असम	214
3.	बिहार	583
4.	गुजरात	1417
5.	हरियाणा	647
6.	हिमाचल प्रदेश	93
7.	जम्मू और कश्मीर	100
8.	कर्नाटक	913

1	2	3
9.	केरल	20
10.	मध्य प्रदेश	2479
11.	महाराष्ट्र	1569
12.	उत्तर-पूर्व	252
13.	उड़ीसा	829
14.	पंजाब	558
15.	राजस्थान	1106
16.	तमिलनाडु	841
17.	उत्तर प्रदेश	1662
18.	पश्चिमी बंगाल	354
19.	म० न० टे० नि० लि०, दिल्ली	121
	जोड़	14,958

विवरण-II

राज्य	1991-92 के दौरान जिन जिला मुख्यालयों को सुविधा प्रदान किए जाने की सम्भावना है उनकी संख्या	अब तक प्रदत्त एस० टी० डी० सुविधा
अरूणाचल प्रदेश	1	1
असम	5	4
बिहार	1	1
हरियाणा	1	—
हिमाचल प्रदेश	3	3
जम्मू व कश्मीर	7	2
मध्य प्रदेश	13	5
महाराष्ट्र	1	1
मणिपुर	2	2
नागालैंड	2	2
तमिलनाडु	1	—
उत्तर प्रदेश	5	4
पश्चिम बंगाल	3	1
	45	26

[हिन्दी]

विद्युत बचत सम्बन्धी अध्ययन

5159. **श्री जगमीतसिंह :**

श्रीमती गीता वर्मा :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश ऊर्जा के क्षेत्र में 750 लाख रुपये तक की बचत कर सकता हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

ऊर्जा घाटा

5160. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में, विशेष रूप से गुजरात में अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 के दौरान सरकार ने आठ प्रतिशत ऊर्जा घाटा कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा कम करना, मांग प्रबन्धन तथा ऊर्जा संवर्धन सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना तथा बिजली का आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण करने की व्यवस्था करना आदि हैं। इन उपायों को गुजरात में भी अपनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जिलों में डाकघर

5161. **श्री देवी बक्स सिंह**

श्री रतिलाल वर्मा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गाजियाबाद जिलों में कितने डाकघर खोले गए;

(ख) क्या सरकार के पास 1992-93 के दौरान इन जिलों में डाकघरों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उक्त जिलों के कितने गांवों को समाहित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गाजियाबाद जिलों में खोले गए डाकघरों की कुल संख्या क्रमश: 11 और 7 है।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान डाक नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है। तथापि, इस सम्बन्ध में विवरण देना सम्भव नहीं है क्योंकि 1992-93 के वार्षिक योजना लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

नई पर्यटन नीति

5162. श्री अरविंद नेताम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई पर्यटन नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो यह नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन से सम्बन्धित कार्य-योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

5163. श्रीमती रीता वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मंजूर की गयी बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी बृहद अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी लेकिन परामर्शदात्री समिति ने दो वृहद और चार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया था तथा उन्हें स्वीकार्य पाया था बशर्ते कि मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जाए।

(ख) केन्द्र में मूल्यांकन के लिए सुखसेनाघाट पम्प नहर, कोसी परियोजना सोपन-11, गंडक परियोजना सोपान-11, जमानिया पम्प नहर और बरहई जलाशय परियोजना नामक पांच वृहद परियोजनाओं पर राज्य सरकार को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करती है तथा यदि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी शामिल है, तो पुनर्वास और पुर्नस्थापना योजना के संबंध में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

"कास्ट आयरन स्पन" पाइपों के मूल्य

5164. श्री रूपचन्द्र पाल :

श्री सुदर्शनराय चौधरी : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा "कास्ट आयरन स्पन" पाइपों को प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचे जाने संबंधी कोई मामला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रथा को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "इस्को" के कास्ट आयरन स्पन पाइपों के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है। "इस्को" अपने तर्कसंगत वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करता है। "इस्को" द्वारा कास्ट आयरन स्पन पाइपों के प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचे जाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं

5165. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय उद्देश्यीय परियोजनाओं की अनुमानित मूल लागत की तुलना में लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मूल अनुमानित लागत और बढ़ी हुई लागत में अन्तर कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) मूल योजनाबद्ध रूप में इन परियोजनाओं को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी के कारण तथा ब्यौरा ये हैं, लाभग्राही राज्यों द्वारा निधियों का अपर्याप्त आबंटन, परियोजना के प्रतिपादन के समय अपर्याप्त अंवेषण जिससे निर्माण के दौरान डिजाइनों में बहुत बदलाव आया, भूमि अधिग्रहण के लिए मूल अनुमान में अपर्याप्त प्रावधान, पुर्नवास और पुर्नस्थापन, पर्यावरणिक सुरक्षा उपाय, नहर कार्य तथा सीमेंट, स्टील और विस्फोटक जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी।

(ख) और (ग) आठवीं योजना में अपनायी गयी नीति में निधियों के आबंटन के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है। योजना आयोग ने परियोजनाओं के लिए निधियों के निर्धारण का कठोरता से पालन करने का निर्णय भी किया है।

सौर ऊर्जा का उपयोग

5166. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या विद्युत तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश द्वारा कितनी मात्रा से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सौर ऊर्जा का पूरी संभावित सीमा तक उपयोग करने के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकी पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सौर ऊर्जा प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) आंध्र प्रदेश में इसका किस सीमा तक उपयोगी किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सौर ऊर्जा का देश में दो अलग-अलग रास्तों से अर्थात (1) प्रकाशवोल्टीय मार्ग से (2) सौर ताप के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले मामले में सौर प्रकाशवोल्टीय सेलों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का बिजली में सीधे रूपांतरण किया जाता है। दूसरे मामले में सौर ऊर्जा को सीधे ताप ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है जिसे आगे विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाना पकाने, जल और हवा को गरम करने, विभिन्न सामग्रियों को सुखाने, बिजली का उत्पादन करने में। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित प्रणालियों की सूची संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

(ख) और (ग) सौर ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक प्रौद्योगिकियां अभी विकसित की जा रही हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विभिन्नों अनुसंधान संगठनों जैसे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को समर्थन दिया जा रहा है ताकि सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित की जा सकें।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश में स्थापित सौर प्रणालियों का ब्यौरा संलग्न विवरण III तथा IV में दिया गया है।

विवरण

सौर तापीय प्रणालियों की राज्यवार उपलब्धियां (31-12-1991 तक संचित)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई०एस डब्ल्यू एच० (सं०)	डी० एस० डब्ल्यू एच० (सं०)	एस०ए० एच० (सं०)	एस०टी० के० (सं०)	एस०डी० एस० (सं०)	सौर कुकर (सं०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	91	70	1	2	486	409
2.	असम	46	—	3	—	56	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	—	1	1	20	—
4.	अण्डमान एवं निकोबार	18	—	—	—	—	38
5.	बिहार	51	—	—	—	—	—
6.	चण्डीगढ़	35	—	—	—	—	568
7.	दिल्ली	387	650	1	4	1604	18243
8.	गोवा	41	2	—	—	—	794
9.	गुजरात	1376	4390	7	16	4800	20512
10.	हरियाणा	116	53	—	1	120	2647

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हिमाचल प्रदेश	70	19	—	2	—	7675
12.	जम्मू एवं कश्मीर	72	43	—	—	70	—
13.	कर्नाटक	142	765	1	2	—	—
14.	केरल	28	9	1	—	10	149
15.	मणिपुर	3	12	—	—	—	200
16.	मेघालय	37	2	—	—	—	732
17.	महाराष्ट्र	240	85	—	—	145	31777
18.	मध्य प्रदेश	199	50	2	1	300	67455
19.	मिजोरम	1	—	—	—	—	70
20.	नागालैंड	13	—	—	—	—	—
21.	पंजाब	146	82	1	2	122	4133
22.	उड़ीसा	85	—	1	—	398	779
23.	राजस्थान	176	20	—	—	—	24192
24.	सिक्किम	24	9	—	—	—	20
25.	तमिलनाडु	203	1029	2	—	—	1174
26.	त्रिपुरा	4	—	—	—	25	—
27.	उत्तर प्रदेश	533	66	25	18	498	17381
28.	पश्चिम बंगाल	74	1	5	1	75	2271

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पांडिचेरी	20	—	—	—	20	—
30.	दादरा एवं नगर हवेली	3	—	—	—	2	81
31.	सी०पी०डब्ल्यू०डी०	5	—	—	—	—	—
32.	रेलवे	16	—	—	—	328	—
	योग :	4300	7400	52	50	9100	2,01300

आई० एस० डब्ल्यू० एस०—औद्योगिक सौर जल तापन प्रणाली

डी० एस० डब्ल्यू० एच०—घरेलू सौर जल तापन प्रणाली

एस० ए० एच०—सौर वायुतापन/फसल शुष्कन प्रणाली

एस०डी०एच०—सौर आसवन प्रणाली

एस०टी०एच०—सौर कोष्ठ भट्टी

विवरण II

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की राज्यवार उपलब्धियां
(31-12-91 तक स्थिति)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामुदायिक रोशनी टी.वी. प्रणालियां	जल पंपन प्रणालियां	गांव जहां सड़क रोशनी दी गई है	सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्र
1.	आंध्रप्रदेश	6	61	3140	2
2.	अरूणाचलप्रदेश	14	14	30	1
3.	असम	—	69	20	—
4.	बिहार	103	94	177	—
5.	गोवा	4	2	4	2
6.	गुजरात	51	98	374	1
7.	हरियाणा	42	8	2	—
8.	हिमाचलप्रदेश	9	10	180	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	1	13	—
10.	कर्नाटक	2	8	95	1
11.	केरल	11	6	93	1
12.	मध्यप्रदेश	64	93	400	3
13.	महाराष्ट्र	64	92	1306	5
14.	मणिपुर	—	2	30	1
15.	मेघालय	—	29	25	—
16.	मिजोरम	1	7	41	—
17.	नागालैंड	3	13	38	4
18.	उड़ीसा	36	66	478	—
19.	पंजाब	45	5	2	—
20.	राजस्थान	110	86	707	—
21.	सिक्किम	3	2	28	—
22.	तमिलनाडु	18	31	173	5

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	122	13	52	25
24.	उत्तर प्रदेश	205	74	305	2
25.	पश्चिम बंगाल	1	39	200	3
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12	24	149	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	4	1
29.	दमन एवं द्वीप	9	25	4	1
30.	दिल्ली	2	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	योग	938	1181	8050	59

विवरण III

आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई सौर तापन प्रणालियां

क्र०सं०	प्रणालियों का स्थान	प्रणालियों की संख्या एल. पी. डी. में क्षमता/0 से०
1.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, हैदराबाद	1 × 1000/60° से०
2.	न्यू एम.एल.ए. हास्टल, हैदराबाद	1 × 5000/"
3.	रक्षा इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	1 × 15000/"
4.	इंडियन एयरलाइन्स, हैदराबाद	1 × 1000/70° से.
5.	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	1 × 1000/"
6.	निदेशक, चावल अनुसंधान, हैदराबाद	1 × 1000/60° से.
7.	कालेज आफ नर्सिंग होस्टल, हैदराबाद	1 × 1500/"
8.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद	1 × 2000/"
9.	आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी., हैदराबाद	1 × 2000/"
10.	उस्मानिया विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस, हैदराबाद	1 × 2000/"
11.	ए.पी.ए.यू., महिला छात्रावास, हैदराबाद	1 × 3000/"

1	2	3
12.	हैदराबाद पब्लिक स्कूल, हैदराबाद	1 × 3000/"
13.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	1 × 3000/"
14.	श्री सत्या साई प्राइमरी स्कूल, पुतापार्थी, जिला अनन्तपुर	1 × 10000/"
15.	श्री सत्या साई बाल छात्रावास, पुत्तापार्थी, जिला, अनन्तपुर	1 × 10000/"
16.	टी.टी.डी. कोटेज, तिरूमाला	2 × 400/"
17.	आर एंड बी गैस्ट हाउस, कुडापा	1 × 400/"
18.	एच.एम.टी. हैदराबाद	1 × 5000/70°
19.	पेनडेकान्ती पब्लिक स्कूल, नंदयाल, जिला कुरनुल	1 × 7500/60° से.
20.	टी.टी.डी. चौलतरी सं. 3, तिरूमाला	1 × 1000/"
21.	लेक वियू गैस्ट हाउस, हैदराबाद	1 × 3000/"
22.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1 × 5000/"
23.	वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, बालिका छात्रावास, तिरूपति	1 × 5000/"
24.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुन्टूर	3 × 2000/60° से.
25.	डी एम आर एल हैदराबाद	2 × 2000/"
26.	—वही—	1 × 1000/"
27.	राज भवन, हैदराबाद	1 × 1000/"
28.	शिवा शिवानी पब्लिक स्कूल, हैदराबाद	1 × 3000/"
29.	एस.ई. (सिंचाई) श्री सेलम	1 × 2000/"
30.	ए पी एस आर टी सी वर्कशाप कैंटीन, विजयवाड़ा	1 × 1000/"
31.	—वही— उप्पाल	1 × 1000/"
32.	—वही— तारानका	1 × 1000/"
33.	—वही— कुड्डपा	1 × 1000/"
34.	होटल चन्द्रागिरी, तनदूर, आर. आर. जिला	1 × 500/"
35.	कमाडेंट, एस सी इ एम इ।, सिकन्दराबाद	1 × 500/"
36.	इ एम इ केन्द्र तीसरा प्रशिक्षण बी.एन. सिकन्दराबाद	1 × 500/"
37.	टी इ एम पी पी, अनन्तपुर, निजामाबाद तथा तनबर	3 × 1000/"
38.	सी बी आइ आइ सी एम हैदराबाद	1 × 6000/"
39.	इ सी आइ एल—1 हैदराबाद	1 × 5000/"

1	2	3
40.	—वही— —2 "	1 × 5000/80° से.
41.	डी आर डी ओ काम्पलैक्स, हैदराबाद	4 × 5000/60° से.
42.	—वही—	2 × 500/"
43.	सिंग रेनी कोयला क्षेत्र, चरण—1, कोथागुडम, कम्माम जि.	2 × 1000/"
44.	एस. कुमारा बिल्लू, हैदराबाद	1 × 500/"
45.	इंडियन इम्युनोलोजीकल्स, हैदराबाद	1 × 5000/80° से.
46.	एन्नावरम देवास्थनम, पूर्वी गोदावरी	4 × 1000/60° से.
47.	—वही—	2 × 1000/"
48.	डी आइ ए बी जी एम सी, तिरूमाला	1 × 10000/"
49.	डिकाम/, एमटाटोक्स (प्रा.) लि., अंनदनगर, निजामाबाद	1 × 500/"
50.	एन आइ एम एस हैदराबाद	1 × 2000/"
51.	सप्तागिरी रियल एस्टेट (प्रा.) लि. हैदराबाद	1 × 3000/"
52.	लोयला एकेडमी, सिकन्दाबाद	1 × 1000/"
53.	सिंगरेनी कोयला क्षेत्र—II, अदिलाबाद तथा	3 × 1000/60° से.
	करीमनगर	1 × 2000/"
54.	सिंगरेनी कोयला क्षेत्र चरण—II, कोटागुडम,	3 × 1000
	खम्माम जिला	1 × 2000/"
55.	गोवर्द्धन चौवतरी—I टीटीडी तिरूमाला	1 × 10000/"
56.	—वही— II, टीटीडी, तिरूमाल	1 × 5000/"
57.	सम्पगिरी सतरालू, ब्लाक—II, टीटीडी	1 × 5000/"
58.	एम सी इ एम इ II सिकन्दराबाद	1 × 500/"
59.	बी इ एल, मछलीपट्नम, कृष्णा जिला	1 × 3000/"
60.	पिनाकिनीबिवेरागेज, निलौर	1 × 5000/80° से.
61.	कल्याना कोटा चावलतरी I, टीटीडी	1 × 5000/"
62.	—वही— II, टीटीडी	1 × 5000/"
63.	हिन्दुस्तान केबलस लि. हैदराबाद	1 × 5000/"
64.	हिन्दुस्तान एरोनेस्टिक, हैदराबाद	1 × 5000/60° से.
65.	जे एन टी यू सी इ हास्टल, कुकातपल्ली, हैदराबाद	1 × 2000/"

1	2	3
66.	सप्तगिरी ग्रतरालू ब्लाक III टीटीडी	1 × 5000/"
67.	ओरडिनेंस फैक्टरी मेडक जिला	5 × 500/"
68.	एस मी रेजिडेंन्सिल स्कूल	7 × 50(/"
69.	सिल्क रिलिंग यूनिट, सरपावरम, इ.जी	1 × 500/80° से.
70.	जी एफ सी एल, काकीनाडा, इ जी जिला	1 × 1000/60° से.
71.	एशियन पेन्ट्स (प्रा.) लि. पतनचेरु, मेडक जिला	1 × 3000/80° से.
72.	होटल भीमाज, तिरूपति	1 × 1500/60° से.
73.	संगठनात्मक विकास केन्द्र	3 × 500/"
74.	डक्कन लेदर लि. हैदराबाद	1 × 6000/"
75.	सुरजीतकौर, सिकन्दराबाद	1 × 500/"
76.	स्वप्न नर्सिंग होम, हैदराबाद	1 × 1500/"
77.	होटल जया इंटरनेशनल, हैदराबाद	2 × 3000/"
78.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल	1X500/"
79.	आरडिनेंस फैक्टरी मेड्डूमोलारम	5 × 500/"
80.	डोम्बी सौर जल तापक	118 × 100/",
81	सौर वायु तापक	2 सं.
82.	सौर काष्ठ भट्टियां	2 "
83.	सौर आसवन यूनिटें	486 यूनिटें

विवरण IV

आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा।

क्र०सं०	जिला	एस एल एस	सी टी वी/सी एल एस	लघु विद्युत
1.	श्रीकाकुलम	3	—	—
2.	विजयनगरम	100	—	—
3.	विशाखापटनम	2196	—	—
4.	पूर्वी गोदावरी	176	—	—
5.	पश्चिमी गोदावरी	10	1	—

1	2	3	4	5
6.	प्रकाशम	34	—	—
7.	नेल्लूर	15	—	—
8.	कुड्डपा	2	—	—
9.	कुरनूल	7	—	—
10.	महबूब नगर	2	—	—
11.	मेडक	—	1 —	1 (7 के. डब्ल्यू. पी)
12.	अदिलाबाद	138	—	—
13.	करीम नगर	9	—	—
14.	वारंगल	29	—	—
15.	खम्माम	92	—	—
16.	नालगोंडा	5	—	—
17.	रंगारेड्डी	35	—	—
18.	हैदराबाद	—	2	1 (5 के. डब्ल्यू पी)

एस एल एस : सड़क रोशनी प्रणालियां

सी टी वी : रंगीन टेलीविजन

सी एल एस : सामुदायिक रोशनी प्रणालियां

उपर्युक्त के अलावा राज्य में 60 प्रकाशवोल्टीय सौर जल पंपन प्रणालियां तथा 65 प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

बिहार से छपने वाले अखबार के लिए सरकारी विज्ञापन

51.67. **श्री ललित उरांव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से छपने वाले कौन-कौन से अखबार साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन छपवाने के उपयुक्त पाए गए हैं; और

(ख) बिहार के किन-किन अखबारों, साप्ताहिकों पाक्षिकों और मासिक पत्रिकाओं में निदेशालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के विज्ञापन छपवाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) बिहार से काफी संख्या में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक प्रकाशित होते हैं, जिन्हें कई वर्षों से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन देने के लिए उपयुक्त पाया गया है। हाल में विज्ञापन और दृश्य

प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए उपयुक्त पाए गए बिहार से प्रकाशित प्रकाशनों की सूची तथा उन प्रकाशनों की सूची, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन दिए गए, की सूची संसद भवन के पुस्तकालय में रखी हुई है।

बिहार से प्रकाशित प्रकाशनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 115, 13, 747, 76 रुपये की राशि के विज्ञापन जारी किए गए।

[अनुवाद]

पेप्सी फूड्स द्वारा आशयपत्र का उल्लंघन

5168. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स आशय पत्र की निर्यात जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस वजह से आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदला गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर-मंत्रालय की समिति के निर्णय के अनुसार, जिसकी बैठकें हाल ही में हुई थी, आशय पत्र की शर्तों को लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि शर्तों का उल्लंघन न हो?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात के कार्यालय के साथ कानूनी करार के संदर्भ में मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड के निर्यात दायित्व के मामले की मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है जो एक न्यायिक कल्प निकाय है।

(ख) 16 मार्च, 1985 की अधिसूचना के अनुसार "नान फेरा"/"नान एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट मिल गई है। परन्तु मैसर्स पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ने पर्याप्त सावधानी के रूप में अपने संयुक्त उद्यम के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने हेतु आवेदन किया था और उन्हें एक आशय-पत्र जारी किया गया था। आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कम्पनी को आशय-पत्र की शर्तें पूरी करनी हैं। 1991 के प्रेस नोट की संख्या 9 के अनुसार अनिवार्य लाइसेंस के अधीन न आने वाली वस्तुओं के संबंध में आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित करने के लम्बित आवेदन-पत्रों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

(ग) से (ङ) शर्तों को लागू करने के संबंधित मुद्दे की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में रेडियो और टी० वी० कवरेज

5169. श्री डी.डी. खनोरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं,

(ख) क्या राज्य के बड़े हिस्से में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते; और

(ग) राज्य के शेष भागों को प्रसारण क्षेत्र में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) **दूरदर्शन:** इस समय हिमाचल प्रदेश की करीब 58.7% जनसंख्या और 37.2 प्रतिशत क्षेत्र को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। इसमें किनारे की वह जनसंख्या भी शामिल है, जहां सन्तोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है।

आकाशवाणी : राज्य की 75 प्रतिशत जनसंख्या और 45 प्रतिशत क्षेत्र को मीडियम वेव रेडियो कवरेज प्राप्त होती है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य के कवर न हुए क्षेत्रों में टी. वी. कवरेज के विस्तार की स्कीमों में शिमला में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर, उच्च शक्ति 1 कि. वा. दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना, सुन्दर नगर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और अजुफोर्ट और पालनपुर में एक-एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाना शामिल है। साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए धर्मशाला में मौजूदा अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति 10 कि. वा. दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में रेडियो कवरेज के विस्तार के लिए 6 और रेडियो केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। ये केन्द्र धर्मशाला, किन्नौर, लाहोल स्पीति, कसौली, कुल्लु और हमीरपुर में स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा शिमला में मौजूदा 2.5 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 कि० वा० करने का कार्यक्रम है।

इन दूरदर्शन और आकाशवाणी परियोजनाओं के चालू हो जाने पर राज्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी की कवरेज में काफी सुधार होगा।

बिहार के गावों में सार्वजनिक टेलीफोन

5170. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के गावों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1992-93 के दौरान इस प्रयोजन के लिए यदि कोई धनराशि आवंटित की गई तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 11,678 पंचायत गांवों में से, 3891 पंचायत गावों में 29-2-1992 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष 7787 पंचायत गांवों में यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से 31-3-95 तक और गैर-पंचायत गांवों में सन् 2000 तक, प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निधियां, आठवीं योजना के प्रस्ताव के अंग रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी।

[अनुवाद]

मुम्बई दूरदर्शन में काम की स्थितियों में गिरावट

5171. श्री संदीपान भगवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टुडियो का आधुनिकीकरण करने तथा भवन की मरम्मत/नवीरण करने के लिए वित्तीय व्यवस्था के अभाव में मुम्बई दूरदर्शन में काम की स्थितियों में गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दूरदर्शन केन्द्रों में नये निर्माण तथा भवनों में नवीकरण के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी खर्च की गई; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ आठवीं योजना अवधि के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बम्बई दूरदर्शन केन्द्र भवन की मरम्मत/नवीकरण के बारे में प्रस्तावों पर समय-समय पर स्वीकृति के लिए उपयुक्त स्तरों पर कार्यवाई की जाती है। 1991-92 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई के भवन की मरम्मत/रखरखाव के लिए 7 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के दूरदर्शन भवन के निर्माण इनमें स्थान की वृद्धि करने के लिए स्वीकृत लागत और किया गया खर्च इस प्रकार है :—

स्थान	स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	गत तीन वर्षों (अप्रैल, 89-फरवरी, 1992) के दौरान किया गया खर्च (रु० लाख में)
दिल्ली	685.29	629.67
बम्बई	735.32	118.28
कलकत्ता	226.30	[illegible].00
मद्रास	226.30	112.29

(ङ) यद्यपि, आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है फिर भी, दूरदर्शन के 1992-93 के वार्षिक बजट में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नए भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान का ब्योरा इस प्रकार है :—

स्थान	(राशि रु० लाख में)
दिल्ली	41.75
बम्बई	210.00
कलकत्ता	37.00
मद्रास	16.00

देश की विद्युत परियोजनाएं

5172. श्री सुखदेव पासवान :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री राम नारायण बैरवा :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :
श्री काशीराम राणा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रामपाल सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री बी० माहे मीहा :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री एम० रमन्ना राय :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री छेदी पासवान :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राम पूजन पटेल :
श्री बलराज पासी :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री दत्तात्रेय बंडारु :
श्री पी० सी० चाक्को :
श्री याइमा सिंह युमनाम :

श्री राजवीर सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु सरकार के पास कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं स्वीकृति हेतु कब से लम्बित हैं;

(घ) प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता और अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) प्रत्येक संयंत्र हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(च) इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इस्पात का आयात

5173. **कुमारी उमा भारती :**

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस गुणवत्ता के कितने इस्पात का आयात किया जा रहा है और इसका मूल्य क्या है, जब देश में बढ़िया किस्म का इस्पात उपलब्ध है तो इसका आयात करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत की अपनी खपत पूरी करने के लिए इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो देश इस्पात के उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा;

(घ) क्या इलैक्ट्रिक उद्योग की आवश्यकता के अनुसार सी० आर० जी० ओ० सिलकन इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है;

(ङ) क्या इसके उत्पादन में इसकी खपत के अनुसार वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए विक्रय इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा : दस लाख टन

मूल्य : करोड़ रुपये

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1988-89	1·72	1420
1989-90	1·47	1572
1990-91	1·28	1397

टिप्पणी : केवल प्रमुख पत्तनों से आयात। वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय निदेशालय से अधिकृत आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

आयातित इस्पात की गुणता आयात की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मात्रा और गुणता, दोनों दृष्टि से स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात का सहारा लिया जाता है।

(ख) और (ग) इस्पात का घरेलू उत्पादन इस समय अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सरकार का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाती है। इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और इसके मूल्यन और वितरण पर से नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया है इससे इस्पात उत्पादन में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र प्रोत्साहित होगा। एकीकृत इस्पात संयंत्र अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार की प्रक्रिया में है। इस बढ़े हुए उत्पादन के परिणामस्वरूप 8वीं पचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की अधिकांश श्रेणियों में भारत के आत्मनिर्भर होने की संभावना है। हालांकि विशेष गुणता के कुछ इस्पात का आयात किया जाता रहेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) सी० आर० जी० ओ० इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सेल प्रयास कर रहा है। 1990-91 में सेल का उत्पादन 105 टन था जो 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) बढ़कर 3040 टन हो गया है।

राजस्थान में डाकघर

5174. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय डाकघरों, उप-डाकघरों और मुख्य-डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों की जिलेवार संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान में डाकघरों, उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों की संख्या फिलहाल निम्नानुसार है :

प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
55	1384	105	8417

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में डाक नेटवर्क का आगे और विस्तार करने का विचार है। तथापि, इस सम्बन्ध में विवरण देना सम्भव नहीं है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों की दोषपूर्ण प्रणाली

5175. **श्री तेजनारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू 1 + 1 प्रणाली जिसके अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं, दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रणालियों के गुण और दोषों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) 1 + 1 प्रणाली को बदलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। सभी एक + एक प्रणालियो को नेटवर्क में लाने से पहले विभाग द्वारा इनका टाइप परीक्षण एवं अनुमोदन किया जाता है।

(ख) सभी उपभोक्ता कैरियर प्रणालियों के कनेक्शन प्रदान करने की सामान्य पद्धति के गुण इस प्रकार हैं :—

(I) बेहतर स्पीच

(II) एक केवल पेयर पर दो या दो से अधिक कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

इससे उन क्षेत्रों में शीघ्रता से कनेक्शन दिए जा सकते हैं जहां ऐसा व्यवहार्य न हो।

सामान्य केवल पेयर व्यवस्था का एकमात्र अवगुण यह है कि उपभोक्ता परिसर में लगी बैटरी का और अधिक रख-रखाव किया जाना आवश्यक है।

(ग) विभाग का इन प्रणालियों को बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन स्थानों पर जहां अधिक समय तक बिजली चली जाती है वहां उपभोक्ता परिसर में बेटरी की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा वाहनों की खरीद

5176. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए इन अनुदेशों कि पेट्रोल की खपत में कमी लायी जाए और नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, के बावजूद पेट्रोल की खपत में वृद्धि हुई है और दिल्ली टेलीफोन विभाग द्वारा नए वाहन खरीदे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी, नहीं। एमटीएनएल की पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 1990-91 की पैट्रोल की खपत की तुलना में, वर्ष 1991-92 के दौरान इसकी खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं।

इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने के बाद से, एमटीएनएल में कोई अतिरिक्त वाहन नहीं खरीदा गया है।

केवल कुछ पुराने और बेकार वाहनों के स्थान पर नए वाहन लिए गए हैं क्योंकि उनकी निर्धारित मियाद पूरी हो चुकी थी और उन्हें इस्तेमाल में लाना अधिक खर्चीला पाया गया।

[अनुवाद]

हरियाणा में नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

5177. **श्री जगबीर सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से कितने नलकूप लगाए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) इन्हें कब तक चालू बना दिए जाने की संभावना हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरियाणा सिंचाई परियोजना सोपान-I तथा सोपान-II के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा में लगाए गए नलकूपों की कुल सं० 336 है।

(ख) उपर्युक्त में से, 275 नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ग) भाखड़ा नहर प्रणाली के साथ-साथ लगे हुए 251 नलकूपों का प्रचालन सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के पूरा होने के साथ जुड़ा हुआ है तथा शेष 24 नलकूपों को शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व बैंक सहायता से हरियाणा में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राजकोट और मुम्बई के बीच विमान सेवा

5178. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट को मुम्बई से जोड़ने के लिए दैनिक वायुदूत सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूत पहले से ही बम्बई-कांडला-राजकोट-बम्बई मार्ग पर सप्ताह में छः सेवाओं का परिचालन कर रहा है। वाणिज्यिक और परिचलनात्मक कारणों से राजकोट के लिए आवृत्ति में वृद्धि करना वायुदूत के लिए संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुसंधान केन्द्र

5179. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सरकार विभिन्न प्रकार के केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए नये तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास, उत्पादन तथा व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा

प्रसार कार्य किए जाते हैं। विभिन्न प्रणालियों तथा युक्तियों के विनिर्माण, स्थापना और अनुरक्षण के लिए देशव्यापी अवसंरचना विकसित की गई है। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के दोहन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता, आसान शर्तों पर ऋण, और मूल्यह्रास छूट तथा बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में राहत के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहनों को प्रयोक्ताओं और विनिर्माताओं को दिया जाता है। इसके अलावा, प्रचार तथा जागरुकता पैदा करने सम्बन्धी अभियान भी चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) बायोगैस और उन्नत चूल्हा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन करने के लिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में एक क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र को और क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, वारंगल में एक उन्नत चूल्हा तकनीकी बैंक-अप एकक को सहायता दे रहा है।

[हिन्दी]

नर्मदा सागर परियोजना पर व्यय

5180. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात की नर्मदा सागर परियोजना पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा अब तक प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना पर 96.42 करोड़ रुपए तथा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना पर 593.58 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) मध्य प्रदेश से नर्मदा सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त की गयी सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :—

परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	सहायता की राशि	31-12-91 तक संचयी उपयोग
सरदार सरोवर बांध एवं विद्युत परियोजना	आई०डीए०	99.7 मिलियन एस०डी०आर०	77.8 मिलियन एस०डी०आर०
	आई०बी० आर०डी०	200 मिलियन अमेरीकी डालर	—
सरदार सरोवर जल वितरण और जल निकास परियोजना	आई०डी०ए०	149.5 मिलियन एस०डी०आर०	104.8 मिलियन एस०डी०आर०

[अनुवाद]

सागर, मध्य प्रदेश में खनिज भंडार

5181. श्री आनन्द अहिरवार :

श्री मोहनलाल झिकराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के मांडला सागर डिवीजन में खनिज भंडारों के बारे में सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या सागर जिले के हीरापुर शाहगढ़ क्षेत्र में लौह अयस्क पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मात्रा और वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त क्षेत्र में फासफेट का प्रचुर भंडार मिला है, यदि हां, तो क्या इस खनिज का दोहन और खनन रोज किया जा रहा है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण और गवेषण के फलस्वरूप, मांडला जिले में 20.29 मिलियन टन डोलोमाइट, 12.41 मिलियन टन बाक्साइट, 0.117 मिलियन टन मुलतानी मिट्टी तथा सागर जिले में 52.09 मिलियन टन चूना पत्थर और 11.87 मिलियन टन राक-फास्फेट के खनन योग्य भंडारों की पुष्टि की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई) ने सागर और छतरपुर जिलों के हीरापुर-मारदेवरा-कछार सेक्टर में, राक-फास्फेट के 23 प्रतिशत पी$_2$ओ$_5$ वाले 18.66 मिलियन टन और 7-10% पी$_2$ओ$_5$ वाले 22.00 मिलियन टन भंडारों का अनुमान लगाया है। इन भंडारों का विदोहन मध्य प्रदेश खनन निगम लि० द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

देशों में हीरों की खानें

5182. डा० लाल बहादुर रावल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर हीरों की खानें पाई गई हैं;

(ख) क्या हीरों की अवैध खोज के फलस्वरूप राजस्व का भारी नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान हीरों की खोज से कुल कितनी राजस्वराशि की प्राप्ति हुई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हीरा-पत्थरों के अन्तर्गत मूल्यवान पत्थर, अर्द्ध-मूल्यवान पत्थर और आभूषण पत्थर शामिल है। मूल्यवान पत्थरों में मुख्यतः हीरा, रुबी,

नीलम और पन्ना आते हैं। इन पत्थरों का आंध्र प्रदेश, मेघालय, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में पता चला है।

(ख) और (ग) देश के कुछ हिस्सों में समय-समय पर मूल्यवान और अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों के चोरी-छिपे खनन की छिट-पुट घटनाओं का पता चलता है। इस प्रकार के अवैध खनन को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा खनिज (चोरी, तस्करी और अन्य अवैध कार्य निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया है और उसके तहत समुचित नियमों को भी अधिसूचित किया है।

उड़ीसा में हीरे के विदोहन के लिए यू०एन०डी०पी० के सहयोग से हीराधारी स्थलों का पता चला है और विभिन्न प्रकार के मूल्यवान और अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों के प्रमाणीकरण, परीक्षण और मूल्यांकन के लिए हीरा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन का प्रसारण

5183. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

श्री विजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मिजोरम और नागालैंड में दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का अपर्याप्त तथा अंग्रेजी कार्यक्रमों का असामयिक प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या इन राज्यों के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों से अधिक बंगला देश के टेलीविजन कार्यक्रमों को देखते हैं; और

(ग) सरकार का दूरदर्शन पर अधिक तथा बेहतर कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 79% जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। इसमें किनारे के क्षेत्रों की वह जनसंख्या भी शामिल है, जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है। दूरदर्शन विभिन्न विषयों पर प्रातः से देर रात तक बहुत से अंग्रेजी कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के सभी हिस्सों में अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं।

(ख) मिजोरम और नागालैंड के जनजातीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन कार्यक्रम की तुलना में बंगलादेश टी०वी० के कार्यक्रम देखे जाने की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, असम के गुवाहाटी में किए गए हाल ही नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 75 प्रतिशत से अधिक टी० वी० दर्शक सायं 8-40 के बाद प्रसारित दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम देखते हैं।

(ग) दूरदर्शन का यह सतत प्रयास रहता है कि साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए देश के कवर न हुए भागों में चरणों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाए और दर्शकों को अच्छे स्तर के

कार्यक्रम दिखाए जाएं। इसके अलावा, इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में 11 दूरदर्शन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, जिनका लक्ष्य इस क्षेत्र के राज्यों में दूरदर्शन कवरेज को बढ़ाना है।

सूचना केन्द्रों और थियेटरों की स्थापना हेतु सहायता

5184. श्री राम नारायण बैरवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में सूचना और थियेटर केन्द्रों की स्थापना के लिए विशेष सहायता के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राजस्थान में इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और किन-किन योजनाओं के तहत;

(ग) क्या टोंक जिले को इस सम्बन्ध में सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए कोई धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राज्यों में सूचना केन्द्र और थियेटर स्थापित करने के लिए विशेष सहायता के रूप में कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का सार्वजनिक उपक्रम है, ने समूचे देश के सिनेमा थियेटरों के वित्तपोषण की स्कीम के अन्तर्गत थियेटर निर्माण के लिए निम्नलिखित राशि निर्धारित की थी :—

1988-89	144 लाख रुपए
1989-90	25 लाख रुपए
1990-91	30 लाख रुपए

(ख) राजस्थान सहित राज्यों में सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए विशेष सहायता देने हेतु कोई स्कीम नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा जिला स्तर अथवा राज्य स्तर पर सूचना केन्द्र खोलने के लिए राज्यों को कोई सुविधा नहीं दी जाती।

[अनुवाद]

समाचारों वाचकों और उद्घोषकों का चयन

5185. श्री के० तुलसिय्या वांडायार : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में समाचार वाचक और उद्घोषक के चयन के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) अब तक चयन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और कितने अनुमोदित किए जा चुके हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन में समाचारवाचकों और उद्घोषकों के चयन के लिए मानदण्ड हैं—भाषा का ज्ञान और दक्षता, अच्छा उच्चारण और बोलचाल का ढग, आवाज की स्पष्टता, कैमरे/दूरदर्शन में दिखाए जाने लायक चेहरा आदि। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है और अधिमान्य आयु वर्ग 20-35 वर्ष के बीच है।

(ख) दूरदर्शन के अनुसार 1380 आवेदन पत्र लम्बित हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान आठ उम्मीदवारों का चयन किया गया।

[हिन्दी]

इस्पात के मूल्य

5186. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 दिसम्बर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इस्पात के मूल्यों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात के मूल्य दूसरे देशों के इस्पात के मूल्यों से बहुत अधिक हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार ने भारतीय बाजार में बेचे गए इस्पात के मूल्य पर कितने प्रतिशत कर लगाए हैं और इसके जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के घरेलू तथा निर्यात मूल्यों की तुलना अन्य इस्पात उत्पादक देशों के घरेलू तथा निर्यात मूल्यों से नहीं की जा सकती।

(ग) भारत में एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात पर लवी तथा उत्पाद शुल्क इस्पात की विभिन्न मदों के कारखाना—बाह्य मूल्यों का 14 प्रतिशत से 31 प्रतिशत है। जापान, जर्मनी, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत

5187. डा० आर० मल्लू : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को ऊर्जा के वैकल्पित स्रोतों को विकसित करने की सलाह दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा के विकास को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार पेट्रोल 20 प्रतिशत अल्कोहल का प्रयोग, जैसा कि समूचे विश्व में किया जा रहा है, प्रारम्भ करेगी और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां। विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक प्रणालियों तथा युक्तियों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, लघु-सूक्ष्म जल-विद्युत संयंत्रों, बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों, इत्यादि का विकास करने तथा उनके उपयोग के लिए राज्य सरकारों तथा कार्यान्वियन अभिकरणों को सलाह दी गई है।

(ख) आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे है। वायु सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए 50 पवन मानचित्रण केन्द्र और 9 पवन प्रबोधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, छः और पवन प्रबोधन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

550 कि. वा. की एक पवन फार्म परियोजना तिरूमाला में स्थापित की गई है। इस परियोजना की क्षमता में 500 कि. वा की और वृद्धि की जा रही है। हाल में, अनन्तपुर जिले में रामगिरि में 2 मे. वा. की एक पवन फार्म परियोजना स्थापित करने के लिए हाथ में ली गए है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में, 2 पवन फार्म परियोजनाएं 377 उथले कूप और 10 गहरे कूप जल पम्पिंग पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रभावों के अध्ययन हेतु दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की 25 बसों के एक बेड़े को चलाने के लिए एथानोल-डीजल की दुहरी ईंधन प्रणाली के जरिए डीजल के प्रतिस्थापन सम्बन्धी एक प्रदर्शन परियोजना शुरू की गई है। जहां तक पेट्रोल के स्थान पर अल्कोहल का इस्तेमाल करने का संबंध है, 10 प्रतिशत निर्जल अल्कोहल से समिश्रित 90 प्रतिशत पेट्रोल के प्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना मे उपर्युक्त विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

बिजली की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक पिछड़ापन

5188. श्री एम० रमन्ना राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकीरी है कि मालाबार क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन का एक कारण बिजली की अनुउपलब्धता है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की बिजली की समस्याओं का समाधान करने हेतु एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने त्रिक्काईपुर सुपर ताप संयंत्र को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) किसी राज्य के विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों में बिजली का वितरण करना सम्बद्ध राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड

के अधिकार में आता है। तथापि, अप्रैल, 91 फरवरी, 92 को अवधि के दौरान मालाबार क्षेत्र सहित केरल राज्य में 3 प्रतिशत बिजली की कमी रही।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का केरल के अल्लेपी जिले में 2×210 मेगावाट क्षमता की एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) त्रिक्कारीपुर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन सेवा

5189. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का कोई उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में जिले-वार, ऐसे कितने टेलीफोन लगाए गये हैं; और

(ग) प्रत्येक जिले के लिये आगामी वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रयोग के लिए अलग से सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना नहीं है। परन्तु 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आम जनता के प्रयोग के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रयोग के लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 75 परिवारों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में बवाना विद्युत संयंत्र

5190. श्री बी० पी० कृष्ण राव :

श्री गुरुदास कामत :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु दिल्ली में बवाना में एक विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उससे आगामी गर्मी ऋतु में कितनी विद्युत प्रदान किए जाने की सम्भावना है;

(ग) राजधानी में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण रिंग के एक अंग के रूप में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बवाना में एक 400/200 के. वी. उप केन्द्र स्थापित कर रहा है। परियोजना को 1993-94 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। छठीं योजना के दौरान बवाना में 800/900 मेगावाट गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने की भी परिकल्पना की गई है बशर्ते संसाधन एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिल्ली की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के आई. पी. केन्द्र, राजघाट ताप विद्युत केन्द्र के अपने विद्युत उत्पादन तथा गैस टर्बाइनों एवं बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सप्लाई के द्वारा सन्तोषजनक पूरा किए जाने की आशा है। शेष आवश्यताओं की पूर्ति उत्तरी ग्रिड से सप्लाई के द्वारा की जायेगी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान विभिन्न वोल्टता स्तरों के लिए अपनी पारेषण और वितरण प्रणाली का विस्तार कर रहा है तथा इसे सशक्त भी बना रहा है।

वर्ष 1992 के दौरान विदेशी पर्यटकों का आगमन

5191. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1992 के दौरान लगभग चार लाख यूरोपीय पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से पर्यटकों के आने की सम्भावना है तथा सरकार का उन्हें क्या सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) यूरोप के जिन देशों से अधिकांश पर्यटकों के आने की सम्भावना है, वे हैं:— यू०, के, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, आस्ट्रिया, बेलजियम, नीदरलैंड, पौलैंड, स्विटजरलैंड आदि। सरकार प्रयास कर रही है कि वह निजी क्षेत्रों के साथ समन्वय करके आवास, परिवहन जैसी पर्यटन सुविधाओं में सुधार लाए।

केबल टी. वी. प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव

5192. श्री एम. बी० वी० एस मूर्ति:

श्री के. वोक्का राव:

श्री गुरुदास कामत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार विशेषज्ञों ने सरकार को केबल टी. वी. के प्रभाव से सावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का केबल टी.वी. दिखाने, चलाने और देखने तथा केबल टी. वी. प्रचालन के लिए आवश्यक विभिन्न मदों के उत्पादन/निर्माण और वितरण को विनियमित करने हेतु एक केबल टी. वी. प्राधिकरण की स्थापना का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) सरकार को हाल में, देश में केबल टी. वी. नेटवर्क की वृद्धि के बारे में जानकारी है। चूंकि इन नेटवर्कों की गति-

विधियों के विनियमन के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है और ये नेटवर्क आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं अतः सरकार ने देश में केबल टी. वी. नेटवर्कों और डिश एन्टीना प्रणालियों की स्थापना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए एक अंतर विभागीय समिति गठित की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ केबल टी.वी. के विनियमन के मामलों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय केबल प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। समिति की सिफारशें सरकार के विचाराधीन है।

आकाशवाणी के ट्रांसमीटर

5193. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के निर्माणाधीन ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन ट्रांसमीटरों का निर्माण किस तिथि तक पूरा करने का लक्ष्य है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) वर्तमान में, देश में 91 स्थानों पर आकाशवाणी ट्रांसमीटर स्थापित किये जा रहे हैं। 65 स्थानों पर सिविल कार्य पूरे कर लिये गए हैं। वर्ष 1992-93 में 67, 1993-94 में 16 और 1994-95 में 8 स्थानों पर परियोजनाओं को तकनीकी रूप से पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली का उत्पादन

5194. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या विद्युत और गैर-पराम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उत्पादित बिजली से अन्य राज्यों को कितने यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है;

(ख) अन्य राज्यों से बिहार को कितने यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है;

(ग) पूर्वी क्षेत्रों में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजना से बिहार को कितने यूनिट बिजली उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है और यह परियोजना कहां स्थापित की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में स्थित बिजली परियोजनाओं से राज्य को बिजली सप्लाई की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) बिहार द्वारा अपनी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति, उसके द्वारा उत्पादित बिजली, केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (पश्चिम बंगाल में अवस्थित) तथा चुखा जल विद्युत परियोजना (भूटान में अवस्थित) की विद्युत में हिस्से और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित हिस्से एवं पड़ोसी प्रणालियों से सहायता के माध्यम से की जाती है।

बिहार द्वारा केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों तथा पड़ौसी प्रणालियों से अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई विद्युत सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रणाली/विद्युत केन्द्र	प्राप्त की गई सहायता (मिलियन यूनिट में)
1. फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र/ चुखा जल विद्युत परियोजना	1835
2. दामोदर घाटी निगम	26
3. उत्तरी क्षेत्र	828
जोड़	2889

उपर्युक्त अवधि के दौरान, बिहार से अन्य राज्यों को किसी प्रकार की विद्युत की सप्लाई नहीं की गई। किसी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों की विद्युत में से संबंधित लाभभोगी राज्यों के हिस्से का निर्धारण, विद्युत में हिस्सेदारी संबंधी केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति

5195. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना लगभग 12 वर्षों से बेकार पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) विजयवाड़ा में विद्यमान ताप विद्युत केन्द्र में 210-210 मे० वा० की 4 यूनिटें हैं। इस ताप विद्युत केन्द्र को कोयले कीं सप्लाई हेतु दीर्घकालीक आधार पर सिंगरैनी कोलरीज (एस० सी० एल०) से लिंक किया गया है तथापि सिंगरैनी कोलरीज से कोयले का कम उत्पादन होने के कारण इस ताप विद्युत केन्द्र को आंशिक रूप से तलचेर कोयला क्षेत्रों तथा डब्ल्यू० सी० एल० के वर्धा कोयला क्षेत्रों से

लिंक किया गया है । इस विद्युत केन्द्र के लिए कोयला लिंकेज का ब्यौरा निम्नवत् है :

(आंकड़े 800 टन में)

क्र० सं०	स्रोत का नाम	लिंकेज
1.	सिंगरैनी (एस० सी० सी० एल०)	3065
2.	तलचेर (एस० ई० सी० एल०)	1275
3.	वर्धा (डब्ल्यू० सी० एल०)	170
	कुल	4480

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है और न ही अगस्त, 1991 तक कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में हानि की कोई सूचना दी गई है।

एयरबस 320 विमानों को शामिल किया जाना

5196. श्री अवज कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के पास पड़े सभी एयरबस 320 विमाननों को सेवा में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान किस-किस तारीख को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस वर्ष इंजीनियरों और पायलटों द्वारा धीरे काम करने नियम से कार्य करने तथा अन्य आन्दोलनकारी तरीके अपनाने के कारण पहले से ही शामिल किए जा चुके ऐसे अनेक विमानों को विमानशालाओं में खड़ा कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) विमान पंजीयन	सेवा में लगाने की तारीख
वी टी—ई पी ओ	20-5-90
वी ई—ई पी एच	17-6-90
वी टी—ई पी एम	25-6-90
वी टी—ई पी क्यू	26-6-90
वी टी—ई पी के	5-7-90
वी टी—ई पी पी	5-7-90

बी टी—ई पी जी	13-7-90
बी टी—ई पी जे	13-7-90
बी टी—ई पी ई	10-9-90
बी टी—ई पी एल	5-10-90
बी टी—ई पी आर	15-10-90
बी टी—ई पी एच	20-10-90
बी टी—ई पी आई	23-10-90
बी टी—ई पी टी	24-10-90
बी टी—ई पी एफ	25-12-90
बी टी—ई पी सी	22-4-91
बी टी—ई पी बी	22-11-91
बी टी—ई पी डी	5-2-92

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में डाकघर

5197. श्री भुवनचन्द्र खंडूरी : क्या संचार मंत्री 16 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 351 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक ग्राम सभा में डाकघर खोलने की नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में नए डाकघर खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नियमों के अन्तर्गत इन पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों की कुछ ग्राम सभाओं/ग्राम समूहों में डाकघर खोले जाने चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उन्हें खोलने का औचित्य हो और धनराशि उपलब्ध रहे :

क्रम सं०	पौड़ी जिला	चमोली जिला
1.	पालीग	सोनू
2.	प्रकोटा	मक्कीमुखियापी
3.	फलदा	सरता प्रस
4.	बढ़ोलू	ढंढुरा
5.	चौरीख	रोपा
6.	गढ़ारी	सिरखुली
7.	—	आखर
8.	—	जखतोली

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्युत की चोरी

5198. श्रीमती बासवाराजेश्वरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक बिजली बोर्ड को 1989 से अब तक विद्युत की चोरी के कारण 7.21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय बिजली बोर्ड ने राज्य में विद्युत की चोरी को कम करने हेतु कई उपाय सुझाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कुल पारेषण एवं वितरण हानियों में से विद्युत की चोरी के कारण होने वाली तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की अलग-अलग गणना कर पाना सम्भव नहीं है। तथापि, 1989-90 से 1991-92 (फरवरी 1992 तक) की अवधि के दौरान, कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा 207 संज्ञेय अपराधिक मामलों और 5045 गैर-संज्ञेय अपराधिक मामलों का पता लगाया गया है तथा 7.54 करोड़ रुपए की राशि की वसूली सम्बन्धी क्लेम किया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत की चोरी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक बिजली बोर्ड सहित सभी विद्युत यूटिलिटियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ/साथ ये शामिल हैं—बिजली मीटर, अंकित सील सहित टैम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में प्रतिष्ठापित किया जाना, सतर्कता दलों का गठन किया जाना, ऊर्जा की चोरी को रोकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की व्यवस्था करना।

गुजरात में डाक और तारघर

5199. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में जिलेवार चल रहे डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) गुजरात में, इस समय कार्य कर रहे डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार विवरण क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (ख) जी नहीं। तथापि, राज्य में डाक, टेलीफोन और तार सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में अभी तक 37 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और विभागीय उप डाकघर मन्जूर किए गए हैं। जहां तक टैली-फोन एक्सचेंजों का सम्बन्ध है, आठवीं योजना अवधि के दौरान स्विचन क्षमता में 7.9 लाख का इजाफा करने का प्रस्ताव है। अधिक से अधिक स्थानों विशेषकर ग्रामीण इलाकों में तार सुविधा भी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य हो।

विवरण-I

गुजरात में डाकघरों का जिलावार विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1.	जामनगर	386
2.	राजकोट	501
3.	सुरेन्द्रनगर	335
4.	भावनगर	470
5.	अमरेली	324
6.	जूनागढ़	538
7.	कच्छ	504
8,	बनासकांठा	434
9.	साबरकांठा	559
10.	मेहसाणा	567
11.	गांधीनगर	95
12.	अहमदाबाद	557

1	2	3
13.	खेडा	622
14.	पंचमहल	524
15.	वडोदरा	657
16.	भड़ोच	493
17.	सूरत	630
18.	वलसाड	540
19.	डांग	56
	कुल	8792

विवरण-II

29-2-92 की स्थिति के अनुसार गुजरात में तारघरों का जिलावार विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1.	अहमदाबाद	54
2.	बड़ौदा	84
3.	खेडा	171
4.	भड़ोच	91
5.	सूरत	111
6.	वलसाड	112
7.	पंचमहल	122
8.	अमरेली	104
9.	जामनगर	86
10.	जूनागढ़	181
11.	कच्छ	77
12.	राजकोट	211
13.	भावनगर	71
14.	मेहसाणा	146
15.	बनासकांठा	36

1	2	3
16.	साबरकांठा	92
17.	गांधी नगर	61
18.	सुरेन्द्र नगर	87
19.	अबहाडांग	3
20.	नागर वादर हवेली, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र	9
		1809

विवरण III

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार विवरण।

क्रम सं०	जिले का नाम एस एस ए	एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन
1.	अहमदाबाद (चंडीगढ़ सहित)	69	171914	161597
2.	अमरेली	36	5554	4900
3.	बनासकांठ	58	9692	8607
4.	भड़ौच	34	12908	11804
5.	भावनगर	55	18951	17056
6.	जामनगर	53	18135	16163
7.	जूनागढ़ (दीव सहित)	70	22411	20190
8.	खेड़ा (नाडियवड)	90	29551	26624
9.	कच्छ (भुज)	81	15721	13767
10.	मेहसाना	95	25485	22934
11.	पांचमहल (गोधरा)	47	8336	7530
12.	राजकोट	72	40597	37477

1	2	3	4	5
13.	साबरकांठा (हिम्मतनगर)	80	12928	11062
14.	सूरत	54	57331	52247
15.	सुरेन्द्रनगर	42	9210	8482
16.	वलसाड (डांग, दामन और सिलवसा सहित)	56	21298	17385
17.	वडोदरा	56	43611	35741
		1048	523642	473566

स्पंज लोहे का उत्पादन

5200. डा० सी० सिलवेरा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्पंज लोहे का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात गलित स्क्रैप के आयात को कम करने के लिए सरकार देश में स्पंज लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। 1988-89 में स्पंज लोहे के उत्पादन की स्थापित क्षमता 3 लाख टन थी जिसे बढ़ाकर पहले ही 14 लाख टन वार्षिक किया जा चुका है गैस पर और कोयले पर आधारित कई नए संयंत्र भी कार्यान्वयनाधीन है।

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के प्रति अपराध

5201. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली भ्रमण पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के प्रति अपराध करने/बेईमानी करने, उन्हें तंग करने, उनके सामान की चोरी और असुरक्षा एवं आटो रिक्शाओं आदि द्वारा अधिक किराया वसूल किये जाने आदि घटनाओं की जानकारी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी घटनायें हुई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जब कभी भी दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के प्रति हुए अपराध की किसी घटना की सूचना मिलती है तो कानून लागू करने वाले अभिकरण मामले में उपयुक्त कारंवाई करते हैं। वे इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए भी समुचित उपाय करते हैं। पर्यटक पुलिस बूथों की स्थापना की गई है और दिल्ली पुलिस ने राजधानी

के महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक पुलिस वाहन भी तैनात किए गए हैं। जब कभी भी पर्यटकों की शिकायतें मिलती हैं, तो पर्यटन विभाग उन्हें संबंधित अभिकरणों के साथ उठाता है।

डाक वस्तुओं की कमी

5202. श्री प्रफुल पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में डाक वस्तुओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में देश में सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि, इस संबंध में कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन औसत मांग के आधार पर पोस्टल काउंटरों में पर्याप्त स्टाक रखा जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अपर कृष्णा परियोजना

5203. श्री एच० डी० देवेगौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा परियोजना के चरण एक और दो के पूरा होने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ख) अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपर कृष्णा परियोजना सोपान-I एवं II (चरण-I) की नवीनतम अनुमानित लागत 1553.58 करोड़ रुपए हैं।

(ख) 3/91 तक 629.28 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई है तथा वर्ष 1991-92 के दौरान 107 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में अपर कृष्णा परियोजना को शामिल किया गया है। आठवीं योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वास्ते स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव आठवीं योजना नीति में शामिल नहीं किया गया है।

गणेश पर्व पर डाक-टिकट

5204. श्री अन्ना जोशी :

श्री राम नाईक : क्या संचारमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किये गये गणेश पर्व शताब्दी की स्मृति में एक विशेष डाक-टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) स्मारक/विशेष डाक-टिकट आदि जारी करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए एक फिलैटालिक सलाहकार शताब्दी के अवसर पर एक विशेष डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव इस समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

[हिन्दी]

मुम्बई और जलगांव के बीच विमान सेवा आरम्भ करना

5205. डा गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई और जलगांव के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वर्तमान स्थिति में, वायुदूत के लिए नए स्टेशन को हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

पटना में दूरदर्शन रिले केन्द्र

5206. श्री छेदी पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) वर्तमान में, पटना में एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है और इसकी क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में पटना में कार्यरत अस्थायी दूरदर्शन स्टुडियो सेट-अप स्थापित करने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

अपर थंगा परियोजना

5207. श्री ओस्कार फर्नान्डीज :

श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तकनीकि-आर्थिक मूल्यांकन के लिए कर्नाटक सरकार से संशोधित अपर थंगा परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) 379.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की संशोधित अपर थंगा परियोजना रिपोर्ट जिसमें 94,698 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है, हाल ही में फरवरी, 1992 में प्राप्त हुई है विद्यमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण स्वयं राज्य-सरकारों द्वारा अपने योजना गत संसाधनों मेंसे किया जाता है।

गैर परम्परागत ऊर्जा की प्राप्ति

5208. श्री अमल दत्त : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा की प्राप्ति के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ऊर्जा की प्रति यूनिट पर पूंजीगत लागत तथा संचालन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-परम्परागत ऊर्जा के विस्तार के लिए बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए, देश में नए तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के सम्बन्ध में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा प्रसार के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों के अलावा, विभिन्नि राज्य सरकारों और कार्यान्वयन अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों के कार्यान्वियन की स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/नोडल अभिकरणों तथा अनुसंधान संगठनों की सहायता तथा प्रयासों से अधिकांश नए तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियां तथा युक्तियां अधिकाधिक लोकप्रिय तथा लागत प्रभावी होती जा रही हैं पारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों की तुलना में इनमें कुछ प्रणालियों में पूंजीगत लागत स्पष्ट: अधिक प्रतीत होती है। तथापि, समाज को लागत तथा पर्यावरण सम्बन्धी कुल लागत के साथ ए समीक्षात्मक सामाजिक-आर्थिक लागत विश्लेषण से मालूम होगा जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागतें मिलाकर भी शामिल हैं, अधिकांश अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां तथा युक्तियां दीर्घकाल में लागत प्रभावी साबित हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में, जहां प्रौद्योगिकी का विकास

किया जा रहा है, यह लागत प्रभावी हो सकती है यदि भविष्य में दीर्घावधि में कुछ पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता उनकी समाप्ति की सीमा के निकट पहुंच जाती है।

नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे धूप, वायु तथा जल निःशुल्क होने के कारण, ईंधन के प्रति इनकी लागत साधारणतया नगण्य होती है। तथापि, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रणालियां खुले वातावरण में लगाई जाती हैं इसलिए इनके लिए उचित तथा पर्याप्त अनुरक्षण व्यवस्था करनी आवश्यक है।

(ग) विभिन्न प्रकार के केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए सरकार नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास, उत्पादन तथा व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा प्रसार सम्बन्धी कार्य शुरू किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रणालियों तथा युक्तियों के विनिर्माण स्थापना और अनुरक्षण के लिए देशव्यापी अवसंरचना विकसित हो गई है। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के दोहन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता, आसान शर्तों पर ऋण और मूल्याह्रास छूट बिक्रीकर, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में राहत के संबंध में राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे प्रयोक्ताओं और विनिर्माताओं को दिए जाते हैं। इसके अलावा, प्रचार और जागरूकता पैदा करने सम्बन्धी अभियान भी शुरू किया जा रहा है।

विवरण-V

विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के सम्बन्ध में हुई प्रगति

क्र० सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31-12-91 तक
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र)	संख्या, लाख में	14.90
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	संख्या	750
3.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	संख्या, लाख में	113.05
4.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	संग्राहक क्षेत्र (वर्ग-मीटर में) (में '000)	190
5.	सौर कुकर	संख्या, 000 में)	201
6.	प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां उपलब्ध कराए गए गांव	संख्या	8050
7.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	संख्या	1181
8.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	के. डब्ल्यू. पी	601.2
9.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टेलीविजन और सामुदायिक संविधाएं	संख्या	938
10.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	5050

1	2	3	4
11.	पवन पम्प	संख्या	2756
12.	पवन फार्म	मे.वा.	39
13.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे.वा.	79.35
14.	ऊर्जाग्राम सर्वेक्षण	संख्या	1385
15.	ऊर्जाग्राम परियोजनाएं	संख्या	153
16.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हैक्टेयर	17165
17.	बायोगैस गैसीफायर	संख्या	760
18.	बायोमास स्टर्लिंग इंजिन	संख्या	100

कर्नाटक में एस० टी० डी० सुविधा वाले पर्यटक स्थल

5209. श्री जी० मादे गौडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के उन पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान जिन पर्यटन स्थलों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) कर्नाटक के उन पर्यटक स्थलों के नाम जहां एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं :—

(1) मैसूर (2) बेंगलूर (3) मूडाबीदरी (4) नंदीहिल (5) श्रीरंगपट्टन (6) गोहर (7) मडीकेरी (8) बनावसी (9) मंडागुड्डे (10) गवग (11) मोसलेहोसहल्ली (12) टी० बी० बांध (मुनीराबाद) (13) उनकल (एच०बी०एल० स्थानीय)।

(ख) जिन पर्यटक स्थलों में 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. बिलगी 2. अलमट्टी 3. बोकापुर 4. कनकगिरी 5. बादामी 6. कमलापुर (हम्पी) 7. बेलूर 8. हलेबिडू 9. श्रवणबेलगोला 10. तालकाड 11. गुंडलूपेट 12. होन्नावर 13. कुनगुंड 14 के०आर० सागर 15. जोग फाल्स 16. हंगल 17. गब्बूर 18. अनेगुंडी 19. गणेशनगुंडी 20. अंबिकानगर 21. मद्दूर ।

दिल्ली से गुड़गांव के लिए स्थानीय टेलीफोन

5210. श्री राव राम सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ से दिल्ली के लिए स्थानीय टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था की है;

(ख) क्या सरकार का इस सुविधा को गुड़गांव के लिए भी बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) ऐतिहासिक कारणों से फरीदाबाद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच को जाने वाली कालें यूनिट फीस आधार पर हैं जिनका समय मीटर में दर्ज नहीं किया जाता।

(ख) से (घ) आस-पास के क्षेत्रों में नगरों और परिधीय एक्सचेंज के बीच की जाने वाली कालों के प्रभार को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह गुड़गांव तथा साथ ही फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ पर भी लागू होगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

5211. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने 1991-92 में इस्पात का कितना उत्पादन किया;

(ख) इसमें से स्वदेशी बाजार में कितना इस्पात उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) वर्ष 1991-92 में कितना इस्पात निर्यात किया गया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० "सेल" ने 72.5 लाख टन बिक्रेय इस्पात का उत्पादन किया।

(ख) अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान "सेल" ने 57.7 लाख टन उत्तम इस्पात की बिक्री की।

(ग) अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान "सेल" ने 1.57 लाख टन मृदु इस्पात का निर्यात किया।

[हिन्दी]

धनबाद, बिहार में टेलीफोन बिल

5212. **श्री रामदेव राम :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान धनबाद जिले के कितने टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन के बढ़े हुए बिल प्राप्त करने के बारे में शिकायतें की हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रयोक्ताओं को विभाग ने रियायत दी है और इसका मानदण्ड क्या है; और

(ग) विभाग ने कितने प्रयोक्ताओं को यह रियायत देने से मना कर दिया है और इसके लिए मानदण्ड क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

धनबाद में अधिक राशि के बिलों के सम्बन्ध में शिकायत करने वाले प्रयोक्ताओं की रियायत के मामलों की तथा रियायत नहीं दिए जाने वाले मामलों की संख्या इस प्रकार है

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	गत वर्ष से आगे लाए	कुल शिकायतें	दी गई रियायत	रियायत नहीं दी गई	निपटाए गए कुल मामले	अन्तिम शेष अगले वर्ष में अंतरित किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1988-89	436	—	436	50	132	182	254
1989-90	426	254	680	137	73	210	470
1990-91	1970	470	2440	67	2277	2344	96

तकनीकी रिपोर्ट, मीटर रीडिंग में वृद्धि तथा प्रयोक्ता के काम करने के तरीके के आधार पर रियायत देने/न देने के बारे में निर्णय किया जाता है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

5213. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने घोषणा की है कि 1981 की जनगणना के अनुसार मार्च, 1989 के अन्त समग्र राज्य में शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर विद्युतीकृत गांवों की सं० 39,106 बैठती है।

अलीगढ़ में आकाशवाणी केन्द्र

5214. श्रीमती शीला गौतम :

डा० लाल बहादुर रावल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां । वर्तमान में, अलीगढ़ में एक रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मार्च, 1994 तक इसके तकनीकी रूप से तैयार हो जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम

5215. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम देश में सभी दूरदर्शन केन्द्रों से समान रूप से प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के किन-किन केन्द्रों से इन नेटवर्क में हिंदी समाचार प्रसारित नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास रात्रि 8.40 बजे, हिंदी में 'राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित नहीं करता। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर ही अपवाद स्वरूप ऐसा किया गया ।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम की इकाइयों का निजीकरण न किया जाना

5216. **श्री कृष्णलाल शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के उन एककों का ब्यौरा क्या है जिनका सरकार के निर्णयानुसार निजीकरण नहीं किया जाएगा; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और सरकार को इन एककों से प्रत्येक वर्ष कितनी आय होने की आशा है ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार ने एक स्कीम तैयार की है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाये जाएंगे ताकि विदेशी होटल श्रृंखलाओं के साथ उनका संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके । प्रथमतः चार-चार होटलों के दो समूह इस प्रकार विकसित करने का प्रस्ताव है । तथापि, इस मामले को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

राजस्थान में विमान सेवा

5217. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहारा इण्डिया कम्पनी से राजस्थान में विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सहारा इंडिया द्वारा किन-किन स्थानों पर विमान सेवा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सहारा इण्डिया को अभी हवाई टेक्सी प्रचालक परमिट प्राप्त करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत में अनुसूचित परिचालनों के लिए उपलब्ध सभी हवाई अड्डों पर विमान सेवाओं की अनुमति है।

[अनुवाद]

नेपाल फिल्मों का प्रसारण

5218. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क में क्षेत्रीय भाषाओं में डाकुमेंट्री और फीचर फिल्मों का प्रसारण करता है;

(ख) क्या सरकार को देश के नेपाली भाषा लोगों से नेपाली फिल्म के प्रसारण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या कुछ निर्माताओं ने इस प्रसारण के लिए अपनी फिल्मों का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी नेपाली फिल्में प्रसारित की गई और भविष्य में कितनी फिल्मों के प्रसारण का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) इस अवधि के दौरान दूरदर्शन से 6 नेपाली फिल्में दिखाई गई। भविष्य में और नेपाली फिल्मों का दिखाया जाना, प्रस्तावित की जाने वाली फिल्मों का प्रसारण हेतु उपयुक्त पाया जाना, दूरदर्शन की समग्र कार्यक्रम अपेक्षाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

40 किलोमीटर की परिधि में स्थानीय टेलीफोन सुविधा

5219. श्री येल्लैया नंदी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य की राजधानी से 40 किलोमीटर की परिधि के अन्दर वाले क्षेत्रों तक स्थानीय टेलीफोन सुविधा का विस्तार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राजधानियों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(घ) किन-किन शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यह सुविधा हैदराबाद सहित सभी शहरों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। स्थानीय काल की सुविधा किसी टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली तक ही सीमित है। किसी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र से बाहर की गई कालों पर लम्बी दूरी के टैरिफ के आधार पर प्रभार लिया जाता है। तथापि, विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे दो एक्सचेंजों के बीच, जिनकी दूरी 20 किलोमीटर से अधिक न हो, उपभोक्ता द्वारा डायल की जाने वाली लंबी दूरी की कालों के प्रभार स्थानीय कालों के समान ही हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में दूरसंचार सुविधाएं

5220. **श्री पी० जी० नारायणन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर टेलेक्स, टेलीफोन और फैक्स सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) अधिकांश महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर टेलेक्स और टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। जहां तक फैक्स सुविधा का सम्बन्ध है कोई भी उपभोक्ता अपनी फैक्स मशीन का प्रयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मसौदे का उद्देश्य, इस योजना अवधि के अन्त तक सभी पर्यटन स्थानों में, मांग होने पर, टेलीफोन और टेलेक्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

विवरण

तमिलनाडु में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर टेलेक्स, टेलीफोन और फैक्स की सुविधा

क्रम सं०	स्थान का नाम	टेलीफोन सुविधा	टेलेक्स सुविधा
1.	रामेश्वरम	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
2.	कांचीपुरम	उपलब्ध है	उपलब्ध है
3.	कोडाईकनाल	उपलब्ध है	उपलब्ध है
4.	चिदाम्बरम	उपलब्ध है	उपलब्ध है
5.	कन्याकुमारी	उपलब्ध है	उपलब्ध है
6.	वेदांथगल	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
7.	मदुरई	उपलब्ध है	उपलब्ध है

1	2	3	4
8.	महाबलिपुरम	उपलब्ध है	उपलब्ध है
9.	ऊटी	उपलब्ध है	उपलब्ध है
10.	त्रिची	उपलब्ध है	उपलब्ध है
11.	तंजावुर	उपलब्ध है	उपलब्ध है
12.	पूमफुहार	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
13.	कोर्यालिम (तेनकासी के निकट)	उपलब्ध है	उपलब्ध है
14.	ओगेनक्काल	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं है
15.	येर · ाड	उपलब्ध है	उपलब्ध है
16.	तिरूवनामलाई	उपलब्ध है	उपलब्ध है

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5221. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) (i) 1992-93 के दौरान जिन वर्तमान एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ii) नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उन स्थानों पर संस्थापित किए जायेंगे जहां कि दस अथवा इससे अधिक व्यक्तियों की रजिस्टर्ड मांग दर्ज हो और संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान जिलेवार जिन वर्तमान एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है, उसके ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1.	इलाहाबाद	04
2.	आगरा	09
3.	अलीगढ़	26
4.	अल्मोड़ा	16

1	2	3
5.	आजमगढ़	15
6.	बरेली	14
7.	बहराइच	13
8.	बांदा	06
9.	बाराबंकी	11
10.	बस्ती	11
11.	सिद्धार्थ नगर	06
12.	बिजनौर	29
13	बदायूं	17
14.	बुलन्दशहर	07
15.	चमोली	04
16.	देहरादून	10
17.	देवरिया	17
18.	एटा	18
19.	इटावा	05
20	फैजाबाद	20
21.	फतेहपुर	03
22.	फर्रुखाबाद	07
23.	फिरोजाबाद	07
24.	गाजीपुर	16
25.	गाजियाबाद	06
26.	गोरखपुर	01
27.	गोंडा	13
28.	हरिद्वार	06
29.	हरदोई	09
30.	हमीरपुर	08
31.	जौनपुर	14

1	2	3
32.	जालौन	03
33.	झांसी	06
34.	लखीमपुर	27
35.	ललितपुर	02
36.	महाराजगंज	02
37.	मऊनाथ भंजन	07
38.	मैनपुरी	04
39.	लखनऊ	03
40.	मथुरा	13
41	मिर्जापुर	12
42.	मुरादाबाद	20
43.	मेरठ	04
44.	मुजफ्फरनगर	12
45.	नैनीताल	30
46.	कानपुर (ग्रामीण)	02
47.	पौढ़ी	07
46.	प्रतापगढ़	06
49.	पीलीभीत	10
50.	पिथौरागढ़	09
51.	रायबरेली	07
52.	रामपुर	07
53.	सहारनपुर	05
54.	शाहजहांपुर	12
55.	सीतापुर	06
56.	सोनभद्र	06
57.	टिहरी गढ़वाल	10
58.	उन्नाव	07
59.	उत्तरकाशी	03
60.	वाराणसी	13

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में ताप विद्युत केन्द्र

5222. श्री एन० डेनिस : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कन्याकुमारी में ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पायलट

5223. श्री राम विलास पासवान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय चलाए जा रहे इन संस्थाओं के स्थान-वार, नाम क्या हैं, प्रशिक्षण की अवधि कितनी है तथा इसमें से प्रत्येक संस्था द्वारा अब तक कितने पायलट प्रशिक्षित किए गए हैं और इन प्रशिक्षित पायलटों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पायलटों की संख्या कितनी है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया इत्यादि में पायलटों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पायलटों की संख्या इस समय, अलग-अलग कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) विमानचालकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ), फुरसतगंज (उत्तर-प्रदेश) और संलग्न विवरण में उल्लिखित देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 उड़ान क्लबों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । विमानचालक प्रशिक्षण के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है । सहायता प्राप्त उड़ान का उपयोग करने वाले किसी भी छात्र को अधिक से अधिक 3 वर्षों में निजी विमानचालक लाइसेंस प्रशिक्षण पूरा करना होता है । इग्रुआ में वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण की अवधि 18 महीने है । इग्रुआ में प्रशिक्षित विमानचालकों की कुल संख्या 188 है जिनमें से सात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के है । उड़ान क्लबों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(ग) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	विमान चालकों कुल सं०	अनुसूचित जाति श्रेणी के विमान चालक	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विमान चालक
इंडियन एयरलाइंस	608	23	4
एयर इंडिया	343	11	—
वायुदूत	141	01	02

विवरण

1. आंध्र प्रदेश उड़ान क्लब, हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद-500011.
2. बम्बई उड़ान क्लब, जुहू विमान क्षेत्र, पश्चिमी सांताक्रूज, बम्बई-49
3. गुजरात उड़ान क्लब, सिविल विमान क्षेत्र, हार्नी रोड़, बड़ौदा-390006.
4. मध्यप्रदेश उड़ान क्लब लि०, सिविल विमान क्षेत्र इन्दोर-453005
5. मद्रास उड़ान क्लब लि०, सिविल हवाई अड्डा, मद्रास हवाई अड्डा, पी० ओ० मद्रास-27
6. दिल्ली उड़ान क्लब लि०, सफदरगंज हवाई अड्डा, नई दिल्ली-3
7. कोयम्बतूर उड़ान क्लब लि०, सिविल विमान क्षेत्र, पी० ओ० कोयम्बतूर-641014.
8. केरल विमानन ट्रेनिंग सेंटर, सिविल विमान क्षेत्र, पीताह पी० ओ० त्रिवेन्द्रम-695024
9. वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग व उड़ान क्लब, वनस्थली विद्यापीठ-304022 (राज०)
10. नागपुर उड़ान क्लब, सोनगांव विमान क्षेत्र, नागपुर-440005
11. जमशेदपुर सहकारी उड़ान क्लब लि०, सोनारी विमान क्षेत्र, जमशेदपुर-831011 (बिहार)
12. लुधियाना विमानन क्लब, सिविल विमान क्षेत्र, पी० ओ० साहेनावाल (लुधियाना)
13. अमृतसर विमानन क्लब, सिविल हवाई अड्डा, पी० ओ० राजासांसी, अमृतसर-143101
14. उत्तर भारत उड़ान क्लब, जालन्धर कैंट-143005
15. पटियाला विमानन क्लब, सिविल विमान क्षेत्र, पटियाला-147001
16. हिसार विमानन क्लब, हिसार (हरियाणा)
17. करनाल विमानन क्लब, करनाल-132001
18. असम उड़ान क्लब लि०, जी० एस० रोड, गुवाहाटी-784007
19. पिंजौर विमानन क्लब, सिविल विमान क्षेत्र, पिंजौर (हरियाणा)
20. राजस्थान स्टेट उड़ान स्कूल, जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर 302011
21. गवर्नमेंट उड़ान ट्रेनिंग स्कूल, जाकर विमान क्षेत्र, बंगलौर-560064
22. बिहार उड़ान संस्थान, सिविल विमान क्षेत्र पटना।

1	2

23. गवर्नमेंट उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, बिहाला, कलकत्ता-700060

24. गवर्नमेंट विमान प्रशिक्षण संस्थान, सिविल विमान क्षेत्र, भुबनेश्वर।

25. स्टेट सिविल विमानन उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट उड़ान ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ हवाई अड्डा लखनऊ।

26. अण्डमान व निकोबार उड़ान ट्रेनिंग संस्थान, लांबालाइन एयरपोर्ट, पोर्टब्लेयर (अंडमान)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्पंज लौह कारखाना स्थापित करना

5224. **श्री भवानी लाल वर्मा :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में अब तक कितने स्पंज लौह संयंत्र स्थापित किए गए हैं,

(ख) क्या सरकार के पास वहां आठवीं योजना के दौरान स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र की सात स्पंज लौह परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जिनमें आठवीं योजना के दौरान उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है। इनमें से एक आंशिक रूप से चालू कर ली गई है।

[अनुवाद]

सभी धर्मों की शिक्षा को दूरदर्शन पर प्रसारण

5225. **श्री पी० एम० सईद :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर सभी धर्मों की शिक्षा को प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि सभी धर्मों की गूढ़ सांस्कृतिक दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय-वस्तु से तैयार किए गए उच्च कोटि के कार्यक्रमों को दिखाया जाए।

विमानों की संचालन क्षमता

5226. **श्री अम्बारासु इरा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विमान देरी से पहुंचते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संचालन क्षमता में सुधार करने हेतु उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर सरकारी क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं

5227. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में गैर-सरकारी कम्पनियों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) प्रमुख पूंजी प्रधान बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन प्रणाली के अनुरक्षण का कार्य और तीसरे स्तर पर जल का वितरण तथा जल दरों की वसूली का कार्य जल प्रयोगकर्ता संघों और सहकारी समितियों को सौंपने का प्रस्ताव है ।

इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के लिए गैर-सरकारी इक्विटी धारिता

5228. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए गैर-सरकारी इक्विटी धारिता के सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1992 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारीकरण के कार्य को अन्तिम रूप देते समय चिरिया पहाड़ी में विद्यमान लौह अयस्क के व्यापक भंडार को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1991 में बर्नपुर स्टील वर्क्स के आधुनिकीकरण प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इस्पात मंत्रालय को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) में गैर-सरकारी भागीदारी की संभावनाओं का पूरी तरह से पता लगाने का निदेश दिया था । स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एस० बी० आई० केपिटल मार्किटस लि० को संलग्न किया है । उनकी रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है । रिपोर्ट की जांच करने के बाद सरकार को उचित सिफारिशें की जाएंगी ।

(ग) और (घ) "सेल" ने चिरिया लौह अयस्क निक्षेप को इस्को में गैर सरकारी भागीदारी की संभावनाओं को पता लगाने के चल रहे कार्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है ।

[हिन्दी]

कहलगांव विद्युत परियोजना

5229. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कहलगांव विद्युत परियोजना के समय पर न होने के कारण करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी;

(ग) उक्त परियोजना के अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क] किसी भी परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि तथा ठेके की शर्तों एवं सामग्री के सप्लाई के स्रोत पर निर्भर करते हुए विलम्ब की अवधि के लिए विनिमय दर में भिन्नता हो सकती है। सप्लाई में विलम्ब, प्रमुख विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा भारतीय रुपए की विनिमय दर में भिन्नता, सप्लाई/कार्य का हिस्सा जो कि पूरे नहीं किए गए हैं, के बारे में मूल्य वृद्धि के कारण कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (4 × 210 मे०वा०) का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।

(ख) परियोजना को पूरा करने की प्रारंभिक समय-सूची की अवधि जनवरी, 1993 थी। यह जुलाई, 1987 (मुख्य संयंत्र ठेके के लिए मं० टैक्नोप्रोमक्सपोर्ट, यू०एस०एस०आर० के साथ हस्ताक्षर करने की तारीख) से पहले यूनिट को 48 महीनों के अन्दर चालू किए जाने तथा अनुवर्ती यूनिटों को तत्पश्चात 6-6 महीनों के अन्तराल से चालू किए जाने की समय-सूची पर आधारित थी।

(ग) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) तत्कालीन यू०एस०एस०आर० से सप्लाई में विलम्ब।

(2) क्रमिक रूप से सप्लाई का न किया जाना।

(3) औद्योगिक सम्बन्ध की समस्याएं।

(घ) अब परियोजना को 1994 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

1991-92 के दौरान लद्दाख का भ्रमण करने वाले पर्यटक

5230. श्री गुरुदास कामत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में लद्दाख प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991-92 में कितने पर्यटकों ने लद्दाख का भ्रमण किया;

(घ) क्या सरकार का विचार लद्दाख के भ्रमण के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) लद्दाख पर्यटकों में बहुत अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तथापि, सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) कुल्लु-मनाली-लेह मार्ग के विकास के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके कदम उठाए जा रहे हैं।

भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ गहरे सागर में मछली पकड़ने का संयुक्त उद्यम

5231. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री हरि किशोर सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ गहरे सागर में मछली पकड़ने का संयुक्त उद्यम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा कुछ शर्तें रखे जाने के कारण प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार नई सोवियत व्यवस्था के साथ यह मामला उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भूतपूर्व सोवियत संघ के देशों की कम्पनियों और संगठनों के साथ गहन समुद्री मात्स्यिकी में चार संयुक्त उद्यम चलाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर बिहार में विद्युत सप्लाई

5232. श्री शिवशरण सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बिहार में विद्युत सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस क्षेत्र को देश में सबसे कम विद्युत सप्लाई मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल, 91 — फरवरी, 92 के दौरान बिहार में 6815 मि० यू० ऊर्जा की आवश्यकता की तुलना में 4789 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी जो कि 29.7 कमी का द्योतक है। बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई करना राज्य की वितरण प्रणाली के अधीन होता है और यह कार्य राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है। इस राज्य को पूर्वी क्षेत्र से इसके देय हिस्से की विद्युत उपलब्ध कराई जाती है तथा विशेष मामले के रूप में उत्तरी क्षेत्र से भी सहायता प्रदान की जाती है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न अन्य उपायों में, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध की व्यवस्था करना और ऊर्जा संरक्षण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में संतरा-रस प्रसंस्करण संयंत्र

5233. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने संतरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं और कहां-कहां पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त संयंत्रों में कोई रुग्ण एकक भी है और यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों को पुन: जीवित करने के लिए सरकार ने क्या सहायता की है;

(ग) क्या किसी संयंत्र ने अपने किसी उत्पाद का निर्यात किया और यदि हां, उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(घ) क्या उक्त संयंत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार ने इनको प्रोत्साहन या सहायता दी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर 12 संतरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित हैं। उनके रुग्ण होने की सूचना नहीं दी गई है। इनमें से किसी भी संयंत्र द्वारा संतरा-उत्पादों के निर्यात की सूचना नहीं दी गई है। इन संयंत्रों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से बिक्री बढ़ाने हेतु किसी भी सहायता के लिए इस मन्त्रालय में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विभिन्न नदियों में जल-उपलब्धता

5234. श्री डी० पंडियन : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापती नदियों से जल के औसत टी० एम० सी० बहाव के आधार पर कितना जल उपलब्ध है;

(ख) इन नदियों का कितना प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है; और

(ग) कितना प्रतिशत पानी सागर में बहता है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय नदियों से उपलब्ध जल के लगभग 16.75 प्रतिशत जल का सिंचाई के प्रयोजन के वास्ते उपयोग किया जा रहा है। तथापि उपयोज्य सतही जल संसाधनों में से सतही जल के उपयोग का प्रतिशत लगभग 44.93 है।

(ग) सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों तथा वार्षिक प्रत्यर्पणीय भूजल पुनर्भरण के लिए उपलब्ध जल के उपयोग के पश्चात वाष्पीकरण और वानस्पतिक हानियों के बाद शेष जल समुद्र में बह जाता है।

विवरण

विभिन्न नदियों में जल की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नदी का नाम	औसत वार्षिक प्रवाह टी०एम०सी० में	अनुमानित उपराज्य प्रवाह (भूजल के अलावा) टी०एम०सी० में
1.	गंगा	18542	0,829
2.	महानदी	2362	1,768
3.	गोदावरी	4202	2,695
4.	कृष्णा	2394	2,048
5.	कावेरी	754	671
6.	नर्मदा	1458	1,218
7.	ताप्ती	649	512

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक तथा तारघर

5235. श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कार्यरत डाक तथा तारघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तारघर की सुविधा प्राप्त करने के लिए लोगों को दस-दस मील दूर जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का अगले वित्त वर्ष में भारी संख्या में डाक तथा तारघरों की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे डाकघरों और तारघरों का जिलावार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण (क) और (ख) में दिया गया है।

(ख) जी हां। कुछ मामलों में।

(ग) जी हां।

(घ) तारघर

व्यवहार्य होने पर अधिकांशतया ग्राम पंचायत वाले गांव में।

डाकघर

मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम बता पाना व्यवहार्य नहीं है, जहां डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है क्योंकि वर्ष 1992-93 के वार्षिक योजना लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-क

दिनांक 31-12-91 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में डाक नेटवर्क के जिलेवार सांख्यिकीय आंकड़े।

जिला	प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		योग
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भोपाल	3	53	3	2	—	10	57	120
रायपुर	1	43	19	—	—	4	513	580
बिलासपुर	2	49	26	—	—	2	564	643
ग्वालियर	2	39	4	1	—	14	229	189
दतिया	—	4	4	—	—	—	90	98
जबलपुर	2	772	14	3	1	9	287	388
जगदलपुर	2	12	34	—	—	4	503	545
मंदसौर	2	29	14	3	4	2	258	312
होशंगाबाद	1	22	8	—	4	3	205	243
नरसिंहपुर	1	10	8	—	—	11	162	182
बेंहिल	1	10	13	—	—	—	192	216
छिंदवाड़ा	1	13	15	—	—	—	232	261
भिंड	1	13	9	—	1	1	227	252
मुरैना	1	17	4	—	1	2	218	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छतरपुर	1	17	7	—	1	1	186	213
पन्ना	—	8	5	—	1	--	135	149
टीकमगढ़	1	12	6	—	—	—	158	177
सागर	1	28	9	1	1	2	156	190
दमोह	1	9	9	—	1	2	158	180
दुर्ग	2	44	8	—	—	8	263	325
राजनांदगांव	1	6	14	—	—	—	193	214
खंडवा	1	25	8	—	2	4	180	220
खरगोन	1	16	14	—	10	—	251	292
गुना	1	15	8	1	1	—	162	188
शिवपुर	1	11	8	—	5	1	197	223
रतलाम	1	22	4	3	5	1	129	165
झाबुआ	1	7	4	—	—	—	146	158
बालाघाट	1	11	14	—	—	1	197	224
मांडला	1	4	10	—	—	—	191	206
सिओनी	1	12	7	—	—	—	170	190
रायगढ़	1	11	19	—	—	1	379	411
अम्बिकापुर	1	7	24	—	—	—	231	263
विदिशा	1	12	6	—	2	—	138	159
रायसेन	1	6	9	2	3	—	175	196
सिहोर	1	14	7	8	—	4	132	167
रायगढ़	1	11	6	1	3	—	141	163
रीवा	1	20	15	—	—	2	281	319
सतना	1	16	9	2	1	1	247	276
शहडोल	1	26	5	—	—	12	256	300
सिधि	1	12	8	—	—	—	172	193
उज्जैन	1	30	7	9	—	5	147	199
शाहजहांपुर	1	12	10	1	1	+	153	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9
देवास	1	5	12	1	—	1	147	167
धार	1	5	9	—	11	—	161	187
इन्दौर	2	56	2	—	2	3	103	168
योग	52	876	459	38	60	101	9382	10968

विवरण-ख

29-2-1992 के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे तारघरों का जिलेवार विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	तार कार्यालय
1.	भोपाल	92
2.	बिलासपुर	303
3.	बस्तर	99
4.	बेतुल	107
5.	भिंड	97
6.	बालाघाट	149
7.	छतरपुर	110
8.	छिंदवाड़ा	170
9.	दमोह	94
10.	दतिया	68
11.	देवास	117
12.	धार	141
13.	दुर्ग	122
14.	गूना	124
15.	ग्वालियर	140
16.	होशंगाबाद	155
17.	इन्दौर	114
18.	जबलपुर	187
19.	झाबुआ	96

1	2	3
20.	खंडवा	155
21.	खरगोन	182
22.	मांडला	136
23.	मंदसौर	178
24.	मुरैना	200
25.	नरसिंहपुर	82
26.	पन्ना	55
27.	रायगढ़	199
28.	रायपुर	340
29.	रायसेन	137
30.	राजनंदगांव	119
31.	रतलाम	123
32.	राजगढ़	138
33.	रीवा	123
34.	सागर	199
35.	सरगुजा	125
36.	सतना	113
37.	सिहोर	92
38.	सीवनी	103
39.	शहडोल	137
40.	शाजापुर	151
41.	शिवपुरी	106
42.	सिधि	89
43.	टीकमगढ़	102
44.	उज्जैन	180
45.	विदिशा	136

[अनुवाद]

भूजल की खोज

5236. श्री छीतू भाई गामीत :

श्री अनादि चरण दास : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदन अध्ययनों के प्रयोग से तैयार किए गए भूजल वैज्ञानिक तथा रेखा मानचित्रों से देश में भूजल की खोज में कोई सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, विशेषकर उड़ीसा तथा गुजरात में यह कहां तक सफल रहा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने मुख्य रूप से सिंचाई उद्देश्यों के लिए दूरस्थ संवेदन, भूभौतिकीय और जल भूवैज्ञानिक अध्ययन द्वारा गुजरात में 14 अन्वेषणात्मक कुएं और उड़ीसा मे 142 अन्वेषणात्मक कुएं ड्रिल किए गए हैं । इनमें से गुजरात में 8 कुएं तथा उड़ीसा में 105 कुएं सफल रहे हैं, यह सफलता क्रमश: 57 से 74% रही है ।

[हिन्दी]

अस्पतालों में निःशुल्क टेलीफोन सुविधा

5237. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार ने अस्पतालों में निःशुल्क टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ;

(ख) यदि हां, तो उन अस्पताओं के नाम क्या है जहां पर यह सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के सभी अस्पतालों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) (क) शहरों के सभी बड़े अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में जहां आपातकालीन रोगियों की भर्ती किया जाता है, स्थानीय कालों के लिए निःशुल्क टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी अनुदेश अगस्त, 1991 में जारी किए गए थे ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

कालीकट और शारजाह के बीच विमान सेवा

5238. श्री शिबू सोरेन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस कालीकट और शारजाह के बीच विमान सेवा प्रारम्भ कर रहा है।

(ख) यदि, हां तो यह विमान सेवा कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है और क्या कालीकट विमानपत्तन का रनवे बड़े विमानों के उतरने तथा उनके उड़ान भरने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयर-लाइंस ने 15 फरवरी, 1992 से सप्ताह में तीन बार की सेवाएं शुरू की हैं। कालीकट धावनपथ बड़े आकार के विमानों के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। निषेधक लागत के कारण इसका उन्नयन करना सम्भव नहीं है।

सतारा जिले में हवाई अड्डे का विकास

5239. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सतारा जनपद में एक हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्रांस के सहयोग से फिल्में

5240. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के सहयोग से फिल्मों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी फिल्मों को यूरोपीय बाजार में दिखाया जायेगा;

(ग) क्या इससे अर्जित लाभ विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आयेगा; और

(घ) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। यह सही है कि भारत सरकार ने 13-12-91 को फ्रांस सिनेमा डिफ्यूजन और भारतीय प्रवर्तक श्री राकेश खन्ना के संयुक्त उद्यम का अनुमोदन किया है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. भारत और अन्य परस्पर सहमत देशों में फ्रैंच फिल्मों का आयात और वितरण;
2. सिनेमा थियेटरों, गैलरी, वीडियो, टेलीविजन, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों और अन्य वैध माध्यमों के जरिए फ्रैंच फिल्मों को बढ़ावा देना;
3. फिल्मों का निर्माण और सह-निर्माण और उन्हें बढ़ावा देना;
4. भारतीय फिल्मों को विदेशों में विशेष तथा गैर-पारंपरिक बाजारों में बढ़ावा देना;

5. फ्रांस में, फिल्म निर्माण के विविध आयामों के अध्ययन के लिए भारतीय विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में मदद करना। यह छात्रवृत्ति फ्रांस सरकार या इसकी एजेंसियों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों के अलावा होगी।

6. भारत में चुने हुए थियेटरों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद करना और इसके लिए धन लगाना और ऐसा करने में फ्रैंच विशेषज्ञों की उपलब्धता जुटाना;

7. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे में उपयुक्त फ्रैंच विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था में मदद करना;

8 सिनेमा प्रौद्योगिकी निर्माण, वितरण और प्रदर्शन के क्षेत्र में फ्रैंच और भारतीय फिल्म उद्योग के बीच सहयोग और सहकार को बढ़ावा देना और

9. अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना।

इस संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत, फ्रैंच सिनेमा डिफ्यूजन या इसके नामितियों को, इसके/उनके जैसा भी मामला हो, द्वारा लिए गए शेयरों पर मिले लाभांश को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

फ्रैंच सिनेमा डिफ्यूजन द्वारा निर्धारित शर्तें अनुकूल हैं और इनमें देश में फिल्म उद्योग के आधुनिकीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।

(ख) अभी तक किसी फिल्म का सह-निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने की योजना

5242. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के लिए कोई अनुसंधान किया है और किसी संयंत्र का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। अपशिष्ट सामग्रियों के प्रयोग के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण

अपशिष्ट सामग्रियों के प्रयोग के लिए अनुसंधान के बाद शुरू किए गए प्रायोगिक संयंत्रों के सम्बन्ध में ब्यौरा

1	2		3
1.	फल तथा खाद्य सामग्री संसाधन	:	बायोगैस उत्पादन की प्रत्येक 25 घनमीटर क्षमता की 2 यूनिटें मैसूर में शुरू की गई हैं। कैंटीन में इस गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

1	2		3
2.	धुनकी की रुई धूल	:	धुनकी की रुई धूल पर आधारित 25 घनमीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र उदयपुर कॉटन मिल्स में स्थापित किया गया है। 25 घनमीटर और 90 घनमीटर क्षमता की इसी प्रकार के संयंत्रों का पंजाब तथा मध्य प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है।
3.	घोड़े की लीद	:	बायोगैस उत्पादन की प्रति 25 घनमीटर क्षमता की 2 यूनिटें अभी हाल में पुणे में शुरू की गई हैं। 19 परिवारों द्वारा यह गैस इस्तेमाल की जा रही है।
4.	रसोई	:	बायोगैस उत्पादन परियोजना की प्रति 10 घनमीटर क्षमता की 2 यूनिटें और 43 घनमीटर की एक यूनिट गुजरात में स्थापित की गई है।
5.	आसवनशाला अपशिष्ट	:	(क) आसवनशाला अपशिष्ट शोधन के लिए प्रतिदिन 1500 घनमीटर क्षमता का एक पूरा प्रायोगिक संयंत्र उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी के प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक मानस्तरों पर सफल विकास के बाद लगाया जा रहा है। (ख) नियत फिल्म रियेक्टर (एफ०एफ०आर०) प्रौद्योगिकी के साथ आसवन धोवन-अपशिष्ट के शोधन के लिए महाराष्ट्र में एक आसवनशाला में 10 घनमीटर क्षमता के एक प्रायोगिक संयंत्र का डिजाइन बनाया गया है और उसे चालू कर दिया गया है।
6.	अस्पताल मल-जल		एफ. एफ. आर. प्रौद्योगिकी से अस्पताल अपशिष्ट जल से साधन प्राप्त करने के लिए नागपुर में प्रति 25 घनमीटर क्षमता की 2 यूनिटें शुरू की गई हैं।
7.	चर्मशाला अपशिष्ट		एफ.एफ.आर. प्रौद्योगिकी से चर्मशाला मल-जल के शोधन के लिए 65 घनमीटर क्षमता के एक प्रायोगिक संयंत्र का डिजाइन बनाया गया है और उसे विकसित किया गया है तथा उसकी तमिलनाडु में स्थापना की जा रही है।
8.	जल कुम्भी	:	(i) गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में प्रति 5 घनमीटर क्षमता के 2 संयंत्र लगाए गए हैं।

1	2		3
			(ii) जल कुम्भी के पुन: चक्रण द्वारा अपशिष्ट जल शोधन एवं बायोगैस उत्पादन के लि प्रयोगात्मक संयंत्र महाराष्ट्र में सांगली में चलाया जा रहा है यह बायोगैस खाना पकाने के काम में प्रयोग की जा रही है।
			(iii) 2 घनमीटर से 10 घनमीटर की भिन्न-भिन्न क्षमताओं वाले कुछ और प्रायोगिक संयंत्र भी विभिन्न संस्थाओं में लगाए गए हैं जिनमें अन्य प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल की गई हैं।
9.	गन्ने की मैली	:	तमिलनाडु में 60 घनमीटर क्षमता का एक सामुदायिक बायोगैस संयंत्र शुरू किया गया है तथा उसे गन्ने की मैली पर सफलतापूर्वक चलाया गया है। खाना पकाने के लिए 29 परिवार बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 घनमीटर से लेकर 340 घनमीटर तक की विभिन्न क्षमताओं की कुछ और इसी प्रकार की परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में लगाई गई हैं।
10.	केला	:	केले के तने पर आधारित 5 घनमीटर क्षमता का एक बायोगैस संयंत्र गुजरात में एक फार्म में लगाया गया है।
11.	सफेदा पेड़ की पत्तियां	:	सफेदा के पेड़ की पत्तियों पर आधारित 5 घनमीटर क्षमता का एक बायोगैस संयंत्र गुजरात के एक फर्म में लगाया गया है।
12.	संश्लिष्ट कृषि अपशिष्ट	:	निश्चित अनुपात में गोबर, चावल भूसी और सूखे केलों के संश्लिष्ट कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए एक संयंत्र का डिजाइन विकसित किया गया है। गुजरात में एक संस्थान में 10 घनमीटर का एक प्रायोगिक संयंत्र लगाया गया है।

विवरण-II

पिछले 4-5 वर्षों के दौरान बायोमास गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी में हुए विस्तृत अनुसंधान तथा विकास कार्य के परिणामस्वरूप, बायोमास अपशिष्टों के गैसीफिकेशन के लिए छ: प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा चुका है। देश में इन यूनिटों का विनिर्माण 6 विभिन्न उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित प्रणालियां गैसीफिकेशन के जरिए, बायोमास अपशिष्टों जैसी काष्ठ

अपशिष्ट, काष्ठ छिल्लर, टहरियों, कपास के पौधों के डण्ठलों, तुर की टहनियों, मक्की की गुल्लियों, चावल-पुआल, इत्यादि को ऊर्जा तथा विद्युत में रूपांतरित कर सकती हैं। सिंचाई या पेयजल के लिए पम्पसेट चलाने या आल्टर्नेटरों के जरिए बिजली के उत्पादन के वास्ते प्रेरक बिजली के उत्पादन हेतु इन युक्तियों में दुहरा ईंधन इंजन अथवा स्टर्लिंग इंजन चलाया जाता है। बायोमास पम्पसेट तथा विद्युत उत्पादन सेट तांत्रिक अनुप्रयोगों अर्थात जल की पंपिंग के लिए 5 अश्वशक्ति से 10 अश्वशक्ति की और बिजली के उत्पादन के लिए 3 कि०वा० से 100 कि०वा० की विभिन्न क्षमताओं में उपलब्ध हैं। इन प्रणालियों से सम्बन्धित अनुप्रयोगों के लिए पारम्परिक दुहरे ईंधन वाले इंजनों में लगभग 65 प्रतिशत तक डीजल ईंधन का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन के लिए, सरकार ने यांत्रिक जल पम्पन प्रणाली (अर्थात 5 अश्वशक्ति और 10 अश्वशक्ति की क्षमता) के लिए 80 प्रतिशत तक और प्रयोक्ताओं की श्रेणी पर आधारित विद्युत उत्पादन प्रणाली के लिए 50-80 प्रतिशत तक लागत भागीदारी के आधार पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है।

अब तक लगभग 6.5 मे०वा० के बराबर, विभिन्न क्षमताओं तथा पद्धतियों की 850 गैसीफायर तथा स्टर्लिंग इंजन प्रणालियां पूरे देश में लगाई जा चुकी हैं। इनमें से अधिकांश प्रणालियां ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाती हैं और इन्हें या तो पम्प के जरिए जल निकालने के लिए या बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के जिलों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

5243. **श्री रतिलाल वर्मा :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री देवी बख्श सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी तथा पौढ़ी गढ़वाल में संचार सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) **टिहरी गढ़वाल :** 16 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 2 पहले से ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और 2 अन्य एक्सचेंजों को चालू वर्ष के दौरान उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदले जाने की संभावना है। शेष एक्सचेंजो को 1992-93 और 1993-94 के दौरान उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

(2) **उत्तरकाशी :** 10 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 4 पहले से ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और एक अन्य एक्सचेंज को चालू वर्ष के दौरान उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदलने की संभावना है। शेष एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने की योजना है।

(3) **पौढ़ी गढ़वाल :** 13 टेलीफोन एक्सचेंजों में से ? एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और दो अन्य एक्सचेंजों को उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा चालू वर्ष के

दौरान बदलने की संभावना है। शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान उपयुक्त उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने की योजना है।

(4) सरकार की सभी ग्राम पंचायतों में 31-3-95 तक उत्तरोत्तर रूप से पी०सी०ओ० सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देना

5244. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिल्म निर्माण को उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उद्योग का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) उद्योग अधिनियम के उन गतिविधियों पर लागू होता है जहां पर औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया होती है। फिल्म उद्योग एक सृजनात्मक गतिविधि है और इसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन विनियंत्रित नहीं किया जा सकता।

पुरुलिया जल विद्युत परियोजना

5245. **श्री चित्त बसु :** क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के इलेक्ट्रिक पावर डेवेलपमेंट कारपोरेशन ने पुरुलिया जल विद्युत परियोजना में गहरी अभिरुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कारपोरेशन के साथ सहयोग कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) पुरुलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम (4 × 225 मेगावाट = 900 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा सम्बन्धित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किए जाने के बारे में भारत सरकार की पूर्वानुमति से पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड व इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कम्पनी लि० (ई० पी० डी० पी०), टोकियो, जापान ने 260.94 मिलियन येन की राशि के लिए एक समझौते पर 31-5-1990 को हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग के सहयोजन से मेसर्स वेपकोस इण्डिया लि० परामर्शदाता होंगे तथा ई. पी डी. पी., जापान विदेशी परामर्शदाता होंगे। समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1992 तक पूरी की जानी है।

बोर्डिंग पास जारी करना

5246. श्री जीवन शर्मा : क्या नागर और विमानन पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान के यात्रियों को इण्डियन एयरलाइंस की टिकटों के बिना बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1991 में ऐसे कितने पास जारी किए गए;

(ग) क्या इन पासों को जारी करने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ङ) कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष, 1991 के दौरान, उड़ान के समय एक व्यक्ति ऐसा पाया गया था जिसके पास डुप्लीकेट बोर्डिंग पास था जो एक वास्तविक यात्री के नाम जारी किया गया था।

(ग) जी, हां। इण्डियन एयरलाईंस के उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है, जिन्होंने डुपिलकेट बोर्डिंग पास जारी किया था।

(घ) और (ङ) इण्डियन एयरलाइंस को इस घटना से कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि उड़ान के प्रस्थान से पूर्व ही अनधिकृत व्यक्ति का पता चल गया था। इन घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक कदम उठाए गए हैं :

(1) डुप्लीकेट बोर्डिंग कार्ड यात्री के वास्तविक होने की जांच किए जाने तथा ड्यूटी अधिकारी ड्यूटी प्रबन्धक/स्टेशन प्रबन्धक/हवाई अड्डा प्रबन्धक की पूर्व सहमति के बाद ही जारी किया जाता है।

(2) वास्तविक यात्री द्वारा मूल बोर्डिंग कोर्ड के खोए जाने की सूचना दिए जाने पर इस मूल बोर्डिंग कार्ड के धारक व्यक्ति को सुरक्षा लाउंज में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है।

(3) स्टेप लेडर पर एकत्रित किए गए बोर्डिंग कार्ड के प्रतिरूपों का, ट्रिप शीट में उल्लिखित यात्रियों की संख्या के साथ मिलान किया जाता है। कोई भी विसंगति ध्यान में आने पर विमान के भीतर यात्रियों की व्यक्तिगत रूप से गिनती की जाती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में, डुप्लीकेट बोर्डिंग कोर्ड जारी किए जाने के बारे में सीमा-शुल्क तथा आप्रवास प्राधिकारियों को इसकी सूचना दे दी जाती है।

अनपारा ताप विद्युत परियोजना

5247. श्री राम निहोर राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनपारा ताप विद्युत परियोजना की "परियोजना बी" द्वारा रेलवे विभाग को 6 करोड़ रुपये विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया है अथवा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जांच कार्य प्रारम्भ करने का है;

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों से विलम्ब शुल्क की राशि वसूल की जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विलम्ब शुल्क को सम्मिलित कर लेने के फलस्वरूप परियोजना लागत बढ़ जायेगी; और

(च) भविष्य में ऐसे विलम्ब शुल्क से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना (2 × 500 मे० वा०) के सम्बन्ध में उनके द्वारा रेलवे को न तो कोई विलम्बन प्रभार का भुगतान किया गया है और न ही देय है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जल आयोग में इंजीनियरों की नियुक्ति

5248. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत श्रेणी I के उन इंजीनियर अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो गैर-इंजीनियरी कार्यों में संलग्न हैं;

(ख) इन इंजीनियरों को गैर-उत्पादक कार्यों में लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग के प्रशासन में सुधार करने तथा इंजीनियरों का उचित इंजीनियरी प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) किसी भी इंजीनियरी अधिकारी (ग्रेड-I) को केवल गैर-इंजीनियरी कार्यों पर नियोजित नहीं किया गया है। तथापि, वरिष्ठ स्तर पर कुछ इंजीनियरी अधिकारी अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को, अपनी तकनीकी जिम्मेदारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग के सामान्य प्रशासन तथा वित्तीय मामलों से संबंधित कार्य में पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी में हाथ बटा कर मदद करते हैं।

उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना

5249. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वीय राज्यों में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके एककों का ब्यौरा क्या है और वे कहां कहां स्थित है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसा नया प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती परन्तु इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस दिये गये 48 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 4 मृदु वातित पेय यूनिट, 3573 चावल मिले और 44 आटा मिलें हैं। इन यूनिटों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण युनिट स्थापित नहीं करता परन्तु आठवीं योजना के लिए अनेक विकासात्मक स्कीमें तैयार की गई हैं जिनमें ऐसे यूनिटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं, संयुक्त क्षेत्र के संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में फल एवं सब्जी प्रसस्करण यूनिटों और मांस/पाल्ट्री, सूअर मांस प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की कुछ स्कीमों के लिए आठवीं योजना प्रस्तावों में केन्द्रीय सहायता का अधिक प्रतिशत रखा गया है।

विवरण

राज्य का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	मृदु वातित पेय	चावल मिलें	रोलर आटा मिलें
असम	19	2	2608	41
मणिपुर	11	1	169	1
मेघालय	7	1	93	—
नागालैंड	4	—	—	—
त्रिपुरा	3	—	703	2
अरूणाचल प्रदेश	2	—	—	—
मिजोरम	2	—	—	—
	48	4	3573	44

बिटको संयुक्त उद्यम द्वारा स्नैक फूड का निर्यात

5250. श्री हरि किशोर सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिटको फूडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले स्नैक फूड के ब्रांडों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त उद्यम मैसर्स बिटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड "प्लांटर्स" "ओले" और "एबा" अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के अन्तर्गत चिप्स, प्रसंस्कृत मेवे और नाश्ता आहारों का निर्यात करेगी।

राजस्थान में डाक सेवाएं

5251. श्री चन्दू भाई देशमुख : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में डाक सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उठाए गए हैं; और

(ख) इस समय कार्यरत डाकघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आय, जनसंख्या और दूरी संबधी मानदंड पूरे होने पर खोले जाते हैं। तथापि, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में आय और जनसंख्या सम्बन्धी उदार मानदण्ड लागू होते हैं। ये उदार मानदण्ड हैं—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत तथा एक गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000। इनकी तुलना में सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए न्यूनतम आय लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत और गांवों के समूह की जनसंख्या 3000 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने अपेक्षित हैं जबकि पहाडी/पिछडे/जनजातीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष 4800/ रु० तक घाटे की अनुमति दी जाती है।

(ख) डाकघरों के जिलावार विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राजस्थान सर्किल में प्रधान, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की जिलावार सं०

	जिला का नाम	प्रधान डाकघरों की सं०	उप डाकघरों की सं०	शाखा डाकघरों की सं०
1.	बाड़मेर	1	34	435
2.	बीकानेर	1	41	164
3.	चूरू	2	49	314
4.	झुनझुनू	2	68	317
5.	जोधपुर	2	66	326
6.	जैसलमेर	1	17	132
7.	नागौर	3	58	440
8.	पाली	2	58	309
9.	सीकर	4	72	375
10.	सिरोही	1	24	148
11.	जालौर	1	25	223
12.	श्री गंगा-नगर	2	62	481
13.	अजमेर	4	103	308
14.	भीलवाड़ा	1	46	333
15.	चित्तौडगढ़	1	45	322

1	2	3	4	5
16.	डूंगरपुर	1	21	226
18.	बांसवाड़ा	1	29	240
17.	कोटा	2	43	142
19.	बारन	—	14	179
20	झालावाड़	1	21	216
21.	टोंक	1	24	192
22.	बूंदी	1	20	150
23.	उदयपुर	2	61	410
24.	राजेसमंद	1	17	188
25.	भरतपुर	3	43	260
26.	जयपुर	5	124	414
27.	दौसा	1	24	189
28.	सवाई माधोपुर	3	59	431
29.	अलवर	3	71	416
30.	धोलपुर	2	30	254

विद्युत परियोजनायें

5252. श्री शिव लाल नाग जी भाईवेकारिया :

श्री अवतार सिंह भडाना : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और हरियाणा में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के निर्माण और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा के गुड़गांव जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा केन्द्र का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) उससे कुल कितनी ऊर्जा के उत्पादन होने की संभावना है ?

विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात राज्य में, गांधार सी० सी० जी० टी० और पीपावाव सी० सी० जी० टी० नामक प्रति 615 मे० वा० क्षमता के दो गैस आधारित विद्युत केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। हरियाणा राज्य में, 817 मे० वा० की क्षमता का फरीदाबाद सी०सी० जी० टी० गैस आधारित विद्युत केन्द्र भी विचाराधीन है।

गुजरात और हरियाणा राज्यों में बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, सौर तापीय प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, पवन-ऊर्जा प्रणालियों, लघु-सूक्ष्म जल-विद्युत संयंत्रों, बायोमास आधारित

प्रणालियों, ऊर्जा ग्राम, इत्यादि जैसी अपारम्परपरिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के विकास तथा उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन राज्यों में विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों की स्थापना में हुई प्रगति की स्थिति विवरण "क" में दी गई है।

(ख) और (ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में ग्वाल पहाड़ी पर एक सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र मुख्यत: एक अनुसंधान केन्द्र है तथा सौर प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। केन्द्र में लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणालियां तथा युक्तियों मूलत: अनुसंधान तथा विकास और आंकड़े के संग्रह के लिए हैं। 50 कि० वा० क्षमता का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र, जो लाइन फोकसिंग संग्राहक तथा वाष्प टर्बाइन है, इस केन्द्र में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा केन्द्र में एक अमोरफस सिलिकान सौर सेल प्रायोगिक संयंत्र सुविधा भी स्थापित की गई है जिसकी प्रति पारी प्रति वर्ष 500 के० डब्ल्यू पी० की क्षमता है। संयंत्र में इस समय टेस्ट रन किए जा रहे हैं।

विवरण "क"

गुजरात और हरियाणा में विभिन्न नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्धियों की स्थिति

क्र० सं०	कार्यक्रम/प्रणालियों और युक्तियां	संचयी उपलब्धियां, 31-12-91 तक (संख्या)	
		गुजरात	हरियाणा
1.	बायोगैस संयंत्र	133482	20927
2.	उन्नत चूल्हे	5,60,724	5,75,838
3.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	1376	116
4.	घरेलू सौर जल तापन हीटर	4390	33
5.	सौर वायु तापन प्रणालियां	7	—
6.	सौर काष्ठ भट्टियां	16	1
7.	सौर आसवन प्रणालियां	4800	120
8.	सौर कुकर	20512	2647
9.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक टी० वी० प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां	51	42
10.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियां	98	8
11.	प्रकाशवोल्टीय सड़क लाइटों वाले गांव	374	2
12.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	1	—
13.	पवन फार्म परियोजनाएं	14.74 मे० वा०	—

1	2	3	4
14.	जल पम्पन पवन चक्कियां	103	31
15.	वायु बैटरी चार्जर	3	—
16.	वायु मापक केन्द्र	64	—
17.	वायु मानिटरिंग केन्द्र	20	—
18.	ऊर्जा ग्राम	13	—
19.	बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग केन्द्र	145	6
20.	लघु-सूक्ष्म जल-विद्युत संयंत्र	—	1
21.	बेटरी से चलने वाले वाहन	2	—
22.	अल्कोहल से चलने वाली बसें	—	—

[अनुवाद]

ऊटी और कोदईकनाल पर्यटक सुविधाओं के लिए धनराशि

5253. डा० पी० राजेशवरन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में ऊटी और कोदईकनाल पर्वतीय स्थलों की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) किसी भी स्थान पर पर्यटक संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, धन की उपलब्धता, उनके गुण-दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1991-92 के लिए ऊटी तथा कोदईकनाल में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु परियोजनाएं अभिनिर्धारित की थीं। राज्य सरकार से सम्पूर्ण परियोजना प्रस्ताव न मिलने के कारण, इन परियोजनाओं को स्वीकृत कर पाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी[

मुम्बई में केबल बिछाने में अनियमितताएं

5254. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री राम बदन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सायन से वडाला और सायन से छटकोपार तक टेलीफोन केबल बिछाने के संबंध में कुछ अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) बम्बई में सायन से वडाला और सायन से घाटकोपर तक टेलीफोन केबिन बिछाने में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभागेतर कर्मचारियों को नियमित करना

5255. **श्री स्वामी चिन्मयानन्द :**

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंट भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होते हैं । इस विभाग के साथ उनके संबंध को स्वीकार करते हुए उन्हें ग्रुप "घ" और पोस्टमैनसंवर्गों में भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाती है और जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट इस तरह भर्ती होते हैं, उन्हें विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ आपने आप ही मिल जाते हैं ।

पंजाब / हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंज

5256. **श्री नारायण सिंह चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष कुछ और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे, और

(ग) यदि नही, तो ये कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण I

पंजाब में 1992-93 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना करने की योजना है उनके ब्यौरे

क्र० सं०	स्थान
1.	तरन तारन रोड अमृतसर
2.	उद्योका कलां
3.	मेट्टोवाल
4.	बछीविंड
5.	मल्लियां
6.	मोहलवाल
7.	बुट्टरकलां
8.	गिलवाली
9.	धारीवाल
10.	भगवानपुरा
11.	सेखपुरा
12.	जट कलां
13.	बुर्ज मोहमा
14.	बेहलाना
15.	खुवा.लोहारा
16.	अतुमस्तका
17.	भरानन
18.	सैदावली
19.	केमा-खेरा
20.	मोटरवाली
21.	गिद्दावाली
22.	चोकटावाला
23.	करमियावाली

1	2
24.	गुरनार
25.	खेरावली थाब
26.	खुबाव
27.	कोल्लियावाली
28.	अमरकोट कांडीवाला।
29.	भुल्लानाना
30.	दौलतपुर
31.	चौक कलां
32.	पोजावल
33.	टीडा रसाराई
34.	हिम्मतपुर
35.	पडियाला
36.	करकोवास
37.	अल्लेवाल खानूर
38.	अत्तोवाल
39.	भाम
40.	दबीदा मह्राना
41.	जोहली
42.	लाखपुर
43.	कैरमाना
44.	लसारा
45.	चैमी
46.	चहेरू
47.	खेरोमशरा
48.	खेवता
49.	मवाती
50.	भुंदरी
51.	एहुवेब

1	2
52.	घसियाल
53.	खेजेको
54.	पाकोवाल
55.	बारी माडोपुर
56.	कीरा
57.	बापुर
58.	मारगवाल
59.	कालाह
60.	नूरपुर बेट
61.	धरानक
62.	माडोवाल
63.	घमूटा
64.	छारा
65.	बागोवाल
66.	बालोवाल
67.	हरवोहामी
68.	लाडोवाल
69.	घोवाला
70.	बुग्गा
71.	भगराना
72.	ढंडराला ढिल्ला
73.	भुतना
74.	जमाल विवाल

विवरण II

हरियाणा में 1992-93 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना करने की योजना है उनके ब्यौरे :

क्रम सं०	स्थान
1.	सेवाह
2.	कांगथाली
3.	मुर्तजापुर
4.	उमरी
5.	टीक
6.	बालू
7.	संकरा
8.	दीवट
9.	औरंगाबाद
10.	असाना
11.	माझावली
12.	खंडोरा
13.	सियोराज माजरा
14.	नांगल मंडी
15.	साहू वाला-2
16.	लोहारे रेबू
17.	ओट्टू
18.	घरवा माजरा
19.	जोल्हा
20.	घुम्बर

विवरण III

हिमाचल प्रदेश में 1992-93 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना करने की योजना है उनके ब्यौरे :

क्रम सं०	स्थान
1.	कश्मीर
2.	रैल
3.	कुफेरा

1	2
4.	बागक
5.	कस्बा-कोटला
6.	आरामपुर
7.	बधूखार
8.	बहुा-पपरी
9.	बसेरा
10.	कुप्पू
11.	मंघू
12.	साई
13	बधोटा
14.	जरोल
15.	रंखेरा
16.	चंदियाल
17.	भाद्रखार
18.	पानीखोड
19.	भटखरी
20.	मोम्भर कोटी
21.	मंघोल
22.	रैंज

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के साथ औरंगाबाद केन्द्र का विस्तार

5257. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में औरंगाबाद एवं अन्य केन्द्र के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर के विस्तार के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए क्या कार्यक्रम है;

(ग) क्या ट्रांसमीटरों का विस्तार चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जबकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 10 कि. वा. का एक उच्च शक्ति टी वी. ट्रांसमीटर पूर्ण विकिरण शक्ति पर 31 मार्च, 1991 को सेवा के लिए चालू हो गया था, 1991-92 के दौरान राज्य में अम्बाजोगाई में एक उच्च शक्ति (10 कि. वा. टी० वी० ट्रांसमीटर और औरंगाबाद में एक ट्रांसपोजर (2 × 10 वाट सेवा के लिए चालू कर दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में, हिंगनघाट और खामगांव में एक-एक यानी कुल दो अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटरों के सेवार्थ चालू कर दिए जाने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि सहित देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

भारत और बंगलादेश के बीच गंगा के पानी का बटवारा

5258. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री ई० अहमद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री प्यारे लाल यादव :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री वी० श्री निवास प्रसाद :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्रीमति वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पानी के बटवारे के संबंध में भारत-बंगलादेश संयुक्त आयोग की हाल ही में ढाका में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) आगे और विचार विमर्श के लिए अगली बैठक कब होने की संभावना है;

(ङ) क्या अगली बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की अंतिम बैठक जून, 1990 में ढाका में आयोजित की गई है।

(ख) से (ग) ढाका में आयोजित संयुक्त नदी आयोग की बैठक में गंगा और तीस्ता नदी की हिस्सेदारी पर एक करार की आवश्यकता को महत्व दिया गया तथा उससे संबंधित कार्यों को शीघ्रता से करने का निदेश दिया गया। नदी जल की हिस्सेदारी पर भारत-बंगलादेश सचिव स्तरीय बैठक में इसका अनुसरण किया गया है।

(घ) भारत और बंगलादेश दोनों की सहूलियत वाली तारीख को और विचार करने के लिए अगली बैठक आयोजित की जाएगी।

(ङ) और (च) विचार-विमर्श किए जाने वाले संभावित मुद्दों के अनुसार राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी क्षेत्र को सौंपना

5259. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम':
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री फूल चन्द वर्मा:
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी:
श्री मुख्तार अंसारी: क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के होटलों का प्रबन्ध निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार किन-किन होटलों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व भारत पर्यटन विकास निगम के मजदूर संघ (यूनियन) से बातचीत करेगी;

(ङ) क्या सरकार, कर्मचारियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने एक एक स्कीम तैयार की है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाये जाएंगे ताकि जानी-मानी विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ उनका संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके। प्रथमतः, चार-चार होटलों के दो समूह इस प्रकार विकसित करने का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) सरकार को कामगारों के हितों की रक्षा करने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम के मजदूर संघ की चिंता की जानकारी है। जिस भी व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जाएगा उसमें इस सम्बन्ध में हर संभव प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना

5260. श्री शरत चंद्र पटनायक: क्या जल संसाधन यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से चल रही ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के वर्तमान तकनीकी प्रबन्धों की समीक्षा करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्पीड पोस्ट की सुविधा वाले डाकघर

5261. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे डाकघरों की कुल संख्या क्या है जिनमें "स्पीड पोस्ट" की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) स्पीड पोस्ट काउंटर पर एक कर्मचारी को कितने दिनों के लिए रखा जाता है;

(ग) स्पीड पोस्ट काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को गत दो वर्षों के दौरान प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का क्या उद्देश्य है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) देश के 476 डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) एक कर्मचारी को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए स्पीड पोस्ट काउंटर पर तैनात किया जाता है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट काउंटरों पर तैनात कर्मचारियों को 51,81,869.40 रुपये की रकम का भुगतान किया गया है ।

(घ) इसका उद्देश्य जिन स्पीड पोस्ट काउंटरों के लिए अलग से स्टाफ मंजूर किया गया है, वहां और अन्य काउंटरों पर जहां अलग से स्टाफ मंजूर नहीं किया गया है, एक न्यूनतम सीमा से अधिक स्पीड पोस्ट मदों की बुकिंग सुनिश्चित करना है । कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि अपनी सामान्य ड्यूटी से अधिक काम करने के लिए दी जाती है ।

[हिन्दी]

बिहार के राजमहल क्षेत्र में रिले सेन्टर की स्थापना

5262. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत बिहार के झारखंड क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संथाल परगना में राजमहल क्षेत्र में 10 किलोवाट के रिले सेंटर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे और इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) बिहार के राजमहल क्षेत्र में 10 कि०वा०टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[अनुवाद]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता

5263. श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है और गत वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन्हें दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव इसकी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात में कार्यरत सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती परन्तु मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में फल उत्पाद आदेशों के अधीन लाइसेंस प्राप्त 171 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 52 मृदु वातित पेय यूनिट, 78 मछली प्रसंस्करण यूनिट, 3161 चावल मिलें और 17 रोलर आटा मिले हैं । जहां तक मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई योजना स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता का सम्बन्ध है, गुजरात में गुजरात कृषि उद्योग निगम के उत्पादों के विपणन के लिए 7 कृषि पालर्स की स्थापना हेतु गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद को एक लाख रुपये दिये गये और मांडवी और जूनागढ़ स्थित फल प्रसंस्करण यूनिटों में भंडारण सुविधाओं की स्थापना/बढ़ाने के लिए गुजरात कृषि उद्योग निगम को इक्विटी के रूप में 6 लाख रुपये दिये गये थे ।

(ख) और (ग) फल गूदे की न खराब होने वाली (एसेप्टिक) पैकेजिंग हेतु इक्विटी भागीदारी के लिए राज्य सरकार के माध्यम से गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद से एक प्रस्ताव कुछ विवरणों के बिना प्राप्त हुआ था । निगम से विवरणों का स्पष्टीकरण देने और उन्हें भेजने का अनुरोध किया गया है ।

तेलुगु गंगा परियोजना के प्रति रोष

5264. श्री राम नाईक : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलुगु गंगा परियोजना को स्वीकृति देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर रोष प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को अन्य कृष्णा बेसिन राज्यों नामशः कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुरूप है और अन्तर्राज्यीय समझौतों के मुताबिक भी बिल्कुल ठीक है लेकिन महाराष्ट्र सरकार की राय है कि अधिकरण ने श्रीसैलम परियोजना से रायलसीमा और पेन्नार घाटी में सिंचाई के लिए जल का आबंटन नहीं किया है और इसलिए उनकी राय में यह परियोजना अधिकरण के पंचाट के अनुरूप नहीं है। कर्नाटक ने अक्तूबर में बेसिन राज्यों के साथ किए गये समझौते और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के विपरीत जल आपूर्ति नहर के साथ सिंचाई को जोड़ने पर आपत्ति प्रकट की है। बेसिन राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी स्वयं ली है।

राज्यों में बिजली के उत्पादन में असंतुलन

5265. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बिजली के उत्पादन में असंतुलन का पता लगाने के लिए कोई विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में असंतुलन के स्तर, विकसित और अविकसित राज्यों के बीच बिजली के उत्पादन में असंतुलन के स्तर, और विकसित तथा अविकसित राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए कोई लघु/दीर्घकालिक कार्य नीति तैयार की गई है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन तथा प्रति यूनिट बिजली के उपभोग से सम्बन्धित वांछित सूचना का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I व II में दिया गया है।

(ग) देश में बिजली की कमी को न्यूनतम करने के लिए किए गए अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपायों में ये शामिल हैं; बिजली का अंतर्राज्यीय तथा अन्तक्षेत्रीय आधार पर आदान-प्रदान करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अल्पावधि में निर्माण किए जाने वाली गैस परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, उपयुक्त गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना, विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने के लिए नीतिगत निर्णय लेना, जल-विद्युत शक्यता का दोहन, घाटे को कम करने तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, ऊर्जा का संवर्धन आदि।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 के दौरान बिजली का राज्यवार/प्रणालीवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादन

(आंकड़े मि॰यू॰में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/प्रणाली का नाम	ऊर्जा उत्पादन 1990-91 लक्ष्य	वास्तविक
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड	11160	13030
दिल्ली	6440	6512
जम्मू और कश्मीर	3118	3265

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	1921	1997
हरियाणा	3510	2601
राजस्थान	7709	6802
पंजाब	10118	8510
उत्तर प्रदेश	41193	38289
गुजरात	19720	19864
महाराष्ट्र	36884	38231
मध्य प्रदेश	31045	29555
आंध्र प्रदेश	27524	26627
कर्नाटक	11085	12424
केरल	5205	5493
तमिलनाडु	22805	22739
बिहार	4438	2971
उड़ीसा	4883	5529
पश्चिम बंगाल	12505	11805
दामोदर घाटी निगम	6700	4951
सिक्किम	48	29
असम	1540	1214
मेघालय	1094	1097
त्रिपुरा	195	136
मणिपुर	410	173

विवरण-II

वर्ष 1990-91 के दौरान बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा

(युटिलिटी और गैर-युटिलिटी)

(कि०वा०आ०में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1990-91
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	400.07
हिमाचल प्रदेश	198.97
जम्मू व कश्मीर	197.26

1	2
पंजाब	617.31
राजस्थान	200.17
उत्तर प्रदेश	167.71
चण्डीगढ़	634.55
दिल्ली	727.90
उप जोड़ :	251.45
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	463.32
मध्य प्रदेश	253.53
महाराष्ट्र	424.98
गोवा, दमन और दीव	436.30
दादरा एवं नगर हवेली	974.38
उप जोड़	373.62
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	260.65
कर्नाटक	291.24
केरल	182.93
तमिलनाडु	319.34
पांडिचेरी	751.97
लक्षद्वीप	143.00
उप जोड़	274.47
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	108.59
उड़ीसा	254.25
पश्चिम बंगाल	143.70

1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	109.28
सिक्किम	188.59
उप जोड़	145.98
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	84.94
मणिपुर	82.96
मेघालय	116.30
नागालैंड	79.91
त्रिपुरा	49.57
अरुणाचल प्रदेश	70.29
मिजोरम	66.74
उप जोड़	83.06
जोड़(अखिल भारत)	253.41

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के विद्युतीकृत गांव

5266. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) गांवों में उन "हरिजन बस्तियों" का ब्यौरा क्या है जिनका विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान जालौन जिले के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू०पी०एस०ई०बी०) ने सूचित किया है कि जनवरी, 1992 के अन्त तक जालौन जिले में 628 गांवों तथा 512 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान जालौन जिले में 15 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और शत-प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ।

[अनुवाद]

सम्बलपुर, उड़ीसा में क्षेत्रीय समाचार एकक

5267. डा० कृपासिंधु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में क्षेत्रीय समाचार एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह एकक कब तक कार्य आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

5268. श्री अरविन्द तुलसीदास काम्बले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 तक देश में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने नये इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का विचार है ?

संचार मंत्रालल में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) 31-12-1991 को देश में कुल 4825 टेलीफोन एक्सचेंज थे। मार्च, 1992 तक देश में 500 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज यूनिट और संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण परियोजना

5269. डा० असीम बाला : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुईस बर्गर इंटरनेशनल इनकार्पोरेटेड जल संसाधन प्रबन्धन और प्रशिक्षण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अर्हताप्राप्त और योग्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में समर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विशेषज्ञों के कार्यकरण का मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। लुईस बर्गर इंटरनेशनल इन्कार्पोरेटेड द्वारा नियोजित किए गए तकनीकी विशेषज्ञों परामर्शदाताओं का ब्यौरा विवरण के लिए संलग्न है।

(ग) और (घ) परामर्शदाताओं के रूप में लगाए गए विशेषज्ञों का कार्य जल संसाधन प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण परियोजना के विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन में झलकता है। सदस्य (जल आयोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित तकनीकी परामर्शदात्री समिति आवधिक रूप से परियोजना के निष्पादन का प्रबोधन/मूल्यांकन करती है।

विवरण

दीर्घावधिक (3 महीने से अधिक)

1. डा० जेन स्टोफकोपर	—	दल का नेता (सिविल और कृषि इंजीनियर)
2. श्री डब्ल्यू बेल	—	सिंचाई मुख्य प्रणाली विशेषज्ञ
3. श्री ले० ब्राउन	—	राज्य प्रशिक्षण संस्थान विकास विशेषज्ञ
4. श्री सी० मालोने	—	सामाजिक वैज्ञानिक
5. श्री टाम केजर	—	शिक्षा विशेषज्ञ
6. श्री ई० बाइजर	—	शिक्षा विशेषज्ञ
7. श्री जे० बाक्सुटर	—	ऐक्शन अनुसंधान घटक प्रबंध
8. श्री आ० वी० सूर्यनारायण	—	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
9. श्री पी० डब्ल्यू परवानी	—	तकनीकी अधिकारी

लघुआवधिक (3 महीने तक)

1. श्री जे० केल्लर	—	ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली डिजाइन एवं ले-आउट
2. श्री लिन जानसन	—	जल प्रबन्ध में प्रणाली विश्लेषण
3. श्री एस० क्रिस्टोफर	—	सामाजिक विज्ञान
4. श्री जै०ए० रेप्लोगले	—	प्रणाली पुर्नस्थान
5. श्री जी० स्कोगरबों	—	मुख्य प्रणाली प्रचालन एवं प्रबन्ध

बंगलौर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग के डिवीजनों को बन्द करना

5270. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

श्री जी० माडे गौडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग के बंगलौर यूनिट में स्ट्रोजर एण्ड क्रास बार डिवीजनों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन एकको में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) उपरोक्त एककों बन्द करने की स्थिति में इनके कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आई० टी० आई० बेंगलूर के स्ट्रोजर (अतिरिक्त पुर्जो को छोड़कर) तथा क्रासबार डिवीजनों को क्रमशः अप्रैल, 1990 तथा अप्रैल; 88 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) इन यूनिटों को बन्द करते समय स्ट्रोजर डिवीजन तथा क्रासबार डिवीजनों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 4162 और 2211 थी।

(ग) चूंकि अनेक कर्मचारियों के इन यूनिटों को बन्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप सरप्लस घोषित कर दिया गया था, अब जहां तक सम्भव हो सका है इन कर्मचारियों को इलेक्ट्रानिक स्विचिंग का विनिर्माण करने का प्रशिक्षण दिया गया है और बेंगलूर कांपलेक्स की नई उत्पादन लाइनों तथा अन्य उत्पादन परियोजनों के साथ-साथ बेंगलूर इलेक्ट्रानिक सिटी यूनिट में लगाया गया है।

अनिवासी भारतीयों से स्वतन्त्र टी० वी० चैनल का प्रस्ताव

5271. श्री पवनदीप सतपथ : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों से देश में स्वतन्त्र टी० वी० चैनल शुरू करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया है किन्तु अनेक पार्टियों ने इस मामले में रुचि दिखाई है।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों की विषय-वस्तु को नोट कर लिया है।

विवरण

उन अनिवासी भारतीयों/विदेशी कम्पनियों के नाम जिन्होंने देश में स्वतन्त्र टेलिविजन चैनल प्रचालित करने में रुचि दिखाई है।

क्रम संख्या	पार्टी का नाम
1	2
1.	मैसर्स इन्टरनेशनल टेलीविजन ब्राडकास्टिंग, आई० एन० सी०, न्यूयार्क
2.	वर्ल्ड इंटरप्राइजेज, लास एन्जल्स, अमरीका
3.	एशियन टेलीविजन नेटवर्क, कनाडा
4.	दि डोरकस फाउन्डेशन, बेनसालेम पी० ए० 19020, अमरीका
5.	एस० टी० ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन, राकविले, एम० डी० 20852 (अमरीका)

[हिन्दी]

सिंहस्थ पर्व, 1992 के लिए वित्तीय सहायता

5272. श्री योगानन्द सरस्वती :

श्री अरविंद नेताम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें "सिंहस्थ पर्व" 1992 के लिए वित्तीय सहायता मांगी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी मिल जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सिंहस्थ पर्व 1992 के लिए प्रचार सामग्री के मुद्रण हेतु 10 लाख रुपए और टैंटों की व्यवस्था के लिए 9.50 लाख रुपए स्वीकृति किए हैं। उज्जैन में 60 बिस्तरों वाले यात्री निवास के निर्माण के लिए 45·00 लाख रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं ।

एस० एफ० टी० प्रणाली की सुविधा वाले तारघर

5273. श्री विलय कठियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तारघरों की संख्या कितनी है जहां रोमन लिपि में तार भेजने के लिए स्टोर एण्ड फारवर्ड ट्रांसमिशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है; जिसके अन्तर्गत तार शीघ्रता से भेजे जाते हैं;

(ख) क्या यह प्रणाली हिन्दी में भेजे गए तारों का सम्बन्ध में भी प्रयोग में लाई जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी के तारों के लिए इस प्रणाली का प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) ऐसे 30 तारघर (केन्द्र) हैं जहां पर स्टोर एण्ड फारवर्ड ट्रांसमिशन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मौजूदा साफ्टवेयर इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है । साफ्टवेयर को विकसित और सक्षम बनाने के लिए उपाय किए हैं ।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कोटा

5274. श्री भेरू लाल मीणा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की भर्ती के लिए निर्धारित कोटा भर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जुलाई, 1991 से आज तक वहां कितने लोगों की भर्ती की गई हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में समूह "क" "ख" पदों पर भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों (अ० जा०/अ० जन०) के लिए आरक्षण प्रतिशत अखिल भारत आधार पर है । विगत में, विशेष रूप से इनकी भर्ती हेतु अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद समूह "क" तथा "ख" पदों के मामले में अ० जा० के लिए 16·66% और अ० जन० के लिए 7·5% के कोटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है । तथापि, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से तीसरी बार विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है ।

समूह "ग" एवं 'घ" पदों पर भर्ती के मामले में अ० जा०/अ० जन० के लिए आरक्षण प्रतिशत

स्थानीय आधार पर है और जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। विभिन्न राज्यों में स्थित कुछ परियोजनाओं में की गई भर्तियों का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से भी अधिक है जबकि कुछ परियोजनाओं में मामूली सी कमी है। तथापि, यदि सम्पूर्ण कम्पनी आधार पर औसत प्रतिशत आरक्षण के सन्दर्भ में देखा जाए तो समूह "ग" श्रेणी में अनुसूचित जनजाति को छोड़-कर समूह "ग" तथा "घ" पदों पर भर्ती किए गए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या उक्त औसत आरक्षण प्रतिशत से अधिक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

समूह	अनुसूचित जाति (अ०जा०)		अनुसूचित जनजाति (अ० जन०)	
	औसत%	तैनात	औसत%	तैनात
ग	16·30	16·29	8·70	6·75
घ	16·30	22·42	8·70	9·40

(ख) जुलाई, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

सामान्य	अ० जा०	अ० जन०	जोड़ अ०जा०/अ०जन०
130	88	26	114

[अनुवाद]

फीचर फिल्मों का निर्यात

5275. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीचर फिल्मों के निर्यात में वृद्धि की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो चोरी छिपे फिल्मों की विडियो फिल्में बनाने तथा कम बीजक भारतीय फिल्मों की निर्यात क्षमता में बाधक हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) फीचर फिल्मों के निर्यात पर से 14 अगस्त, 1991 से नियंत्रण हटा लिया गया है और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

विदेशों से केरल में पत्रों का प्राप्त होना

5276. श्री ई० अहमद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों और अन्य देशों से भेजे गए पत्र, केरल में विलंब से प्राप्त होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केरल में खाड़ी के देशों और दूसरे अन्य देशों से आने वाले पत्रों का वितरण कार्य सामान्यतः संतोषजनक है और विलम्ब का कोई विशेष मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात का निर्यात

5277. श्री नीतीश कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1991 को इण्डियन एक्सप्रेस में "सेल का मिस्स एक्सपोर्ट टर्गेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात के लिए निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य क्या थे तथा वास्तव में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(घ) लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा 1992 में दस लाख टन इस्पात का निर्यात प्रस्तावित है; और

(च) वर्ष 1992-93 के दौरान सेल द्वारा कितनी मात्रा के इस्पात उत्पादन की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। 1991-92 के लिए लगभग 3 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में सेल ने फरवरी, 1992 तक, वर्ष 1991-92 के लिए 1.57 लाख टन का निर्यात किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य की तुलना में सेल द्वारा इस्पात का किया गया निर्यात निम्नानुसार है :

(मात्रा : हजार टन)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक निर्यात
1988-89	100	102
1989-90	250	165
1990-91	250	183

(घ) विशिष्ट उत्पादों का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात व्यापार में मन्दी की प्रवृत्ति और विदेशी मांग में कमी के कारण निर्यात में गिरावट आई है।

(ङ) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान सेल द्वारा 70 लाख टन परिसज्जित इस्पात का उत्पादन किए जाने की संभावना है।

त्रिवेन्द्रम आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाना

5278. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्विलोन और पठानमतिट्टा जिलों को प्रसारण-परिधि में सम्मिलित करने के लिए त्रिवेन्द्रम व्यावसायिक प्रसारण है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। त्रिवेन्द्रम में विविध भारती/वाणिज्यक सेवा के लिए मौजूदा 1 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर प्रतिस्थापित करने की एक अनुमोदित योजना है। आठवीं योजना की अवधि के दौरान इसे पूरा करने का विचार है।

[अनुवाद]

केरल में बिजली की आपूर्ति

5279. श्री के० मुरली धरन : विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को केन्द्रीय पूल से विगत वर्षों की अपेक्षा कम मात्रा में बिजली की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी मात्रा कम की गई है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान केरल को केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से सप्लाई की गई विद्युत की मात्रा निम्नानुसार है—

वर्ष	हकदारी	वास्तविक प्राप्ति	आधिक्य (+) कमी (—)
		(मिलियन यूनिट में)	
1987-88	1000.6	1080.2	7.9%
1988-89	722.3	722.3	—
1989-90	1593.8	1137.3	(—) 28.6%
1990-91	1520.9	1361.7	(—) 10.5%
1991-92	1610.3	1541.7	(—) 4.3%

(ग) और (घ) केरल सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों की अनाबंटित बिजली के कोटे में से बिजली के आबंटन को वर्तमान के 15% से बढ़ाकर 25% किए जाने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए बिजली के अनाबंटित कोटे में से आबंटन संबंधी निर्णय, क्षेत्र के संघटकों में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकता होने पर अनाबंटित बिजली के आबंटन में परिवर्तन किए जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र के अन्य संघटकों की तुलना में केरल को दिया जाने वाला 15 प्रतिशत का वर्तमान कोटा सन्तोषजनक पाया गया है।

कर्नाटक में खाद्य संसाधन उद्योग

5280. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री जी० कृष्ण राव :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में कितने खाद्य संसाधन उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) कर्नाटक में और अधिक खाद्य संसाधन उद्योगों की स्थापना करने हेतु कर्नाटक सरकार अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992 के दौरान कर्नाटक में स्थापित किए जाने वाले खाद्य संसाधन उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है फिर भी कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय कर्नाटक में मझोले और बड़े सेक्टर में 90 यूनिट और लघु सेक्टर में 16068 यूनिट कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए "यूनिडो" सहायता के प्रस्ताव कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम से प्राप्त हुए हैं और कर्नाटक सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक से सहकारिता सेक्टर के अधीन मांस परियोजना का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। "डैनिडा" सहायता से फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कर्नाटक राज्य से प्राइवेट उद्यमियों और औद्योगिक विकास निगम के 69 आवेदन पत्र पेय एल्कोहल और बीयर तैयार करने के लिए भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) यद्यपि यह मंत्रालय किसी भी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता परन्तु ऐसे यूनिटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेन्सियों आदि को सहायता देने की दृष्टि से अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की गई हैं।

अलमूलन परिवहन में मेथनाल तथा एथनाल का प्रयोग

5281. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री लालजान एस०एम० बाशा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा जल-भूतल परिवहन में डीजल के स्थान पर मेथनाल तथा लेथनाल, दोनों का प्रयोग करने के लिए किये गये परीक्षण के क्या परिणाम हैं;

(ख) कौन-कौन से प्रोजेक्ट इस प्रकार के वैकल्पिक ईधनों को विकसित कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने उन प्रोजेक्टों के विकास और अनुसंधान पर कितनी राशि स्वीकृत की है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) डीजल तेल के स्थान पर आंशिक रूप से अल्कोहल के इस्तेमाल का प्रदर्शन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं द्वारा किया गया है । 1988-90 के दौरान, दिल्ली परिवहन की दस बसों को 6.43 कि० मी० चलाया गया जिनमें "डीजल वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथानोल का प्रयोग" नामक एक प्रदर्शन परियोजना के अन्तर्गत 12-15 प्रतिशत डीजल के प्रतिस्थापना के लिए मेथानोल का इस्तेमाल किया गया । इसके बाद ईथानोल का इस्तेमाल किया गया जहां अगस्त, 90 —नवम्बर, 9 के दौरान दुहरी-ईंधन पद्धति के आधार पर दिल्ली परिवहन निगम की 25 बसें 5.82 लाख कि०मी० चलाई गई जिनमें लगभग 14 प्रतिशत डीजल का प्रतिस्थापन किया गया । इस परियोजना का नाम "डीजल वाहनों का अल्कोहल से दुहरे प्रचालन प्रदर्शन परियोजना" था । आयातित डीजल के प्रतिस्थापन के अलावा, इन दोनों परियोजनाओं का एक अन्य बड़ा लाभ यह हुआ कि धुआं निकलने में लगभग 33 प्रतिशत की कमी आई डीजल प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में इन परियोजनाओं पर कुल लगभग 22 लाख रुपए व्यय हुए ।

2. जहां तक पेट्रोल के स्थान पर अल्कोहल के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, हाइड्रो यू० एस० एथानोल (10 प्रतिशत) से मिश्रित पेट्रोल (90 प्रतिशत) का प्रयोग के प्रदर्शन के लिए 19,12,250/- रुपए के परिव्यय से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को "आटोमोबाइल्स फ्लीट प्रबोधन एवं प्रदर्शन परीक्षणों में प्रतिस्थापी अल्कोहल ईंधन" नामक एक परियोजना स्वीकृत की गई है। यह प्रयोग तथा प्रदर्शन सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से सहयोग करेंगे ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को बिहार भवन से वसूल की जाने वाली राशि

528?. **श्री विश्व नाथ शास्त्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों, जिनमें जनपथ होटल, नई दिल्ली भी शामिल है, को बिहार भवन, नई दिल्ली से एक बड़ी राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी होटल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस राशि की वसूली हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दिनांक 29-2-92 की स्थिति के अनुसार, बिहार भवन, नई दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का 96.81 लाख रुपए का देनदार है।

(ख) होटल-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

जनपथ होटल	68.65	लाख रुपए
कनिष्क होटल	1.92	लाख रुपए
अशोक होटल	0.90	लाख रुपए
सम्राट होटल	1.47	लाख रुपए
रणजीत होटल	4.16	लाख रुपए
लोधी होटल	19.71	लाख रुपए

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम तथा केन्द्रीय सरकार ने राशि वसूल करने के लिए राज्य सरकार के साथ उचित स्तर पर मामला उठाया है।

वर्ष 1991 के दौरान विदेशी पर्यटकों में कमी

5283. श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान वर्षवार कितने विदेशी पर्यटक भारत आए;

(ख) क्या वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1991 के दौरान कम पर्यटक भारत आए; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान जिन विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की, उनकी संख्या क्रमश: 17,07,158 और 16,77,508 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी मुख्यतया खाड़ी युद्ध तथा उसके बाद के परिणामों के कारण आई थी।

मूल्य वर्धित सेवाओं का उदारीकरण

5284. श्री परसराम भारद्वाज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्कस में मूल्य-वर्धित सेवाओं को उदार बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इन मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों

को लाइसेंस देकर निर्धारित शर्तों के अंतर्गत इन्हें प्रदान करने तथा प्रसारण करने के लिए मांग होने पर, उत्तरोत्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

नए टेलीविजन धारावाहिकों का प्रसारण

5285. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले महीनों में कुछ नए धारावाहिकों का प्रसारण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कड़ियों की संख्या और उनमें शामिल किए जाने वाले नए कलाकारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास : (क) और (ख) संलग्न विवरण अनुसार विभिन्न प्रकरणों वाले बहुत से प्रायोजित धारावाहिक दूरदर्शन द्वारा दिखाए जाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। उनके प्रसारण की वास्तविक तिथि समय-समय पर दूरदर्शन की समग्र कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। इन धारावाहिकों में आ रहे नये कलाकारों का ब्यौरा दूरदर्शन द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण

क्रम सं०	शीर्षक
1.	स्टोरीज फ्राम बाइबल
2.	वाह री दुनिया
3.	कल भी आज भी
4.	मास्को स्टेट सर्कस एण्ड बैलेट आन आइस
5.	एनिमल फाक टेल्स
6.	विद्यापति
7.	मां का उधार
8.	आल दि बेस्ट
9.	मोहिन्दर अमरनाथ प्रेजेंट्स
10.	पोटली बाबा की
11.	पंचतन्त्र
12.	नेशनल पार्लियामेंटरी क्विज
13.	गड़बड़ गुड्डे
14.	ट्राइबल पीपुल आफ नार्थ ईस्ट
15.	उपन्यास

1	2
16.	अवशेष
17.	बहु बेगम
18.	कितने और हिमालय
19.	रिश्ते
20.	सौदा

श्रीलंका दूरदर्शन का भारत में प्रवेश

5286. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका दूरदर्शन के कार्यक्रम देश के दक्षिणी भागों में घुसपैठ कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) यू० एन० आई०, द्वारा प्रचालित समाचार जिसमें 1 मार्च, 92 की तारीख थी, के अनुसार श्रीलंका स्थित एक निजी टी०वी० स्टेशन द्वारा अगस्त, 1992 से प्रसारण शुरू करने का कार्यक्रम है। इस समाचार में यह संकेत दिया गया है कि यह ट्रांसमीटर एक पार्थिव (टेरिसटेरियल) ट्रांसमीटर होगा और कब इसे चालू किया जायेगा, इसमे संग्रहण बिना डिश एन्टीना इस्तेमाल किए हो सकेगा। इसके स्थान और शक्ति के बारे में ब्यौरा न होने के कारण इस प्रस्तावित ट्रांसमीटर से दक्षिण भारत के भागों में कवरेज सीमा के बारे में भी नहीं बताया जा सकता।

तथापि, दूरदर्शन ने अपनी ओर से तमिलनाडु के कवर न हुए भागों में, चरणों में सेवा विस्तार करने के लिए कदम उठाये हैं। तमिलनाडु में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यान्वयनाधीन विभिन्न ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर, राज्य की 95.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत लाने की आशा है जो इस समय 89.2 प्रतिशत है।

पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज

5287. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1992-93 के दौरान "रैक्स" (आर०ए०एक्स०) सहित खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का विवरण क्या है;

(ख) कितने मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदला जायेगा; और

(ग) कलकत्ता शहर के कुछ विद्यमान एक्सचेंजों में नई प्रौद्योगिक आरम्भ करने तथा विभिन्न एक्सचेंजों को, दोनों राज्य के अन्दर और बाहर से एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने हेतु तथा उनका आधुनिकीकरण करने और उनका दर्जा बढ़ाने एवं वहां पर टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० बी० रंगय्या नायडु) : (क) 1992-93 के दौरान, पश्चिम बंगाल में आर०ए०एक्स० सहित 22 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1992-93 के दौरान, 13 मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमैटिक बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कलकत्ता शहर में अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने, एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण तथा उनका उन्नयन करने के लिए सतत प्रयास चल रहे हैं। जून, 92 तक सभी स्ट्रोजर एक्सचेंजों और क्रासबार एक्सचेंजों की लगभग 84 के लाइनों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जाने की योजना है। इससे कलकत्ता में टेलीफोन सेवा में सुधार होगा। एस०टी०डी० सुविधा शहर में पहले से ही उपलब्ध है।

ऊर्जा के नए स्रोत

5288. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोमास बड़े पैमाने पर तथा व्यापक रूप से उपयोग में लायी गयी कम खर्चीली और ऊर्जा का नवीन स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषरूप से जहां चावल का पुआल और चावल की भूसी तथा बायोमास अपशिष्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, में बायोमास पावर टेक्नोलाजी का उपयोग करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनायी है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। बायोमास, अपने विभिन्न रूपों में, ऊर्जा के परम्परागत तथा सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त होने वाला साधन है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, में तापीय तथा तपीय रासायन रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के जरिये विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए देश में उपलब्ध चावल पुआल, चावल भूसी और अन्य बायोमास अपशिष्टों सहित विभिन्न प्रकार के बायोमास से ऊर्जा तथा विद्युत का उत्पादन शामिल है। प्रदर्शन तथा प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यक्रम राज्य नोडल/कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ परामर्श करके शुरू किया जाता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की आंशिक वित्तीय सहायता से व्यवहार्य स्थलों पर प्रदर्शन तथा प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल/कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रोत्साहित किया जाता है। बायोमास पर आधारित विद्युत प्रणाली के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव पश्चिम बंगाल से प्राप्त नहीं हुए हैं।

भस्मीकरण प्रौद्योगिकी के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन के लिए भारी मात्रा में चावल भूसी का प्रयोग प्रदर्शित करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना पंजाब में पटियाला के निकट जलखेड़ी में पूरी होने वाली है। इस परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 70 हजार टन चावल भूसी

का इस्तेमाल करने और करीबन 10 मे०वा० बिजली का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रायोगिक संयंत्र के सफल प्रचालन के बाद इस प्रौद्योगिकी को विद्युत उत्पादन तथा सह-उत्पादन के लिए अतिरिक्त चावल भूसी के प्रयोग हेतु दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए अपनाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5289. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गई और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में और अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या और उन पर खर्च की गई धनराशि से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सीधे किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता परन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/संवर्धन के लिए राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त सेक्टर की कम्पनियों, सरकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेन्सियों आदि को सहायता देने के लिए आठवीं योजना में मंत्रालय ने अनेक स्कीमें तैयार की हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लिफ्ट सिंचाई के लिए के० एफ० डब्ल्यू०, जर्मनी से सहायता

5290. श्री शिवाजी पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में लिफ्ट सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए के० पी० डब्ल्यू० जर्मनी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां।

परियोजना प्रस्ताव जर्मनी से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। परियोजना का मूल्यांकन के० एफ० डब्ल्यू०, जर्मनी द्वारा किया गया है। उन्हें आवश्यक सूचना उपलब्ध करवा दी गई है ताकि मूल्यांकन को अन्तिम रूप दिया जा सके।

विमानपत्तन कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

5291. श्री आर्थ फर्नान्डीज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले विमानपत्तन कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) अपनी शिकायतों के निवारण के लिए हवाई अड्डा कर्मचारी से अभ्यावेदन हवाई अड्डों के साथ-साथ भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आईएएआई) और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एनएए) के मुख्यालयों में प्राप्त होती हैं। सरकार ने मौजूदा नियमों/आदेशों/आदेशों के अनुसार, इन सभी अभ्यावेदनों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है तथा जहां तक सम्भव हो, इन शिकायतों का निवारण किया जाता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों ने अपने भावी कैरियर को सुप्रवाही करने तथा पदोन्नति अवसरों को युक्तियुक्त बनाने की एक आम मांग की है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के संवर्ग की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

मुजफ्फरपुर, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन

5292. श्री आर्थ फर्नान्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर, बिहार में दूरदर्शन केन्द्र का अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) बिहार में मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित संस्थापन कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए अपेक्षित जनशक्ति के उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस केन्द्र को सेवा के लिए चालू किया जा सकता है।

वायुदूत का कार्यकरण

5293. श्री पीयूष तीरकी :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री प्यारे लाल जाटव :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री अन्बारासु इरा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत की समय-सारणी की पाबंदी और कार्यकुशलता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वायुदूत के चेयरमेन ने देश के सभी हवाई अड्डों की यात्रा की है;

(ग) अतिरिक्त खर्चे घटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या वायुदूत में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में मितव्ययता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वायुदूत द्वारा वहन की गई हानि का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(छ) हानि को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत की कार्य पद्धति और समय अनुसूची के दृढ़तापूर्वक पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम :

(1) समय पर निष्पादन की निरन्तर निगरानी ।

(2) मार्गों का युक्तियुक्तकरण ।

(3) विमानों की विश्वसनीयता में वृद्धि करना ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऊपरी खर्चों को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए कदम :

(1) सुरक्षा और दक्षता को बनाए रखने के साथ-साथ व्यय में कटौती;

(2) विमान बेड़े को परिचालनात्मक रखने के लिए बेहतर वस्तुसूची योजना और सामग्री प्रबन्धन;

(3) अन्य संगठनों में अतिरिक्त जनशक्ति की पुनः तैनाती ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अपने कार्य-निष्पादन में किफायत करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम :

(1) लागतों की वसूली के लिए कुछ सैक्टरों पर किरायों में वृद्धि की गई;

(2) व्यय को अपरिहार्य न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए कड़े आर्थिक उपाय किए गए हैं;

(3) मार्गों को युक्तिसंगत बनाना ;

(च) वायुदूत द्वारा पिछले तीन वर्षों दौरान उठाई गई हानियां निम्न प्रकार है :

वर्ष	हानियां लाख रुपयों में
1988-89	(2883·29)*
1989-90	(3582·23)*
1990-91	(3707·89)*

*अनंतिम और गैर-लेखा परीक्षित

हानियों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : थोड़ी दूरी के परिचालन, पुराना और गैर-किफायती बेड़ा, अलाभकारी किराया संरचना, आदि।

(छ) मौजूदा विमान बेड़ा और थोड़ी दूरी वाले प्रचालकों के साथ वायुदूत को पहले से हुई हानियों को पूरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

बिहार की विद्युत परियोजनाएं

5294. श्री पीयूष तीरकी :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मन्त्री यह बताने करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिहार में सुवर्णरेखा परियोजना और कोयलकारो परियोजना से प्रभावित लोगों की कृपा की समस्याएं कम हुई हैं;

(ख) भूमि के बदले में विस्थापितों को प्रस्तावित मुआवजा/भूमि और रोजगार दिए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवासियों को रोजगार देने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सुवर्ण रेखा परियोजना—सुवर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना को 20 वर्ष पहले चालू किया गया था। बिहार सरकार के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए 1965-67 और 1980-81 में क्रमशः लगभग 1500 एकड़ और 22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिनकी भूमि ली गई थी इन सभी को मुआवजे का भुगतान किया गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया गया है कि विस्थापितों को अनिवार्यतः इस परियोजना में रोजगार दिए जाने का प्रारम्भ में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन अब काफी समय के पश्चात अधिसंख्य व्यक्ति भू-विस्थापितों के रूप में रोजगार के लिए दावा कर रहे हैं। आवश्यकता एवं उपयुक्तता के अनुसार सोपानबद्ध रूप से अब तक 24 ऐसे व्यक्तियों, जिनकी भूमि ली गई है, को रोजगार दिया गया है।

कोयलकारो परियोजना

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कोयलकारो परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रस्तावित पुनर्वास योजना और मुआवजे पैकेज में, प्रत्येक विस्थापित परिवार के घर के लिए भूमि, जहां तक सम्भव हो लीज आधार पर कृषि योग्य भूमि इसके अलावा उनकी भूमि के साथ-साथ घर, वृक्षों, कुओं आदि जैसी संपत्ति के लिए मुआवजे का पूर्णत: नकद भुगतान शामिल है। विस्थापितों को श्रेणी-तीन, चार अथवा क्लेरीकल पदों के लिए उनकी उपयुक्तता एवं उपलब्धता पर निर्भर करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

5295. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यकाल 31 मार्च, 1992 को समाप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यकाल 31 मार्च, 1992 के पश्चात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) दिल्ली और बम्बई में दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० (एमटीएनएल) को प्रदान किए गए लाइसेंस की वैधता 31-3-1992 को समाप्त हो रही है। लाइसेंस की वैधता और उपयुक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा रही है।

डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए वायुदूत सेवाएं

5296. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

श्री धर्म भिक्षम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग दिल्ली से अन्य स्थानों और अन्य स्थान से दिल्ली को डाक तथा डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के पारेषण के लिए वायुदूत की सेवाएं लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यह व्यवस्था कब से शुरू करने की सम्भावना है; और

(घ) इससे डाक सेवाओं के सुधार में कहां तक सहायता मिलेगी और इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस आशय का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नदी बोर्ड अधिनियम को पुन: लागू करना

5297. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के बीच नदी सम्बन्धी विवादों का सौहार्दपूर्ण और सार्थक समाधान करने हेतु नदी बोर्ड अधिनियम को पुनः लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अधिनियम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नदी बोर्ड अधिनियम वर्ष 1956 में संसद द्वारा लागू किया गया था तथा यह अभी भी लागू है। विद्यमान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना के माध्यम से इच्छुक राज्य सरकारों के परामर्श से नदी बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

वैनेडियम अयस्क के भण्डार

5298. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैनेडियम अयस्क का अनुमानतः कितना भण्डार है;

(ख) देश में वैनेडियम धातु अथवा इससे मिश्रित धातु का कितना उत्पादन होता है; और

(ग) देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वैनेडियम मिश्रित की कितनी मांग है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में 1-1-1985 को वैनेडियम के कुल आकलित भंडारों का ब्यौरा इस प्रकार है—

राज्य/जिला	भंडार [हजार टनों में]
कर्नाटक	8,842
हासन	162
शिमोगा	8,680
महाराष्ट्र	
(भंडारा)	6,200
उड़ीसा	3,460
मयूर-भंज	2,260
बालासोर	1,200
भारत = कुल	18,502

(ख) देश में वर्ष 1989 के दौरान लौह-वैनेडियम का उत्पादन 68.940 टन अनंतिम रहा।

(ग) देश में वर्ष 1988 के दौरान उद्योगों में लौह-वैनेडियम की खपत 240 टन अनंतिम थी, जबकि उस वर्ष के दौरान कुल विश्व खपत 33,200 टन रही।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु कोकिंग कोयला

5299. श्री अन्ने गोवर्धन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को प्रतिवर्ष कोकिंग कोयले की अनुमानतः कितनी आवश्यकता पड़ती है;

(ख) उसे कोकिंग कोयला कहां से सप्लाई किया जाता है;

(ग) क्या कोकिंग कोयले की कुछ मात्रा आयात किये जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को वर्ष 1992-93 से लिए कोककर कोयले की अनुमानित आवश्यकता लगभग 31.00 लाख टन की है। 9.0 लाख टन मध्यम दर्जे के कोककर कोयले की मात्रा स्वदेशी स्रोतों, अधिकांशतः सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की शोधन शालाओं से सप्लाई किये जाने की आशा है। कोककर कोयले की अतिरिक्त 22.00 लाख टन की मात्रा 1.00 लाख अमरीकन डालर एफ०ओ०बी० मूल्यों की अनुमानित लागत से आयात की जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित/जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

5300. श्री महेश कनोडिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए गए विशेष अभियान के अन्तर्गत उनके मंत्रालय द्वारा उक्त जातियों के कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए 1991 में भी ऐसा विशेष अभियान चलाया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कुल कितनी नियुक्तियां की गई ?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना

5301. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से निम्नलिखित एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है—

बीना, चम्पा, मावसी, कावरधा, पावाई।

(ग) (i) पावाई और कावरधा स्थित एक्सचेंजों को क्रमश: वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में पहले ही बदल दिया गया है।

(ii) बीना, चम्पा और मावसी स्थित मैनुअल एक्सचेंजों को वर्ष 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है।

[अनुवाद]

दिल्ली-नागपुर-रायपुर-कलकत्ता क्षेत्र में विमान चलाना

5302. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-नागपुर-रायपुर-कलकत्ता के बीच शुरू किए गए नए विमान को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स या वायुदूत द्वारा कोई ऐसी उड़ान परिचालित नहीं की जा रही है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में चार सेवाएं परिचालित कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानक्षमता की कठिनाई के कारण भोपाल से होकर सेवा परिचालित करना या उसे कलकत्ता तक बढ़ाना संभव नहीं है।

विद्युत वित्त निगमों को ऋण

5303. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग सभी बिजली बोर्डों की दयनीय वित्तीय हालत को देखते हुए विद्युत वित्त निगम का विचार ऋण देने हेतु अपनी शर्तों में संशोधन करने का है; और

(ख) क्या बिजली बोर्डों की दयनीय वित्तीय हालत को देखते हुए सरकार का विचार ऋण की वसूली हेतु शर्तों को उदार बनाने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय विद्युत वित्त निगम/सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

5304. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटल हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ और होटल खोलने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के और अधिक होटल खोलने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय केरल में कोवलम समुद्र तट पर अपना पांच सितारा होटल चलाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में केरल में कोई नया होटल खोलने का प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, चूने के पत्थर और मैंगनीज पर से आरक्षण समाप्त करना

5305. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूने के पत्थर और लौह अयस्क खनिज के भंडारों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) मध्य प्रदेश में लौह अयस्क और मैंगनीज की कितनी खानें बन्द हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन खानों के बन्द होने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो गए;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं, इनमें से अनेक निक्षेपों का गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विदोहन किया जा रहा है।

(ख) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार यूनिट

5306. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार यूनिटों का राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों मे इन यूनिटों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्धारित मानकों के अनुसार क्षेत्रीय समाचार एककों के लिये स्वीकृत मौजूदा पदों को पर्याप्त समझा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समाचार एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
3.	असम	3
4.	बिहार	2
5.	चंडीगढ़	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	2
13.	महाराष्ट्र	4
14.	मणिपुर	1
15.	मिजोरम	1

1	2	3
16.	मेघालय	1
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	1
19.	पांडिचेरी	1
20.	राजस्थान	1
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	2
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	2
25.	पश्चिम बंगाल	2

क्षेत्रीय जल ग्रिड

5307. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय जल ग्रिड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिशेष जल वाले क्षेत्रों को जल अंतरित करने के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र की वृहद नदियों के बीच तथा हिमालयी नदियों के बीच अलग से अंतः-सम्पर्क बनाने की परिकल्पना की गई है। जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी घटक के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अध्ययन शुरू किए हैं।

उड़ीसा में पर्यटन स्थलों का विकास

5308. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से दो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, हरिशंकर (बोलनगीर) और चकापादू (फूलबनी) के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। हरिशंकर में एक पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु राज्य सरकार से, प्राप्त एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। तथापि, राज्य सरकार से चकापादू में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्र

5309. श्री मृत्युंजय नायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए कितने आकाशवाणी केन्द्र मंजूर किए गए;

(ख) उड़ीसा में बोलंगीर और भवानी पटना में आकाशवाणी केन्द्र में कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में फूलबनी में भी एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सातवीं योजना में, उड़ीसा राज्य के लिए पांच आकाशवाणी केन्द्र, भवानीपटना, बोलनगीर, बारीपाड़ा, राउरकेला और बेहरमपुर के लिए स्वीकृत किए गए थे।

(ख) 1992 में भवानीपटना और बोलनगीर के रेडियो स्टेशनों के तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की परिकल्पना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

5310. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्रीमती रीता वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) हालांकि वर्ष 1991 के प्रथम 6 मास से पर्यटकों के आगमन में लगभग 11.7% की कमी आई है लेकिन अब पर्यटक आगमन का रुख बदल गया है और वर्ष 1991 के बाद के छह मास में 7.5 प्रतिशत की तथा वर्ष 1992 के पहले दो महीनों के दौरान 33.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1991 के प्रथम छह मास के दौरान पर्यटकों के आगमन में कमी मुख्यतः खाड़ी युद्ध और उसके परिणाम के कारण आई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य इन्जीनियरिंग केन्द्र की स्थापना

5312. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान देश में नए खाद्य उत्पादों, प्रसंस्करणों और मशीनरी के विकास के लिए खाद्य इंजीनियरिंग केन्द्र की स्थापना का है;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्रों की उन राज्यों में स्थापित किए जाने की सम्भावना है जहां खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित खाद्य इंजीनियरिंग केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और सम्बन्धित अनुसंधान एव विकास क्रियाकलापों के विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान विद्यमान आधारभूत सुविधाओं एवं विशेषज्ञता का उपयोग करके केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में एक खाद्य इन्जीनियरिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

5313. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आठवीं योजना (1992-97) के मसौदा प्रस्तावों में आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्विचिंग क्षमता की लगभग 4 लाख लाइनें जोड़ना शामिल है।

(ख) और (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश में 1992-93 के दौरान अनन्तिम रूप से एक सौ से अधिक नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। यदि निधि उपलब्ध होने, सामग्री प्राप्त होने और जनता द्वारा मांग दर्ज करवाने पर निर्भर करेगा। अनन्तिम रूप से जिन स्थानों पर नये एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1992-93 के दौरान जिन स्थानों पर अनंतिम रूप से नये एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है उनकी सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	स्थान का नाम
1.	बालाघाट	दामोह
2.	बालाघाट	मानेगांव
3.	बस्तर	कापसी
4.	बस्तर	बान्वे
5.	बेतूल	चामपाड़ा
6.	भिंड	चयोगढ़
7.	बिलासपुर	जयजयपुर
8.	बिलासपुर	खामी
9.	बिलासपुर	पटारी
10.	बिलासपुर	कुरकेला
11.	बिलासपुर	बीरा
12.	छत्तरपुर	गंज
13.	छिंदवाड़ा	चील
14.	छिंदवाड़ा	सीरस
15.	दमोह	तेजगढ़
16.	दमोह	सिंगरामपुर
17.	देवास	सिलवाड
18.	देवास	अगरोद
19.	धाड़	सेगवाल
20.	धाड़	पागरा
21.	धाड़	डोंगरगढ़
22.	दुर्ग	उताई
23.	गुना	ओदेर
24.	गुना	सरसखेड़ा
25.	गुना	बामारी

1	2	3
26.	गुना	गवाली
27.	ग्वालियर	बड़ागांव
28.	ग्वालियर	बरोड़
29.	होशंगाबाद	कोठरा
30.	होशंगाबाद	रानी-पिपरिया
31.	होशंगाबाद	गडारिया
32.	होशंगाबाद	सिमारे
33.	झाबुआ	कोबाड़ा
34.	झाबुआ	तारखंडी
35.	झाबुआ	कुन्दनपुर
36.	झाबुआ	खट्टाली
37.	खंडवा	बोरी
38.	खंडवा	मंडवा
39.	खंडवा	सईदपुर
40.	खंडवा	चारवा
41.	खंडवा	बावली
42.	खंडवा	शिवपुर
43.	खरगांव	सिंगरौन
44.	खरगांव	भाष्कर
45.	खरगांव	बागोद
46.	खरगांव	पाछरिया
47.	मांडला	मानिकपुर
48.	मांडला	बिछिया
49.	मंदसौर	निमबोद
50.	मंदसौर	कुरबान
51.	मंदसौर	जमदोली
52.	मंदसौर	हाटपिपलिया
53.	मुरैना	बुहोड़ा

1	2	3
54.	मुरैना	ताराकलां
55.	मुरैना	बड़ागांव
56.	मुरैना	भागरा
57.	नरसिंहपुर	नौनी
58.	नरसिंहपुर	झामेर
59.	पन्ना	बृजपुर
60.	पन्ना	सेमरी
61.	रायगढ़	पुड़कपुरी
62.	रायगढ़	आमगांव
63.	रायगढ़	कापू
64.	रायपुर	बिल्लाईगढ़
65.	रायपुर	सिलतारा
66.	रायपुर	पंडुका
67.	रायपुर	सिहवा
68.	रायपुर	सांदी
69.	रायसेन	सुलतानगंज
70.	रायसेन	हरवंत
71.	रायसेन	भकटारा
72.	राजनन्दगांव	मोहाला
73.	रतलाम	पनवेहुवा
74.	रतलाम	मांडवी
75.	रीवा	आमिलकी
76.	रीवा	कटरा
77.	रीवा	पालगांव
78.	रीवा	पुरवा
79.	रीवा	कनोजा
80.	सागर	टाडा
81	सरगुजा	बदरफानपुर

1	2	3
82.	सरगूजा	फिलहारी
83.	सतना	हाटी
84.	सतना	कबरा
85.	सतना	रामस्थान
86.	सिउनी	बारी
87.	सिउनी	लखनवारा
88.	शहडोल	खांडोली
89.	शाजापुर	खटरोड
90.	शिवपुरी	बीड़ा
91.	सिधी	परसोना
92.	सिधी	सराय
93.	सिधी	निवास
94.	टीकमगढ़	ओरल
95.	टीकमगढ़	पालेरा
96.	टीकमगढ़	बामोरी-बरौना
97.	टीकमगढ़	बारी
98.	उज्जैन	उनखोख
99.	उज्जैन	चंदूखेड़ी
100.	उज्जैन	बेरखान
101.	उज्जैन	बनबाग
102.	उज्जैन	खंबेड़ा
103.	उज्जैन	गुनावाड

मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाएं

5314. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) ये योजनाएं कब से लंबित हैं;

(ग) उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) केन्द्र में मध्य प्रदेश की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभान्वित क्षेत्र	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन को स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) वृहद					
1.	बारगी बहु प्रयोजनी	412·40 ——— 566·34	229 ——— 105 मेगावाट	6/83 ——— 1/89	परामर्शदात्री समिति द्वारा 9/89 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य को पर्यावरणीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
2.	पेंच व्यपवर्तन	175·00 ——— 184·04	118·65	8/85 ——— 8/88	परामर्शदात्री समिति द्वारा 10/85 में स्वीकार्य पाई गई। निवेश स्वीकृति के लिए 2/91 में योजना आयोग को भेजी गई। योजना आयोग आठवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद इस पर विचार करेगा।
3.	महान	20·42 ——— 39·00	19·84	7/82 ——— 6/83	परामर्शदात्री समिति द्वारा 6/83 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य को प्राक्कलन संशोधित करना है एवं जल ग्रहण उपचार योजना प्रस्तुत करनी है।

1	2	3	4	5	6
4.	मान	35·94 / 44·10	17·76	11/82 / 1/84	परामर्शदात्री समिति द्वारा 12/86 में स्वीकार्य पाई गई। संशोधित लागत के लिए राज्य को अपने वित्त विभाग की सहमति से अद्यतन लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करने हैं।
5.	ओंकारेश्वर बहुप्रयोजनी	649·37 / 788·08	283·32 / 520 मेगावाट	4/86 / 5/86	चूंकि राज्य ने पर्यावरणीय और वन स्वीकृति सम्बन्धी मामले प्रस्तुत नहीं किए थे इसलिए परामर्शदात्री समिति द्वारा 10/88 में इस पर विचार विमर्श आस्थगित कर दिया गया राज्य को पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	थानावार टैंक	22·76 / 24·38	18·21	12/89 / 12/90	परामर्शदात्री समिति द्वारा 3/91 में स्वीकार्य पाई गई। बशर्ते कि पुनर्वासि की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।
7.	बाण सागर यूनिट-II	313·03 / 445·76	248·92	7/88 / 12/90	सिंचाई, नहर पहलुओं, कृषि और लागत सम्बन्धी पहलुओं से संबंधित मामलों को राज्य सरकार द्वारा हल किया जाना है।
8.	बारनी व्यपवर्तन	995·2 / 1102·23	315·00	4/88 / 11/90	यह परियोजना मूल्यांकन की उन्नत अवस्था में है। राज्य को पर्यावरणीय और वन स्वीकृति की व्यवस्था करनी है।
9.	केलो सिंचाई	51·88 / 92.45	34·56	5/88 / 4/90	राज्य को बांध डिजाइन को हल करना है और कोयला खानों की जल मग्नता के सम्बन्ध में कोयला विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी है। राज्य द्वारा पर्यावरणीय और वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6
10.	मोंगरा सिंचाई	77·27	32·62	5/89	राज्य को जल विज्ञान, सिंचाई, नहर और लागत प्राक्लन सम्बन्धी मामलों को हल करना है, पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पर्यावरणीय और वन मंत्रालय से स्वीकृति की व्यवस्था करनी है।
11.	महानदी जलाशय	486·23 ——— 915·30	459·93	10/83 ——— 2/90	राज्य को जल विज्ञान, सिंचाई जल प्रबन्ध और वित्तीय मामलों को हल करना है तथा पर्यावरण और वन स्वीकृति की व्यवस्था भी करनी है।
12.	सिन्ध सोपान-II	185·00 ——— 431·24 ——— 607·67	120·00	6/99 ——— 4/90 ——— 12/90	संशोधित रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई है। राज्य को सिंचाई योजना जल प्रबन्ध, फसल आयोजना आदि मुद्दों को हल करना है और पर्यावरणीय एवं वन दृष्टिकोण तथा पुनर्वास योजनाओं से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
13.	राजघाट नहर	46·15 ——— 225·55	121·45	1/89 ——— 11/90	राज्य सरकार को मुख्य नियामक और नहर क्षमताओं के डिजाइन पैरामीटरों को आशोधित करना है और लागत प्राक्कलनों की पुनरीक्षा करनी है। राज्य सरकार द्वारा अपने वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
14.	कोलार	139·14	60·87	10/89	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा परामर्शदात्री समिति के विचार के लिए नोट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
(ख) मध्यम					
1.	गेज	0·79	4·42	6/84	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है और परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है राज्य द्वारा अद्यतन लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने हैं तथा अपने वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
2.	मड्डुवार	18·67 ——— 43·67	13·70	7/84 ——— 2/91	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है और परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। राज्य सरकार को अद्यतन लागत प्राक्कलनों पर टिप्पणियों को अनुपालना करनी है यथा वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	बारचर	7·54 ——— 11·91	3·29	10/84 ——— 1/9.	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है और परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। राज्य द्वारा लागत प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जाना है।
4.	सूतियापेट टैंक परियोजना	15·6()	6·96	6/89	विस्तृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन योजनाएं संशोधित लाभ लागत अनुपात आदि प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस पर विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया।

परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और स्वीकृति तथा पुनर्वास और पुर्नस्थापना योजनाओं के सम्बन्ध में, यदि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी शामिल है, कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

दूरदर्शन केन्द्रों के लिए सलाहकार समिति

5315. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अधिकांश दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

(ख) कार्यक्रम सलाहकार समितियां दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती हैं इन समितियों का मूल उद्देश्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुझाव देना और समितियों को सौंपे गए अन्य मामलों में, जो केन्द्र के कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित हों, के बारे में सलाह देना।

राजस्थान में डाकघर

5316. प्रो रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कार्य कर रहे प्रधान डाकघरों और उप-डाकघरों, शाखा डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से जिला-वार कितने डाकघर किराए के भवनों में तथा कितने डाकघर सरकारी भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) किराये के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) उन डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है जिनके लिए भवन निर्माण हेतु जमीन खरीद ली गई है किन्तु भवनों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है;

(ङ) इन भवनों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) इस सम्बन्ध मे वर्ष 1992-93 के लिए यदि कोई धन-राशि नियत की गई है; तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान में कार्य कर रहे प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) किराये के भवनों और विभागीय भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) राजस्थान सर्किल में डाकघरों के लिए प्रतिवर्ष अदा की जा रही कुल धनराशि 54,03,388/रु० है।

(घ) उन डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण-III में दी गई है जिनके लिए भवन निर्माण के उद्देश्य से जमीन खरीद ली गई है।

(ङ) राजस्थान में, वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान डाकघरों के लिए भवन निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य विवरण-IV में दिये गए हैं।

(च) 1992-93 में राजस्थान को वार्षिक कितनी धनराशि आवंटित की जानी है, उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण-I

राजस्थान में प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की जिलेवार संख्या।

जिले का नाम		प्रधान डाकघरों की संख्या	उप-डाकघरों की संख्या	शाखा डाकघरों की संख्या
1.	बाड़मेर	1	34	435
2.	बीकानेर	1	41	164
3.	चुरू	2	49	314
4.	झुनझुनू	2	68	317
5.	जोधपुर	2	66	326
6.	जैसलमेर	1	17	132
7.	नागौर	3	58	440
8.	पाली	2	58	309
9.	सीकर	4	72	375
10.	सिरोही	1	24	148
11.	जालौर	1	25	223
12.	श्रीगंगा नगर	2	62	481
13.	अजमेर	4	103	308
14.	भीलवाड़ा	1	46	333
15.	चित्तौडगढ़	1	45	322
16.	डूंगरपुर	1	21	226
17.	बांसवाड़ा	1	29	240
18.	कोटा	2	43	142
19.	बारन	—	14	179
20.	झालावाड़	1	21	216
21.	टोंक	1	24	192

1	2	3	4	5
22.	बूंदी	1	20	150
23.	उदयपुर	2	61	410
24.	राजसमंद	1	17	188
25.	भरतपुर	3	43	260
26.	जयपुर	5	124	414
27.	दौसा	1	24	189
28.	सवाई माधोपुर	3	59	431
29.	अलवर	3	71	416
30.	धौलपुर	2	30	254

विवरण-II

राजस्थान सर्किल में विभागीय और किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों की जिला-वार संख्या

	जिले का नाम	विभागीय भवनों में चल रहे डाकघर	किराए के भवनों में चल रहे डाकघर
1.	बाड़मेर	3	32
2.	बीकानेर	5	37
3.	चुरू	9	.42
4.	झुनझुनू	9	61
5.	जोधपुर	9	59
6.	जैसलमेर	3	15
7.	नागौर	14	47
8.	पाली	13	47
9.	सीकर	9	67
10.	सिरोही	10	15
11.	जालौर	3	23
12.	श्रीगंगा नगर	10	54
13.	अजमेर	14	93

	1	2	3
14.	भीलवाड़ा	7	40
15.	चित्तौड़गढ़	4	42
16.	डूंगरपुर	5	17
17.	बांसवाड़ा	2	28
18.	कोटा	6	39
19.	बारन	—	14
20.	झालावाड़	2	20
21.	टोंक	6	20
22.	बूंदी	5	58
23.	उदयपुर	5	58
24.	राजसमंद	2	16
25.	भरतपुर	3	43
26.	जयपुर	26	103
27.	दौसा	5	20
28.	सवाई माधोपुर	6	56
29.	अलवर	8	66
30.	धौलपुर	4	28
	योग :	203	1221

टिप्पणी : सभी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा स्वयं प्रदान किए गए परिसरों में ही चलते हैं।

विवरण III

ऐसे डाकघरों की जिलावार संख्या जिनके लिए भवन बनाने के प्रयोजन से भूमि की खरीद की गई है

	जिले का नाम	उपलब्ध-भूखंडों की संख्या
1.	बाड़मेर	10
2.	बीकानेर	5
3.	चुरू	8
4.	झुनझुनू	55

1	2	3
5.	जोधपुर	14
6.	जैसलमेर	3
7.	नागौर	15
8.	पाली	16
9.	सीकर	18
10.	सिरोही	2
11.	जालौर	4
12.	श्रीगंगानगर	6
13.	अजमेर	19
14.	भीलवाड़ा	17
15.	चित्तौड़गढ़	2
16.	डूंगरपुर	6
17.	बांसवाड़ा	6
18.	कोटा	3
19.	बारन	3
20.	झालावाड़	1
21.	टोंक	4
22.	बूंदी	2
23.	उदयपुर	16
24.	राजसमंद	10
25.	भरतपुर	4
26.	जयपुर	13
27.	दौसा	6
28.	सवाई माधोपुर	12
29.	अलवर	15
30.	धौलपुर	2

विवरण-IV

राजस्थान सर्किल में 1991-92 के दौरान डाकघर भवन बनाने के लिए लक्ष्य

	प्रधान डाकघर	उप-डाकघर
(क) पूरे किए जाने वाले निर्माण कार्य	1	6
(ख) शुरू किए जाने वाले नए निर्माण कार्य	2	25

राजस्थान में हवाई पट्टियां

5317. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से राजस्थान में नई हवाई पट्टियां या नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितना धन निर्धारित किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अगस्त, 1991 में राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने अजमेर को दिल्ली और बम्बई से विमान सेवा द्वारा जोड़ने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) से (ङ) पूर्व किए गए एक सर्वेक्षण में कयर गांव के निकट एक स्थान की सिफारिश की गई थी। तथापि, वित्तीय, परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण सम्भव नहीं है।

राजस्थान पर्यटक स्थल

5318. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिन्हें देश के पर्यटन मानचित्र में चिन्हित किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थल जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर आदि पहले से ही देश के पर्यटक मानचित्र पर अंकित हैं।

(ख) गत तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान, राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि 263,47 लाख रुपए थी।

[अनुवाद]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में घाटा

5319. श्री भाग्ये गोवर्धन :

श्री गुरुदास कामत : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1990-91 के अन्त तक यह घाटा कुल कितना था; और

(ग) घाटा पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) दिनांक 31-3-91 की स्थिति के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 735 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई। हानि होने के कारण ये हैं :—कम्पनी के बर्नपुर इस्पात कारखाने की अप्रचलित प्रौद्योगिकी, संयंत्र तथा उपस्करों का पुराना पड़ना, अधिशेष श्रम शक्ति आदि, कोयला खदानों में असंतोषजनक उत्पादन और अधिक लागत तथा कुल्टी कारखाने की रुग्णता एवं उत्पादों के ह्रासमान बाजार।

(ग) वर्ष 1991-92 में कम्पनी की मुख्य इकाई, बर्नपुर इस्पात कारखाने ने प्रचालन के तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार किया, मूल्यवर्धित उत्पादों के अधिक उत्पादन पर जोर दिया और उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त किया, वर्धित विक्रय स्तर आदि प्राप्त किया। परिणामस्वरूप बर्नपुर कारखाने को 4 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित करने की आशा है तथा वर्ष 1991-92 में केवल 20 करोड़ रुपये की हानि उठाकर इसकी लाभदायकता में मुख्य रूप से सुधार होने की आशा है जबकि वर्ष 1990-91 में 133 करोड़ रुपये वास्तविक हानि हुई थी। कम्पनी की हानि को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं :

(क) बर्नपुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण।

(ख) कोयला खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाना।

(ग) कोयला खानों में खर्चे को कम करना।

(घ) उत्पादन लागत में सुधार करना तथा उन्नत तकनीकी-आर्थिक निष्पादन प्रोडक्ट-मिक्स।

उड़ीसा में डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

5320. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

श्री मृत्युंज्य नायक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में कितने डाकघरों, उपडाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के पास विभागीय भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कार्यालयों के लिए भवन बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : डाक विभाग (क) 31-1-91 की स्थिति के अनुसार, चार (4) प्रधान डाकघर और एक हजार पचपन (1055) विभागीय उप डाकघर विभागीय भवनों में नहीं है।

दूरसंचार विभाग

(क) जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में 425 टेलीफोन एक्सचेंज विभागीय भवनों में नहीं है।

डाक विभाग

(ख) जी हां : विभाग ऐसे मामलों पर एक चरणबद्ध तरीके से विचार करेगा, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

दूरसंचार विभाग

(ख) जी हां। विभागीय भवनों का एक चरणबद्ध तरीके से निर्माण करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

डाक विभाग

(ग) दो (2) प्रधान डाकघरों और चौदह (14) विभागीय उपडाकघरों के भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा दो (2) प्रधान डाकघरों और सात (7) उप डाकघरों के लिए भवनों के निर्माण की योजना संलग्न विवरण के अनुसार बनाई जा रही है।

दूरसंचार विभाग

(ग) पहले चरण में, विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए 52 मामलों का पता लगाया गया है संलग्न विवरण ख के अनुसार।

डाक विभाग

(घ) धनराशि का आबंटन संलग्न विवरण क के अनुसार है।

दूरसंचार विभाग

(घ) धनराशि का आबंटन संलग्न विवरण ख के अनुसार है।

विवरण-क

निर्माणाधीन भवन	1991-92 के लिए आबंटित कोष (हजार रुपयों में)
प्रधान डाकघर :	
1. चांदनी चौक	841
2. जलेश्वर	500
उप डाकघर :	
1. बंटा	220
2. टिगिरिआो	326
3. जाजपुर रोड	468
4. मधुबन	214
5. अनखाई	400
6. लाठीकाटा	320

1	2
7. आनंदपुर	220
8. जाजपुर टाउन	370
9. धरुआडीही	455
10. सुवदागा	420
11. बोंदीगढ़	455
12. बिनिका	421
13. हिंडोल	340
14. बारीपाड़ा	350
योजना स्तर के अधीन भवन	
प्रधान डाकघर :	
1. नयागढ़	150
2. बालासोर	खाका/प्रारम्भिक नक्शा अभी तैयार किया जाना है।
उप डाकघर :	
1. नरसिंहपुर	—वही—
2. इरासमा	—वही—
3. सोनपुर	—वही—
4. रैका	110
5. राजनीलगिरि	170
6. तेनसा	300
7. ककटपुर	250

विवरण-ख

क्रम सं०	स्थान का नाम	आबंटित कोष हजार में	मंजूरी की तिथि
1.	टी० ई० भवन नयागढ़	3660/-	19-4-91
2.	हारिजाटल-सह बी/ई से टी० ई० भवन बारगढ़	1523/-	30-3-90
3.	डी-100 एक्सचेंज राउरकेला	14005/-	6-6-90

1	2	3	4
4.	टी० ई० भवन, सुलबेड़ा	3036/-	27-4-89
5.	वी/ई से टी० ई० भवन, भद्रक	222/-	1-7-91
6.	हारिजांटल-सह-वर्टिकल टी० ई० भवन, अंगुल	2941/-	25-8-88
7.	टी० ई० भवन, दमनजोदी	3230/-	7-3-91
8.	टी० ई० भवन, झारसुगुडा	खाका/प्रारम्भिक नक्शा स्वीकृत	
9.	टी० ई० भवन, मैकनगिरि	200/-	खाका/प्रारम्भिक नक्शा वास्तुकार, भुवनेश्वर के कार्यालय में तैयार किया जा रहा है।
10.	टी० ई० भवन, असका	200/-	—वही—
11.	टी० ई० भवन, सोनपुर	150/-	—वही—
12.	टी० ई० भवन, राजगंगपुर	200/-	—वही—
13.	टी० ई० भवन, चंदबाली	150/-	—वही—
14.	टी० ई० भवन, बम्पुआ	100/-	—वही—
15.	टी० ई० भवन, आनंदपुर	177/-	—वही—
16.	टी० ई० भवन, टीरटोल	100/-	—वही—
17.	टी० ई० भवन, हीराकुण्ड	100/-	—वही—
18	टी० ई० भवन, हीराकुन्ड	300/-	—वही—
19.	टी० ई० भवन, बुरला	300/-	—वही—
20.	टी० ई० भवन, गुंपुर	400/-	—वही—
21.	आर एल यू एक्सचेंज, कलुंगा	100/-	—वही—
22.	ढेनकनाल 5के + 5के सी-डाट एक्सचेंज	200/-	—वही—
23.	टी० ई० भवन, बालुगांव	300/-	—वही—

क्रम सं०	स्थान का नाम	आवंटित कोष हजार में	क्षेत्र एकड़ में	मंजूरी की तिथि
24.	टी० ई० भवन, नीमापाड़ा	600/-	1·00	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
25.	टी० ई० भवन, गोपालपुर	100/-	0·6	—वही—
26.	टी० ई० भवन, गोपालपुर	100/-	0·6	—वही—
27.	टी० ई० भवन, परलाखेमुंडी	100/-	0·5	—वही—

1	2	3	4	5
28.	टी० ई० भवन, सोरो	100/-	0.5	—वही—
29.	टी० ई० भवन, चंदीपुर	150/-	1.00	—वही—
30.	टी० ई० भवन, करंजिया	200/-	1.00	—वही—
31.	टी० ई० भवन, कंटाबनजी	200/-	0.5	—वही—
32.	टी० ई० भवन, टीटीलागढ़	300/-	1.5	—वही—
33.	टी० ई० भवन, जाजपुर टाउन	1200/-	1.00	—वही—
34.	टी० ई० भवन, जाअर्तसिंहपुर	100/-	0.5	—वही—
35.	टी० ई० भवन, सलीपुर	150/-	1.00	—वही—
36.	टी० ई० भवन, चौद्वार	150/-	1.00	—वही—
37.	टी० ई० भवन, कोणार्क	200/-	1.00	—वही—
38.	टी० ई० भवन, बालीगुडा	100/-	0.5	—वही—
39.	टी० ई० भवन, बिजलीकुट	100/-	0·5	—वही—
40.	टी० ई० भवन, पदमपुर (संबलपुर)	400/-	0·5	—वही—
41.	टी० ई० भवन, बलेश्वर	100/-	0·5	—वही—
42.	टी० ई० भवन, चंडीपुर	200/-	0·5	—वही—
43.	टी० ई० भवन, रजनीलगिरि	100/-	0·5	—वही—
44.	टी० ई० भवन, बरियार रोड	100/-	0·5	—वही—
45.	टी० ई० भवन, केसिंगा	100/-	0·5	—वही—
46.	टी० ई० भवन, बंकी	300/-	1·00	—वही—
47.	टी० ई० भवन, कामाख्यानगर	400/-	1·00	—वही—
48.	टी० ई० भवन, उमरकोटे	100/-	0·5	—वही—
49.	टी० ई० भवन, गुआपाडा	100/-	0·5	—वही—
50.	टी० ई० भवन, जरका	100/-	0·5	—वही—
51.	टी० ई० भवन, बोनई	100/-	0·5	—वही—
52.	टी० ई० भवन, कुआखिया	100/-	0.5	—वही—

[हिन्दी]

बिहार और उड़ीसा में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

5321. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या संचार मंत्री 9 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 2938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के संदर्भ में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जी, हां। संलग्न विवरण I और II के अनुसार क्रमश: उड़ीसा तथा बिहार दूरसंचार सर्किलों के सम्बन्ध में सूचना सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण-I

(क) निम्नलिखित अवधियों के दौरान उड़ीसा में अगला आधार पर स्वीकृत/प्रदत्त टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	स्वीकृत	प्रदत्त
1-4-87 से 31-3-88	26	26
1-4-88 से 31-3-89	319	290
1-4-89 से 31-3-90	576	486
1-4-90 से 31-11-91	34	34
जोड़	905	835

शेष 69 कनेक्शनों की व्यवस्था की जानी है क्योंकि पार्टियों ने अभी तक अपनी मांगें दर्ज नहीं कराई हैं।

(ख) निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या :

अवधि	जोड़
31-3-1988	6,412
31-3-1989	5,559
31-3-1990	4,744
30-11-1991	6,720

(ग) प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित लगभग 30 प्रतिशत व्यक्तियों को मार्च, 1992 तक टेलीफोन

प्रदान किए जाने की सम्भावना है और बाकी व्यक्तियों को अगले वित्त वर्ष 1992-93 तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण-II

(क) निम्नलिखित अवधि के दौरान बिहार में अग्रता आधार पर स्वीकृत/प्रदत्त टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	स्वीकृत	प्रदत्त
1-4-87 से 31-3-88	20	20
1-4-88 से 31-3-89	23	23
1-4-89 से 31-3-90	36	36
1-4-90 से 30-11-91	400	400
जोड़ :	479	479

(ख) निम्नांकित तारीखों की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या :

अवधि	जोड़
31-3-1988	10,468
31-3-1989	10,067
31-3-1990	12,953
30-11-1991	22,288

(ग) लगभग 19,800 टेलीफोन कनेक्शन मार्च, 1992 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में आरक्षण सुविधाएं

5322. श्री फूल चंद वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीड़-भाड़ के कारण यात्रियों को एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के आरक्षण करवाने में असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) एयर इण्डिया देश में तथा विदेश में दोनों जगह उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) अंतर्देशीय और

अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर पर्याप्त विमानक्षमता उपलब्ध है। वर्ष में किसी समय कुछ उड़ानें ऐसी हो सकती हैं जब उनमें ओवर-बुकिंग हो सकती है। विमानक्षमता की कठिनाई के कारण एयर इंडिया इस समय अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन करने की स्थिति में नहीं है।

बाढ़ नियन्त्रण हेतु प्रयास

5323. श्री विजय एन० पाटिल :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र के विज्ञान और पर्यावरण विशेषज्ञों की इस राय की जानकारी है कि बांध और तटबन्धों के निर्माण द्वारा बाढ़ नियन्त्रित करने से वास्तव में देश में बाढ़ आने की संभावना में वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों के विनाशकारी प्रभाव को कम करने और उर्वरकता और भूजल के पुनः प्रयोग करके लाभकारी प्रयोग करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीतियां हैं?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है, लेकिन स्कीमों की मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चलता है कि निर्माण किए गए तटबन्धों ने कुल मिलाकर अपना उद्देश्य पूरा किया है।

(ख) इस समय बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ प्रूफिंग और जल-निकास संकुलता दूर करने जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम में बाढ़ प्रबन्ध पर भी बल दिया जाता है। भूमि उर्वरण और भूजल पुनः-भरण के रूप में बाढ़ का सकारात्मक प्रभाव भी कुछ उप-बेसिनों में देखा गया है।

फास्ट/संसाधित खाद्य के लिए मैसर्स जे०एम०आर०पी०सी०ओ० का विदेशी सहयोग का प्रस्ताव

5324. श्री मृत्युञ्जय नायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जे०एम०आर०पी० कम्पनी लि० के फास्ट/संसाधित खाद्य के उत्पादन हेतु विदेशी सहयोग के प्रस्ताव की विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) प्रसंस्कृत एक्सट्रूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स और गैर-एल्कोहालिक पेय, बेस/सुगन्ध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूड्स प्रा०लि०" नामक एक नई कम्पनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै०जे० एम० आर० पी०कं० लि० और 40 प्रतिशत वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साउथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेंसी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है।

एयर इण्डिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5325. श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) आरक्षित श्रेणियों में पिछली बकाया रिक्तियां कितनी हैं तथा इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1-1-92 को एयर इण्डिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थीं :—

अनुसूचितजाति	—	3347
अनुसूचित जनजाति	—	887

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित 156 पद रिक्त पड़े थे ।

जैसाकि राष्ट्रपति के निदेश में व्यवस्था है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

कोयलकारो पनबिजली परियोजना

5326. श्री रामलखन सिंह यादव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयलकारो पनबिजली परियोजना की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 8-10 दिन पहले यहां पर व्हीट के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बारे में बात हुई थी, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन 21 मार्च की अखबार में यह छपा है—

[अनुवाद]

जिसका शीर्षक है : गेहूं आयात करने के लिए टेन्डर आमन्त्रित किए गए। इसमें आगे यह उल्लेख है :—

"अमरीका द्वारा भारत को रियायती मूल्य पर गेहूं बेचे जाने से इन्कार करने पर भारत ने आज 10 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए विश्व-स्तर पर टेन्डर आमंत्रित किए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे इसमें से उठते हैं। एक मुद्दा तो यह है कि यू एस ने रिफ्यूज क्यों किया। हमारे यहां के फूड सेक्रेट्री श्री पी० त्रिपाठी 12 दिन यू एस में रहे, 4 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन क्यूबा के कारण यह नहीं हो पाया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अप्रैल में नई फसल आ रही है और सरकार कहती है कि इस बार बम्पर व्हीट क्राप हुई है। ऐसी स्थिति में गेहूं का आयात विदेशी मुद्रा को बर्बाद करना है। सरकार ने भारतीय किसान के लिए गेहूं की कीमत 250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की है लेकिन इन्टरनेशनल मार्केट के लिए 168 अमरीकी डालर यानी 425 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करना है। यदि भारतीय किसान को अधिक मूल्य दिया जाता तो उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैंने इसके बारे में नोटिस भी दिया है। कुशल प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में गेहूं के आयात की आवश्यकता है। मैं ये दो प्रश्न आपके सामने रखता हूं और इन पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार और श्री चन्द्रजीत यादव जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे पास 14.5 मिलियन पीडीएस के लिए दो माह यानी फरवरी और मार्च के लिए पर्याप्त स्टाक है और उसी दिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि 13.4 मिलियन टन स्टाक उपलब्ध है। पहला प्रश्न श्री ए० आर० मौर्य और श्री प्रवीन डेका का है, प्रश्न सं० 195 में उन्होंने प्रश्न पूछा है :—

[अनुवाद]

जो इस प्रकार है :

"क्या सरकार को गेहूं आयात करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

इसमें सरकार ने बताया है कि इंपोर्ट करने की बात तय की गई है, लेकिन उसी दिन मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है—'हां'।

[अनुवाद]

फिर दूसरा उत्तर इस प्रकार है :

"इस समय अगले दो वर्षों के दौरान गेहूं आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, एक ही दिन, एक ही मन्त्रालय अलग-अलग तरह के उत्तर दे रहा है। एक तारांकित प्रश्न है और दूसरा अतारांकित प्रश्न है। इसी तरह से एक प्रश्न के उत्तर में 14.5 मिलियन

टन का स्टाक बताया गया है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में 13.5 मिलियन टन का स्टाक बताया गया है। यानी एक मिलियन टन की कोई अहमियत इनके लिए नहीं है। इसमें इन्होंने यह भी माना है कि अगली फसल तक हम देखेंगे, अप्रैल महीने में अगली फसल आ जाती, उसका जायजा लेकर उसके बाद कुछ तय करते तो उचित होता। अप्रैल में जब नई फसल आ रही है, बम्पर क्राप आ रही है तो जो ग्लोबल टेंडर है, वह क्या सिद्ध करता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके बारे में एक संसदीय समिति गठित की जाए, जो सारे मामले की जांच करे, क्योंकि भारतीय किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा है, अमरीका के किसान को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मूल्य दिया जा रहा है, इससे देश का क्या होगा। मेरा कहना है कि इस बारे में मन्त्री महोदय उत्तर भी दें।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना है। शुक्रवार, 27 मार्च, 1992 को नागालैंड के राज्यपाल ने हास्यास्पद और मनमाने ढंग से तथा असंवैधानिक तरीके से मुख्यमन्त्री 'वामुजी' जिन्होंने सदन में अपना बहुमत खो दिया था, के कहने पर नागालैंड विधानसभा भंग कर दी है।

संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को मामले की जांच करनी चाहिए थी तथा अन्य राजनैतिक दल को सरकार बनाने का मौका देना जाना चाहिए था। उन्होंने संकुचित पक्षपातपूर्ण सलाह को अधिक महत्व दिया। यहां तक मन्त्रिमण्डल ने भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था। यह निर्णय केवल मुख्यमन्त्री का था, जिन्होंने राज्यपाल को यह सलाह दी थी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

हमारी मांग है कि गृहमन्त्री जी को इस महत्वपूर्ण मामले पर एक वक्तव्य देना चाहिए। राष्ट्रपति जी को भी इस मामले के बारे में पहले अवगत नहीं कराया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल ने स्वयं यह निर्णय लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्यपाल ने, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, और जिन्हें स्थिति को संभालना चाहिए था और जो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार का कार्य किया। मैं इस कार्य की निंदा करता हूं। हमारी मांग है कि गृहमन्त्री जी को इस महत्वपूर्ण मामले पर एक वक्तव्य देना चाहिए और राज्यपाल को उस राज्य से हटा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरज मण्डल।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को संसदीय मामलों के मन्त्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि गृहमन्त्री जी इस मामले पर एक वक्तव्य देंगे। समाचारपत्रों में चाहे जो कुछ भी छपा हो, हम नहीं जानते, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है।

हमें जो ज्ञात हुआ है उसके मुताबिक मन्त्रिमण्डल से परामर्श किए बगैर या बिना उसके समर्थन के, नागालैंड के मुख्यमन्त्री ने राज्यपाल को सुझाव दे दिया और तत्काल विधानसभा को भंग कर दिया गया। प्रजातांत्रिक राजनीति के लिए यह बहुत ही गंभीर मामला है और यदि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है

कि राज्यपाल के पास किसी भी समय विधान सभा भंग करने का अधिकार होना चाहिए तो यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमें, सोचना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल की कार्यवाही पर हम तब तक बहस नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं लाया जाता।

श्री मनोरंजन भक्त : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जब राज्य सरकार अल्पमत में आ गई, तो उस समय मुख्यमन्त्री का सुझाव राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राष्ट्रपति के बिना बताए, भारत सरकार को बताए बगैर स्वीकार कर लिया। उनका व्यवहार निंदनीय है। गृह मन्त्री को तत्काल इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरज मंडल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनियमित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी को कुछ कहना है तो सरकार कहेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान लीजिए। आप कुछ समय के लिए इन्तजार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बगैर विशिष्ट प्रस्ताव लाए बिना राज्यपाल की कार्यवाही पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक संवैधानिक अपेक्षा है। गृहमन्त्री को पहले बोलने दीजिए। श्री पाणिग्रही आप अपनी जगह लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलन एक बहुत पुरानी मांग है। इस सम्बन्ध में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कई बार इस सवाल को मैं सदन में उठा चुका हूं। लेकिन झारखण्ड आंदोलन को भी पूरे हिंदुस्तान में जैसे अन्य चीजों को लिया जाता है, वैसे ही लिया जा रहा है। हम सरकार से यह कहना चाहेंगे और सदन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि झारखंड के लोग किसी भी तरह की कभी भी असत्य बयानबाजी नहीं किया करते हैं। पिछले नौ महीने में तीन बार झारखण्ड आंदोलन के बारे में हमने सदन में सवाल उठाये, लेकिन केन्द्र सरकार इस समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है। आज जिस तरह से वहां के कोयला और खनिज सम्पदा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने

आर्थिक नाकेबन्दी की है तब से बन्दकर दी गई हैं। केन्द्र सरकार खनिज सम्पदा कोयला और लोहे को जितना महत्व देती है उसी तरह से वहां की मांग, जनता की समस्या से केन्द्र सरकार चिन्तित नहीं है और उसको महत्व नहीं दे रही है।

हम फिर एक बार आपके माध्यम से भारत सरकार को निवेदन करना चाहेंगे कि झारखण्ड आंदोलन को केन्द्र सरकार गम्भीरता से ले और राज्य और केन्द्र के बीच का झगड़ा नहीं बनाये। झारखण्ड के लोगों को पीसने का काम, दबाने का काम नहीं करे। नहीं तो इस देश में जो बोलते हैं वह सही होता जा रहा है। आज 10 दिन से पूरे झारखण्ड इलाके में आर्थिक नाकेबन्दी है और सभी लोग मानते हैं कि वहां से खनिज, कोयला, लोहा आना बन्द हो गया है। इसको देश की सम्पदा मानते हैं तो राष्ट्र की समस्या इसको मानना चाहिए, वहां के लोगों की तकलीफ को राष्ट्र की तकलीफ मानना चाहिए और केन्द्र सरकार ने झारखण्ड विषयक समिति, सी०ओ०जी०एम० 1988 में बी० एस० लाली, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे उनकी अध्यक्षता में बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर इस सदन में सरकार उसे प्रस्तुत करे और एक स्टेटमेंट दे।

जो हम लोगों के बीच वार्ता में गतिरोध हो गया है केन्द्र सरकार उसको दूर करने में पहल करे, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के अन्दर एक पंजाब, एक असम, एक जम्मू-कश्मीर और बनने से बचाने के लिए विचार करे।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सूरज मंडल की बातों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बातों को उनके साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं। आज आठ दिन से बिहार में आर्थिक नाकेबन्दी है और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो अलग झारखंड राज्य की मांग की जा रही है उसकी वजह से पूरे बिहार की स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है और स्थिति तनावपूर्ण है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। इस पर गंभीरता से ध्यान दें अन्यथा बिहार की स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। इसके अलावा वहां आंदोलनकारी और ठेकेदारों के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण है। सबसे बुरी स्थिति तो इस देश के जो विद्युत तापगृह हैं उनके बंद होने से हो सकती है। राजघाट संयंत्र, इन्द्रप्रस्थ तापगृह, भटिंडा, बदरपुर, रोपड़ के संयंत्र बन्द होने की स्थिति में हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं और आगाह भी करता हूं कि समय रहते चेते और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से सम्मानजनक समझौता करें और उस पर कार्यवाही करे।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, यह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का सवाल नहीं है, वहां आम जनता का सवाल है। इसलिए कि वहां पर सारी जनता को इस विषय पर उस एरिया के लिए न्याय दिया जाए और सरकार गम्भीरता से सोचे। यह एक आदिवासी इलाका है और उस इलाके के लिए जिस दिन बहुत सारी बातें कह जाते हैं लेकिन जब कोई मांग उठाते हैं तो न्यायपूर्वक विचार नहीं होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आम जनता द्वारा इस उठाए हुए सवाल पर विचार करे और छोटा नागपुर और आसपास के प्लेटों का जितना क्षेत्र है सभी पार्टियों की वहां पर आम सहमति बरकरार है। इसलिए यहां पर इस हाउस में भी सर्वसम्मति से इस पर विचार होना चाहिए कि इनको जो न्याय दिया जा सकता है, वह जल्दी से कर सकें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था और उम्मीद के साथ कि गृहमंत्री छोटानागपुर क्षेत्रों (झारखण्ड) क्षेत्रों विषय में एक बयान देंगे।

यह प्रेस में छपा है कि झारखण्ड विषय पर एक समिति ने अपनी रपट दी है और यह आज अखबारों में छपी है। समाचार-पत्रों में परस्पर विरोधी बातें पढ़ने को मिल रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर लाना चाहता हूं कि गृहमंत्री ने मुझे लिखा है कि उनको सदन के पटल पर एक रपट रखने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत ही बेचैनी है। उस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए, वह वर्षों से नहीं हुआ है और उसका कारण यह है कि उसकी उपेक्षा होती रही है प्रदेश की तरफ से। हमारी और हमारी पार्टी की राय रही है कि जब तक बिहार का विभाजन नहीं होता है और छोटा नागपुर, संथाल परगना एरिया को अलग रूप से एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, शायद इस समस्या का यह हल नहीं होगा। मेरी अपनी साथियों से भी सलाह है कि इस व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रखकर चार प्रदेशों के चार जिले यहां से, 15 जिले यहां से, तीन जिले यहां से मिलाकर एक झारखण्ड बनाना शायद व्यावहारिक नहीं होगा लेकिन बिहार प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर उसको वनांचल के रूप में बनाना यह ज्यादा व्यावहारिक होगा और उस समस्या का हल भी हो जाएगा, यह मैं समझता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भी इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई हैं। आज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री की जो बातचीत हुई है, मैं इस सम्बन्ध में एक बात आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस इलाके में मैं भी परसों गया हुआ था। जो वहां ब्लाकेड की स्थिति है, बहुत ही सफल आर्थिक नाकेबन्दी और अगर बिहार सरकार रेस्ट्रेंट न बरती होती तो कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार पहल करके जो उनकी मांगें हैं, उसके सम्बन्ध में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठाए और खासकर जो अभी आडवाणी जी ने कहा कि बिहार का विभाजन कर दिया जाए तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उस सवाल पर जो कुछ बात केन्द्रीय सरकार करती है, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि वहां पर कौनसा सैटअप होगा और कौन स्वरूप होगा क्योंकि झारखण्ड मुक्ति मोर्चे के नेताओं ने जो कहा है, उसके हिसाब से वे यूनियन टैरीटरी की बात की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि उस इलाके की जो एस्पायरेशन्स हैं, उसी को देखते हुए सभी दलों के लोग समस्या का समाधान चाहते हैं—चाहे जनता दल हो, बीजेपी के लोग करते रहे हों, कांग्रेस के लोगों की तरफ भी आया है और कल परसों आई० पी० एफ० का भी विचार आया है, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का भी है—तो सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं को बैठाकर, बिहार सरकार के साथ साथ सम्बद्ध सभी और चार राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उसमें शामिल हों इस समस्या का सम्मानजनक हल निकाला जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सिर्फ बिहार का बंटवारा न हो बल्कि जो बड़े राज्य हैं—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि—उन सभी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और नए देश में नए सिरे से पुनर्गठन होना चाहिए और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाना चाहिए। इसमें भी देश के सभी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए नये सिरे से ताकि बिहार वासियों को यह न लगे कि सिर्फ बिहार में जो सचमुच रिसोर्सेज पैदा करने वाली जगह है—उसको काटकर बिहार को दण्डित किया जा रहा है और उनको यह भी न लगे कि जानबूझकर उनके साथ गलती की जा रही है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैंने तो अलग से इसकी सूचना दी थी लेकिन मैं इस पर अपनी राय पहले दे देता हूं। बहुत दिनों से झारखण्ड की अलग राज्य की मांग हो रही है। हम लोगों के जन्म से बहुत पहले से झारखण्ड शब्दावली हमारी सांस्कृतिक इतिहासिक परम्परा में है और सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी—गैरबाद वासी सभी लोगों में एकता स्थापित है।

झारखण्ड वालों की मांग कई राज्यों को मिलाकर है और उस पर भी हमें एतराज नहीं है, मगर उसके चलते विलंब हो जाए, वह ठीक नहीं है। वह कहीं हिंसात्मक रूप न ले ले, एक बम विस्फोट भी हुआ है रेल पथ पर। एसी ऐसी हालत में हमारा आग्रह है कि अगर गृह मंत्री सभापटल पर विवरण रखते हैं तो वह सदन में यह भी एलान करें कि कोई उपद्रव नहीं होने देंगे, नाकेबंदी बंद हो। केन्द्र शासित राज्य के रूप में झारखण्ड की मांग को सिद्धांतत: कबूल करने पर आज एलान न कर दें, व्यावहारिक बातें तो बाद में होती रहेंगी। यही मेरा आप से आग्रह है। अध्यक्ष जी, मैंने जो सूचना दी थी, उस पर मैं अभी कह दूं या बाद में···।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के भाइयों की जो मांग है, वह आदिवासी जंगलों में रहते हैं, यह उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, और जो सत्ता का या प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए था, उसके नहीं होने के कारण ही आज आदिवासी भाइयों में यह भावना पैदा हो रही है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। झारखण्ड का क्या रूप हो, वह तो चर्चा का विषय है। इसमें गृह मंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करें और उसके बाद जो भी निर्णय लें, वह उनके हित में होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी निर्णय हो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, यही मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मसले का सम्बन्ध है यह हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आजादी को इतने वर्षों बाद भी एक बृहत जनसमुदाय, विशेषकर आदिवासियों को उचित व्यवहार नहीं मिल रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं और कुछ उचित मांगे हैं। स्वाभाविक तौर पर उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार होना चाहिए और अलगाववादी भावनाओं को दूर करने के लिए तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। अत: हम यह सुझाव देते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जिसको अनुकूल वातावरण में विचार-विमर्श के द्वारा हल किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि सभी राजनैतिक दलों को विचार-विमर्श की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जटिल होती जा रही इस समस्या को हल किए जाने में भागीदारी होनी चाहिए।

पश्चिमी बंगाल में, हमने भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय और एक समुदाय विशेष से जुड़ी समस्याएं पैदा हुई थीं और एक स्वायतशासी परिषद का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने परिषद के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई है। कई तरह की उत्तेजनाएं भी वहां थीं। इस समय मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन यह ज्ञात है कि कौन उत्तेजना फैलाने की कोशिश कर रहा है। अत: मेरा सुझाव यह है कि इस बातचीत के जरिए समुचित ढंग से सुलझाया जाए और मैं सभी

वर्गों को तथा झारखण्ड आन्दोलन में अपने सभी मित्रों को यह अपील करता हूं कि इस समस्या का समाधान सड़कों पर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हल किया जाए महत्त्वपूर्ण चीजों जैसे, कोयले आदि की ढुलाई में रुकावटें डाली जा रही हैं। अत: यह भी ध्यान रखा जाए। मैं प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करता हूं प्रत्येक वर्ग से विनय करता हूं कि यहां किसी तरह की बाधाएं नहीं होनी चाहिए, जैसे बिजली के उत्पादन में बाधाएं खड़ी करना, जिससे कि देश के सामान्य लोगों का जनजीवन प्रभावित हो। भारत सरकार की यहां विशेष जिम्मेवारी बनती है जबकि समाचार पत्रों के अनुसार भारत सरकार इस समस्या की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डाल रही है। यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। अत: सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक आयोजित करनी चाहिए और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि एक उचित समाधान ढूंढा जा सके।

[हिन्दी]

श्री जीवन शर्मा (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहूंगा कि यह झारखण्ड की बात हो रही है। इसके साथ-साथ यू०पी० में जो वहां के आठ पहाड़ी जिले हैं, उसका हमारी यू० पी० सरकार ने उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव भेज भी दिया है। यह झारखण्ड को लेकर चार राज्यों की बात हो रही है, चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए, वे आ जाएं। जब यू० पी० सरकार उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव को पास करके भेज दिया है तो इसके बारे में केन्द्र सरकार का क्या विचार है इस मुद्दे को क्यों लम्बा खींचा जा रहा है क्या केन्द्र सरकार चाहती है कि वहां भी ऐसी ही हालत बने? उत्तरांचल के प्रस्ताव को भी क्यों नहीं झारखण्ड के साथ जोड़ा जा रहा है?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) अध्यक्ष जी आपको स्मरण होगा कि मैंने ही इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि चूंकि राज्यों से रिपोर्ट नहीं आ रही थी तो उनके मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाएं, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी बुलायें और इसका कोई समाधान निकालें पहली बैठक में दो मुख्यमंत्री सम्मिलित नहीं हुए। परसों फिर जब बैठक हुई तो उसमें बिहार के मुख्य-मंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के लोग सम्मिलित हुए। उसमें एक प्रार्थना यह की गई थी कि लाली रिपोर्ट गृह मंत्री जी ने जो कमेटी इस सम्बन्ध में बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए मुझे खुशी है कि गृहमंत्री ने उस अनुरोध को मान लिया है मगर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक दूसरा अनुरोध किया था और वह ज्यादा आवश्यक है उन्होंने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए यह महज झारखण्ड मुक्ति मोर्चे का ही प्रश्न है जो गम्भीर बन गया है और उसमें अनुरोध किया गया था कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चे के लोगों को अपना आन्दोलन वापस ले लेना चाहिए अन्यथा बहुत से पावर हाउस और बहुत सी ट्रेनें वहां बंद हो जायेंगी, उनके आन्दोलन के कारण। उन लोगों ने यह कहा है कि अगर गृहमंत्री एक वक्तव्य झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की मांगों के बारे में अपनी राय को प्रकट करता हुआ, दे दें तो वे उस पर विचार करने को तैयार हैं।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी उनके अनुरोध को मानते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के, न केवल अपनी रिपोर्ट सदन में रखें बल्कि इस बारे में, केन्द्र सरकार जो नीति इन राज्यों के सम्बन्ध में अपनाना चाहती है, उनकी मांगों के बारे में, एक वक्तव्य, यदि आवश्यक हो तो जैसा यहां सुझाव दिया गया है उसके लिए और पार्टीज के नेताओं को बुलाकर, इस गम्भीर प्रश्न पर विचार कर लें। इसलिए मेरी पहली मांग यह है कि आप एक बैठक बुला

कर, इस प्रश्न पर विचार कर लें और दूसरे भारत सरकार अपना रुख, नीति सम्बन्धी वक्तव्य इस सदन में जल्दी से दे ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जरा इस पर हमारे माननीय आडवाणी जी या वाजपेयी जी कुछ कहें क्योंकि आदिवासियों का यह मामला है, हत्या हुई है। यदि ये बोल दें तो अच्छा होगा। वैसे मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि आप दखल दीजिए लेकिन मदद कीजिए, यही चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं भिन्न विषय उठा रही हूं, लेकिन यह विषय इसी से जुड़ा हुआ है। यह मध्य प्रदेश के आदिवासियों के विषय में है। कम्यूनिष्ठ पार्टी के एक आदिवासी कार्यकर्त्ता, रामनाथ की हत्या पुलिस ने कर दी। क्यों ? अपराध क्या था ? क्योंकि राजगढ़ जिले को सेंगूर गेट में हमारी पार्टी द्वारा एक आदिवासी सम्मेलन बुलाने की पहल की गई थी। इस सम्मेलन के लिए अनुमति नहीं होने दी गई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।इतना ही नहीं जब गिरफ्तार लोगों को ले जाया जाने लगा तो प्रतिरोध स्वाभाविक था। आखिर सम्मेलन की क्यों अनुमति नहीं दी गई ? क्या इसका जवाब पुलिस की गोली है ? जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक आहत हुआ। क्या हमारे देश में आदिवासी लोगों से व्यवहार करने का यही तरीका है ? महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा होने के कारण यह केन्द्रीय विषय है। इस पर अविलम्ब जांच होनी चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, एन० आई० सी० की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से, अयोध्या में जिस डेलीगेशन को जाना था, उसके बारे में अखबारों में कुछ कान्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट छप रही है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत संवेदनशील सवाल है। एन० आई० सी० की मीटिंग में जो एक युनेनिमस राय बनी थी, उस राय को 5 महीने तक डिले किया गया और अब जब उसकी बहुत जरूरत है, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में कन्सट्रक्शन का क्या प्लान है, उसका नक्शा भी आज तक भारत सरकार यहां पेश करने में नाकामयाब रही है। मुझे आशंका है कि जब वहां जाने की जरूरत नहीं होगी, तब तक के लिये इस मामले को टालने से, इस संवेदनशील सवाल पर कोई तारीख तय करने में यदि देरी की गयी तो उससे कहीं यह और गम्भीर रूप न धारण कर ले। यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है और मैं इस पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहता लेकिन मेरी राय, सरकार से है कि वहां जो प्रतिनिधिमण्डल जाना है, उसे भेजने का काम जल्दी किया जाना चाहिये, तत्काल किया जाना चाहिये। एक काम आपको यह जरूर करना चाहिये कि वहां का जो कन्सट्रक्शन प्लान है, वह तो आपके हाथ की बात है, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, वह प्लान यदि देश के सामने आ जाये तो लोगों के मन में जो आशंकाएं है कई तरह की, इसमें दो पक्ष लगे हुए हैं, अदालत में केस लम्बित है, इसलिये आप उसे तत्काल साफ करें और प्रतिनिधिमण्डल की तारीख जल्दी से जल्दी तय करें, यही मेरी आपके जरिये सरकार से विनती है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, खेत के साथ मुझे पुन: बोफोर्स मामले को उठाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि बोफोर्स के विषय में जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें धूर्तता और

अविश्वास दिखाई पड़ता है लेकिन मुझे इसे पुनः उठाना पड़ रहा है कि माननीय विदेश मन्त्री श्री माधव सिंह सोलंकी द्वारा 1 फरवरी को पांच पृष्ठ का एक ज्ञापन मि० रेने फेलबर को सौंपे जाने का समाचार है, जोकि स्विस विदेश मन्त्री हैं।

महोदय, ज्ञापन में अन्य बातों के साथ स्पष्ट रूप से स्विस सरकार से यह कहा गया है कि इस मामले की जांच के लिए आगे तब तक कोई कदम नहीं उठाए जाएं जब तक कि भारतीय अदालतों में इस मामले का निबटारा नहीं हो जाता और मेरे मित्र, विख्यात विधि वेत्ता को यह ज्ञात होगा कि भारतीय अदालत में इस मामले के निबटारे का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय में इस केस का निबटारा जोकि मि० चाड्ढा जो प्राप्तकर्ता है, उच्च अदालत में दायर कर रखा है पांच पृष्ठ के इस ज्ञापन की घटना को पहले जो श्री माधव सिंह सोलंकी द्वारा मि० फेलबर को दिया गया बताया जाता है, जेनेवा केनटोबल अदालत की सुनवाई स्थगित कर दी गई थी इस ज्ञापन को इस सार्वजनिक रहस्योद्घाटन से पहले जेनेवा और स्वीटजरलैंड में अफवाहें उड़ती थीं कि एक उच्चस्तरीय संदेश शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है, लेकिन इसके प्रकाश में आ जाने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो अचानक जाग उठा और इसके द्वारा स्विस अधिकारियों को ज्ञानपा तथा विशेष संदेश भेजकर यह कहा जा रहा है कि उक्त ज्ञापन को दरकिनार कर जांच प्रक्रिया में और भी तेजी लाएं। इन अस्पष्ट संकेतों से बोफोर्स का गंदला पानी और भी गंदा हो गया है और इस प्रकार भारतीय और स्विस सरकारों के बीच एक दुविधापूर्ण स्थिति उमर भाई है। अतः मैं निम्न मांग मांग रखता हूं।

प्रथम, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विदेश मन्त्री, श्री माधव सिंह सोलंकी ने मि० फेलबर को कोई ज्ञापन दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं किया तो क्या उनकी ओर से विदेश मन्त्रालय के किसी अधिकारी ने ऐसा किया है। दूसरी, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो भारत सरकार को इस तथ्य पर संसद को स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। तीसरा, सरकार को बोफोर्स मामले की जांच में तथा स्विटजरलैण्ड में इस के बारे में अदालती कार्रवाई में अब तक की प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक विस्तृत बयान करना चाहिए। चौथा, इसे स्पष्ट करना चाहिए कि इस जांच प्रक्रिया को अवरूद्ध करने की कोशिशों के बावजूद भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि वह स्विस अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने को कहेगी और इसके अनुसरण में इस सदन में यह संकल्प लाये कि यह सभा संकल्प करती है कि बोफोर्स मामले में जांच जारी रहे और सभी भारतीय और विदेशी जांच एजेन्सियां इस दिशा में सभी प्रतिकूल संकेतों की ओर ध्यान दें। मैं समझता हूं कि इससे स्थिति सही रूप में उभरेगी दरअसल, आज सरकार की ओर से एक विस्तृत बयान दिये जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि अवरूद्ध करने वाला किसी बहस की जरूरत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह, सरकार ने बयान दिया था कि वे बहस के लिए तैयार थे। इस मामले पर संसद में पहले भी बहस हो चुकी है। मैं नहीं जानता हूं कि कब तिथि नियत की जाएगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सप्ताह एक तिथि नियत की जाए ताकि एक पूर्ण बहस हो सके। लेकिन एक कांग्रेसी सरकार का अजनबी व्यवहार, इसे सामान्य व्यवहार ही कहा जाना चाहिए यह रहा है कि वह इस जांच प्रक्रिया को दबाना चाहती है। जब इस सदन में इस पर बहस होने जा रही है तो सरकार अपने विदेश मन्त्री के जरिये, अन्य देशों में सम्बद्ध एजेंसियों से सम्पर्क साध कर इस जांच प्रक्रिया को रूकवाना चाहती है। यह एक ऐसी कोशिश है जिसके पीछे मंशा सिर्फ यही नहीं है कि जांच को रोका जाए बल्कि संसद में एक सार्थक बहस को भी रोकना है। हम सरकार से साफ जानना चाहते है कि क्या वे लोग यह चाहते हैं कि कि इस मामले की पूरी जांच हो, और

पूरा ब्यौरा राष्ट्र के सामने लाया जाए कि किसने इस दलाली में पैसा लिया और क्या सरकार इस तथ्य को ज्ञात करना भी चाहती है। ऐसा लगता है कि सरकार के प्रमुख में परिवर्तन होगा लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखायी पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के प्रति उनका मोह भंग नहीं हो रहा है। (व्यवधान) इसलिए, मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस पर केवल वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें देश के बाहर जांच-पड़ताल, छानबीन व न्यायिक प्रक्रियाओं में जल्दबाजी के सभी प्रयास बंद करने चाहिये।

मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इसी सप्ताह में ही चर्चा के लिए समय दिया जाए क्योंकि इससे आगे की बातों का भी पता चला है।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मैं सैनिकों की विधवाओं की शोचनीय दशा के बारे में एक गम्भीर मामला आपके कृपाध्यान में लाना चाहूंगा।

मुझे पता चला है कि ऐसे सैनिक, जो सैन्य सेवा करते हुए मारे गये अथवा विकलांग हो गये, आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने में, उनकी सेवा का आकलन उचित ढंग से नहीं किया जाता। हमारे देश में बहुत सी विधवाएं दारूण स्थिति का सामना कर रही हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। केवल थोड़ी सी पेंशन से उनके परिवार की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।

इससे भी बढ़कर, विधवाओं के कुछ वर्गों को तो विशेष पारिवारिक पेन्शन व बच्चों के भत्ते भी किन्हीं कारणों से मनाकर दिए गये हैं। यदि कोई सैन्य-सेवा कर्मचारी की अपने सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के किसी बिमारी अथवा ऐसे ही किसी कारण से होने पर उनके परिवार को इस तरह के विशेषाधिकार देने से मनाकर दिया गया है।

इसलिए, मैं रक्षा मंत्रालय से यह आग्रह करता हूं कि सैन्य-सेवा कर्मचारियों की मृत्यु तथा विकलांगता के मामलों की समीक्षा की जाये और इस बारे में ठोस हल निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहाबुद्दीन।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं बोफोर्स पर बोलना चाहता था। आप हर किसी को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मुझे आप क्यों नहीं बोलने देते?

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी आपकी पार्टी से सम्बद्ध हैं। वे आपके नेता हैं।

श्री अमल दत्त : मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहता था जो छूट गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बोफोर्स पर ही पूर्ण-रूपेण चर्चा नहीं है।

श्री अमल दत्त : यह बोफोर्स के बारे में है लेकिन अभी सभा में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यह स्वीडन में हो रहे घटनाक्रम के बारे में है।

स्वीडन में भी परस्पर-विरोधी संकेत दिये जा रहे हैं जिससे कि स्वीडन का सरकारी वकील मामले को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वह कहता है कि भारत सरकार गम्भीर नहीं है। स्वीडन में मामला किसी अदालत में नहीं जाना है। सरकार यह सब जानती है क्योंकि बोफोर्स कम्पनी अब वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, वहां की सरकार उन सभी अभिलेखों को प्राप्त कर सकती है जो कम्पनी ने पहले गोपनीयता के आधार पर गुप्त रखे थे। अब सरकार उनको सार्वजनिक कर सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि भारत सरकार को गम्भीर संकेत देने चाहिए, इस बारे में गम्भीर अनुरोध किया

जाना चाहिए कि स्वीडन की सरकार के पास बोफोर्स मामले से सम्बद्ध जो नाम उपलब्ध हैं, वे नाम बताये जाएं।

यदि यह आश्वासन दिया जाता है, तो इससे सभा सन्तुष्ट होगी।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर सर, होली खुशी का त्योहार है, लेकिन 17 और 18 मार्च की दरम्यानी रात को बहरागढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव नवां बगला में 11 इन्सान बड़ी बेरहमी से मारे गये। कुछ खबरें यह कहती हैं कि--

[अनुवाद]

उन्हें बर्छे से मारा गया।

[हिन्दी]

कुछ खबरें यह कहती हैं कि—

[अनुवाद]

उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया।

[हिन्दी]

पार्लियामेंट उन दिनों सैशन में नहीं थी। शायद यह वाकया हमारी नजर में नहीं आया और हमारी इत्तला जो है उसके मुताबिक इस कांड में बहुत बड़ा हाथ मुकामी पुलिस का था। जब उस गांव पर हमला हुआ उसके बाशिंदों पर हमला हुआ, एक खास फिरक्के के लोगों पर हमला हुआ तो पुलिस ने उनका पूरी तरह साथ दिया। एक अखबार यह कहता है कि पुलिस के हाथ खून से रंगे थे और एक अखबार की यह रिपोर्ट है कि वहां गांव में ऐसी दहशत है कि लोग विनम्र हैं, डर के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकलरही है। अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, न रिलीफ कोई पहुंचा, न कोई उन लोगों को मदद दी गई, न मुकदमे में कोई पहल की गई। मेरी आपके जरिए होम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि वह इसके बारे में हुकूमत उत्तर प्रदेश से जवाब-तलब करें, उनको कहें कि जो सेन्ट्रल गाइड-लाइंस हैं, उनके अनुसार रिलीफ और प्रासिक्यूशन व इनवेस्टीगेशन का फौरी बन्दोबस्त करे।

[अनुवाद]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : उड़ीसा के बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वन-क्षेत्र बहुत कम होता जा रहा है। इस क्षेत्र में परती भूमि के एक बहुत बड़ा हिस्से में अवमानित वन हैं। इससे इस क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि बंजर भूमि रेखांकित कर ली गई है और जिले की 'माइक्रो-प्लान' जिले की रूप में पहचान कर ली गई है, परन्तु एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है।

अत्याधिक अवमानित वन-भूमि को मद्दे नजर रखते हुए तथा पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य से एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्ट्री आफ एक्सटरनल अफैयर्स को यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से कई जगहों से पासपोर्ट आफिसेज के

बारे में कुछ शिकायतें आ रही हैं। उसमें खास तौर से आजकल बम्बई से बड़े हमारे पास खुतूत भी आए हैं और वहां के अखबारों के जरिये पता चला है कि पिलग्रिमेज के लिए, मक्का जाने के लिए जो उम्र वीजा मिलता है, उसको सरकार ने फ्री रखा है, उसके लिए कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन आज वहां पर कोई भी पासपोर्ट बगैर पैसा दिए हुए, 400, 500 रुपये दिये हुये क्लियर नहीं हो पा रहा। पासपोर्ट इश्यू करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिये हैं कि हम आसान करेंगे कि वह लोग जो गल्फ या दुनिया के कोने-कोने में जाब के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको इसमें आसानी हो लेकिन इसके अन्दर आज तक प्राब्लम्स चल रही हैं। हर जगह आप देखिये तो बड़े पैमाने पर पैसे का लेन हो रहा है।

मैं सरकार को आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि ऐसा किया जाय कि वे लोग, जिनका वीजा बना हुआ है और उनको पासपोर्ट की प्राब्लम होती है तो कोई नया तरीका निकालकर उनको जल्दी से जल्दी पासपोर्ट इश्यू करने का इन्तजाम किया जाए जिसमे एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगें, करके ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे लोग हिंदुस्तान के बाहर आसानी से जा सकें और जो घपला पूरे पासपोर्ट में चल रहा है, यह रुक सके।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, आज आपने हमें बहुत दिनों में मौका दिया है, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आज हमको आपने तीन महीने के बाद मौका दिया है।

आज राजभर जाति के 5000 लोग वोट क्लब पर रेली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभर जाति के लोग इस देश में 3-5 करोड़ की संख्या में रहते हैं। यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, इनका सामाजिक स्तर बहुत ही नीचे का है। इन लोगों की मांग है कि इनको अनुसूचित जाति की लिस्ट में जोड़ दिया जाए। ऐसे ही देश की अनेक जातियां है, जो अनुसूचित जाति में अपने आपको जोड़ने की मांग करती हैं, जैसे मल्लाह, खटीक, पासी, धोबी, मासी है।

5 अप्रैल, 1984 को इसी हाउस में इसी विषय पर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। 12 अप्रैल, 1984 को भी इस हाउस में आधे घंटे की चर्चा के दौरान कई बार गृह मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि यह एक बहुत अहम मुद्दा है और अनुसूचित जाति की लिस्ट बहुत पहले से बनी हुई है इसलिए इसमें संशोधन किया जायेगा लेकिन आज तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। कई प्राइवेट मैंबर्स बिल भी आये, बीसियों प्राइवेट मैंबर्स बिल भी आये लेकिन इस पर कोई बात कभी नहीं हुई। सबसे गम्भीर बात यह है कि जब बात की जाती है तो सरकार की ओर से यह उत्तर आता है कि राज्यों की आख्या मांगी गई है, राज्यों की आख्या आते ही इस हाउस में इस विषय पर विचार कर लिया जायेगा लेकिन कई बार कहने पर भी यह समझ में नहीं आता है यह आख्या···

अध्यक्ष महोदय : यह पूरा डिस्कशन नहीं है, बहुत थोड़े में बोलना है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और इस देश के करोड़ों लोगों का मामला है।

गृह मन्त्री को आप निर्देश दें कि वह राज्यों से आख्या मंगवाएं। एक बार गृह मन्त्री ने कहा था कि 17 बार हमने पत्र लिखा है लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कश्मीर के मामले पर जब यहां पर बात हो रही थी, जब वहां का संशोधन हो रहा था तब भी गृह मन्त्री जी ने कहा था, समाज कल्याण मन्त्री जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियों की लिस्ट में जल्दी से जल्दी संशोधन कर दिया जायेगा लेकिन आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह इस गंभीर मसले पर विचार करें और राजभर जाति, खटीक जाति, पासी जाति और बहुत सी ऐसी जातियों को, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, इनको एक कतार में लाएं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भोपाल के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने यू०सी०एस० के अध्यक्ष श्री वारेन एंडरसन के वारंट आर्डर जारी किए हैं। भोपाल गैस कांड के अपराधिक मामले में वह सबसे बड़ा अपराधी है। 1989 में भी इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री एंडरसन को देश में लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि इस मामले में उस पर उचित मुकदमा चलाया जा सके। इस दुर्घटना में कम से कम 4000 लोग मारे गये थे। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधि मन्त्री इस पर ध्यान दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह हमारे न्यायालय की मर्यादा को बरकरार रखने का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार क्या उचित कदम उठाने जा रही है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रबिराय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है, मेजेस्टी आफ ला का सवाल है, असल में चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट ने एंडरसन जी के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी का, जो वारंट निकाला है और चूंकि यह विदेश के एक नागरिक का सवाल है और जो कि इसमें दोषी है, यूनियन कार्बाइड कांड में और हजारों लोग मारे गए हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर कोई चुप्पी न साधे और सरकार का यह कर्तव्य है, कांस्टीट्यूशन ड्यूटी है कि मेजेस्टी आफ ला को मद्देनजर रखते हुए एंडरसन को भोपाल के सी०जी०एम० के सामने हाजिर करायें ताकि मेजेस्टी आफ ला हमारे देश में बरकरार रहे, यह मैं आपसे कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेजिस्ट्रेट के आदेश के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे इस पर सरकार से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति जी ने एक न्यायधीश की नियुक्ति की थी जिसे हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उनके पास वह न्यायाधीश बनने के लिए प्रशिक्षित आवश्यक अर्हताएं नहीं थी। इस सरकार ने निष्ठापूर्वक उसे न्यायधीश के लिए चुना। राष्ट्रपतिजी ने उसे नियुक्ति प्रदान की। लेकिन वह पद पर आसीन नहीं हो सका क्योंकि उसके विरुद्ध आरोप लगा दिया गया और अन्ततोगत्वा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा : "आप न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं।" मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनायी गई थी। ऐसे व्यक्ति को आखिर किस तरह से नियुक्त किया जा सकता था? सारी न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार इस तरह की नियुक्तियां कर रही है।

एक अन्य व्यक्ति को भी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसमें भी एक आरोप है। एक श्री शर्मा हैं, उनके बारे में भी आरोप है। मैं बहुत लम्बे समय से जानता हूं कि सरकार के पास निःसंदेह शर्म जैसी कोई बात नहीं है। परन्तु यह ऐक ऐसा मामला है जिसके बारे में सरकार एक वक्तव्य देने के लिए बाध्य है। यह सब कैसे होता है? बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश इसके लिए अपनी आज्ञा देता है, सरकार को इस मामले को देखकर सम्माननीय राष्ट्रपति जी को सिफारिश करनी होती है; और तब कैबिनेट के अनुमोदन पर सम्माननीय राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। इसलिए, मैं यह देख रहा हूं कि भारत सरलार के वरिष्ठ मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं। क्या आपको देश में हो रही घटनाओं की जानकारी है; किस तरह से न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायधीश ने कहा है कि राज्य सरकार को लात मारनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि विधि मंत्रालय इस देश में कुछ कर रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : हम एक न्यायधीश के आचरण के बारे में यहां कैसे चर्चा कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी प्रथा है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : यह अनुचित है। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वर्तमान सदस्य के बारे में कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन से न्यायधीश के बारे में? मैंने उस न्यायधीश का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, हम ऐसा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त जी, आप ठीक कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस न्यायधीश ने सुझाव दिया है कि श्री सन्तोष मोहन देव को यह कहा जाना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव आयोजित कराये जाएं। न्यायालय में बैठकर किसी मामले की सुनवाई करते समय न्यायपीठ से इन्होंने यह बातें कही हैं। यह सरकार इस बात को भूल गयी है। मैं जानता हूं कि इस देश में बहुत से संस्थानों को अपयश मिल रहा है, उस पक्ष में इस तरह के लोगों के क्रियाकिलापों के कारण उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अन्य संस्थानों का अन्य पक्ष के अन्य लोगों के अन्य क्रियाकिलापों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, शून्यकाल में तीसरी बार खड़े हो रहे हैं। ये ऐसी बातें बोल रहे हैं जोकि इन्हें यहां नहीं कहनी चाहिए। इन्हें पता है कि इस देश में न्यायपालिका की स्थिति क्या है। न्यायपालिका पर ये किस तरह के आरोप यहां लगा रहे हैं। एक वरिष्ठ वकील होने के नाते इनसे यह आशा की जाती है कि न्यायपालिका की मर्यादा को कायम रखें लेकिन ये इस तरह से बोल रहे हैं। ऐसी बातों को कहने के भी तरीके होते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें जानता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किसी न्यायधीश को सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर पदासीन

होने से मना करता है कि उसकी नियुक्ति अवैध है, तो क्या संसद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? ···(व्यवधान) केन्द्र सरकार के लिए यह बाध्यकारी कर्त्तव्य हो जाता है कि···(व्यवधान)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : माननीय सदस्य, जोकि बार के भी सदस्य हैं, मेरे पास आते हैं और वे ही मुझे यह सब बताते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखूंगा। (व्यवधान) मैं उन्हें जानता हूं। इन्हें गर्जने दें। (व्यवधान) हम इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बात यह है कि न्यायधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने रद्दकर कर दी है। (व्यवधान) इसलिए सरकार को यह बात अवश्य स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : ये उस न्यायधीश की भर्त्सना नहीं कर सकते जो कि उत्तर देने के लिए स्वयं यहां उपस्थित नहीं हैं। बात यह है। (व्यवधान) ये इस मामले को यहां नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्हें इस मामले को पुनः स्थायी प्रस्ताव के माध्यम से उठाना होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः जब सक्षम न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो यह सरकार उस अभियुक्त को गिरफ्तार करवाने में उसकी क्या सहायता कर रही है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : क्या आप इस बारे में चिंतित हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है? (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, या तो इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए या वे इसे सिद्ध करें। उन्होंने मेरा नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः मैं मांग करता हूं कि यह सरकार इस पर वक्तव्य दे और श्री एण्डरसन को यहां लाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाएं ताकि उचित जांच हो सके।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : नागालैंड में जो कुछ हुआ है वह न्यायिक अंतःकरण के लिए भी दुःखद है। विधान सभा को भंग करने के तुरन्त बाद राज्यपाल ने तार द्वारा संदेश भेजा और राष्ट्रपति को सूचित किए बगैर प्रेस में बयान दे दिया जब वहां राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी तो उस सरकार ने प्रवर श्रेणी लिपिकों की तरह एक ही झटके में 13 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। यह सरकार लोकतन्त्र की प्रतीक है और राज्यपाल का उचित सम्मान करती है। इससे बड़ी बात तो यह है कि नागालैंड में राज्यपाल के पद को राजनैतिक बना दिया गया है। इससे इस उच्च पद का अपमान हुआ है माननीय गृह मंत्री ने दूसरे दिन वक्तव्य दिया कि वे इस सम्माननीय सभा में एक वक्तव्य देंगे। लेकिन संसद का अनादर करते हुए इस राज्यपाल ने स्वतः यह कार्रवाई की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मूल प्रस्ताव की सूचना दिए बगैर भी राज्यपाल के आचरण पर चर्चा कर सकते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : मैं सही स्थिति का वर्णन कर रहा हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह मामला समाप्त हो चुका है । हमने उसे छोड़ दिया है ।

(**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : मैं गृह मंत्री से इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं ।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : जो कुछ हो रहा है उस पर गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे (ठाणे) : 26 मार्च की बुलेटिन संख्या 873 भाग-II के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर कल विचार करेंगे । मैं अभी प्रकाशन पटल पर गया । हमें आज की तारीख में केवल दो भाग प्राप्त हुए हैं । आज उन्होंने हमें भाग-III और IV दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब वार्षिक रिपोर्ट से है ।

श्री राम कापसे : भाग-I और II अभी तक सदस्यों को प्राप्त नहीं हुए हैं । हमें इस पर कल विचार करना है । वास्तव में हमें इसे पांच-छह दिन तक पढ़ना होता है । मैं समझता हूं कि हमारी कार्य मंत्राणा समिति को पूरे मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है चाहे हम इस मामले पर कल चर्चा कर सकें या नहीं । मुझे इस बारे में काफी संदेह है । (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह हमें रिपोर्ट दे । रिपोर्ट के बिना हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं । कृपया निदेश दें ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे ।

12.54 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

झारखण्ड मामलों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब : मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से झारखण्ड से संबंधित मामलों की समिति की रिपोर्ट की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1661/92]

जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : मैं, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर

से जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1656/92]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों आदि को पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(i) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा; और

(ii) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1651/92]

(3) राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत विभाग, विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1658/92]

भारतीय टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभागों आदि के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1659/92]

(2) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1660/92]

12.55 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 मार्च, 1992 को बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारशें नहीं करनी हैं।"

12.55 ½ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से नकली विषाक्त गैस से मरने वाले बच्चों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

श्री रामकृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

मैं सरकार का ध्यान विशाखापतनम शहर में वायु जल प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में कड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विशाखापतनम हमारे देश के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहरों में से एक है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड विशाखापतनम में साधारण तौर पर और मुलागड़ा, वेंकुलवाणिपलेम, चुक्काबाणिपलेम में विशेष रूप से वायु/जल प्रदूषण करने वाले मुख्य स्त्रोत में से एक है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से हाल ही में 14 अगस्त को जहरीली गैस निकलने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई। इस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग वहां रहने में काफी भयभीत हैं क्योंकि केवल हवा ही नहीं बल्कि पीने का पानी भी दूषित और प्रदूषित हो गया है जिसके कारण प्रदूषण मौतें हो रही हैं।

हिन्दुस्तान जिंक प्रगालक सल्फरडाईआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, कार्बनमोनोआक्साइड, अरगजी युक्त गैस उत्सर्जित करता है और नीडआक्साइड डायरिया और तपेदिक फैलने के मुख्य कारण हैं। संयंत्र से उत्सर्जित पानी में अम्ल, जिंक आदि होता है जो पीने के पानी को प्रदूषित करता है।

सरकार द्वारा बरती जा रही चौकसी और लागू किए गए कानून के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र

के कई उपक्रम (हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम) सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कानून निजी क्षेत्र के लिए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन दो बच्चों की जिंक प्रदूषण के कारण मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और मृतकों के परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

(दो) गुरुवायूर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को जोड़ने वाले सम्पर्क राजमार्ग को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

केरल सरकार ने 1984 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों की सूची थी। इसमें गुरुवायूर से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राजमार्ग 17 को जोड़ने वाला संपर्क राजमार्ग भी सम्मिलित थे, जिसे आठवीं योजना के दौरान सी०आर०एफ० में सम्मिलित किया जाना था। यह सम्पर्क राजमार्ग त्रिचूर शहर के लिए बाई पास का काम करेगी जिससे त्रिचूर शहर में यातायात भीड़भाड़ कम हो जाएगी और इससे केरल राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थाटन स्थान गुरुवायूर के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों को देखते हुए, जिसमें संपर्क राजमार्ग भी सम्मिलित हैं, केरल को आबंटित वर्तमान सी० आर० एफ० अपर्याप्त लगता है। परन्तु केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्य के लिए पिछले वर्ष के दौरान कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा मई 1988 में अनुमोदित संशोधित संकल्प पर आधारित केन्द्रीय सड़क कोष की राशि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को अभी पुनः आबंटित करना है। 33 करोड़ रुपये के लगभग पर्याप्त अतिरिक्त आबंटन केरल सरकार को मिलने की संभावना है। मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए तुरन्त कार्रवाई करें और गुरुवायूर से गुजरने वाले संपर्क राजमार्ग को मंजूरी प्रदान करें।

(तीन) अजमेर, राजस्थान में एक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, अजमेर एक ऐतिहासिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सम्प्रदायिक सौहार्द्रता का आदर्श नगर रहा है। यह नगर राजस्थान की हृदयस्थली है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी पर्यटकों तथा धर्म प्रेमीजनों का दरगाह शरीफ एवं पुष्कर राज के कारण आकर्षण केन्द्र हैं। परन्तु यहां पर अभी तक टेलीफोन की पुरानी घिसी-पिटी क्रासबार प्रणाली ही कार्यरत है। पांच लाख से अधिक आबादी के नगर में टेलीफोन प्रणाली चुस्त एवं दुरुस्त होने की आवश्यकता है। हजारों व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में है परन्तु प्रतिवर्ष बहुत कम कनेक्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि पुरानी क्रासबार प्रणाली की क्षमता अत्यन्त कम है। निरन्तर टेलीफोन व्यवस्था खराब होने तथा बार-बार जमीनों को खोदने आदि के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं में घोर असंतोष है। यहां से कई दैनिक पत्र भी निकलते हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अस्त-व्यस्त एवं दूषित टेलीफोन प्रणाली को प्रभावी एवं

सक्षम बनाने तथा उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं प्रदान करने हेतु इस प्रणाली को इलेक्ट्रोनिक सिस्टम एक्सचेंज प्रणाली में बदला जाए।

1.00 म०प्र०

(चार) कापड़वंज-मदासा बड़ी रेल लाइन को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी (खेड़ा) : 1978-79 में पहली बार 22 करोड़ रुपयों की लागत पर कापडवंज-मदासा (गुजरात) बड़ी रेल लाइन को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उस क्षेत्र की जनता के लम्बे समय से की जा रही मांग के आधार पर उसको स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद से, इस मामले में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। यहां तक इस वर्ष के रेल बजट में, इस रेल मार्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नाडियाड़-कापडवंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम अन्तिम चरण पर है।

ये बड़ी आश्चर्य बात है कि 45 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी, इस क्षेत्र की जनता, इनके क्षेत्र में एक किलोमीटर का भी रेलमार्ग न तो देख सकी न ही उसका लाभ उठा सकीं। और इसके बाद भी अन्य प्राकृतिक और भौगोलिक स्रोतों की कमी के कारण ये क्षेत्र पूर्ण रूप से अविकसित है।

रेल को चालू करने से ही भविष्य में कुछ विकास हो सकता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गम्भीरता से विचार करें।

(पांच) कर्नाटक में राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष से धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी० देवराय नायक (कनारा) : कर्नाटक राज्य के उत्तर कनारा जिला होन्नावार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर स्थित शरावती पुल कुछ समय पहले टूट गया था और केरल तटवर्तीय कर्नाटक से बम्बई और गुजरात की ओर जाने वाली भारी यातायात जैसे ट्रक, बस, कारें और अन्य वाहनों का भारी यातायात इसी पुल से होकर गुजरता था। इस पुल के ढह जाने के कारण सभी वाहनों को अन्य स्थानीय प्रदेश राजमार्ग, जैसे, सागर-हुबली को सिरसी मार्ग से, सिद्दापुर-हुबली को एल्लापुर मार्ग से, हालियाल और सागर-हुबली को सोरब मार्ग से होकर गुजरना पड़ा।

यातायात बढ़ जाने के कारण, कई स्थानों पर सड़क की स्थिति और भी बिगड़ गई है। अत: जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सड़क कोष से, इन प्रदेश राजमार्गों की शीघ्र मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित करें। इससे राज्य राजमार्गों पर बढ़ रही भारी यातायात को सहन कर सकने की क्षमता आयेगी, अन्यथा जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 17 से गुजरना पड़ता था।

(छह) मध्यप्रदेश के आदिवासी जिले सरगुजा में आंत्रशोथ पर नियंत्रण करने के लिए दवाइयों की व्यवस्था किए जाने और अन्य कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में विकास खंड मैनपार के अन्तर्गत ग्राम सुपलगा और बिसरपानी में आन्त्रशोथ की बीमारी फैली हुई है। दिनांक 22-2-92 से

18-3-92 के बीच ग्राम सुपलगा से 11 लोग बिसरपानी से 3 लोगों की मृत्यु आन्त्रशोथ बीमारी से हो चुकी हैं। दिनांक 20-3-92 को करीब 36 लोग खूनी पेचीस की बीमारी से ग्रसित थे।

सरगुजा जिले में सी०एम०ओ० नहीं है, डी०एच०ओ० के चार पद हैं जिनमें से एक ही डी०एच० ओ० कार्यरत है, दवाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है जिससे बीमारी की रोकथाम नहीं हो पा रही है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आन्त्रशोथ बीमारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध करवाये एवम् सरगुजा जिले के स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आगाह करे।

(सात) पश्चिमी बंगाल के बारपेटा जिले में एक पटसन मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : बारपेटा पटसन उत्पादन का मुख्य जिला है। बारपेटा जिला और उसके समीपस्थ जिले सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र में पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मात्र बारपेटा जिले में ही प्रतिवर्ष लगभग एक लाख टन पटसन उत्पादन होता है। वहां पर उत्पादित पटसन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। वहां के लोगों में, बारपेटा जिले में पटसन उत्पादक एकक को खोलने की बड़ी मांग है। कुछ वर्ष पहले इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए थे और बारपेटा जिला गळगाचार में शिलान्यास भी किया गया। लेकिन अभी तक पटसन मिल की स्थापना नहीं की गई है और एकक के लिए प्रस्तावित भूमि बेकार पड़ी हुई है।

बारपेटा जिले अभी भी पटसन मिल के खोलने की मांग प्रबल है। बारपेटा जिला आज भी पटसन उत्पादन का मुख्य क्षेत्र होने के कारण, मैं केन्द्रीय सरकार से इस जिले में पटसन मिल को खोले जाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि उत्पादित पटसन का उपयोग हो सके और रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(आठ) गुजरात को कच्चे तेल पर बढ़ी हुई दरों से रायल्टी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारायणभाई राठवा (छोटा उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने क्रूड आयल पर रायल्टी की बढ़ोतरी के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था तथा केन्द्र सरकार ने 1-4-87 से 31-3-91 तक रायल्टी बढ़ा दी थी और जितना भी पैसा बाकी था, वह गुजरात सरकार को उपलब्ध कराना था, परन्तु इस रायल्टी को बढ़ाने के लिए 1-4-90 से पुनः बदलना था। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस बारे में कई बार अनुरोध किया था तथा केन्द्र सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने गुजरात सरकार को बताया था कि इस कमेटी ने 1-11-91 को अपने विचार केन्द्र सरकार के सामने रखे थे। तब से ही राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस बारे में बार-बार अनुरोध करती रही है लेकिन आज तक इस पर कोई पुनः विचार केन्द्र सरकार ने नहीं किया है, जिसकी वजह से गुजरात सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द इस बारे में निर्णय लेने का कष्ट करें ताकि गुजरात राज्य को इससे फायदा पहुंच सके :

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2·15 म०प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

1·07 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2·15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2·22 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2·22 म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद सं० 7 और 8 पर एक साथ चर्चा करेगी । श्रीमती गीता मुखर्जी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि यह सभा 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधानिक संकल्प को प्रस्ताव करने का मेरा मुख्य कारण यह है कि मैं अध्यादेश जारी करना आवश्यक नहीं समझती हूं । सरकार जो कुछ करना चाहती है, वह सामान्य विधेयक के द्वारा कर सकती है । अध्यादेश के औचित्य को बताते हुए उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में कहा गया कि :

> "चूंकि संसद का सत्र जारी नहीं था और लोगों में पूंजी बाजार के विकास तथा स्थायित्व के प्रति विश्वास की भावना जगाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया था अत: राष्ट्रपति महोदय ने 30 जनवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 5) प्रख्यापित किया ।" (व्यवधान)

* दिनांक 30-3-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

आपने ऐसा ही कहा है। मैं जानती हूं कि इस विषय पर सरकार और वित्त मंत्री में मतभेद है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है। आप इसका खण्डन कर सकते हैं। मैं यो बात नहीं कह रही हूं। यदि आप नहीं पूछते तो मैं उस विषय पर नहीं बोलती। कुछ भी हो, आप सब एक मत हैं; अतः इन्हीं आधार पर जो कुछ कहा गया, मैं उस पर बात करना चाहती हूं।

अब यह कहा गया है कि इसके द्वारा स्थिरता लाई जाएगी। इस अध्यादेश ने पूंजी बाजार में क्या स्थिरता आएगी और शेयर मूल्यों में क्या स्थिरता आएगी अभी इसका इन्तजार है। कल के 'एकानामिक टाइम्स' में एक समाचार में कहा गया है कि :

"हाल के महीनों में बजट अधिवेशन के बाद, तेजड़ियों द्वारा कल्पित तेजी पैदा किए जाने के कारण भारतीय शेयर बाजार में अभूतपूर्व उछाल आया। इस सप्ताह बम्बई शेयर बाजार का सम्वेदनशील सूचकांक 3800 के अंक को पार कर गया, जोकि एक नया कीर्तिमान है।"

अध्यादेश के कारण ये स्थिरता आई है शेयर कीमतों में नया रिकार्ड स्थापित हुआ है। अतः क्या इस अध्यादेश के प्राख्यापन को न्यायोचित ठहराया जा सकता है? मेरे विचार में, इसका उत्तर है 'नहीं'। अतः जहां तक अध्यादेश का प्रश्न हैं, ये मेरा मुख्य सवाल है।

अब मैं विधेयक पर चर्चा करूंगी। इस विधेयक में बोर्ड को सांविधानिक अधिकार देने के सिवा जो उसके पास नहीं है, और नया कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार आखिर क्या करना चाहती है और शेयर बाजार में स्थिरता लाने और पूंजी निवेशकों विशेषकर छोटे पूंजी निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करना चाहती है? इससे पहले, पूंजी निर्गम के नियन्त्रक 'प्रिमियम' को निर्धारित करते थे जिस पर कि शेयर को बेचा जा सके। लेकिन अब, जहां तक मैं इसे समझ पाई हूं कम्पनियां यह स्वयं ही इसका निर्धारण करेंगी कि किस प्रिमियम पर नये शेयरों को बेचा जाए। बड़ी कम्पनियों द्वारा की जाने वाली हेराफेरी को सभी जानते हैं। कभी-कभी बड़ी कम्पनियां अपने शेयरों को खुद ही खरीद लेती है और इन्हें वह सीधे ही अपने नाम पर नहीं खरीदती है बल्कि कुछ सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से खरीदती हैं और शेयरों की कीमतें बढ़ा देती हैं। जब बाजार चढ़ाव पर होता है और शेयर खरीदने वाले अधिक होते हैं तो यही कम्पनियां अचानक अपने शेयरों को बाजार में बेच देती है और कीमतों को एकदम नीचे गिरा देती है। इस प्रचलन से निश्चित रूप से छोटे निवेशकों के हितों को हानि पहुंचती है, जिनकी इस तरह की हानि बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम होती है। शेयर खरीदने वाले अधिक होने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में, यदि मेरी जानकारी सही है तो टाटा समूह का लाभांश इस तरह के वित्तीय लेन देन से उत्पादक क्षेत्र की तुलना में अधिक था। यह बहुत ही खतरनाक चीज है। यह दर्शाती है कि इस तरह की सुस्थापित कम्पनियों को भी इस प्रकार के हेरा-फेरी पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं यह समझ नहीं पाई हूं कि यह विधेयक किस प्रकार इस तरह के प्रचलन को रोक पायेगा।

यह सिर्फ टाटा समूह की ही बात नहीं काइनेटिक होंडा का उदाहरण लें। इसके शेयर जारी किए गये और निश्चित सख्या से बहुत ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। प्राप्त धनराशि को शेयर प्राप्ति के इच्छुक अंशदाताओं को वापिस करने के बजाय बैंक में रख दिया गया और फिर छः महिने बीत गये। तीन महीने के अन्दर उन लोगों को ये रुपये वापिस कर दिये जाने चाहिये थे जिन्हें शेयर नहीं

मिले। ऐसा न करके, बैंक ने काइनेटिक होंडा कम्पनी को यह धन दे दिया। इस कम्पनी ने उत्पादन चालू करने के पूर्व ही अपने उन कृपापात्रों में लाभांश बांट दिया जिन्होंने भारी मात्रा में शेयर प्राप्त कर लिए थे। ऐसी स्थिति में लघु निवेशकर्त्ताओं की रक्षा कैसे की जा सकती है, इसका जिक्र इस विधेयक में नहीं है।

इस विधेयक के अनुसार बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से किया जाना है। इस बोर्ड में एक चेयर-मैन होंगे, दो सदस्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में कार्यरत, वित्त और विधि से सम्बन्धित अधिकारियों में से चुने जायेंगे, एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से लिया जायेगा और दो नामांकित सदस्य होंगे। मुझे इन सदस्यों के चयन के मानदण्ड समझ में नहीं आए। यह बहुत कुछ बोर्ड के सदस्यों पर ही निर्भर करेगा कि उनकी सहानुभूति किसकी तरफ होगी। यह लघु निवेशकर्त्ताओं की तरफ होगी या अपने चहेतों के तरफ होगी या उन हेरा-फेरी करने वालों की तरफ होगी या फिर बड़े निवेशकर्त्ताओं की तरफ होगी? कम से कम बड़े पूंजी निवेशकर्ताओं की तो अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए, महोदय, अगर दो नामांकित सदस्यों को छोड़ दें तो निश्चित रूप से एक नौकरशाही ढांचा ही रहेगा। कुछेक सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर, हमारी नौकरशाही जनसाधारण से निकटता के सम्बन्धों के लिए तो कम से कम प्रख्यात नहीं है। इसलिए कैसे और किस रूप में यह गारन्टी दी जा सकती है कि यह विधेयक जैसाकि इसके उद्देश्य और कारणों में निहित है, पूंजी निवेशकर्त्ताओं की हितों की रक्षा करेगा। ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जिनका उत्तर मन्त्रालय को पूर्ण खुले दस्तावेज के माध्यम से देने की जरूरत है। अन्यथा ये चीजें कम से कम हम जैसे लोगों को तो स्पष्ट नहीं हो सकेंगी।

परसों श्री मनमोहन सिंह के द्वारा बम्बई में एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित कई तरह की बातें की, उदाहरण के लिए शेयर बाजारों को लम्बे समय तक खुले रखने के निर्देश देने के अलावा, जैसाकि मैंने इकानोमिक टाइम्स में पढ़ा था, स्टाक एक्सचेंजों को एक समान और अल्प-कालीन निपटारा (सेटलमेंट) अवधि अपनाने का भी निर्देश दिया गया है। जैसाकि मैंने अपने भाषण के पूर्व के अंशों में कह चुकी हूं कि निपटारे के लिए अल्पकालीन अवधि की बहुत ही जरूरत है, परन्तु इस बात की क्या गारण्टी है। किस प्रकार से हमारे लिए यह सम्भव हो सकेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। एक्सचेंजों के स्वस्थ विकास और फालतू अटकलबाजी को सुनिश्चित करने हेतु इस व्यापार पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। अगर यह सब हो रहा है तो फालतू अटकलबाजी (सट्टेबाजी) आखिर किसको कहा जाएगा। यह अपनी अधिकतम सीमा पर है। इस विधेयक में ऐसा क्या है जो इस फालतू अटकलबाजी को रोकने की गारण्टी देता हो?

इसलिये, महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह महज एक साधारण किस्म की प्रक्रिया मात्र प्रतीत होता है। यह उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात होगी अगर माननीय मंत्री मुझे आश्वस्त कर दें कि यह ऐसा नहीं है। इस प्रकार की अटकलबाजी को, जोकि वास्तव में छोटे पूंजी निवेशकर्त्ताओं के हितों के पूर्णतया प्रतिकूल है, नियन्त्रित करने के लिए वे क्या कर रहे हैं, इससे सम्बन्धित सभी जरूरी कागजात रखे जाने चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री मेरे प्रश्नोंका उत्तर देंगे—हालांकि मैं यह नहीं जानती कि वे उत्तर सन्तोषजनक होंगे या नहीं—उसके बाद ही मैं इस विधेयक के बारे में सोचूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास की अभिवृद्धि करने तथा उसे विनियमित करने के लिए बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों, हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, स्व० श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करते हुए इस गरिमापूर्ण सभा में कहा था कि सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योगों के विनियमन और क्रमिक संचालन के लिये एक अलग बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास हेतु निवेशकर्त्ताओं के अधिकारों की पूर्णतया रक्षा की जानी चाहिए और व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचारों की रोकथाम होनी चाहिए। उस उद्घोषणा के अनुरूप प्रतिभूति बाजार के विकास एवं विनियमन और निवेशकर्त्ताओं के हितों के रक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों मे निबटने के लिए 12 अप्रैल, 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। वित्त मन्त्री ने अपने 24 जुलाई, 1991 के बजट भाषण में कहा था कि इस बोर्ड को संवैधानिक शक्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने म्युच्युल फण्ड के संचालन के सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार करने की भी घोषणा की थी।

पिछले वर्ष वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इसके द्वारा उद्योगों और पूंजी बाजारों के सम्बन्ध में विभिन्न उदारवादी नीतियों की घोषणा के कारण शेयर बाजार में तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसलिये शेयर बाजार में विश्वास बनाये रखने के लिए शीघ्र ही उपाय करने जरूरी हो गये हैं। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अतः 30 जनवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश जारी किया गया था। मुझे इस विधेयक को उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों की हितों की रक्षा प्रतिभूति बाजारों के वृद्धि और शक्ति स्टाक एक्सचेंजों और दूसरे प्रतिभूति बाजारों के कार्यों (व्यापारों) का विनियमन, स्टाक दलालों, शेयर स्थानान्तरण अभिकर्त्ताओं, व्यापारिक बैंकरों और शेयर बाजारों के अन्य मध्यस्थों के कार्यों का पंजीकरण और विनियमन करने से सम्बन्धित है। साथ ही म्युच्युअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के कार्यों का पंजीकरण और विनियमन और प्रतिभूतियों में आन्तिरक व्यापार को रोकने का भी इसका दायित्व है।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

मुझे विश्वास है कि शेयर बाजार की स्वस्थ और क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इस बोर्ड को इस प्रकार की शक्ति और कार्य प्रदान करने की आवश्यकता का माननीय सदस्य स्वागत करेंगे। प्रतिभूतियों में निरन्तर बढ़ते हुए बचत के निवेश को व्यवस्थित करने हेतु एक सुविनियोजित बाजार का होना आवश्यक है, जिससे उत्तरोत्तर आर्थिक विकास हो सके। अनिवासी भारतीयों और विदेशी निधियों द्वारा किये गये निवेश के माध्यम से विदेशी मुद्रा के अन्तर्वहन को बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रकार की प्रणाली का होना जरूरी है।

मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक इस गरिमापूर्ण सभा के सदस्यों द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मानकों को पूरा करेगा और उनके द्वारा इसे यथाशीघ्र पारित कर दिया जाएगा, जिससे देश में प्रतिभूति बाजारों और म्युच्युअल फंडों का विकास और विनियमन हो सके। जैसाकि वित्त मंत्री ने 29 फरवरी, 1992 को अपने बजट-भाषण के दौरान कहा था कि ज्यों-ज्यों हम अनुभव ग्रहण करेंगे, इस बोर्ड को अपनी क्षमता मजबूत करने हेतु अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास की अभिवृद्धि करने तथा उसे विनियमित करने के लिए बोर्ड की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरिधारी लाल भार्गव के द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

इन दो विषयों (मद 7 और 8) के लिए कुल दो घण्टे का समय निर्धारित है। श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 15 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (1)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य बहुत सरल है।

भारतीय जनता पार्टी में हम इस विधान का पूर्णतया समर्थन करते हैं। हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को संवैधानिक प्राधिकार, शक्तियां और स्तर देने का समर्थन करते हैं हालांकि मैं अपनी माननीय मित्र और साथी श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दे का समर्थन करता हूं कि इसे अध्यादेश के माध्यम से न लाना अच्छा होता।

मैं इतना कह कर यह भी बताना चाहता हूं कि मैं इस कार्यवाही का क्यों स्वागत और समर्थन करता हूं जिसमें स्टाक एक्सचेंजों म्यूच्यूअल फंड व्यापारी बैंकों इत्यादि के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए और निवेशकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ऐसे निकाय को संवैधानिक प्राधिकार दिया गया है। मैं अत्यन्त संक्षेप में अपनी टिप्पणियों को राज्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। इस विषय पर उनको अत्यधिक जानकारी है। वह इस उच्च पद पर आने से पहले भी उन्हें व्यावसायिक अनुभव था जिसके कारण वह इस पद के बहुत योग्य हैं।

खण्ड 4 बोर्ड के गठन से सम्बन्धित हैं। अब: मैं सरकार द्वारा विचार करने हेतु एक सिफारिश करना चाहता हूं। आपने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, ऐसा होना भी चाहिए और दो पूर्ण कालिक सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी, और फिर दो अन्य सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है। मैं नहीं जानता कि आप इसे कैसे करेंगे, संभवत: इस सम्बन्ध में जानकर ही ऐसा करेंगे। मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि बोर्ड में भारत के स्टाक बाजार का कम से कम एक प्रतिनिधि रखिए। यह कैसे करें, यह आप पर निर्भर करता है आप स्टाक एक्सचेंजों को कह सकते हैं कि एक सदस्य चुनें ताकि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का सदस्य बने, इसके विकल्प में आप एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। मैं सरकार से दूसरी सिफारिश करता हूं कि आप स्टाक एक्सचेंज के प्रतिनिधि के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से नहीं, बल्कि व्यापारी बैंक जो राष्ट्रीयकृत नहीं हैं जो अभी निजी हाथों में है, वहां पर विशेषकर व्यापारी बैंकों में अनुभव वाले एक व्यक्ति को इस बोर्ड में रखें।

खण्ड 12 स्टाक ब्रोकरों के पंजीकरण से सम्बन्धित है। वहां पर मैं समझता हूं कि प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है मुझे आशा है कि जब वह स्वयं इस पर विचार करेंगे तो उत्तर में कुछ कहेंगे। यह आम जानकारी है कि एक ब्रोकर बनने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बम्बई स्टाक एक्सचेंज में एक व्यक्ति को लगभग 1.50 करोड़ रुपये देना पड़ता है। आप इस प्रकार की स्थिति को कायम नहीं रख सकते। यदि आप ब्रोकर बनने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र चाहते तो स्वयं स्टाक एक्सचेंज बहुत सख्ती दिखाते हैं; जब हम 1.50 करोड़ रुपये खर्च करके स्टाक एक्सचेंज का ब्रोकर बनने के लिए स्टाक एक्सचेंज पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं तब निश्चित रूप से कहीं पर कुछ गड़बड़ है मेरी आपसे यह सिफारिश है कि आप इस बारे में विचार करें कि प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, स्वयं इस पर कार्यवाही करे और मैं सरकार को सलाह दूंगा कि वह निजी तौर पर अधिक परेशान न हो।

मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने बम्बई जाना आवश्यक समझा और वहां उन्होंने स्टाक एक्सचेंज प्राधिकरण इत्यादि से बात की लेकिन मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री के लिए यह जरूरी था कि यह कार्य करें; आपको वास्तव में यह नहीं सोचना चाहिए कि वहां जाएं और स्टाक एक्सचेंज के उत्साह को कम करें क्योंकि इस समय वहां बहुत गर्मी है इस बारे में प्रतिभूति विनियम बोर्ड स्वयं ही कार्यवाही कर लेगा और मैं समझा हूं कि यह वित्त मन्त्री का कार्य नहीं है कि वहां जाएं और स्टाक एक्सचेंज को ठण्डा होने की सलाह दें जबकि वहां पर बहुत गर्मी है। वह दिल्ली में बैठे हुए ही ऐसा अच्छी तरह से कर सकते हैं।

[श्री जसवन्त सिंह]

मैं खण्ड 16 और 17 पर बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

खण्ड 16 बोर्ड को निदेश देने और खण्ड 17 बोर्ड के अतिक्रमण के सम्बन्ध में है। वास्तव में मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार जब भी ऐसे मामलों पर कानून बनाती है तो ऐसे प्रावधान रखने चाहिए कि बोर्ड को निदेश जारी कर सके और बोर्ड का अतिक्रमण कर सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि सभा मुझसे सहमत होगी कि विगत पैंतालिस वर्षों के दौरान सरकारों का कार्यकरण, चाहे केन्द्रीय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर, दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। राज्य द्वारा अपने आपको दी गई ऐसी शक्तियों का उपयोग वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति की बजाय पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है। आप इस पर गौर करें। मुझे विश्वास है आपको इसकी जरूरत है लेकिन फिर भी इस पर गौर करें।

मैं अब अध्याय IV और V लेता हूं और अत्यन्त संक्षिप्त टिप्पणी करता हूं। खंड 11(ग) निम्नलिखित से सम्बन्धित है :

"म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना और उनके कार्यकरण को विनियमित करना।"

यहां, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार और प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भी म्यूचुअल फन्ड के कार्यकरण के दो या तीन पहलुओं पर विचार करें। इस बारे में मैं सुझाव देते समय कुछ सुझाव दूंगा।

मैं अध्याय V पर पहले ही बोल चुका हूं जो कि पंजीकरण प्रमाणपत्र से सम्बन्धित है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के चेयरमैन तथा कुछ अन्य व्यक्ति कुछ समय पहले वित्त मन्त्री को उनके कार्यालय में मिले थे। वित्त मन्त्री स्वयं इस उद्देश्य से बम्बई नहीं गए थे।

श्री जसवंतसिंह : मुझे खुशी है कि माननीय राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। वित्त मन्त्री का कार्य वहां जाना नहीं है।

अब अध्याय IV, V के अलावा खंड 4, 12, 15, 16 और 17 हैं। मैं इनके बारे में पांच या सात सुझाव देना चाहता हूं।

पहले, म्यूचुअल फन्ड लें; अब जब से आपने ये म्यूचुअल फन्ड शुरू करने की अनुमति दी है। पहले ये केवल यूनिट ट्रस्ट को ही इसकी अनुमति थी और फिर आपने इस बारे में छूट दे दी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीवन बीमा निगम ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और अब सब राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें शामिल हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है।

म्यूचुअल फन्ड के कार्यकरण और संचालन के बारे में यहां पर दो मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फन्ड के बारे में जारी किए जा रहे विज्ञापन बहुत भ्रामक हैं और इनमें अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के म्यूचुअल फन्ड द्वारा जारी किए गए हैं। उनमें कहा गया है, "आप अपनी धनराशि को तीन वर्षों में दुगुना कीजिए।" मैं यह नहीं कह रहा कि वे एकदम यही शब्द कह रहे हैं। लेकिन उनका सुझाव ऐसा ही है। वे कहते हैं, "आज 100 रुपये बोजिए और 10 वर्ष बाद एक लाख रुपये लीजिए"

और इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। एक साधारण निवेशकर्ता या जो एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस बारे में कुछ नहीं मालूम वह ऐसे विज्ञापनों से बहुत लालायित हो जाएगा।

म्यूचूअल फन्ड में जाने वाले निवेशकर्ता की रूपरेखा क्या है ? मुझे विश्वास है कि निवेशकर्ता की रूप रेखा पर प्रतिभूति विनिमय बोर्ड पहले ही अध्ययन कर चुका है। इस सम्बन्ध में पूर्व संसद में एक भिन्न हैसियत से मुझे प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठने का अवसर मिला था। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि वे अपने दायित्व का निर्वाह बहुत ही स्पष्ट सोच और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन यदि आप मुझे पुन: अनुमति देते हैं तो "100 रुपये अभी निवेश कीजिए और दस वर्ष बाद एक लाख रुपए ले जाइए" जैसे विज्ञापन म्यूचूअल फन्ड में निवेशकर्ता की रूपरेखा के तहत उसे उस स्तर तक चले जाते हैं जहां पर आमतौर पर एक पेन्शन भोगी होता है। यह ऐसा व्यक्ति है जो या तो सेवानिवृत है या होने वाला है और उसके पास स्टाक एक्सचेंज का अनुसरण करने और स्टाक ब्रोकर के पास जाने या बाजार का अनुसरण करने की समझ रुचि और शक्ति नहीं होती। इसलिए वह म्यूचूअल फन्ड की शरण लेता है। म्यूचूअल फन्ड निवेशकर्ता के लिए यह सब कार्य करता है। लेकिन यदि म्यूचूअल फन्ड एक आम निवेशकर्ता के लिए यह कार्य करते समय बढ़ा चढ़ाकर यह दावे करता है तब यह बहुत भ्रामक है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के विज्ञापन युद्ध पर कुछ पाबन्दी लगाये जो आज विभिन्न म्यूचूअल फन्ड में हो रहा है। मैं उचित शब्द नहीं जानता लेकिन विज्ञापन के दावे में कुछ पाबन्दी और एक प्रकार की वैधता होनी चाहिए।

दूसरा, म्यूचूअल फन्ड के सम्बन्ध में मैं एक बहुत उपयोग हो चुके शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, कृपया प्रत्येक म्यूचूअल फन्ड के लिए एक समान अवसर दीजिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा म्यूचूअल फन्ड चलाये गये हैं। अब आपने इसके लिए अन्यों को भी अनुमति दी है और उनके द्वारा भी यह फन्ड आरम्भ किये जाएंगे। आपके पास कुछ स्वीकृत प्रतिभूतियां है जो पूर्णतया सरकार की हैं और फिर ऐसी मान्यताप्राप्त प्रतिभूतियां हैं जो निजी पार्टियों की व्यावसायिक कार्यशीलता और प्रयासों से वास्तव में ऊपर उठी हैं। कृपया उन्हें समान अवसर दीजिए। एक मामले में तो आप स्रोत पर कर काटते हैं और दूसरे मामले में उन्हें स्रोत पर कर न काटने का लाभ देते हैं। ऐसी बातें आवश्यक नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरा तात्पर्य समझ रहे हैं।

मेरा दूसरा सुझाव स्टाक एक्सचेंजों में सुधार के बारे में है। मुझे विश्वास है कि एस०ई०बी० आई० इस महत्वपूर्ण कार्य को करने पर ध्यान देगी। स्टाक एक्सचेंजों में सुधार पर विस्तार से चर्चा करने का मेरे लिए यह कोई उचित अवसर नहीं है। सामान्यतया भारत में स्टाक एक्सचेंजों की स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। कार्य प्रणाली की दृष्टि से, 'ब्रोकेरेज हाउसिज' विशिष्टतया विनियमों इत्यादि को लेकर अधिकतर 'स्टाक एक्सचेंजों' की आंतरिक कार्य प्रणाली में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक कोई सुधार नहीं आया है। मेरे विचार में एस० ई० बी० आई० को इस सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श प्रदान किया जायेगा तथा मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे तथा स्टाक एक्सचेंजों की कार्य प्रणाली में सुधार करने की ओर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं दो और मुद्दों पर चर्चा करूंगा तथा उसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा।

[श्री जसवन्त सिंह]

पहली तो यह कि ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आए हैं जोकि सूचीबद्ध हैं। जब विभिन्न कम्पनियां बाजार में आम जनता से निवेश किए जाने के लिए आती हैं तो जो भी बातें वे अपनी ज्ञापन में कहती हैं उन्हें उनको पूरा करना चाहिए और ऐसा कुछ भी उनके द्वारा जारी विवरणिका में नहीं कहा जाना चाहिए जिसे वे पूरी न करना चाहते हों। 'स्टाक एक्सचेंजों' में निवेशकों को बड़े-बड़े दावे करके किस प्रकार गुमराह किया जाता है, उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु एस० ई० बी० आई० को चाहिए कि वह इस बात पर ध्यान दे कि विवरिणिका में दिए गये दावों को पूरा किया जाये।

मेरी दूसरी आपत्ति आवेदन के साथ दी गई धनराशि को लौटाने का है। मेरे अग्रगंय सहयोगी तथा मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी ने 'ओवर सब्सक्रिप्शन' के बारे में ठीक ही कहा है। 'ओवर सब्सक्रिप्शन' का कारण यह है कि लोगों के पास धन बहुत है। वे निवेश के अवसर चाहते है। और ऐसे अवसर तथा शेयर बहुत कम मिलते हैं जिनमें वे निवेश कर सकें। इसलिए स्वाभाविक तौर पर निवेशक 'ओवर 'सबसक्राइब' करते है। परन्तु समस्या तब आती है जब 'ओवर सब्सक्रिपशन' तीन गुणा, 33 गुणा, 40 गुणा अथवा 300 करोड़ रुपए या 400 करोड़ रुपये हो जाती है तथा जो धन फिर निर्माणाधीन कम्पनी के पास ही पड़ा रहता है। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि कंपनियों ने शेयर के लिए आवेदन करते हुए जमा किये गये धन को वापस नहीं किया है। उन्होंने यह पैसा केवल बिलम्ब से ही नहीं लौटाया बल्कि उस पर कोई ब्याज भी अदा नहीं किया। अब इस प्रकार निवेशकों के पैसे से खिलवाड़ बंद होना चाहिए तथा एस०ई०बी०आई० को इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाने चाहिए।

अब मैं अंतिम मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि एस०ई०बी०आई० ऐसा आवश्य करेगी। परन्तु मैं इसकी चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। मेरे विचार मे कंपनियों के हस्तांतरण के संबंध में भी आपने आवश्यक विनिमय तथा नियम बनाये होंगे। कंपनियों के हस्तांतरण के मामले अब और भी महत्वपूर्ण बन गये हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में खुलापन आ रहा है। हमारी यह आशा है कि धन का निवेश बढ़ेगा, चाहे यह अनिवासी भारतीयों द्वारा किया जाये, भीतरी स्रोतों द्वारा किया जाए अथवा विदेशी पूंजी द्वारा तथा लोग बाजार में अधिक से अधिक शेयर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं कंपनी हस्तांतरण के 'डी०सी०एम० तथा एस्कोरटस' के मामलों की चर्चा करूंगा। यह दो मामले इस बात का उदाहरण कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। यह मामले इस बात के भी उदाहरण है कि इस सम्बन्ध में सरकार को किस प्रकार की कार्यप्रणाली नहीं अपनानी चाहिए। भारतीय निगमित निकाय की समस्त कार्यप्रणाली का ये एक भद्दा उदाहरण बन गये हैं। आपको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु जो भी कंपनी का हस्तांतरण चाहता है, उसे सार्वजनिक रूप से बोली देनी चाहिए। अगर शेयर 30 रु० प्रति शेयर की दर से बिक रहा है तथा कोई व्यक्ति आकर यह सार्वजनिक घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति अमुक कंपनी का शेयर धारक है, उसे मैं 80 रु० प्रति शेयर का प्रस्ताव देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हस्तांतरण सम्बन्धी बोली के मामलों में अधिकतर ऐसा होता है कि बाजार मूल्य तथा वास्तविक हस्तांतरण मूल्य में जो अंतर होता है, उसका लेन-देन नकद होता है। इसलिए निवेशकों के लिए यह आवश्यक बनाया जाना चाहिए

कि जो भी हस्तांतरण चाहता है, उसे सार्वजनिक रूप से बोली देनी चाहिए तथा यह बोली दो, तीन अथवा चार सप्ताह तक चालू रहती है, यह एस०ई०बी०आई० के निर्णय पर निर्भर करेगा। परन्तु यह परदे के पीछे कोई गुप्त सौदा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

दूसरा पहलू हस्तांतरण संबंधी बोली से है। यह पूरी तरह सम्भव है। भारत में निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। सरकार पहले ही 'स्टाक एक्सचेंजों' को विदेशी निवेश के लिए खोलने पर विचार कर रही है। परन्तु एक बार विदेशी निवेश आरंभ हुआ, इसी की आशा में भारतीय 'स्टाक एक्सचेंज' चल रहे हैं। परन्तु जहां तक हस्तांतरण संबंधी बोलियों में विदेशी भागेदारी का सम्बन्ध है एक बार आप विदेशी धन को अपने 'स्टाक एक्सचेंजों' में प्रवेश की अनुमति देते हैं, तो आप ऐसा एक साथ नहीं कर सकते है; आप 'स्टाक एक्सचेंज' में तो आ सकते हैं लेकिन किसी कंपनी को हस्तांतरण प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इसके लिए तरीका, विनियम, कोई प्रणाली विकसित करनी होगी ताकि जब तक भारतीय उद्योग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक कंपनियों का विदेशी हस्तांतरण टाला जा सके।

3.00 म०प०

यह मेरा कर्त्तव्य नहीं है और ना ही इस बात की विस्तार से चर्चा करने का समय मेरे पास है कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे विचार में एस०ई०बी०आई० इस कार्य की ओर गौर करेगी।

महोदय, मैंने बस यही कहना था। मेरी बात पर ध्यान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इस बात को दोहराते हुए कि भा० ज० पा० 'सिक्यूरिटीज तथा एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया' विधेयक, 1992 का समर्थन करती है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक है कि प्रत्येक राजनैतिक दल को दी गई समय-अवधि की जानकारी मैं दे दूं ताकि बोलते हुए इस समय का समायोजन कर सकें :

कांग्रेस(ई)	—	50 मिनट
भा०ज०पा०	—	25 मिनट
जनता दल	—	12 मिनट
सी०पी०आई०(एम)	—	7 मिनट
सी०पी०आई०	—	3 मिनट
आल इंडिया अन्ना द्रमुक	—	2 मिनट
जनता पार्टी	—	1 मिनट
अन्य छोटे दल	—	1 मिनट प्रत्येक के लिए।

एक माननीय सदस्य—तेलगु देशम पार्टी को कितना समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय—ठीक है, आपको भी समय दिया जाएगा।

श्री शरतचन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने पर मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जोकि पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए अफसरशाही के नियंत्रण को समाप्त तथा छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। नई नीति में निहित भावना के अनुरूप, यह नया विधेयक परिवर्तन की इस प्रक्रिया की गति को और तीव्रता प्रदान करेगा फिर भी प्रस्तावित विधेयक के कुछ पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है।

3.03 म० प०

[श्री शरद दिघे पिठासीन हुए]

अध्याय 2, धारा 4, उपधारा (4) में यह कहा गया है कि बोर्ड कि सदस्यों का या तो मनोनीत किया जाएगा अथवा सरकार द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाएगा। परन्तु बोर्ड की संचरना में एकरूपता का अभाव है। स्टाक एक्सचेंजों तथा निवेशकों जैसे सम्बन्धित ग्रुपों का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। बोर्ड में कम से कम दो सदस्य मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों से तथा एक सदस्य उच्चतर उपभोगता ग्रुप अथवा निवेशक ग्रुप से होना चाहिए।

अध्याय 7, धारा 16, उप-धारा (1) में यह कहा गया है कि नीति सम्बन्धी मामलों में निर्देश समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे, बोर्ड उनका अनुपालन करने पर बाध्य होगा। यद्यपि बोर्ड के गठन का उद्देश्य पूंजी बाजार के नियोजित तथा स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करना है, फिर भी इससे पूंजी बाजार के कार्यकरण में सरकार का अप्रध्यक्ष रूप से हस्तक्षेप होगा। इसकी बजाय बोर्ड को सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर स्वतन्त्र निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिएं।

धारा 26 (1), में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से क़ानून के अन्तर्गत अपराध की शिकायत बोर्ड कर सकता है इससे बोर्ड को निवेशकों का विश्वास जीतने में कठिनाई होगी बोर्ड का कार्यकरण अवांछित रूप से सरकार की नीतियों द्वारा प्रभावित होगा। क्योंकि बोर्ड एक सांविधिक संस्था है, इसलिए इसके कार्य में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा रुकावट पैदा नहीं की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

विधेयक के खण्ड (29) में केन्द्रीय सरकार को बोर्ड के कार्यकाल तथा अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है मेरा यह सुझाव है कि बोर्ड के अध्यक्ष से सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी शर्तें अन्य सांविधिक पदों से सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी शर्तों के समान होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया विधेयक पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

विधेयक में शेयर निवेशको के हितों की सुरक्षा तथा भारतीय शेयर बाजार को प्रोत्साहन देने तथा उसके विकास का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि शेयर बाजार का व्यापार मात्र जूआ नहीं है जहां कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, फिर भी इसमें अधिक जोखिम और सट्टेबाजी की हानियों के तत्व अधिक रहते हैं। निवेशकों को लगातार उत्पीड़न तथा इस व्यापार में भरपूर हेराफेरी ने सचेत लोगों

को गम्भीर चिन्ता में डाल दिया है। विकास की पूंजीगत प्रणाली ऐसे मुद्रा बाजार में निहित है। अर्थव्यवस्था में समाजवादी विकास प्रणाली ऐसे मुद्रा बाजार की अनुमति नहीं देती।

फिर भी, शेयर बाजार भारत में नया नहीं है। वर्ष 1877 से शेयर बाजार कार्य कर रहे है, कहीं पर इन्हें मान्यता प्राप्त है, कहीं पर नहीं। वर्ष 1956 में केन्द्रीय सरकार ने 15 स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान की घरेलू पूंजी में से फालतू धन निकालकर शेयर बाजार स्थायी पूंजी को गति प्रदान करने में सहायता करता है। पूंजी निर्माण में इसकी भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में निवेश की दृष्टि से शेयर बाजार उद्योगों तथा कम्पनियों को धन उपलब्ध करवाकर वास्तव में एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। वर्तमान स्थिति में भारत में मुद्रा बाजार का महत्व बहुत अधिक हो गया है। आठवीं योजना में 5·6% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के लिए 21·6% घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र को 17·6% का अनुदान करना पड़ेगा। अतः इस समय शेयर बाजार के व्यापार में विश्वसनीयता की बहुत आवश्यकता है, ताकि निवेशकर्ताओं को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। लेकिन प्रत्याभूति बाजार में अधिक तेजी होने से वर्तमान स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है। यह जानते हैं कि पूरे विश्व में शेयर बाजार की प्रतिक्रियाओं से निकट भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान किया जाता है।

शेयर व्यापार क्षेत्रों में कुछ अनुभवी व्यक्तियों ने टिप्पणी की है कि इस प्रकार की तेजी आना भारतीय शेयर बाजारों में कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक सौ वर्ष ने कुछ समय पहले 1863-65 में और फिर 1985-87 में हुआ था। इस साल जो तेजी आई है, उसका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सका था। वर्तमान तेजी के बारे में एक बड़े दलाल ने कहा है कि यह बिल्कुल अप्रत्याशित है और इससे कोई अनहोनी घटना घट सकती है।

पिछले वर्ष, जुलाई बजट के साथ-साथ शेयर बाजार बढ़ना शुरू हो गया था। बम्बई स्टाक एक्सचेंज का सूचकांक जनवरी तक 1300 से बढ़कर 2000 हो गया। 29 फरवरी को इस वर्ष का बजट प्रस्तुत होने के बाद बम्बई शेयर बाजार में दो घण्टे में प्रति मिनट 1.6 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। बजट प्रस्तुत होने के बाद दो घण्टे के इस लेन-देन के बाद सूचकांक 3000 से भी अधिक हो गया। 9 मार्च को सूचकांक 3547 अंकों पर जा पहुंचा। पूरे देश में सूचकांक बढ़ गया तथा आंकड़े कुछ ही घण्टों में दुगुने और तीन गुने हो गए। बाजारों में इतनी अधिक तेजी आ गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बाजार में तेजी को नियन्त्रित करने की बात कहीं। यहां तक कि 26 मार्च को बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक 3802.17 तक पहुंच चुका था। हम पहले से ही आशंका प्रकट कर रहे थे कि इस के परिणामस्वरूप एक गंभीर संकट उत्पन्न होगा, जिससे भुगतान प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जाएगी और प्रमुख मुद्रा केन्द्रों में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस तेजी ने लंदन और न्यूयार्क के परंपरागत शेयर बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया। जब देश को 5.6 प्रतिशत संकल घरेलू उत्पाद की निश्चित वृद्धि दर बढ़ाने के लिए अनुशासित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है, तब देश के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए यह अनियमित स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या सरकार को मूकदर्शक बने रहना चाहिए? शेयर बाजार में तेजी के कारणों के बारे में सरकार का क्या आकलन है।

दो प्रमुख विदेशी प्रत्याभूति कम्पनियों, क्लेइनवर्ट नेम्सन सक्योरिटीज लि० तथा एशियन

केपिटल पार्टनर्स लि० ने भारत के शेयर बाजारों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया है। उन्होंने अत्यधिक भुगतान को इस तेजी का मुख्य कारण माना है। इस वर्ष धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण अधिक भुगतान हुआ। जिन वाणिज्यिक बैंकों और व्यापारियों के पास अतिरिक्त धन था, उन्होंने शेयर बाजार में अपना पैसा लगाया। तथापि, यह तेजी स्टाक एक्सचेंज में अनियमित स्थिति के कारण आई।

यह वास्तविकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी फैलाव आया है। यह विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने, वैज्ञानिक खोजों की मांग तथा लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन के अनुरूप होना चाहिए। वृहत आर्थिक वृद्धि करने, बेरोजगारी की समस्या को निपटाने तथा अन्य संकटों को निपटाने के लिए पूंजी बाजार का सुदृढ़ होना आवश्यक है। ऐसे में घरेलू बचत को बढ़ावा देने की जरूरत पैदा होती है, जिससे निवेश के लिए धन जुटाया जा सके। लोगों को अपनी छोटी या बड़ी बचत को देश के उत्पादन क्षेत्र में लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु शेयर बाजार की आवश्यकता होती है जो विक्रेताओं और क्रेताओं के लिए एक मंच और सेवा केन्द्र की सुविधा प्रदान करता है। शेयर बाजार में पूंजी का आसान लेन-देन तथा परिवर्तनीयता होती है। ईमानदार निवेशक इसमें निरंतरता और स्थिरता चाहते हैं। लेकिन अब शेयर बाजार में अनेक ऐसी ताकतें हैं जो प्रीमियम में उतार चढ़ाव करती हैं, बाजार से बाहर व्यापार होता है, छोटे दलाल भी हैं, जिनके माध्यम से लेन-देन किया जाता है, इक्विटी में उतार-चढ़ाव रहता है, जाबिंग ब्रोकरर भी हैं और बहुत अधिक सट्टेबाजी होती है, सौदों तथा लेन-देन के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है, इससे इसमें बहुत सी चूकें होती हैं, गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओं द्वारा अधिक रुचि ली जाती है, न्यायिक मामले बनते हैं और सरकार द्वारा नियम विनियम बनाए जाते हैं, गौण बाजार आधार की बहुलता तथा एक्सचेंज के कार्यों में आधुनिकीकरण के कारण वहां व्यापार करने में बाधाएं आती रहती हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं कुछ और मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप इस तरह अपना भाषण मत पढ़िए बल्कि ऐसे ही बोलिए।

श्री सुधीर गिरि : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

बजट में विकास के लिए पूंजी बाजार की सहायता करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। सम्पत्ति कर बढ़ाने से निगमित क्षेत्र को लाभ होगा, क्योंकि उच्चतर और प्राथमिक अथवा नये बाजार इशु में अधिक बचत प्राप्त होगी। इससे बाजार पूंजीकरण में सुधार होगा। आयकर में छूट देकर तथा बोनस शेयर इशु पर लाभ देकर सरकार ने कम्पनियों को यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपना विकास कर सकें तथा विश्व बाजार में अधिक अंश जारी कर आयात के लिए विदेशी मुद्रा ले सकें। इन सभी बातों को साथ-साथ देखते हुए ऐसा लगता है कि पूंजी बाजार तेजी से बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। हम विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करें। विधेयक में अस्त-व्यस्तता, निवेशकर्त्ताओं को परेशान करना, निवेशकर्त्ताओं को धोखा देने में लिए हर चरण पर हेरा-फेरी, जो भारत में सभी शेयर

बाजारों में रोज का काम हो गया है, को रोकने के लिए प्रावधान हैं। इन भ्रष्ट प्रथाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। निवेशकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने, विकास बढ़ाते तथा बाजार को विनियमित करने के लिए विधेयक की धारा 11 में प्रावधान किया गया है। इसमें बाजार से जुड़े व्यक्तियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए प्रावधान है।

लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत कम अधिकारी नियुक्त किए गये हैं और वे व्यापार बाजार में चल रही धोखेधड़ी को रोकने में सफल नहीं होंगे। केन्द्र सरकार ने अपनी औद्योगिक, वित्तीय, आर्थिक तथा व्यापार नीति में परिवर्तन कर लिया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आए हैं। पूंजी बाजार में प्रचलित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसे ढांचागत परिवर्तनों की ही आवश्यकता है।

विधेयक की धारा 17 में आपात स्थिति और बोर्ड भंग हो जाने सम्बन्धी प्रावधान हैं। इस बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है कि किन आधारों पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आपात स्थिति है और किन आधारों पर बोर्ड को भंग किया जाएगा, उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वास्तव में शेयर बाजार को विनियमित करने के प्रावधान जनसमुदाय के लिए अच्छे हैं। यदि मध्यम वर्ग के लोग विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सरकार के नियन्त्रण से संतुष्ट होकर अपनी बचत को शेयर बाजार में लगाते हैं और बाद सरकारी तंत्र में कमियां होने के कारण हेरा-फेरी कर उन्हें धोखा दिया जाए तब क्या होगा? उन ईमानदार निवेशकर्त्ताओं का ध्यान कौन रखेगा?

विधेयक की धारा 4 की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि बोर्ड का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सक्षम और निष्ठावान होंगे, जिन्हें प्रत्याभूति बाजार से सम्बन्धित मामले का अनुभव होगा। लेकिन इसका क्या मानदण्ड है तथा ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्तियों की उक्त योग्यताओं की जांच करेंगे? जब से बोफोर्स और जर्मन पनडुब्बी का मामला सामने आया है; तब से नौकरशाही में हमारा विश्वास कम है। राष्ट्रीय हित के विरुद्ध ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं और वह मामले सरकार की इच्छाओं की सीमाओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में छूट देने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने यहां आने देने के परिणाम अर्थव्यवस्था में झलकते हैं। सभी नैतिकताओं और हमारे पूर्वजों के बलिदान की कीमत पर धनलोलुप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए बाजार को विनियमित करने के प्रावधानों के वैसे नतीजे नहीं रहेंगे, जैसी आवश्यकता है।

दूसरे, हमने अपने अनुभव से देखा है कि कुछ नौकरशाहों का अहंकारी व्यवहार सारे मामले को खराब कर देता है। क्या मैं मन्त्री महोदय से एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं? जबकि 1986 में स्वीकृत संकल्प के आधार पर 1988 में बोर्ड गठित कर दिया गया था, फिर भी इसे प्रत्याभूति बाजारों में चल रही गलत प्रथाओं को रोकने के लिए कोई अधिकार क्यों नहीं दिए गए? जब हमने आबंटन वारण्ट प्राप्त न होने, धन वापसी आदेश प्राप्त न होने की शिकायतें सुनी और समाचारपत्रों में यह खबरें देखीं कि निवेशकर्त्ता कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब हमें बहुत दुख हुआ लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक ईमानदार निवेशकर्त्ता को संरक्षण देगा।

[श्री सुधीर गिरि]

महोदय, मुझे एक आशंका है। प्रत्याभूति बाजार में छोटे और बड़े निवेशकर्त्ता साथ-साथ व्यापार करते हैं और बड़े निवेशकर्त्ता ही धोखाधड़ी करते हैं क्योंकि अपने भ्रष्टाचार से हुए नुकसान को वे सह सकते हैं। उनके कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं जो देश के प्रशासन में हैं। यदि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के कार्यों को रोकने का प्रयास करेगा, तब बोर्ड के सदस्यों को या तो सदस्यता से हटना पड़ेगा अथवा बोर्ड ही भंग हो जाएगा। ऐसे मामलों में छोटे निवेशकर्त्ताओं के हितों की कौन रक्षा करेगा ?

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार के इरादे अच्छे हैं लेकिन हमें यह देखना है कि विधेयक के प्रावधानों को वास्तव में पूरी तरह शब्दश: लागू किया जा रहा है और ईमानदार निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए शेयर बाजार को नियमित किया जाए।

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरू) सभापति महोदय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक स्टाक मार्केट में छोटे शेयर धारकों की रक्षा के लिए लाया गया था यद्यपि इस दिशा में शुरूआत 12 अप्रैल, 1988 को की गई थी तथापि तीन वर्ष तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 31 जनवरी, 1992 को शेयरधारकों के महत्व को देखते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया। मुख्य रूप से व्यापार में सट्टेबाजी को रोकने और साथ ही व्यापारिक बैंकों, रजिस्ट्रारों, ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों और विभिन्न बैंकरों के कार्यों को नियन्त्रित करने के लिए इसे लाया गया है। दुर्भाग्यवश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अधिक शक्ति प्रदान नहीं की गयी है। कम्पनी ला बोर्ड और वित्त मन्त्रालय दोनों में ही अपनी-अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति अपने पास ही रख ली है। जिस विचार से इसे शुरू किया गया मैं नहीं जानता कि यह उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं। उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और वे मन्त्रालय के समक्ष ही अपील कर सकते हैं।

बोर्ड में भी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य, वित्त मन्त्रालय या कम्पनी ला बोर्ड से और एक सदस्य रिजर्व बैंक से और दो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। मेरे विचार में बोर्ड में फेडरेशन शेयर धारकों, स्टाक-ब्रोकरों और अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेन्टों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और प्रत्येक चरण में जो गलत कार्य हो रहे उन्हें रोकने में सक्षम हैं।

बोर्ड को पूरी तरह स्वायत्तता प्रदान करने या स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देने का सरकार कोई इरादा नहीं है जो इस बात से स्पष्ट है कि इस बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक प्रावधान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। कैपिटल इश्यूज के नियन्त्रण कार्यालय को समाप्त कर दिए जाने को ध्यान में रखते हुए निवेशकों की रक्षा के लिए एस० ई० बी० आई० का एक स्वतन्त्र बोर्ड के रूप में गठन होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है।

अध्यादेश की धारा 11 एस ई० बी० आई पर प्रतिभूति में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा तथा पूंजी बाजार के विकास को विभिन्न बिचौलियों जैसे पब्लिक इश्यूज, व्यापारिक बैंकरों, ब्रोकरो आदि के राजिस्ट्रारों की गतिविधि पर नजर रखते हुए सम्बधित करने का उत्तरदायित्व सौंपा

है। इन शक्तियों का एस० ई० बी० आई० द्वारा उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप करना होगा। इस प्रकार कार्यरूप में एस० ई० बी० आई० की शक्तियां स्वायत्त नहीं है और वे केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित होने हैं।

धारा 20 के अन्तर्गत यदि किसी को एस० ई० बी० आई० द्वारा बनाए गए नियम से शिकायत है तो वह केन्द्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और तब एस० ई० बी० आई० द्वारा विभिन्न कार्यों सम्बन्धी नियम को पुनः अनुकूलन बना दिया जाए गा और इससे पूरी व्यवस्था पर विभिन्न कुप्रभाव पड़ेगे।

कैपिटल इश्यूज (कंट्रोल) अधिनियम, 1947 में की धारा 10 में अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया है जिसके तहत अधिनियम में निहित किसी उपयोग में लाई जाने वाली शक्ति एस० ई० बी० आई० को सौंपी जा सकती है। लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत एस० ई० बी० आई० द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह महसूस किया गया है कि एस०ई०बी०आई० कंपनी अधिनियम के तहत विशेषकर शेयर अंतरण और शेयर के संधारण और इससे जुड़े अन्य मामलों में कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इस सट्टा बाजार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए और जब उन्हें शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक उनके लिए प्रभावी भूमिका निभाना संभव नहीं होगा। ऐसे ही एक्सचेंज बोर्डों के मामलों में अन्य देशों में उन्हें पर्याप्त शक्ति दी गई है। एस०ई०बी०आई० को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उसके अनुरूप यह कार्य नहीं कर पाएगा। आर्थिक नीति के उदार होने के साथ ही स्टाक एक्सचेंज की वर्तमान गतिविधियां चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर रही है। नए इश्यूज के लिए ब्रोकर और सब ब्रोकर जिस तरह से मुख्य बाजार में कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में चिन्ताजनक है। अन्य कार्य जिसके कारण आंतरिक व्यापार हो रहा है वह भी एक बड़ी समस्या है और इस पर एस०ई०बी०आई० द्वारा अत्यधिक ध्यान देने और नियम लागू करने की आवश्यकता है।

हमें भी स्टाक एक्सचेंज की आवश्यकता है। केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि उन स्थानों पर भी जहां लोगों ने इसकी आवश्यकता को समझ लिया है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और अन्य स्थानों पर भी आवश्यकता है। इसलिए इनका विस्तार किया जाना चाहिए। अन्य स्थानों पर भी लोगों की रुचि स्टाक एक्सचेंज में है। इसलिए इसका उन्हें विस्तार करना चाहिए।

दूसरा मामला एस०ई०बी०आई० के लिए कर्मचारी और स्थापना का है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एस०ई०बी०आई० में कार्यरत वर्तमान कर्मचारी इसके बढ़े हुए कार्यों और सरकार के उदार दृष्टिकोण के कारण अधिक से अधिक स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने की स्थिति में वह अपेक्षित कार्य निस्पादन करने में सक्षम होंगे। स्टाक के प्रति लोग आकृष्ट हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि लाखों छोटे निवेशक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों सहित वर्तमान स्थिति में इसमें रुचि दिखाएंगे। वे निवेश करना चाहेंगे। इस सभी पहलुओं को देखते हुए मैं समझता हूं कि एस०ई०बी०आई० को अत्यधिक स्वायित्व देने की आवश्यकता है ताकि यह वास्तव में उन उद्देश्यों को पूरा कर सके जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है और यह सभी छोटे निवेशकों की आवश्यकताएं, किसी अन्य व्यवस्था की अपेक्षा, अधिक पूरा कर सके।

[श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या]

इन बातों को देखते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि क्या वह छोटे निवेशकों के स्टाक एक्सचेंज में सन्तुष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे और उनकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं भी इन बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं और मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी मेरे रचनात्मक सुझावों को निश्चित रूप से मानेंगे। ब्रोकर्स के काम करने के अपने विशेष तरीके हैं और स्टाक एक्सचेंज पर उनका पूरा नियंत्रण रहता है एस०ई०बी०आई० द्वारा उनके पंजीयन की अनिवार्यता एवं पंजीयन निरस्त करने का अधिकार एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। यह किस प्रकार से रुकेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। एस०ई०बी०आई० के काम करने के सारे नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार यदि सारे नियम बनाएगी और सैन्ट्रल गवर्नमैंट का हर चीज में दखल होगा तो जिस शुद्ध भावना से हम इस बिल को लाए हैं वह बात पूरी नहीं हो सकेगी। मैं उन बातों को इसलिए सिद्ध करना चाहता हूं, सैन्ट्रल गवर्नमैंट का अधिकार पर चीज पर यों है कि ज्यों ही आपने वक्तव्य में कहा कि फाईनैंस मिनिस्टर ने ऐनाउंस किया कि :

[अनुवाद]

कैपिटल इश्यूज के नियंत्रक का कार्यालय समाप्त कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

यह ऐबोलिश हो गया तो मेरा निवेदन है कि एक इंटरनेशनल सेमीनार हुआ था और उसमें कहा गया था कि इस बाडी को, जिसको एस०ई०बी०आई० कहते हैं, इसके फंक्शन में किस प्रकार से एकाधिकार हो, उसमें राज्य सरकार का दखल कम हो, इस प्रकार से विचार करें, पर यह बात, वर्तमान का जो बिल आप लाए हैं, इसके रहते पूरी नहीं हो सकती। इसमें भारत सरकार का नियंत्रण कम होगा यह हमारी मूल भावना थी। यह नकल हमने यू०एस०ए० और यू०के० से की। हम यह चाहते हैं कि :

[अनुवाद]

"एस०ई०बी०आई० एक पृथक एजेंसी होगी परन्तु सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और पूर्व में स्वीकृत विनियमों के तहत कार्य करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि इसके गठन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा।"

[हिन्दी]

यानि इसमें कहीं सैपरेट आईडैनटिटी नहीं है। इस सारे एस०ई०बी०आई० पर पूरा नियंत्रण भारत सरकार का होगा। अगर भारत सरकार का पूरा नियंत्रण होगा, इसको यदि अलग से स्वायत्त संस्था बनाना चाहते थे, वह बात पूरी नहीं हो सकी।

इसके गठन के बारे में निवेदन करूंगा कि सैक्शन 4 और 5 के अन्तर्गत बोर्ड आफ डायरैक्टर्स में इस प्रकार से कहा गया है एक इसमें एक चेयरमैन होगा, दो मैम्बर होंगे।

[अनुवाद]

"दो सदस्य वित्त मन्त्रालय तथा विधि मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक भारतीय रिजर्व बैंक का। दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।"

[हिन्दी]

ये भी सैन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा होंगे। मेरा मतलब है कि हर सैक्शन में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार का दखल होगा।

[अनुवाद]

"कार्यकाल और अन्य शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। कार्यकाल के निर्धारित समय के पूरा होने से पूर्व अध्यक्ष या सदस्य की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार केन्द्र सरकार का होगा। सरकार को यह अधिकार है कि बोर्ड समाप्त करके इसका पुनर्गठन करें।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि पूरा नियंत्रण इस बोर्ड को बनाने में, इस बोर्ड को जब चाहें भंग कर दें, जिसको चाहें निकाल दें, यह सरकार अपने हाथ में ले रही है। एक ऐतराज यह है।

[अनुवाद]

"प्रतिभूति बाजार के सभी बिचौलियों के पंजीकरण के लिए केन्द्र सरकार धारा 23(1) के प्रावधानों के तहत नियम बनाएगी। तीसरा, एस०ई०बी०आई० केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही नियम बनाएगी और ये नियम अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।"

[हिन्दी]

यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर एप्रूवल लेने के बाद ये रूल्स और रेगुलेशन्स बनायेंगे और हर कदम पर भारत सरकार का इसमें नियंत्रण है।

इसी प्रकार से क्रिमिनल कम्पलेंट्स के ग्रायलेशन के बारे में भी रूल्स और रेगुलेशन्स जो हैं उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले स्वीकृति लेने के बाद उन पर केसिज चलाए जा सकेंगे।

पांचवा आबजेक्शन इसमें यह है कि :

[अनुवाद]

पांचवा, यह जानना महत्वपूर्ण है कि धारा 16(1) के अन्तर्गत "बोर्ड अपनी शक्तियों का पालन करते हुए अथवा इस अध्यादेश के अन्तर्गत अपने कृत्यों का निर्वाह करते हुए, नीति सम्बन्धी प्रश्नों के मामले में ऐसे निदेशों, जो समय-समय पर केन्द्र सरकार लिखित रूप में दे, का पालन करेगा।"

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

[हिन्दी]

हर समय केन्द्र सरकार जो मौखिक इंस्ट्रक्शन देगी, उसका बोर्ड को पालन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बाडी एस०ई०बी०आई० की जो इसमें आप बनाना चाहेंगे वह इसमें नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

"छठा, धारा 20 (1) के अन्तर्गत, "इस अध्यादेश के अधीन दिए गए किसी आदेश अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों के कारण पीड़ित कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई समयावधि के भीतर, अपील दायर कर सकता है।"

[हिन्दी]

निश्चित समय में वह अपील करेगा। मेरा मत यह है कि एस०ई०बी०आई० को अटानम्स बाडी इन सारे नियंत्रणों के रहते हुए नहीं बना सकते हैं। आप इसमें एक इनएफेक्टिव एजेंसी एस०ई०बी० आई० को बनायेंगे और वह इंडिपेंडेंट बाडी नहीं हो सकेगी।

भारत सरकार ने यह वायदा जनता से किया है कि हम गरीबी मिटा देंगे, एसेंशल कमोडिटिज के प्राइस कम कर देंगे लेकिन एस०ई०बी०आई० पर इस प्रकार से आप नियंत्रण रखेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। इसमें आपने यह भी कहा है कि जब कभी भी एस०ई०बी०आई० रूल्स और रेगुलेशन बनायेंगे तो वह पालियामेंट की एप्रूवल के लिए रखे जायेंगे। ऐसे कोई नहीं रखता है। विधान सभा में भी हमने देखा है और यहां भी देखा है, उसे कोई नहीं रखता है इसलिए···

[अनुवाद]

"स्वयं यह विधान के ही अन्तर्गत सरकार को जब वह आवश्यक समझे, नियम और विनियम बनाने और विनियमों का अनुमोदन करने का अधिकार देगा।"

[हिन्दी]

यह होना चाहिए था इसी प्रकार का—

[अनुवाद]

"वे ही अनेक मध्यवर्ती कम्पनियां हैं जिनके दायित्वों और कर्त्तव्यों को परिभाषित किया जाना है···"

[हिन्दी]

इसमें किसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्त्तव्य होंगे, इसकी किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं डाली गई है। मैं कह सकता हूं।

[अनुवाद]

"तथापि बम्बई के स्टाक एक्सचेंज के निदेशक मण्डल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां भी एस०ई०बी०आई० को प्रदान नहीं की गई है।"

[हिन्दी]

बम्बई स्टाक एक्सचेंज में जो डारेक्टर की पावर है, वह भी इन सारे नियमों के तहत यहां बोर्ड आफ डायरेक्टर को नहीं मिलेगी। इसलिए ठीक उद्देश्य के लिए जरूर एक सम्पूर्ण शक्ति किसी के ऊपर डालनी चाहिए और भारत सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में न रखकर इसको डिसेंट्रलाइज करके अटानमस बाडी बनाए तब मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा वरना कोई भी सरकार जो ऐसे संशोधन लाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। जसवन्त सिंह जी ने अपने भाषण में इसका समर्थन किया है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं लेकिन इन सारे सुझावों को माननीय मन्त्री जी निश्चित रूप से कारपोरेट करे और केन्द्र सरकार का जो हर कदम पर इसमें नियंत्रण रखा गया है, उसमें वह ढील प्रदान करे तभी जाकर यह एस०ई०बी०आई० ठीक प्रकार से काम कर सकेगी। यही मुझे आपकी सेवा में निवेदन करना है। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके उद्देश्यों से यह स्पष्ट है कि बोर्ड का गठन प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को नियमित करने और इसके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

इसके लिए एक अध्यादेश लाना आवश्यक था। अतः अध्यादेश जारी किया गया। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यगण मुख्यतः इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। हम भी इससे सहमत हैं कि सामान्य परिस्थितियों में कोई अध्यादेश केवल अत्यन्त आवश्यक होने की स्थिति में ही जारी किया जाना चाहिए।

परन्तु पूंजी-बाजार की अस्थिर स्थिति को मद्देनजर रख कर और नई आर्थिक नीति और बजट में उल्लिखित नियमों और विनियमों में हुए उदारीकरण के फलस्वरूप स्टाक एक्सचेंज में सहसा आई असाधारण तेजी के फलस्वरूप शेयरधारियों, विशेष रूप से लघु निवेशकों, जो शेयर बाजार में आई सहसावृद्धि को देखकर लाभ, बल्कि अनावश्यक लाभ भी अर्जित करना चाहेंगे, के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। अतः एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रति वचनबद्ध है, अपने जिम्मेवारियों के प्रति सजग है, न अपने सरकारी दायित्व का ही निर्वाह करने के लिए—जो कार्य करती है तब हम लोगों पर एक अतिरिक्त दायित्व भी है—यह अध्यादेश को जारी किया गया है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है, उस समय स्वाभाविक है कि कानून के अनुसार इसके स्थान पर विधेयक लाया जायेगा।

अतः मैं यह कहूंगा कि इस अध्यादेश को जारी करने और अब इसके स्थान पर इस विधेयक को पुरस्थापित करने में कोई भी अनियमितता नहीं है।

समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 1992 भारतीय पूंजी बाजार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष बनने जा रहा है, एक ऐसा वर्ष जिसमें निवेशकों, सट्टेबाजों और

[श्री ए० चार्ल्स]

बाजार के मध्यस्थों को विनियमों, संस्थानों और बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिकोण से व्यवसाय करने का नये सिरे से तरीका सीखना पड़ेगा। भारत के शेयर की कीमत में डालर के हिसाब से भी अस्सी प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। मेरे विचार से पिछले चालीस वर्षों से चली आ रही नीति में बिना कोई परिवर्तन किये, इस सरकार ने जो यह साहसिक पहल की है और हम जो नये आयाम दे रहे हैं, यह उन सब नवीन परिवर्तनों में एक विश्वास का संकेत देता है। इस समय हम उसी ठोस आधार पर ही इसका निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन परिवर्तन को लागू करने के साथ ही इस देश के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। मेरे विचार से यह विधेयक सही समय पर लाया गया है।

यह सही है कि वर्ष 1988 में एक संकल्प पारित किया गया था और एक्सचेंज बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव था। परन्तु असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत बोर्ड को सांविधिक अधिकार नहीं दिये गये थे और उसी स्थिति को ठीक करने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है।

विधेयक के कुछ प्रावधानों के सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान खंड 4, उपखंड 1(ख) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है: "केन्द्रीय सरकार के वित्त और विधि सम्बन्धी काम देखने वाले मन्त्रालय के अधिकारियों में से दो सदस्य।" इसमें स्पष्ट रूप से कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से सरकार वित्त मंत्रालय और विधि में से एक-एक सदस्य को लेना चाहती है। परन्तु विधेयक खंड में यह इसका स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया है कि वित्त मन्त्रालय से दो सदस्य लिए जा सकते हैं अथवा विधि मन्त्रालय से अथवा प्रत्येक मन्त्रालय से एक-एक सदस्य लिया जायेगा। यदि सरकार का विचार प्रत्येक मन्त्रालय में एक-एक सदस्य लेने का है तब उस स्थिति में ये शब्द होने चाहिए:

"वित्त और विधि का काम देखने वाले केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय के अधिकारियों में से एक-एक सदस्य।"

वर्तमान शब्दों से कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। मैं मन्त्री महोदय से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। यदि मेरी धारणा ठीक है, तो इसमें आवश्यक संशोधन किया जाये।

फिर, उपखंड 1(घ) के अंतर्गत कुछ शब्द उल्लिखित हैं "केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति की जायेगी" और ये आवश्यक नहीं हैं। खंड 4 के उपखंड 4 में इसकी व्यवस्था की जा चुकी हैं। खंड 4 के उपखंड 1 में संविधान के बारे में और खंड 4 के उपखंड 4 में, नियुक्ति के बारे में उपबन्ध किया गया है। उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपधारा 1 के खंड क और घ में उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी और उपधारा के खंड ख और ग में उल्लिखित सदस्य क्रमशः केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामोनीत किये जाएंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उपखंड 1(घ) में ऐसा क्यों बताया गया है कि "केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति की जायेगी।" यह अत्यन्त आवश्यक है। मेरे विचार से ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिए।

इसी प्रकार, खंड 4 के उपखंड 2 में भी यह कहा गया है कि बोर्ड के कार्यों के सामान्य

संचालन, निर्देशन और व्यवस्था एवं देखरेख सम्बन्धी अधिकार बोर्ड के सदस्यों में निहित नहीं होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बोर्ड और 'बोर्ड के सदस्यों' के शब्दों में कोई अंतर है क्योंकि परिभाषा खंड में बोर्ड के सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। खंड 2 में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के कामकाज सम्बन्धी उसकी सामान्य देख-रेख, निर्देशन तथा प्रबन्ध इत्यादि को अधिकार बोर्ड के सदस्यों को प्राप्त होंगे। जो अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकें और वे सारे कार्य भी कर सकेंगे जो बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इस खंड द्वारा बोर्ड और बोर्ड के सदस्यों के मध्य एक प्रकार का अंतर लाने का प्रयत्न किया गया है। यदि ऐसा है, तो वास्तव में बोर्ड के सदस्य कौन होंगे? उसके बारे में स्पष्ट करना होगा।

अब मैं पृष्ठ 15—खंडोंपर विवरण के बारे में कुछ कहूंगा जिसमें खंड 4 में बताया गया है कि बोर्ड के सदस्यों में एक अध्यक्ष सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दो पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए गए दो सदस्य होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी एक सदस्य मनोनीत किया जाएगा। अब इसी से प्रकट होता है कि सम्पूर्ण बोर्ड अथवा बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के ही एक अंग हैं। तो फिर खंड 4 के उपखंड 2 में उन दोनों में अंतर क्यों रखा गया है? मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि देखें कि वह क्या यह खंड उपयुक्त है। भ्रांति को दूर करते हुए यह कहा जा सकता है कि बोर्ड के कामकाज की साधारण देख रेख, प्रबन्ध और निर्देशन इत्यादि की शक्तियां बोर्ड में ही निहित होगी। यदि इसका यह तात्पर्य है तब 'बोर्ड के सदस्य' कहना आवश्यक नहीं है।

पुन:, खंड 5 के उपखंड 1 में कहा गया है कि धारा 4 की उपधारा (1) के खंड(क) में उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यावधि और सेवा शर्तें यथानिर्धारित होंगी। परन्तु खंड 4 के उपखंड (1) के खंड ख और ग के अंतर्गत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों और मंत्रालयों के अधिकारियों में से नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होगी? के सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी सेवा शर्तें उनके अपने-अपने विभाग की सेवा शर्तों के तहत ही संचालित होंगी। अत: उनकी कार्यावधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो भविष्य में इससे कुछ दिक्कत हो सकती है यद्यपि उपखंड 2 में कुछ बचाव किया गया है कि सरकार को सदस्यों की सेवा समाप्त करने और कि खंड 5 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार है। परन्तु ये सभी सामान्य खंड हैं और इस विधान में इन सदस्यों की कार्यावधि का निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि यदि वे सरकारी कर्मचारी हैं तो अनिश्चित रूप से उनकी सेवाएं बोर्ड में जारी नहीं रहें। और यदि यही मंशा है तो इसका भी विशेषत उल्लेख किया जाना चाहिए। खैर, मेरे विचार से उस धारा में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पृष्ठ 7 पर खंड 15(2) में कहा गया है :—

"बोर्ड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा भारत के महानियन्त्रक एवं लेखा-परीक्षक द्वारा उनके द्वारा निर्धारित समय-समय पर किया जायेगा..."

लेखाओं की प्रत्येक वर्ष लेखा-परीक्षा करना अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया जाता? प्रत्येक वर्ष

जारी

[श्री ए० चार्ल्स]

लेखाओं की परीक्षा की जानी चाहिए न कि उसे महालेखा-परीक्षक और नियन्त्रण की इच्छा पर छोड़ दिया जाये ?

यहां फिर, उपखंड 2, 3 और 4 में कुछ परस्पर विरोधाभाषी तथ्यों का उल्लेख है। खंड 15के उपखंड(3) में कहा गया है :

"लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के महा नियंत्रक और लेखापरीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति···"

इसका तात्पर्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए महानियन्त्रक और लेखापरीक्षक केवल अपने कार्यालय के ही अधिकारियों को नियुक्त करें। वह इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं। उपखंड(4) में भी उन्हें ऐसा ही अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु उपखंड (2) में "कोई अन्य व्यक्ति" नहीं दिया गया है। मेरे विचार से यदि सरकार भी यही चाहती है कि यदि महानियन्त्रक और लेखापरीक्षक के अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्ति भी बोर्ड के लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकते हैं, तो उस स्थिति में उपखंड(2) में "कोई अन्य व्यक्ति" शब्दों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कृपया इस बारे में भी ध्यान दें।

पृष्ठ 10 पर खंड 26 में न्यायालय की शरण में जाने का प्रावधान किया गया है।

मेरे विचार से इसमें सरकार की जरूरत से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। मैं उस संबंध में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

इसमें कहा गया है :—

"केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से बोर्ड द्वारा की गई किसी शिकायत को छोड़कर कोई भी अदालत इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनें किसी भी नियम अथवा विनियम के अंतर्गत दण्डनीय किसी भी जुर्म को अपने विचाराधिकार में नहीं लेगी।"

खंड 12 में पंजीकरण संबंधी प्रावधान है जिसमें व्यक्ति व संस्थाएं पंजीकरण करवा सकती हैं। यदि उनकी कोई शिकायत होती है तो इसके लिए उन्हें बोर्ड को आवेदन करना होगा; बोर्ड की बैठक होती है। इस पर विचार किया जाता है और तब निर्णय लिया जाता है। यदि बोर्ड केन्द्र सरकार का पूर्वानुमति से सिफारिश करता है, तब अदालतें कार्रवाई करेंगी। मैं यह अनुभव करता हूं कि ऐसे शेयरधारक व व्यक्ति जिन्होंने अपनी वास्तविक शिकायतें दर्ज करवाई हैं, की शिकायतों को दूर करने में अधिक समय लगेगा और उन्हें सही न्याय मिलने में देरी होगी। इसलिए कृपया इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि यह विधेयक ऐसे समय में आया है जबकि पूंजी बाजार बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है मुझे विश्वास है कि 1988 के विधेयक में समुचित प्रावधान नहीं किए गए थे। इस विधेयक के माध्यम से विनियोजकों तथा शेयरधारकों की वास्तविक समस्याओं

के समाधान के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, यह जो बिल सरकार ने यहां पर प्रस्तुत किया है, इसके पहले से, 1988 से सिक्यूरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया फंक्शन कर रहा है, लेकिन वह सरकार की अधिसूचना के तहत काम कर रहा है। पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पारित कर इसको गठित करने का सरकार का विचार है। असल मकसद तो होना चाहिए कि बोर्ड सही ढंग से काम करे और इसके लिए उसको शक्तियां मिलनी चाहिए। अभी यह बोर्ड सरकार की अधिसूचना से गठित था और ठीक से काम कर रहा था। यह बोर्ड और भी अच्छा काम कर सकता था, लेकिन शायद वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट अथारिटी होनी चाहिए जो केपीटल मार्केट को रेगुलेट करे और वर्ल्ड बैंक का आदेश पालन करते हुए भारत सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है।

जो मकसद है कि एक इंडीपेंडेंट रेगूलेटरी ओथोरिटी हो, कैपिटल मार्किट के लिए, पूरे बिल के प्रोवीजन्स को पढ़ने से ऐसा लगता कि आटोनामी पर चोट है। इसकी आटोनामी नहीं रह जाती है। यह बिल्कुल आईवाश है। दो अधिकारी फाईनेंस मिनिस्ट्री और ला मिनिस्ट्री से होंगे। कई सदस्यों ने चर्चा की। दुनिया जानती है कि इस बिल को लेकर फाइनेंस और ला मिनिस्ट्री में आपस में भी झंझट हुआ। किसके पास क्या अधिकार रहे, दोनों विभागों के अधिकारी इसमें जाएंगे, आपस में बंटवारा हो गया। अब इसके बाद एक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के रहेंगे। दो आदमियों को नोमिनेट करेगी, और चेयरमैन को नोमिनेट करेगी। जब चाहे तीन महीने का नोटिस देकर टर्मिनेट कर देगी। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया के मैम्बर्स से हिन्दुस्तान की सरकार चपड़ासी की तरह व्यवहार करना चाहती है, इससे भी बदतर व्यवहार करना चाहती है। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया इन्वेस्टर्स के इंट्रेस्ट को देखेंगे, कैपिटल मार्किट को रेगूलेट करेंगे लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसको मैम्बर बनायेंगे, यह भी नहीं बताया गया। एक्सपर्टस को बनायेंगे या रामेश्वर ठाकुर साहब के यहां रोज जाने वाले को बनायेंगे, कुमारमंगलम के यहां जाने वाले को बनायेंगे, किसको बनायेंगे, इसका कोई पता नहीं है। साफ-साफ प्रोवीजन होना चाहिए कि इंवेस्टर्स और खास तौर से स्माल इंवेस्टर्स के इंट्रेस्ट प्रोटैक्ट करने के लिए एक आदमी उसमें रहेगा या दो आदमी रहेंगे, यह साफ प्रोवीजन होना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल के बीच में से उनको न हटाया जाए तब तक उसके खिलाफ कोई गम्भीर चार्ज न लग जाए। खास तौर से यदि कोई वित्तीय गड़बड़ का चार्ज न रहेगा तो ठीक है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर बोर्ड के सदस्य कड़ाई से यदि कहीं कार्यवाही करने लगें, स्टाक एक्सचेंज में जो आपरेट करने वाले लोग हैं वे समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका सीधा सम्बन्ध, सम्पर्क सरकार में बैठे हुए लोगों से होता है उनकी बड़े स्तर पर उठ-बैठ होती है। कहीं किसी के इन्ट्रेस्ट पर चोट पहुंची, गड़बड़ करने वाले के इन्ट्रेस्ट पर चोट पहुंची तो हो सकता है कोई बोर्ड का मैम्बर यह समझकर कि हमारा यह अधिकार है हम इसको पकड़ेंगे तो उस पर ये कार्यवाही कर सकते हैं। बोर्ड क्या कार्यवाही करेगा जब इसके हर मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री की

[श्री नीतिश कुमार]

एप्रूवल लेनी पड़ेगी, एक्शन लेने से पहले। तो आटोनामी नहीं है। आंख धूल झोंकने के लिए इस प्रकार का बिल लाया गया है।

कैपिटल मार्किट में जो बूम हुआ है, मन मोहन सिंह जी का बजट गया है, वह तीन परसेंट का बजट है और 3 परसेंट के इंट्रेस्ट के लिए यह सब हो रहा है। आनन-फानन में तुरन्त ये आर्डिनेंस लाए। पहले से जो बोर्ड कामकर रहा था उसको अधिकार दे सकते थे। वर्ल्ड बैंक के कहा और उसके आदेश के मुताबिक यह ले आए। मन में जो चोर है कि किसी प्रकार की आटोनामी हम नहीं देना चाहते हैं, हमेशा अपने हाथ में नियन्त्रण रखना चाहते हैं, तथा किसी भी प्रकार से इसको ठीक ढंग से काम नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिए कई कई प्रकार के अंकुश और रोक लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है।

हमारा सुझाव है कि यदि सचमुच आप इंडीपेंडेंट रेगूलेटरी आथोरिटी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसको अधिकार दीजिए। यह एस० ई० बी० आई० क्या करेगा अगर कोई कार्यवाही न कर सके। इसके पास और कौन सी ओथोरिटी है। अगर कोई समझे कि गड़बड़ हो रही है क्यां स्टाक एक्सचेंज में और उसको पकड़ना है तो यह क्या कार्यवाही कर सकेगा? इसके पास कोई मशीनरी है। इसको अगर सचमुच इफैक्टिव बनाना है तो सही मायने में इसको ताकत बनाइए, आटोनामी दीजिए, इनके मैम्बर्स के चयन में ध्यान रखा जाए कि स्माल इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हों। इसको चपड़ासी से बदतर हालत में, चपड़ासी भी ओब्जैक्ट कर सकते हैं हमारी इस बात पर, क्योंकि चपड़ासी को हम मामूली समझ रहे हैं। तो बुरी हालत में रखकर जब चाहे काम पकड़ कर बाहर निकाल दें, ऐसी बात, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसको टिप्स मिलनी चाहिए कोई कार्यवाही करने के लिए। यह हमारा सुझाव है।

बम्बई में सबसे अधिक टर्न ओवर होता है, इसलिए वहां हैड-क्वार्टर रखा है। हमारा सुझाव है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सीधे नियंत्रण में रह सके। बम्बई में आपने बनाया है, आप ज्यादा मुनासिब समझे, इस दृष्टि से कि वहां पर सबसे अधिक व्यापार होता है। लेकिन दिल्ली में भी कोई ब्रांच या सेंटर बनाकर इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। दिल्ली ही नहीं, जितने मैट्रोपालिटन सिटिज हैं वहां इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम यही आपको सुझाव देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यही विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है जो इसी वर्ष जनवरी में प्रख्यापित किया गया था। 1985 से सरकार ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधान मंत्रीत्व काल में उदारीकरण की कतिपय नीतियों को अपनाया था। उस समयावधि में औद्योगिक विकास की दर जितनी ऊंची रही, उतनी पहले कभी भी नहीं रही। 1989 के चुनावों तक पूरी अवधि में यह दर कायम रही और फिर इन चुनावों से धक्का लगना प्रारम्भ हो गया। अप्रैल, 1988 में पूंजी बाजार के अच्छे विकास फलस्वरूप सरकार ने

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन किया। उस समय यह महसूस किया गया कि बचतों को औद्योगिक क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिए एक ऐसे विनियमित और विकासकारी निकाय की आवश्यकता है। इसे संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग तथा औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों में कार्य कर रहे इसी तरह के निकायों के समानाधार पर गठित करने की बात सोची गयी थी।

विगत तीन वर्षों में लोगों के तीव्र वर्गों, प्रतिभूतियों को जारी करने वाले, विनियोजक तथा बिचौलियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में बोर्ड ने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया है। आज विनियोजकों की संख्या 15 मीलियन से भी अधिक है इनमें से अधिकांश लोग बहुत ही अल्प मध्यम वर्ग के तथा पेन्शनभोगी हैं जोकि पब्लिक कम्पनियों में अपना धन नियोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत विकासशील देशों में से सर्वाधिक बचत दर अर्जित करने वाले देशों में स्थान रखता है। आज सरकार की उदार, गतिशील और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण पूंजी बाजार व्यापक तौर पर सक्रिय है, शेयर निर्गमों में दस गुना व सौ गुना अधिक अंशदान हो रहा है। वास्तव में विनियोजकों की संख्या बहुत ही अधिक है जबकि शेयरों की संख्या कम है। इसमें एक खतरा यह है कि छोटे-छोटे विनियोजक भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में पड़ सकते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अधिक सांविधिक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। और ठीक यही बात ही सरकार ने की है।

अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता को लेकर आलोचना भी की गई। कोई यह भी तर्क दे सकता है। इस अध्यादेश में देरी की जा सकती थी लेकिन जिस गति से देश में सुधार हो रहे हैं, उसने इस देश के भावी विकास में आम विनियोजक के अन्दर इतना अगाध विश्वास भर दिया है कि लोग विनियोजन के लिए भाग रहे हैं। यह संकेत दिया जाना आवश्यक बन पड़ा था कि पूंजी बाजार को विनियोजित करने और ऐसे बेईमान बिचौलिए, जोकि स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, को चेतावनी देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को कुछ अधिकार सौंपने के लिए सरकार वास्तव में इच्छुक है। इसीलिए सरकार ने संसद के सत्र के प्रारम्भ होने का इन्तजार नहीं किया और अध्यादेश जारी कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि इसमें अधिक संशोधन करने की कोई आवश्यकता है। हम सभी इससे सहमत हैं कि इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के बारे में हमारा मत भिन्न हो सकता है। वास्तव में इस बारे में एक शिकायत है कि अभी भी केन्द्र सरकार का एस॰ई॰बी॰ आई॰ के कार्यकरण पर अत्यधिक नियंत्रण है। इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि इस किस्म की संस्थाओं का एक दिन में ही निष्पादन नहीं हो सकता। अन्य देशों में, इन संस्थाओं के कुशलतापूर्वक कार्य करने में कई दशक लगे हैं। हम भी निश्चित तौर पर जो स्वायत्तता इसे दी जा रही है, उससे अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इस सदन में फिर से विचार कर सकते हैं।

4.00 म॰ प॰

एक बात निश्चित है कि इस संगठन के विकास पर निगरानी रखने का पर्यवेक्षीय कार्य केन्द्र सरकार अपने पास रखेगी और यह देखेगी कि क्या यह वास्तव में ठीक कार्य कर रहा है और उन उद्देश्यों

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

की पूर्ति कर रहा है जिनका कि उल्लेख किया गया है। इसे एक स्वस्थ पूंजी बाजार को विनियमित कर इसका विकास करना है। और जब यह संस्था सुदृढ़ हो आएगी तब सरकार निश्चित रूप से इसे अधिक स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता प्रदान करेगी और इसके पास अधिक शक्तियां आ जायेंगी। उल्लेखनीय है कि स्टाक-दलालों ने पहले से ही इस बारे में शिकायतें कर रखी हैं कि यह विधेयक बहुत आगे निकल जाता है और इस विधेयक के द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को पहले से ही बहुत सी शक्तियां दी गई हैं और इन दलालों पर पहले से ही बहुत ही पक्के नियंत्रण लगाए गए हैं, अब तो अन्य संस्थागत बिचौलियों पर नियन्त्रण लगाए जाने चाहिए न कि इन स्टाक-दलालों पर।

विधेयक में, नियंत्रक, पूंजी निर्गम की स्थिति को स्पष्ट करने की भी आवश्यकता है। सरकार ने कहा है कि प्रीमियम के निर्धारण में नियंत्रक, पूंजी-निर्गम अथवा सरकार कोई भूमिका नहीं निभाएगी कम्पनियां जो भी प्रीमियम दर वसूल करना चाहें, वसूल कर सकती हैं। यह कदम स्वागत के योग्य है। लेकिन धारा 32 यह कहती है कि मौजूदा विधेयक जारी रहेगा। एस० ई० बी० आई०, कम्पनी ला बोर्ड तथा सी० सी० आई० के बीच शक्तियों के पृथ्यकरण के साथ-साथ इस बात को भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कम्पनी की वित्तीय स्थिति का स्पष्टतः संकेत किया जाना चाहिए। लेखा-परीक्षा न की गई अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट आदि की वर्तमान प्रणाली पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रणाली को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी कम्पनी की वित्तीय स्थिति का पूर्ण आभास हो सके जिससे जनता को इसकी स्थिति का स्पष्ट पता चल सके कम्पनी द्वारा जनता के लिए जारी किए गए सभी संदेशों में कार्यकारी निदेशकों के नाम, भुगतान की गई पूंजी तथा अंशदान की गई पूंजी जैसी सभी बातों का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए। केवल परिचायिकाओं में ही नहीं बल्कि विज्ञापनों, पत्र-शीर्ष व जनता के नाम से निकलने वाले सभी संदेशों में यह अल्पतम जानकारी आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसी प्रथा है।

दूसरा सुझाव यद्यपि विधेयक से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़ा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूंजी बाजार में भारी तेजी आ जाती है और बहुत सी कम्पनियां प्रीमियम राशि निकाल लेती हैं। केन्द्र सरकार को प्रीमियम पर 10 प्रतिशत के लगभग कर लगाया जाना चाहिए और यह कर राष्ट्रीय पुन-निर्माण कोष में जमा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुन-निर्माण कोष तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें धन कहां से आता है। हमें बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि प्रीमियम-कर इसके लिए बहुत अच्छा स्रोत होगा ऐसी कम्पनियां जो लाभ में चल रही हैं उन्हें प्रीमियम निर्गमों से भारी लाभ होगा और उन पर 10% कर लगाया जाना चाहिए।

बचतों के बहाव को सही दिशा प्रदान करने लिए एक ईमानदार व कुशल प्रतिभूति बाजार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ औद्योगिक समाज के निर्माणार्थ इसका होना आवश्यक है। एस० ई० बी० आई० को संयोगवश एक बहुत ही सशक्त संगठन होना चाहिए। पूंजी बाजार के लिए

एस० ई० बी० आई० को उसी तरह से होना चाहिए जैसे कि बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला (गोधरा) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने एस० ई० बी० आई० बिल, 1992 हाऊस में रखा है, मैं उसका वैलकम् करता हूं। इसमें भी शेयर बाजार में सामान्य आदमी भाग ले रहे हैं, उस हिसाब से इनको बिल लाने में जल्दी जरूरी पड़ी है पहले सारे देश में आठ स्टॉक एक्सचेंज थे जो समयानुसार आठ से अट्ठारह हो गये तथा और भी बढ़ रहे हैं। इसमें सामान्य आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था लेकिन अब कर रहा है। साथ ही पहले बड़े-बड़े घराने और बड़ी फैमलीज ही इन्वेस्ट कर रही थीं, अब छोटे लोग भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।

सभापति महोदय, ये जो छोटे लोग हैं, इनकी जरूर चिन्ता करनी चाहिये। यह एस० ई० बी० आई० बिल इनकी चिन्ता करे, इनको एजूकेट करे और उनको बताये कि कौन सी कम्पनी में कौन सा शेयर इन्वेस्ट करने से क्या रिटर्न मिलेगी। अगर शेयर होल्डर्स शिक्षित नहीं होंगे, उनको एजूकेट करने की व्यवस्था नहीं होगी तो सामान्य इनवेस्टर जो उनमें इनवेस्टमेंट कर रहा है, आप उसके हित की रक्षा करें, यह मेरी प्रार्थना है।

4 05 म० प०

[श्री रामनाइक पीठासीन हुए]

अगर छोटे शेयर होल्डर्स का विश्वास उठ जाएगा तो आज जो शेयर बाजार में आग लगी है, सबसे ऊपर आ रहा है, थोड़ा भी एक्सेस अमाउंट होता है तो आदमी सोने में या शहर की जमीन में इनवेस्ट करता था, आज वह शेयर में इनवेस्ट कर रहा है। अगर उसका विश्वास उठ जाएगा तो शेयर बाजार पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। आज जो आग लगी है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए।

सभापति महोदय, यह आज जो शेयर का बाजार बन रहा है, इसमें स्पेकुलेशन और अंधी दौड़ है। जो कम्पनी अपना एडवर्टाइज करने में ज्यादा रुपया खर्च करेगी, उसके इश्यूज ज्यादा जल्दी बिक जाएंगे। आप तय करें कि सभी के लिए इतने रुपयों का एडवर्टाइजमेंट बजट होना चाहिए। इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं होना चाहिए। जसवन्त सिंह जी और दूसरे दोस्तों ने जो कुछ कहा है, उसको ध्यान में रखकर आपको इसके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगानी चाहिए। कई ऐसे इश्यूज आते हैं कि जो कम्पनीज बी० आई० एफ० आर० में हैं या लिक्विडेशन में हैं, हर रोज एक्सचेंज में जो भाव आते हैं, उसे भाव में आप लिखिए कि जिस कम्पनी ने यह इश्यू निकाले हैं, वह बी० आई० एफ० आर० में है या लिक्विडेशन में है। लोग बिना सोचे-समझे इसमें इनवेस्ट करते हैं और कम्पनी लिक्विडेशन में है। कम्पनी अगर लिक्विडेशन में है तो शेयर बाजार की जो लिस्ट बाहर आती है, उसके ब्रेकेट में आप लिखिए (विद लिक्विडेशन) इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, कि ये गड़बड़ वाली कम्पनियां हैं, इन पर रोक लगानी चाहिए और पब्लिकली कहना चाहिए कि ये गड़बड़ वाली कम्पनियां हैं।

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

सभापति महोदय, जो शेयर की मूल कीमत है, उससे कई गुना अधिक उसके भाव बढ़ रहे हैं। इसलिए कंपनी की अपनी योग्यता, वर्ष में 20 प्रतिशत से ज्यादा कीमत किसी भी कंपनी के शेयर में आती है तो आप उसमें मार्जिन मनी और बढ़ाइए। जिसके ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं उसको 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत मार्जिन मनी ले जाइए। अगर 100 प्रतिशत मार्जिन मनी ले जाएंगे तो शेयर्स में कंट्रोल होगा। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी एक कामन इनवेस्टर को डायरेक्टर बनाइए। शेयर बाजार क्या चीज है वह उसको जानने वाला होना चाहिए। जिसको मालूम नहीं है अगर वही वहां डायरेक्टर बनेंगे तो कामन इनवेस्टर की रक्षा नहीं होगी। इसलिए आप जिसको भी अपाइंट करें वह क्वालिफाइड हो, जानने वाला हो। उसकी अपाइंटमेंट के बाद एक एक कार्ड देने में कमकरप्शन होता है। एक एक कार्ड को तीन-तीन लाख रुपए देकर लोग खरीदते हैं। यह करप्शन यही लोग करते हैं तो यहां से अपाइंट होते हैं और जिनका यह पोलिटिकल धंधा होता है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। सभापति महोदय, कुछ कंपनीज के लोग इतने खराब ढंग से दूसरे लोगों को ऐट्रैक्ट करने के लिए आफर करते है। मैं एम०पी० हूं। मुझे कहते हैं कि आप आइए, हमारी कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर के अध्यक्ष बनिए। मैं पहले गवर्नर था, अब नहीं हूं। तो वे एक्स गवर्नर को आफर करेंगे, एक्स मिनिस्टर को आफर करेंगे और टैम्पोरेरिली इनको अध्यक्ष बनाते है। दो-चार या छह महीने बाद जब इश्यू भर गए तो इनकी छुट्टी कर देते है। एक कंपनी के लोग इनवेस्ट करने के लिए मेरे पास आए जिस का नाम है—(जे०एस०आई०एस०ए०, इंडो-जापान फोटो फिल्म कंपनी लिमिटेड, 40, कम्यूनिटी सेन्टर, नारायणा, नई दिल्ली)। मैंने कहा कौन है उस कंपनी का चेयरमैन? वे बोले जनरल मल्होत्रा। मैंने कहा अगर जनरल मल्होत्रा इस कंपनी के चेयरमैन है तो आप उनके साथ कोई भी बिजनेस कर सकते है। आप जनरल मल्होत्रा नहीं है, यह कंपनी बहुत बड़ा फाड है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए गुण्डागर्दी से लेते हैं, अच्छे-अच्छे लोगों को सामने रखकर अपने इश्यूज भरते हैं और बाद में इनकी छुट्टी कर देते हैं।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे चेयरमैन या बोर्ड आफ डायरैक्टर्स में जो लोग हों, वे कम से कम 5 साल तक उसमें रहने चाहियें। पांच साल तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वह कम्पनी ठीक ढंग से चले। कम्पनी कैसी भी है, उसमें अच्छे लोगों को आगे लाया जाये। ऐसा न हो कि इश्यूज भर गये तो उन लोगों की छुट्टी कर दी जाये। यदि कम्पनी में कुछ स्टेटस के लोग रहेंगे तो अपनी स्टेटस का उपयोग वे अपने हित के लिये, इन्वैस्टर्स के हित के लिए करें, कम्पनी के कुछ बदमाश लोगों के हित के लिए न करें, ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूं। उसकी जांच होनी चाहिए और अच्छे लोगों को उसमें रखा जाना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि एक कम्पनी ने जितने शेयर निकाले हैं, यदि उस कम्पनी के पास उससे ज्यादा एक्सेज में अमाउन्ट आ जाता है तो उस पैसे को बैंक में जमा कराने की व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। उस पैसे को कम्पनी के मालिक या इश्यू जारी करने वाले लोगों की सुपुर्दगी में नहीं छोड़ा जाना चाहिये जितने अमाउन्ट के लिए उन्होंने शेयर जारी किए हैं उतना अमाउन्ट उनके पास रहे और शेष पूरी राशि बैंक में जमा रहे और अब बैंक उस राशि को इन्वैस्टर्स को रिटर्न करे;

जिन लोगों का नाम एलाटमेंट में नहीं आया है, उन्हें वह राशि इंटरेस्ट के साथ बैंक रिटर्न करे, कम्पनी नहीं, ऐसी व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। कम्पनी के लोग, ऐसा देखा गया है कि महीनों तक पैसा वापिस नहीं करते हैं। यदि किसी कम्पनी के पास 200-300 करोड़ रुपया एप्लीकेशन मनी का आयी तो उस राशि पर दो-तीन महीने का ब्याज मिलता रहता है, इसे कौन चेक करेगा। बहुत ज्यादा राशि बनती है। इसके लिए बैंक इंसटीट्यूशन बीच में आये, वही उसका मालिक रहे। ईश्यू की राशि बाद ही कम्पनी को दी जाये। बैंक जितने समय उस राशि को अपने पास रखे, ब्याज देकर उस पैसे को वापस किया जाये।

आखिर में कहना चाहता हूं कि अब कामन आदमी बीच में आया तभी सेबी को अपना बड़ा रूप लेना पड़ा। कामन आदमी जो बीच में आता है, उसे एजूकेट करने के लिए, आपको चिन्ता करनी चाहिए। आजकल बोगस कम्पनियां इतनी आ रही हैं, हर रोज अखबारों में आपको ऐसे ऐड देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखने से मालूम पड़ जायेगा कि कितनी बोगस कम्पनियां आती हैं। प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर उसकी जिम्मेदारी रहे, इसकी व्यवस्था होना आवश्यक है। हर कम्पनी का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कम से कम 5 साल तक रहे, जितनी उनकी मिनिमम आवश्यकता हो, वह माइनस करके, शेष राशि बैंक में जमा रहनी चाहिये और जो इसमें घपला करे, कोई अपराध करते पाये जायें उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था भी हो, इन सब बातों की चिन्ता करके सेबी को रियल अर्थ में कामन इन्वेस्टर्स के लाभ की बॉडी बनाइये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, ऊपर से देखने से तो लगता है कि हमारे मंत्री जी बहुत अच्छा बिल सदन में लाये हैं लेकिन पता नहीं उसकी नियत कहां है—वर्ल्ड बैंक में पहुंची हुई है या हिन्दुस्तान में है। इस सम्बन्ध में, हमें संदेह है क्योंकि इस बिल के ऑब्जेक्टस में कहा गया है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिये और मार्केट को रैगुलेट करने के उद्देश्य से यह बिल सदन में लाया गया है। बिल में जैसा लिखा है, यदि वास्तव में ऐसा करने की मंशा है तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन सही बात यह नहीं है। सही बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के इशारे पर ही सभी नीतियों का अनुसरण कर रही है। उसी के प्रतिपालन के लिये, यह बिल यहां लाया गया है।

यदि आप वास्तव में देशी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने की बात सोचते तो वह समझ में आ सकती थी लेकिन साथ-साथ फौरेन इन्वेस्टर्स को भी आप हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि उसकी आवश्यकता है; लेकिन उन तथ्यों को मानते हुए, हमें ध्यान रखना है कि देशी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का हम प्रोटैक्ट करें, न कि ज्यादा फौरेन इन्वेस्टमैंट को एन्करेज करें, क्योंकि उनके पास तो काफी व्यवस्था पहले से है, साधन हैं। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार इस काम में फैला है, उस पर मुझे संदेह है। मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें तो स्पष्ट बतायें कि उनकी नियत क्या है—वर्ल्ड बैंक की तरफ है या हिन्दुस्तान की तरफ है। स्पष्ट उत्तर हम चाहते हैं।

इसके साथ मैं चाहता हूं कि आपने जो बोर्ड बनाया है, उसमें ऐसा प्रावधान किया है कि मात्र सैन्ट्रल गवर्नमेंट के, ला मिनिस्ट्री के या फाइनैंस मिनिस्ट्री के लोग ही होंगे। फिर उनके जरिये इन्वेस्टर्स का इंटरैस्ट कैसे प्रोटैक्ट हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूं कि बिल में इसे

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

आप स्पष्ट करें क्योंकि जो इन्वैस्टर्स हैं, जो अपनी कैपिटल को इन्वैस्ट करने जा रहे हैं, बोर्ड में उनके लिये कोई स्थान नहीं है। वे लोग बोर्ड में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों को भी बोर्ड में लिया जाये ताकि सही मायनों में इन्वैस्टर्स का इंटरैस्ट प्रोटैक्ट किया जा सके।

आपको एक बात पर और ध्यान देना चाहिये क्योंकि आपने स्टैबलिटी इन कैपिटल मार्केट की बात बिल के उद्देश्यों में कही है।

माननीय सभापति जी, यह स्टेबलिटी कैसे आएगी इस बिल के थ्रू क्योंकि अभी जो कैपिटल मार्केट में आया है, जो कहते हैं कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, सही मायने में इसका विकास हो रहा है, यह कब तक चलेगा, इसका कोई समय नहीं है। हमको नहीं लगता है कि देश में जो अभी स्थिति है वह या जो आपकी सरकार की स्थिति है, वह इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि आने वाले समय में वाम-पक्षी दल आपकी सरकार और सरकार की नीतियों के बुरे परिणामों के विरुद्ध आंदोलन चालू करेंगी, तो यह स्थिति बरकरार नहीं रहेगी। आपकी सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में आंदोलन उठता जा रहा है, इसलिए यह कैपीटल जो विकसित हो रही है, यह इसी प्रकार से विकसित होती नहीं रह सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए भी बोर्ड में प्रावधान रखना चाहिए और आप ने जो इसमें कहा है कि अपील कर सकते हैं और उसके अकाउंट को चैक करने की जो बात कही है कि दूसरे माध्यम से चैक किया जा सकता है, इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह हटाना चाहिए ताकि कम्पट्रोलर और आडीटर जनरल को ही अकाउंट चैक करने का अधिकार रहे। इसके ऊपर किसी का संदेह हो सकता है। आपके पार्लियामेंट में भी बहुत बार महालेखाकार के इन्वेस्टीगेशन पर भी संदेह हुए हैं, जब आप पावर में नहीं थे, तब ये सवाल उठाए थे, तो यह क्या गारंटी है कि जो दूसरा चैक करने वाला है, वह सही ढंग से करेगा या नहीं करेगा।

आज जो फारेन इन्वेस्टर्स और फारेन कैपीटल के बारे में जो आधार आपने अपनी नीति में बनाया है उसके विपरीत आप हिन्दुस्तान के इन्वेस्टर्स के हितों को कैसे प्रोटैक्ट कर पाईएगा इसको भी आप इस बिल के अंदर लाइए, ताकि देश में पूंजी लगाने के लिए जो उत्साह पैदा हुआ है, वह बरकरार रहे और जो यहां के पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजी लगाएंगे उनका विकास हो सके और राष्ट्रीय नीति का विकास हो सके, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल तो बहुत ठीक है, लेकिन आपकी नीयत इसको ठीक से लाने की नहीं है। इसलिए मैं आपकी नीयत पर संदेह करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री तथा विधि मन्त्री जी द्वारा रखे गये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य छोटे विनियोजकों के हितों की रक्षा करना है इस विधेयक की

बारीकियों में न जाकर तथा अन्य पहलुओं, जोकि अन्य दलों के नेताओं ने उठाये हैं व उन पर चर्चा की है, को उठाये बिना मैं केवल एक ही मुद्दे पर बात करूंगा और वह है बोर्ड की संरचना।

महोदय, यह तो इस ढंग से की गई है जैसाकि 1947 वर्ष में चल रहे हों। जब पहले ऐसे विधेयक तैयार किए जाते थे तो उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू और वल्लभ भाई पटेल जैसे शीर्षस्थ व्यक्तित्व उनमें होते थे। अब समय बदल गया है और नैतिक मूल्य भी बदल गए हैं। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार वास्तव में छोटे विनिवेशकों के हितों की रक्षा करना चाहती है, तो इसके पास एक व्यापक बोर्ड होना चाहिए जिसमें केवल सरकारी अधिकारी ही न हों। उदाहरणार्थ, इसमें एक चेयरमैन, वित्त मंत्रालय तथा विधि मन्त्रालय से दो सदस्य एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से और दो सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा नामित किये जाने चाहिए।

सभी केवल सरकार द्वारा मनोनीत लिए जाते हैं। दूसरों के विचार सुनने का अवसर कहां है ? मैं माननीय वित्त मन्त्री जी और विधि मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बोर्ड का दायरा बढ़ाएं और उसमें एक व्यक्ति किसी संघ से, एक व्यक्ति शेयर बाजार से तथा श्री नानी पालखीवाला या किसी अन्य ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त करे जो अनुभवी हो और जिनका जीवनवृत्त संदेहास्पद न हो, अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि व्यर्थ के प्रयोग न करें। यदि कुछ करना है तो उसे इस तरह से किया जाए लोगों को पूरा विश्वास हो सके। अतः बोर्ड के सदस्यों के गठन को बदला जाए जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि समाज के इन तीन वर्गों में से सदस्य मनोनीत किए जा सकें।

माना कि यदि कोई भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी चल रही है तो यह शुरू से ही चलती है, यह दलाल या लाइसेंसशुदा व्यक्ति से ही शुरू होती है। विभिन्न केन्द्रों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र देते समय कोई घटना घटित हो जाने पर उस पर कारवाई करने से पहले आपको यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि केवल प्रतिबंध और ईमानदारी और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को दलाल और ऐजेंट के बतौर चुना जाएगा। अतः पहले ही दृष्टांत में हमें सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्तियों का चयन करने के बारे में सोचना होगा।

खण्ड 25(2) में कहा गया है कि सरकार बिना सूचना किसी भी समय अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकती है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के बाद हम प्रत्येक दो वर्ष, एक वर्ष बाद हम यह उम्मीद करने लगें हैं कि सरकार बदल सकती है। अतः नई सरकार के आते ही वह निश्चित रूप से अध्यक्ष और सदस्यों को निलम्बित करने का नोटिस देगी ऐसी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार द्वारा सदस्य या अध्यक्ष मनोनीत करने से पहले उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर विचार कर लेना चाहिए। सरकार बदल जाने की स्थिति में नई सरकार को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने का नोटिस नहीं देना चाहिए।

इस नए विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा काले धन पर वास्तविक रोक लग सकेगी और देश के लोगों द्वारा अर्जित गैरकानूनी धन पर रोक लगेगी जिसे लोग वास्तविक सम्पदा में निवेश करते हैं। अब रुझान बदल गया है। वे अब अपना धन शेयर बाजार में लगा रहे हैं। यह अच्छी बात है इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु शेयर बाजार में लगाये जा रहे इस कालेधन का पता लगाने के लिए कोई तन्त्र होना चाहिए। अतः सरकार को एक पृथक तंत्र के बारे में विचार करना चाहिए कि शेयर कैसे खरीदे जा रहे हैं, किससे खरीदे जा रहे हैं और वास्तविक शेयर

[श्री के० पी० रेड्डय्या यादव]

धारकों का एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जो वहां आकर उसमें हस्ताक्षर करें, सभी तरह के नियंत्रण होने चाहिए ताकि हम कालाधन रखने वाले लोगों को पकड़ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशन गंज) : मुझे इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में यह एक ऐसा उपाय है जो काफी हद तक छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा जिनमें से बहुत से अनुभवहीन हैं और पहली बार पूंजी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

मैं दो या तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि धारा 4 में दो सदस्यों की योग्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यह एक महत्वपूर्ण कमजोरी है और जिन व्यक्तियों को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से मनोनीत किया जाना है उनके अलावा जिन व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाना है उनकी अपेक्षित योग्याओं और अनुभव के बारे में अधिनियम में कुछ संकेत अवश्य दिए जाने चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि विनियम बनाते समय सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी। मैं कोई नाम सुझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि इस अतिमहत्वपूर्ण संस्थान में भारत के उद्योग और जनता दोनों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय को विचार करने के लिए दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि बोर्ड को इस बात का निर्देश दिया जाए कि उसका एक विशेष सेल या कार्यालय हो जो छोटे निवेशकों को निवेशों की प्रक्रिया के बारे में सलाह मशविरा दे। मैं समझता हूं कि यह एक अतिमहत्वपूर्ण कदम है और जानकारी का अभाव हैं तथा बोर्ड द्वारा जब तक सलाह मशवरा देने की ऐसी सेवा सुलभ नहीं कराई जाती है तब तक अनेक वर्गों के लोगों को इस बाजार के विस्तार की पूर्ण सुविधाएं लोकतांत्रित ढंग से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।

मेरी आखिरी बात धारा 11 और 12 को साथ-साथ पढ़े जाने के बारे में है। मैंने देखा कि बोर्ड का मूल उद्देश्य स्टाक ब्रोकरों की गतिविधि को विनियमित करना आदि है और इसमें यह भी कहा गया है कि स्टाक एक्सचेंज की गतिविधियों पर निगरानी रखना है। यह मेरी अनभिज्ञता के कारण भी हो सकती है लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करें कि क्या इस बोर्ड को मौजूदा स्टाक एक्सचेंज की अस्थिर करने या उन नए स्थानों पर स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है जिन स्थानों पर निवेश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और जहां बहुत अधिक संख्या में छोटे निवेशकों को इसकी सीमा में लाना तथा उन्हें थोड़ी दूरी पर स्टाक एक्सचेंज सुलभ करना संभव और अपेक्षित हो।

अत: मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करे कि क्या धारा 11 और 12 के अन्तर्गत निहित शक्तियां क्या सिर्फ निजी कम्पनियों के रूप में स्टाक ब्रोकर्स की गतिविधियों को मानीटर करने या स्टाक एक्सचेंजों पर निगरानी रखने और वास्तव में स्टाक एक्सचेंजों को अपने आप मान्यता देने, मान्यता वापस ले लेने स्थिर और अस्थिर करने तक ही सीमित नहीं रहेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, मैं बहुमूल्य सहयोग देने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कई उपयोगी और रचनात्मक सुझाव हमें दिए गए।

मैं शुरू में ही उल्लेख करना चाहूंगा कि विनियम निर्धारित करते समय हम निश्चित रूप से इन बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखेंगे, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस बोर्ड को स्थापित किया गया है उसके लिए बोर्ड के कार्यकरण को सशक्त बनाया गया है।

कई माननीय सदस्यों ने अभी उल्लेख किया है विशेष रूप से श्रीमती गीता मुखर्जी ने अपनी पहली ही टिप्पणी में कि स्टाक मार्किट में हाल में ही तेजी से आई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में स्टाक एक्सचेंज का एक लम्बा इतिहास है। इसका सौ वर्ष से अधिक का इतिहास है। पहला स्टाक एक्सचेंज बम्बई में सन् 1875 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात विभिन्न स्टाक एक्सचेंज भी स्थापित किए गए। प्रतिभूतियां एवं संविदाएं विनियमन अधिनियम, 1957 के तहत स्टाक एक्सचेंजों पर पहली बार विनियम बने जो 20 फरवरी, 1957 से लागू हुए। उस समय देश में पांच स्टाक एक्सचेंज थे। जैसाकि हम सभी जानते हैं फिलहाल हमारे पास 22 नियमित स्टाक एक्सचेंज हैं और बहुत अधिक संख्या में निवेशकर्ता हैं। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि निवेश कर्त्ताओं की संख्या 15 मिलियन तक पहुंच गई है और यह संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने उल्लेख किया है कि इस बाजार में एक लहर है तेजी है और यह 3800 के नए अंक को छू गया है। क्या यह बाजार इस तेजी को बनाए रख सकेगा और क्या बोर्ड स्टाक एक्सचेंज की गतिविधियों को विनियमित करने में समर्थ होगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बाजार में यह तेजी विशेष रूप से बजट के बाद, हमारी अर्थ व्यवस्था के भविष्य में निवेश करने वाले लोगों के विश्वास को दर्शाता है और यह औद्योगिक विकास के क्षेत्र में व्यापार और वित्तीय नीतियों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों में निवेशकों के विश्वास की सूचक है। इसके साथ ही हमारे वित्त मन्त्री द्वारा लाए गए साहसपूर्ण और व्यावहारिक बजट ने स्टाक एक्सचेंज को प्रोत्साहित किया है।

हम देखते हैं कि हमारे स्टाक एक्सचेंज ने वास्तव में, लन्दन स्टाक एक्सचेंज और टोकियो स्टाक एक्सचेंज सहित सभी स्टाक एक्सचेंजों को पीछे छोड़ दिया है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और स्टाक-बाजार के कार्यकलापों में निवेश करने वाली जनता में एक विश्वास पैदा करने का द्योतक है।

मैं समझता हूं कि हमारे सभी नियम, कानून और संस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित हैं और हमारी नीतियों जिनके अन्तर्गत वे कार्य करते हैं आधार इतना सुदृढ़ और सुविकसित है कि निवेशकों के मानस में किसी प्रकार की आशंका नहीं रहनी चाहिए कि स्टाक-बाजार में किसी प्रकार की कोई मंदी आयेगी। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि—जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है और अनेक देशीय और विदेशी विशेषज्ञों का भी यह मत है—भारत में दीर्घकालीक तेजड़िया बाजार बनने की सम्भावना है। यह वर्तमान मत है और यह भविष्य में कई बातों पर निर्भर करता है।

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

श्रीमती गीता मुखर्जी जानना चाहती थीं कि यदि अधिक-अंशदान (ओवर-सब्सक्रीप्शन) हो जाता है, तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी एक नियमित व्यवस्था है। वास्तव में इसके लिए बोर्ड द्वारा मार्गनिर्देश नहीं दिए जाते, अपितु यह कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आता है। सबसे पहले तो कंपनियों को इस धनराशि को अलग खातों में रखना होता है और निर्धारित समय के भीतर लौटाना होता है और जहां यह धनराशि समय-सीमा से अधिक समय के लिए रखी जाती है, तो उसे ब्याज सहित वापिस करना होता है। और इसलिए, ऐसा कोई भय नहीं है और वैसे निश्चित रूप से बोर्ड इस पहलू पर भी विचार करेगा।

श्री जसवन्त सिंह द्वारा दिए गए सुझावों में विशेषतौर पर विज्ञापन के बारे में चिन्ता प्रकट की गई है। और यह सही है कि मैच्युयल फण्डों ने हाल में और पहले भी विज्ञापन दिए हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल में भारत सरकार ने मैच्युयल फण्डों और एस० ई० बी० आई० को विज्ञापनों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह भाग दिशानिर्देश संख्या 14.5 में दिया गया है :

"एस०ई०बी०आई० सभी मैच्युयल फण्डों के अनुपालनार्थ एक सामान्य-विज्ञापन संहिता तैयार करेगा।"

एक अन्य भाग दिशानिर्देश संख्या 14.6 में यह दिया गया है :

"सभी मैच्युयल फण्डों को, एस०ई०बी०आई० के वास्ते निवेशकों को जारी किए गए विपणन साहित्य और विज्ञापनों का मूल-पाठ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।"

और तीसरे भाग दिशानिर्देश संख्या 14.7 में यह दिया गया है :

"प्रत्येक योजना के विवरण और प्रचार विवरणिका में निवेश के उद्देश्यों, निवेशों के मूल्य निर्धारण की पद्धति व समय-अवधि, क्रय-विक्रय की वास्तविक पद्धति और समय-अवधि तथा अन्य विवरण जिसे एस०ई०बी०आई० निवेशकों के लिए अनिवार्य समझे, सही तरीके से प्रकट होना चाहिए।"

ये दिशानिर्देश पिछले माह जारी किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इन दिशानिर्देशों की सभी मैच्युयल फण्डों और अन्यों द्वारा जो इस बारे में विज्ञापन देते हैं, अनुपालना की जायेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप कहते हैं कि इसे यानि अधिक अंशदान और इसके साथ-साथ जिन्हें शेयर खरीदने का अवसर नहीं मिल पाता, उसकी धनराशि की वापसी पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। क्या आप इस निगरानी से सन्तुष्ट हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यदि अधिक अंशदान में कोई त्रुटि है और यदि शिकायतें हैं, तो उनपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परन्तु, अब, पहले की तरह नहीं है। विशेषकर अधिक-अंशदान की स्थिति में अब कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत-से ऐसे इशु हैं, जिनमें अधिक-अंशदान हुआ और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इसे विनियमित किया जा रहा है तथा कम्पनियां अधिक-

अंशदान तथा अग्रिम धनराशि के लौटाने में समय-सीमा से अधिक समय लग जाता है, तो उसे ब्याज सहित वापिस करने के लिए उत्तरदायी है।

श्री जसवन्त सिंह जी द्वारा अपने भाषण में शेयर बाजार की उचित व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, माननीय वित्त मन्त्री ने बजट भाषण में इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है। जहां तक शेयर बाजार में सुधार का सम्बन्ध है, अब एस०ई०बी०आई० को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसे शेयर बाजार के बारे में बराबर विचार करना होगा और सभी आवश्यक सुधार करने होंगे। हम सब जानते हैं कि इसे अधिनियमित करने के बाद, जब विस्तार से विनियम बनाए जाएंगे, तो हमारे ध्यान में जो भी विभिन्न पहलू आएंगे अथवा माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें एस०ई०बी०आई० के लिए तैयार किए जाने वाले विनियमों में उपबन्ध करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

आंबटन-आवेदन की धनराशि की वापसी के बारे में मैंने अभी-अभी बताया है और इस मुद्दे का पहले भी जिक्र किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है एस०ई०बी०आई० को अधिग्रहण और विलय के सम्बन्ध में प्रारुप तैयार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि वैय-क्तिक आधार पर ही नहीं, बल्कि नियमित आधार पर एस०ई०बी०आई० द्वारा एक नियमित-अनुपात प्रारुप बनाना चाहिए। वास्तव में, प्रारुप दस्तावेज पहले ही परिचालित कर दिए गए है और हमने सुझाव मांगे है और जब सुझाव प्राप्त हो जाएंगे, इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। (व्यवधान) बोर्ड के गठन के बारे भी जिक्र किया गया है। अनेक सदस्यों ने इसके बारे में जिक्र किया है। हमने एक दल बनाया है जिसमें सरकार के तीन प्रतिनिधि और दो व्यक्ति, इसमें से नियुक्त किए जाएंगे। यह आपके बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जायेगा। केवल योग्य, परिपक्व और अनुभवी व्यक्तियों को ही इनमें शामिल किया जायेगा ताकि वे लोगों के हितों का ध्यान रख सकें।

यह सुझाव कि इसमें शेयर-बाजारों का एक प्रतिनिधि भी लिया जा सकता है अथवा नहीं, इस पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि एस०ई०बी०आई० को शेयर बाजारों की गतिविधियों को विनियमित करना होगा। यदि हम स्टाक एक्सचेंज में ही एक व्यक्ति ले लेते है, वह पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा अथवा नहीं, किन्तु उसे स्टाक एक्सचेंज सम्बन्धी गतिविधियों का अनुभव होना ही चाहिए। अतः इस पक्ष पर भी विचार किया जायेगा। श्री भार्गव और अन्य साथियों ने भी एस०ई०बी०आई० द्वारा दिए जाने वाले निदेशों के बारे में सुझाव दिये हैं। एस०ई०बी०आई० अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करेगी। किसी भी कानून में सरकार को वरिष्ठ शक्तियां दी गई हैं। अतः जिन परिस्थितियों में निदेश दिये जाने नितान्त आवश्यक हो जाते हैं, तो ऐसे निदेश दिये जाएंगे।

दो निदेशकों के बारे में, ये निदेशक विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि पूर्वकालिक होंगे और ये विभिन्न लोगों के हितों का ध्यान रखेंगे। एस०ई०बी०आई० शेयर-बाजारों की गतिविधियों का ही ध्यान नहीं रखेगी, बल्कि शेयर-बाजारों के गठन का भी ध्यान रखेगी। हमारे बाईस शेयर-बाजार हैं। फेरवानी समिति के प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि अतिरिक्त शेयर बाजारों की स्थापना करनी होगी, जिस पर सरकार अब विचार कर रही है। परन्तु जब कभी भी कोई अनुमति दी जायेगी, सभी सम्भव

पक्षों को ध्यान में रखा जायेगा, ताकि शेयर बाजारों का विकास हो सके। जब आवश्यक होगा और अन्य सभी शर्तें पूर्ण कर दी जायेंगी, ध्यानपूर्वक विचार के बाद उन्हें अनुमति दे दी जायेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए अन्य सुझावों के बारे में, मूल उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और गतिविधियों को ऐसे तरीके से विनियमित करना है कि कोई परेशानी न हो। इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले विनियमों में इन सभी बातों का एस०बी०ई०आई० द्वारा ध्यान में रखा जायेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए कुछेक उपबन्धों को ध्यान में रखा जायेगा और जैसाकि वर्तमान शेयर बाजार स्थिति से आभास हो रहा है इसका एक सुदृढ़ विकास होगा। भविष्य में भी शेयर बाजारों का सुदृढ़ विकास होगा, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती और भावी अर्थव्यवस्था का संकेत है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : चूंकि श्रीमती गीता मुखर्जी सभा में उपस्थित नहीं हैं, अतः सांविधिक संकल्प को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब प्रस्ताव पर विचार करेगी। प्रस्ताव में एक संशोधन श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा विचार के लिए रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सदन से अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और प्रतिभूति बाजार के विकास की अभिवृद्धि करने तथा उसे विनियमित करने के लिए बोर्ड की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

सभापति महोदय : खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री हरि किशोर सिंह द्वारा एक संशोधन पेश किया गया है।

वह यहां नहीं हैं।

मैं खण्ड 4 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 5 से खण्ड 35 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"खण्ड 5 से 35 और अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 35 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.47 म०प०

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक

गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा 15 फरवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश (1992 का अध्यादेश सं० 7) का निरनुमोदन करती है।"

कुछ राज्य खनिजों पर उपकर और अन्य कर लागू करते रहे हैं। जबकि विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय सहित अनेक न्यायालयों ने इसे निरस्त किया है। इन मामलों में दिए गए फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का दायित्व हो गया है कि वह इन उपकरों और अन्य करों से प्राप्त राशि को लोगों को वापस कर दे।

[हिन्दी]

यानी हिंदुस्तान के कई हाईकोर्टस और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह जो सैस और अदर टैक्स लगाए गए उनको रिफण्ड कर दिया जाए, इस प्रकार का निर्णय दिया। वह रिफण्ड नहीं किया जाये क्योंकि यह रकम राज्य सरकारों ने अपने-अपने विकास के कार्यों पर खर्च कर दी है, इसलिए यह आर्डिनेंस लाया गया है।

मुझे निवेदन करना है कि मध्य प्रदेश को लगभग 91 करोड़ रुपया लौटाना है और उड़ीसा को 112 करोड़। वे इनको किस प्रकार से लौटायेंगे। टैक्स देने वालों की संख्या लाखों में है। उनको यह लौटाना, और कौन उस रकम को वापस लेगा, यह भी केन्द्र सरकार के सामने एक प्रकार की समस्या खड़ी हो गयी है।

यह बात सही है कि टैक्स के रखने से केन्द्र सरकार को कोई लाभ नहीं है, राज्य सरकार इसे उपयोग कर चुकी है तथा कई राज्य सरकारों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि इस कानून को पास करें जिससे कि सैस और अन्य टैक्स वापस नहीं देने पड़ें।

मेरा यह निवेदन है कि दो केसेज थे, एक तो मैसर्स फेरो एलेज कारपोरेशन उड़ीसा उद्योग तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य ए०आई०आर० 1981 एस०सी० 818-55 और दूसरा उड़ीसा सीमेंट वर्सेस स्टेट आफ उड़ीसा ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1671-1721, मेरा यह कहना है कि आप नहीं लौटाना चाहते, ऐसे बात नहीं है परन्तु राज्य सरकारों ने आपसे प्रार्थना की है। पश्चिमी राजस्थान से जहां से मैं चुनकर आता हूं तो वहां पर तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के कार्यक्रमों में तेजी लाना आवश्यक है। लघु खनिजों को राज्य सरकार के नियन्त्रण से अलग करने का विचार केन्द्र को त्यागना

चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले खनिजमार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन है। इसको भी केन्द्र सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिए जाने का विचार है जबकि राज्य सरकार को इसको अपने नियन्त्रण में नहीं लेना चाहिए। केन्द्र के नियन्त्रण में आने से राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उन व्यक्तियों, जिनका जीवन इन खनिजों के खनन पर निर्भर करता है तो इस हेतु राज्य सरकार ने खनिजों के पट्टे देने के लिए सामाजिक वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए जो नीति निर्धारित की है तो उस पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिन राज्य सरकारों ने यह सैस की सारी रकम अपने विकास कार्यों पर खर्च कर ली है और लौटाना संभव नहीं है इसलिए आप संशोधन करने जा रहे हैं।

दूसरी ओर रायल्टी दरों में समय पर संशोधन न करके राज्यों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक चार वर्ष पश्चात खनिज की रायल्टी दर में संशोधन किया जाने का प्रावधान है।

सात-आठ वर्ष के अंतराल के बाद भी दरें पुनर्निर्धारित नहीं की जाती जबकि केन्द्र की आय के स्रोत उत्पादन कर, आय-कर, सीमा शुल्क आदि में प्रति वर्ष संशोधन कर दिया जाता है। खनन पर विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत तक कर का प्रावधान है, परन्तु दरें 2 से 10 प्रतिशत के बीच ही तय की हुई हैं। इस प्रकार राज्य सरकारों को आय के एक प्रमुख साधन से वंचित किया जा रहा है।

आपकी भावना अच्छी है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार की मांग है और पैसा लौटाना संभव है। लेकिन राज्य सरकार ने पैसा खर्च कर लिया है और वापिस नहीं लौटाया जाता, यह केन्द्र सरकार की मंशा है। रायल्टी की दरों में जो रकम आती है तो विकास कार्यों में खर्च होता है। आप शीघ्र ही संशोधन करेंगे तो राज्य सरकार रायल्टी की दरों से विकास कार्य कर सकेगी। आपके इस अध्यादेश को निरस्त करने के प्रस्ताव को मैं बल देता हूं, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 15 फरवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खनिजों पर उपकर और अन्यकर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश 1992 (1992 का अध्यादेश सं० 7) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि कतिपय राज्य विधियों के अधीन खनिजों पर उपकरों और कतिपय अन्य करों के अधिरोपण और संग्रहण के विधिमान्यकरण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री बलराम सिंह यादव]

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान के भाग II से शासित होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची-1, राज्य सूची-2, तथा समवर्ती सूची-3 का उल्लेख है, जिनकी प्रविष्टियां सातवीं अनुसूची के अनुसार हैं। संविधान सूची-1 की प्रविष्टि 54 में केन्द्रीय सरकार को खानों के विनियमन और खनिज विकास के लिए उस सीमा तक शक्तियां देती है, जिस सीमा तक कि संघ के नियन्त्रण में ऐसा विनियमन और विकास संसद द्वारा कानून के जरिये लोक हित में समीचीन घोषित किया गया हो। इसकी तुलना में, राज्य सरकारों की सूची-2 की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत खानों के विनियमन और विकास के बारे में दी गयी शक्तियां सूची-1 के प्रावधनों की शर्तों तक सीमित हैं। राज्य सरकारों को सूची-2 की प्रविष्टि-45 के अंतर्गत भी भू-राजस्व के बारे में राजस्व निर्धारण और वसूली, भूमि अभिलेख रखने, राजस्व प्रयोजनों हेतु सर्वेक्षण तथा राजस्व की हकदारी और अंतरण अभिलेखों सहित शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही, राज्य सरकारों को भूमि और भवनों पर करारोपण (सूची-2 की प्रविष्टि-49) तथा खनिज विकास के बारे में (सूची-2 की प्रविष्टि-50) संसद द्वारा तथा आरोपित किसी सीमा तक खनिज अधिकार पर करारोपण की भी शक्तियां प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

संसद ने सूची-1 की प्रविष्टि-54 के अन्तर्गत खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के संघ के नियन्त्रण में रखने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (जिसे आगे 1957 का अधिनियम कहा गया) पारित किया। अतः सूची-2 की प्रविष्टि-23 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों को उस सीमा तक सीमित कर दिया गया है, जहां तक कि वे शक्तियां 1957 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सरकार ने संभाल ली हैं।

1957 के एक्ट की धारा 9 तथा 9(क) में यह विहित है कि खनन पट्टाधारी द्वारा रायल्टी या डैडरेंट की दरें वह होंगी जो क्रमशः अधिनियम की द्वितीय और तृतीय अनुसूची में निर्धारित की जायेंगी। रायल्टी या डैडरेंट की ये दरें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। किन्तु, उनकी वसूली और वसूली गयी राशि का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त हालात में एक सवाल खनिजों पर अन्य कोई लेवी लगाने की बाबत राज्य विधान मंडलों की सक्षमता के बारे में पैदा हुआ है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों के आधार पर खनिजों पर उपकर और अन्य कर लगाये हैं, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित रायल्टी के अतिरिक्त हैं। इन लेवियों की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किए गए जो भारत के संविधान में शक्तियों के बंटवारे और 1957 के अधिनियम की धारा 9 तथा 9(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत उठाए गए। कुछ लोगों ने खनिजों पर ऐसे उपकर और अन्य कर लगाने संबंधी राज्य सरकारों की शक्तियां को अदालतों में चुनौती दी। खनिजों पर उपकर और अन्य कर लगाने बाबत अनेक राज्य सरकारों द्वारा पारित अनेक अधिनियमों के संगत प्रावधानों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा तथा दो विशिष्ट मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। इनमें

पहले इण्डिया सीमेंट लि० बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25-10-89 को निर्णय दिया गया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रायल्टी एक कर है और उपकर रायल्टी पर कर होने के नाते राज्य विधायिकाओं की क्षमता के बाहर है क्योंकि 1957 के एक्ट की धारा 9 के अनुसार उसकी सारी शक्तियां इस क्षेत्र में समाप्त हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैसर्स ओड़ीसा सीमेंट लि० बनाम ओड़ीसा राज्य एवं अन्य के मामले में 4-4-91 को दूसरा निर्णय दिया गया था, जिसके द्वारा ओड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के अनेक मामले तय हो गये।

5.00 म० प०

और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों द्वारा लगाई गई लेवियां संविधान के विरुद्ध थीं। ऊपर के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह निदेश भी दिया कि जिस तारीख को ये लेवियां रद्द की गई हैं उस तारीख तक खनिजों पर वसूल की गई लेवियां अवश्य वापस की जाएं। बिहार के लिए यह तारीख 4-4-91 थी तथा ओड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लिए 22-12-89 तथा 28-3-86 थी।

सुप्रीम कोर्ट के 4-4-91 के निर्णय के फलस्वरूप, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा वसूल की गई भारी राशियां लौटानी होंगी। चूंकि इस धन को लौटाने से राज्यों के राजस्व पर भारी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों द्वारा वसूल की गई लेवियों को विधिमान्यकरण करने के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाये। यह तारीख बिहार के लिए 4-4-91 थी, जिस तारीख तक उनके द्वारा वसूल किए गए उपकर को अपने पास रखने की अनुमति दी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि यह सुनिश्चित करना बहुत कठिन होगा कि वसूल की गई लेवी उन खनिजों के अनेक अन्य खपतकर्ताओं (एंड्यूजर्स) को लौटाया जाता है, जिन पर वास्तव में इन लेवियों का भार पड़ता है।

उपयुक्त बातों पर विचार करने और लेवी लौटाने के बारे में कुछ राज्य सरकारों पर दबाव को देखते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने 15 फरवरी, 1992 को खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश से सात राज्य सरकारों द्वारा 4-4-91 तक लागू खनिजों पर उपकर और अन्य करों की वसूली को विधिमान्य करना है। ये सात राज्य सरकारें हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तथापि ये राज्य सरकारें इस तारीख के बाद वसूल की गई लेवियां अपने पास नहीं रख सकेंगी।

सभापति महोदय : मन्त्री जी, आपका स्टेटमेंट बहुत लंबा हो गया।

श्री बलराम सिंह यादव : बस खत्म कर रहा हूं। यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा और वसूल किए गए उपकर को वापस करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए राज्यों के ऐक्टों को विधिमान्य बनायेगा। यह कानून प्रभावित राज्य सरकारों के अनुरोध पर लाया जा रहा है ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अतः मैं सदन द्वारा विचार के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपय राज्य कानूनों के अंतर्गत खनिज पदार्थों पर लगाये गये उपकर और अन्य करों के वैधीकरण के लिए प्रस्तावित विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस प्रस्ताव पर विचारार्थ संशोधन हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अनुपस्थित—श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को उस पर 25 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए ।" (1)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय बयान देंगे ।

———

5.02 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

बोफोर्स जांच

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : महोदय, पूर्वाह्न में माननीय श्री जसवंतसिंह, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे डेवोस दौरे पर स्पष्टीकरण मांगा है ।

आज अखबार में जो रिपोर्ट छपी है, वह मैंने पढ़ी है । अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं एक संक्षिप्त बयान देना चाहता हूं ।

बोफोर्स की जांच से न तो विदेश मन्त्रालय का ताल्लुक है, न मेरा । लम्बित कार्यवाही के ब्यौरे की मुझे जानकारी नहीं है । इसलिए स्विस न्यायालय के समक्ष पेश इस मामले के बारे में स्विट्जरलैंड के प्राधिकारियों से मेरी ओर से कोई अनुरोध किए जाने का कोई अवसर नहीं था और मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है ।

तथापि, यह सच है कि जब मैं दवोस में था तो शिष्टाचार के नाते मैं विदेशी मामलों के फैडरल काउंसलर श्री फेलबर से मिलने गया था । हमारी बातचीत के अन्त में जब मैं उनसे विदा ले रहा था तब मैंने एक नोट भी श्री फेलबर को दिया था । भारत में न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों की स्थिति से सबद्ध यह नोट मुझे एक वकील ने दिया था । मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने यह नोट क्यों दिया जिसकी वजह से मुझे इतनी जहमत उठानी पड़ी है और जिसकी वजह से नाहक इतनी गलतफहमी पैदा हुई है ।

भारत सरकार की स्थिति उन पत्रों के द्वारा बहुत साफ कर दी गई है जो सी०बी०आई० ने स्विस प्राधिकारियों को लिखे हैं । मैं समझता हूं इन पहलुओं पर सरकार की ओर से यथासमय एक बयान दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वह अधिवक्ता कौन था ? कृपया स्पष्टीकरण दीजिए। अन्यथा कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

श्री माधव सिंह सोलंकी : यह स्वतः दिया गया वक्तव्य नहीं है। बल्कि सदन में इस मामले पर सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह अधिवक्ता कौन था ? वह संदेशवाहक नहीं था जो उक्त पत्र सौंपने का काम करेगा। क्या वह जिम्मेदार अधिवक्ता था ? क्या वह राज्य द्वारा नियुक्त अधिवक्ता था ? कृपया स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उस नोट की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सामान्यतः इस सदन में वक्तव्य के बाद, हम किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगते। हम इस बात से सहमत हैं कि प्रथम अप्रैल को हम बोफोर्स पर पूर्ण बहस करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके पहले, इस नोट को सभा पटल पर रखा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उन्हें इस पर बयान देना चाहिए कि उनके साथ क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है "मैंने कुछ सौंपा है लेकिन वह हमें नहीं दिया गया है। इस चर्चा का क्या औचित्य हैं। आपको उसे सभा पटल पर रखना होगा।

सभापति महोदय : बसुदेव आचार्य, आपका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे सुनने दीजिए।

बसुदेव आचार्य : अभी विदेश मन्त्री ने कहा है कि उन्होंने अधिवक्ता को एक नोट सौंपा था। वह अधिवक्ता कौन था ? उन्हें उस अधिवक्ता का नाम बताना चाहिए और जब विदेशमन्त्री ने कहा कि उन्होंने नोट सौंपा है, तो वह नोट सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों नहीं ?

सभापति महोदय : बासुदेव आचार्य, वह कौनसा नियम है जिसे विदेश मंत्री ने भंग किया है ?

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। अब श्री राम कापसे बोलेंगे। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति जी, यह मामला बहुत गम्भीर है और अभी यहां जो स्टेटमैंट किया गया है, विदेश मंत्री जी के द्वारा, और उसके बाद माननीय गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसा कहा कि इस विषय पर 1 अप्रैल को हम सदन में पूरी बहस करेंगे लेकिन उससे पहले हम यह चाहते हैं कि जैसा मंत्री जी ने अपने स्टेटमैंट में बताया, क्योंकि उसके लिए दो दिन तक रुकने का कोई कारण समझ

में नहीं आता, आप सिर्फ इतना बता दें कि उन लायर का नाम क्या है, जिन्होंने मंत्री जी को वह नोट दिया। इसके साथ वह नोट भी आप सभा के पटल पर रखने की व्यवस्था कीजिए। यह समझ में नहीं आता वह कौनसा ऐसा कारण था जिसके लिए लम्बित मामलों की स्थिति वाला नोट उन वकील साहब ने मंत्री जी को दिया। उसकी मालूमात देने की जरूरत ही कोई नहीं थी और स्वीडन में उसे देने की उससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। फिर ऐसा क्यों किया गया, यह अभी बताया जाए। मंत्री जी नोट को भी सभापटल पर रखें और उन वकील साहब का नाम भी बतायें, यही मेरी मांग है और प्वाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि इसमें कोई चार प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है किसी भी रूल का वायोलेशन नहीं हुआ है। डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, जो स्पष्टीकरण मांगा है, मैं भी चाहता हूं कि उसके बारे में मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें। कब बताने वाले हैं, अभी बता दीजिए। जब आपने बोफोर्स पर चर्चा करने की बात कही है तो लायर का नाम बता दीजिए और नोट को सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : जब माननीय मंत्री ने वकील का हवाला दिया है तो यह भी बतायें कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में मंत्री महोदय को वह नोट दिया, वे परिस्थितियां सामने आनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। ये सभी मामले बहस के दौरान उठाए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमल दत्त : वह नोट कहां है? वह नोट सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें जानना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। श्री आचार्य, आप अपनी जगह लीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक हम यह नहीं जानते है कि बहस से क्या उद्देश्य हल होगा? हमें पहले यह जानना चाहिए कि उस नोट में क्या है। इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। आपको मंत्री जी से इसे सभा पटल पर रखने के लिए कहना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि वक्तव्य पर कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

श्री अमल दत्त : हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। हम टिप्पणी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : जब चर्चा शुरू होगी तब आपको इसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री अमल दत्त : प्रश्न यह है कि क्या इससे स्पष्टीकरण मिलता है अथवा नहीं। वे कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री राम कापसे : ये बयान अपूर्ण है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही विनिर्णय दिया था कि बयान पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कृपया बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। कृपया सुनिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस सभा में एक मांग की गई थी। मैं उस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। एक सैकिंड में, मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री बात कर सकते हैं और मैं बात नहीं कर सकता। क्या सही है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : आप बात कर सकते हैं। अन्य सभा के माननीय सदस्य बोफोर्स पर पूरी चर्चा करना चाहते थे, और सरकार इस के लिए तैयार हो गई थी। आज माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह और श्री सोमनाथ चटर्जी केवल स्पष्ट और सीधा उत्तर चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं भी यही चाहता था।

श्री गुलाम नबी आजाद : हां, चर्चा और स्पष्टीकरण के मामले में बहुत अन्तर है। उनका सीधा प्रश्न यही था कि क्या उन्होंने कोई दस्तावेज, पत्र सौंपा था अथवा नहीं। माननीय मंत्री ने उसके उत्तर में 'हां' कहा। (व्यवधान) सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दे दिया गया है। अतः यह पूरी चर्चा नहीं है। पूरी चर्चा के लिए दिनांक और समय पहले ही निर्धारित किया गया है। इसलिए, यदि आज एक चर्चा होगी और कल एक और चर्चा होगी तो चर्चा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे समझने दीजिए। मैं एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा। मैं सभा को नियन्त्रित करना चाहता हूं। कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री ने कुछ कहा था। मंत्री के कहने के बाद, यदि सदस्य को कुछ कहना होगा तो मैं पूरी बात सुनने के पश्चात् आदेश दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, यह स्पष्टीकरण पूछना नहीं है, बल्कि विदेश मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे तो स्थिति और भी गम्भीर हो गई है तथा उलझ गई है।

भारत के विदेश मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि कोई लायर कागज दे और विदेश मंत्री से मिलने आए और वहां कागज दे दें। यह मामला इतना गम्भीर हो गया है जिसके बारे में सदन में वास्तविकता आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से भारत की विदेश नीति चलाई जा रही है, ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं थी।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : यह स्पष्टीकरण मांगने का समय नहीं है। सभा का समय इस तरह से व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल दो सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। क्या कोई नया मुद्दा है ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी ने अभी-अभी इस सभा में एक बयान दिया था और इससे जनता के मन में जो शंकाएं थीं, आज सुबह प्रकाशित एक चौंका देने वाले समाचार के कारण और भी बढ़ गई है। वे कहते हैं कि उन्होंने एक नोट सौंपा था। वे पुष्टि कर रहे हैं लेकिन नोट के अन्तर्वस्तु को स्पष्ट नहीं किया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ कहा था।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यदि नोट के अन्तर्वस्तु नहीं मालूम होंगे तो चर्चा लाभदायक नहीं होगी फिर भी शंकाएं तो रहेगी ही। इसलिए सरकार के लिए यही बेहतर होगा कि वे नोट का ब्यौरा दें। यह विदेश मंत्री के लिए भी बेहतर होगा कि वे एक बयान दें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उन्हें कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : ज्ञापन में क्या है, उन्हें कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। संसदीय कार्यमंत्री इस मामले में सही हैं। मैंने एक विशेष पहलू पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। तब भी सत्ता पक्ष कह रहा था कि हमें पूरी चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने यह स्वीकार किया था कि पूरी चर्चा से उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक वे कुछ विशेष पहलुओं का स्पष्टीकरण नहीं देंगे। माननीय विदेश मंत्री ने अब जो कुछ किया है वह, मैंने सुबह अन्य सदस्यों के साथ उनसे जो पूछताछ किया था, उसको स्पष्ट करने के लिए किया है। यह सम्भव है कि उत्तर देते के समय और प्रश्न उठे हों। मैं सब कुछ समझता हूं। तब इस सभा के प्रक्रिया के परिसीमा का प्रश्न उठता है। सत्ता पक्ष को मेरी यह सलाह है कि जो प्रश्न उठे हैं, जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, उनका निपटान, पहली अप्रैल को होने वाली सर्वांग चर्चा से पहले ही हो तो बेहतर होगा। उसका निपटान हो जाए तो अच्छा है। अतः ये सुझाव है कि इस समय, मंत्री जी से और स्पष्टीकरण मांगने का प्रावधान, सभा की प्रक्रिया में नहीं है। हम पहली तक इन्तजार कर सकते हैं। लेकिन इन्तजार के दौरान मंत्री पीठ के लिए यह सही सुझाव है कि हम पहली को चर्चा करने आए, उससे पहले ही इस का निपटान किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह प्रशंसनीय बात है कि जब माननीय मंत्री जी द्वारा कोई बयान दिया जाता है तब इस सभा में प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण मागने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह स्वयं दिया गया बयान लगता है। वे कहते हैं कि यह स्पष्टीकरण है। मैं इसे स्पष्टीकरण के रूप में लेता हूं हालांकि यह 'बयान' के रूप में मुद्रित हुआ हैं। मैं केवल यही पूछ रहा हूं कि यदि सरकार बोफोर्स के मुद्दे पर उचित और सम्पूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, तो मैं यह समझूंगा कि चर्चा होने से पहले अथवा पहली को, अध्यक्ष के प्रारम्भिक बयान के दौरान, उन्हें बयान और बयान के अन्तर्वस्तु को सामने रखना चाहिए ताकि सभा और देश को उस दस्तावेज के अन्तर्वस्तु के बारे में ज्ञात हो सके जिसके बारे में विदेश प्राधिकारी मंत्री को कहने के लिए, माननीय विदेश मंत्री से कहा गया था। अतः उसका

भी हमें ब्योरा दिया जाए। यदि आज उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं मिली या वे किसी और से स्वीकृति चाहते हैं, तो स्वीकृति ली जानी चाहिए और उसे चर्चा होने से पहले, दूसरे दिन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वे संक्षेप में कहें। इसमें केवल एक छोटा सा मुद्दा शामिल है। ये याद रखना होगा कि आपको मंत्री से कोई जवाब नहीं मिलेगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : कांग्रेस का सदा ही, खुले और भागीदार वाले लोकतन्त्र में विश्वास रहा है। विपक्ष दल के सदस्यों की मांग को सम्मान देते हुए मन्त्री जी एक बयान देने के लिए तैयार हुए, जो अभी-अभी दिए थे। मैं समझता हूं कि हम जब सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगते हैं, तब हमारा भी यह कर्त्तव्य बन जाता है कि जब सरकार यह सोचती है कि इसे सभा के पटल पर रखना या उस समय कुछ प्रकट करना उचित नहीं होगा तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए। (व्यवधान) विपक्ष के सदस्यों की इच्छा पर ही हम सम्पूर्ण वाद-विवाद के लिए सहमत हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस विषय ने, उस ओर के मेरे मित्रों को गत चार या पांच वर्षों से भ्रम में डाल दिया है। लेकिन वे सभी भी चर्चा करना चाहते थे, हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने कही भी, किसी भी एजेन्सी से कम संप्रेषण किया इसी को बताने के लिए सरकार पर जोर देना ठीक नहीं होगा। ये सही वक्त नहीं है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इस पर अपना खेद व्यक्त किया है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ये नहीं जानते कि ये स्थिति कहां ले जाएगी। जब वाद-विवाद शुरू हो ही गया तो उन्हें हमें ये बता देना चाहिए कि अमुक कार्य के लिए हम जिम्मेदार हैं, और जिसकी आशा नहीं की गई थी। कुछ भी हो, मैं उस ओर के अपने मित्रों से दो दिन तक, सरकार का साथ देने का अनुरोध करता हूं। जब हम वाद-विवाद करेंगे तो वाद-विवाद सम्पूर्ण होगा और सब कुछ सभा के समक्ष होगा। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : हमने हर बार यह महसूस किया कि जब भी विपक्ष के सदस्यों को मौका मिलता वे बोफोर्स का मामला उठाते हैं। पूर्व में बोफोर्स के नाम पर जनता ने एक विशेष पार्टी को जनादेश दिया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप विस्तार में क्यों जा रहे हैं?

श्री मनोरंजन भक्त : मैं उस विषय पर आ रहा हूं। वे इस वादे पर सत्ता में आए थे कि पन्द्रह दिनों के अन्दर सब कुछ पता लगा लेंगे। वे ग्यारह महीनों तक सत्ता में थे। उस दौरान, वे कुछ भी नहीं कर सके। (व्यवधान)

आज जबकि फिर से कांग्रेस सरकार, जनता के जनादेश से सत्ता में आई है, वे लोग वो मुद्दा उठा रहे हैं और जनता में भ्रम पैदा करने के लिए मंत्री और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है, ऐसे समय, कुछ न कुछ प्रस्तुत करने के लिए केवल राजनैतिक उद्देश्य से और मंत्री को बदनाम करने के उद्देश्य से ही कहा गया लगता है।

श्री चित्त बसु (बारमाट) : महोदय, मनोरंजन भक्त द्वारा कही गयी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने इसे एक दलीय मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया विस्तार में न जायें।

श्री चित्त बसु : मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का बोफोर्स मुद्दे पर पूर्ण बहस

के लिए सहमत हो जाने का हम सब स्वागत और प्रशंसा करते हैं। मैं कोई भी स्पष्टीकरण नहीं चाहता, परन्तु मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय की टिप्पणी में भारत के न्यायालयों में लम्बित मुकदमें की स्थिति की जानकारी दी गई है। इन्हीं के बयान के मुताबिक उस टिप्पणी में जिसका जिक्र इन्होंने किया है, भारत के न्यायालयों में पड़े मुकदमें की स्थिति बतलाई गई है। मोटे तौर पर मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उस टिप्पणी का सम्बन्ध भारत में बोफोर्स के मुकदमे से हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपका कहने का मतलब समझ गया हूं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : इसलिए, अगर हम सार्थक बहस चाहते हैं और सच्चाई जानने को उत्सुक हैं तो सदन में एक खुली बहस का अवसर मिलना चाहिए जिससे कि सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने सीट पर बैठ जाएं।

श्री चित्त बसु : मैं अभी अपनी बात समाप्त करूंगा। इसलिए फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक सार्थक बहस करवायें। मैं आपसे सरकार को उस टिप्पणी की विषय-वस्तु उपलब्ध करवाने की सलाह देने का अनुरोध करता हूं जिससे कि बहस सार्थक हो सके।

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ भी कहना था, कह चुके हैं और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट कर दिये हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दोनों को ही सदन की भावना का ध्यान रखना चाहिए। अगर वे दूसरा बयान देना चाहते है तो वे बाद में दे सकते हैं। अब डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस विधेयक को पारित करके दूसरे सदन में भेजना है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं बहुत देर से बोलने की प्रतीक्षा में खड़ा हूं। मुझे भी कुछ कहना है।

सभापति महोदय : मैंने अनुभव कर लिया है। आप बाद में कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय (व्यवधान)

सभापति महोदय : बाद में जब पूर्ण बहस होगी, तब आप इस पर बोल सकते हैं। डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय अब बोलना शुरू करें।

———

5.24 म० प०

खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक सकल्प और खनिजों पर उपकर और अन्यकर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश -- (जारी)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया जिसके द्वारा केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में जिन अधिनियमों या जिन विधानों के द्वारा खनिजों पर उपकर लगा कर या कर लगा कर वसूल किया था वह सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के कारण ऐसे करों की वसूली को इस आधार पर अवैध करार दिया गया कि वे अधिनियम संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के सामने एक गम्भीर संकट खड़ा हो गया था इस बात का कि जो करोड़ों रुपये की राशि उन्होंने प्राप्त की है, वे किस प्रकार से लौटायी जाये। इस संकट को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के सामने अपना अनुरोध भी रखा जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य थे और विशेषकर मध्य प्रदेश के सामने इस बात का संकट था कि करोड़ों रुपये की राशि जो उसने प्राप्त की है कैसी लौटाई जाये, क्योंकि इस आधार पर उसने ऐसा कर लगा कर वह अपने राज्य के बसने वाले करोड़ों लोगों के हित की दृष्टि से काम करने का निश्चय किया था चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा जो खनिजों पर लगाया जाता है, वह वसूल करके राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में दिया जाता है।

वह इतनी थोड़ी होती है कि राज्य सरकारें अपने उन क्षेत्रों का विकास करने में सर्वथा असमर्थ रहती हैं इसलिए चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा, बार-बार यह मांग की जाती रही है कि केन्द्र सरकार खनिजों पर लगाई गई रायलटी की दर बढ़ाये और राज्यों को उचित हिस्सा दे। यह ठीक है कि पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने इस बात को अनुभव करते हुए कुछ दरें बढ़ाई है और कुछ रायल्टी की राशि में वृद्धि की है लेकिन वह इतनी नगण्य है कि उसके बाद भी जो राज्य सरकारें जिस रूप में अपने उन-उन क्षेत्रों का विकास करना चाहती हैं, उसके लिए सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मैं आपका ध्यान उस निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और जिसमें कहा गया :

[अनुवाद]

"इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि उपकर की उगाही क्रमशः उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के कानूनों के अन्तर्गत वैध है, इस तरह के निष्कर्षों के तार्किक परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है कि उपकर, उगाही को शुरूआत से ही खराब माना जाना चाहिए और खासकर संविधान के धारा 265 के अनुसार सभी वसूल किए गए उपकरों को खण्डित प्रावधानों के अन्तर्गत अदाकर्त्ताओं को वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

अब जब रिफण्ड करने का प्रश्न आया तो मध्य प्रदेश की तरफ से कहा गया कि इस प्रकार का रिफण्ड करने में हम समर्थ नहीं है और यह बहुत ज्यादा भार हमारे ऊपर पड़ेगा। इसी बात को लेकर विभिन्न दिनांकों से जैसा कि बिहार के लिए अलग दिनांक है, मध्यप्रदेश की अलग दिनांक है, उड़ीसा के लिए अलग दिनांक है, विभिन्न दिनांकों को आधार बताकर उन अधिनियमों को तब तक वैध करार दिया गया और इस प्रकार का जो सैस वसूल किया था, उस सैस को भी उन्होंने ठीक करार दिया किन्तु आगे-आगे कठिनाई यथावत् बनी हुई है, क्योंकि, जो केन्द्र सरकार वसूल करती है और जितनी राशि और राज्य सरकारों को देती थी, वह यथावत् बनी रहेगी। राज्य सरकारों ने अपने यहां उस कठिनाई को देखकर अधिनियम बनाकर या विधियां बनाकर जिस प्रकार से अपने हितों के सम्बन्ध में रक्षा करनी चाही थी, वह फिर असमर्थ हो गई। मेरे पास यह पेपर्स हैं, कुछ अखबारों की कटिंग्स भी हैं जिसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

उड़ीसा (सरकार) खनिज कानूनों में संशोधन चाहती है।

[हिन्दी]

उड़ीसा ने कहा कि यह मिनरल लाज एमेण्ड किए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार के अधीन जो सारा मामला है या केन्द्र सरकार ने जो खनिज करों की वसूली सारी सत्ता अपने हाथ में रखी है, केन्द्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को विकेन्द्रित करना चाहिए और उस प्रकार के केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करके ऐसी स्थिति लानी चाहिए जिससे राज्य सरकार भी अपने-अपने क्षेत्रों में उन खनिज क्षेत्रों में या खनिजों के क्षेत्र में रायल्टी लगाकर, सैस लगाकर वसूल कर सके। इसी सम्बन्ध में बिहार का दूसरा उदाहरण और है :

[अनुवाद]

"खान कानून में परिवर्तन : कल ही बिहार सरकार के अधिकारियों ने केन्द्र सरकार से खान और खनिज विकास अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया है।"

[हिन्दी]

इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपनी यह बात कही है कि हमारे यहां पर जो भी हम खनिज उपकर वसूल कर रहे थे, चूंकि केन्द्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिया गया है कि वसूली अवैध है जिसके कारण हम वसूल करने में असमर्थ हैं केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उन अधिनियमों में संशोधन करे। मेरा इस अवसर पर माननीय मन्त्री जी से आग्रह है कि राज्य सरकारों के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कि किस प्रकार से केन्द्रीय अधिनियमों में भी संशोधन कर सके, जिसके कारण उन-उन खनिज क्षेत्रों में राज्य सरकारें, जिस प्रकार से अपने क्षेत्रों का विकास करना चाहती हैं, वह विकास करने में समर्थ हो सकें आपके केन्द्रीय अधिनियम में, जो बहुत पुराना अधिनियम है, उस अधिनियम में संशोधन करें ताकि

राज्य सरकारों को उस सीमा तक अधिकार मिल सके, भले ही वह आपकी बताई गई सीमा में हो, लेकिन आज जो स्थिति है, वह स्थिति राज्य सरकारों के लिए ठीक नहीं है और इस रूप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर विचार करने की कृपा करेंगे।

दूसरा यह कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है और जो विभिन्न तारीखें प्रदर्शित की हैं, उसके अनुसरण में आप यद्यपि अध्यादेश लाये हैं और अध्यादेश के बारे में आज आप विधेयक के द्वारा उनको विधिमान्य करने आ रहे हैं लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आप अभी जो रायल्टी विभिन्न राज्यों को दे रहे हैं, विभिन्न खनिजों के बारे में, वह बहुत कम है मध्यप्रदेश में लोह अयस्क काफी निकलता है, मध्यप्रदेश में लाइमस्टोन काफी निकलता है, मध्य प्रदेश में अन्य प्रकार के भी खनिज भी निकलते हैं। बिहार में भी यह स्थिति है और उड़ीसा की भी यही स्थिति है। जिन राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, उन राज्यों में···

5.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विभिन्न अधिनियम या विधियां खनिज उपकर के लिए हैं, वे—

[अनुवाद]

"आंध्र प्रदेश (खनिज अधिकार) कर अधिनियम;

आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) जिला बोर्ड्स अधिनियम;

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अधिनियम;

बिहार के उपकर (बंगाल अधिनियम) अधिनियम;

कर्नाटक जिला परिषद अधिनियम;

कर्नाटक (खनिज अधिकार) कर अधिनियम;

मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम;

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम;

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समितियां अधिनियम;

उड़ीसा उपकर अधिनियम; और

तमिलनाडु पंचायत अधिनियम।"

[हिन्दी]

किन्तु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निष्प्रभावी हैं। निर्णय में न केवल एक या दो राज्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि सभी प्रभावित हो रहे है। इसलिए आवश्यक है कि उन राज्यों को भी आप सहूलियत एवं सुविधा प्रदान करें और इसके कारण जो संकट पैदा हुआ है, वह दूर हो चूंकि मैं उनके

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिनियम में कहा है : तथापि कुछ उद्धृत करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अब हम 1982 के मध्य प्रदेश अधिनियम 15, के उपबन्धों को लेते हैं। हमारा संबंध सिर्फ इसके भाग 4 से है, जोकि सामान्य जमीन पर उपकरों की उगाही का प्रावधान नहीं करता जिसका जिक्र प्रविष्टि 18 या प्रविष्टि 49 में किया जा सके; यह केवल उन्हीं खनिज अधिकारों से संबंधित जमीनें पर ही लागू होती है। जो राज्य में कोयला और चूना-पत्थरों से सम्बद्ध हों। इससे प्राप्त आमदनी का उपयोग खनिज से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए ही किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

और यही राज्य सरकारों का कहना है कि जो मिनरल बेअरिंग ऐरियाज हैं हम उन्हीं का विकास करना चाहते हैं किन्तु इस प्रकार से तो राज्य सरकारें, अब एक प्रकार से अक्षम हो गई हैं। यद्यपि आपने उनको एक सीमा तक रेगुलेट कर दिया लेकिन आगे वे क्या करेंगी, इसलिए आगे का भी कोई रास्ता प्रशस्त हो, कोई मार्ग खुले और राज्य सरकारें अपने यहां पर अपने विकास के लिए कुछ कार्य कर सकें, इसलिए आपके केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करना नितांत आवश्यक है, मैं इस बात का आपसे आग्रह करूंगा।

मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि वर्तमान में रायल्टी की दरें या जो रायल्टी दी जाती है विभिन्न खनिजों के सन्दर्भ में, विभिन्न राज्यों को और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को या अन्य प्रदेशों को वह इतनी थोड़ी है कि उससे राज्य सरकारों का हित सम्भव नहीं है और राज्य सरकारें बार-बार इस बात का आग्रह कर रही हैं। पिछले दिनों मध्यप्रदेश की सरकार ने आपसे बार-बार अनुरोध किया और कहा कि ये बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने इतना थोड़ा बढ़ाया है, कि वह नगण्य है। मध्य प्रदेश ने कहा था कि आप चार गुना बढ़ाइए, लेकिन आपने तो उसको कम करते हुए अथवा भी नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से बिहार सरकार ने लड़-झगड़ करके कुछ प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य की है, लेकिन बिहार के विकास की दृष्टि से वह उचित नहीं है और केन्द्र ने भी मध्यप्रदेश में साथ इस प्रकार से न्याय नहीं किया है और न बिहार के साथ न्याय किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, उनके साथ न्याय किया जाए और मध्यप्रदेश के संदर्भ में विशेष कर मैं कहना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में तो खनिजों का भंडार है. वहां हर प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं लेकिन सारा पैसा तो केन्द्र के पास आ रहा है और केन्द्र नहीं दे रहा है। मैं इस अवसर का लाभ लेते अपनी पुन: इस बात को दोहराते हुए केन्द्र इस बारे में न्याय करे ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए समर्थ हो सकें।

यह बात ठीक है कि जो केन्द्र ने कदम उठाया है वह कदम उत्तम था अन्यथा यदि रिफण्ड करने की बात होती तो शायद वह रिफण्ड अंतिम उपभोक्ता तक, क्योंकि जिन्होंने पैसा वसूल किया है वह तो वसूल किया जा चुका है लेकिन अंतिम उपभोक्ता को किस प्रकार से वापस होता या किस प्रकार से वापस देय होता, लेकिन शायद संभव नहीं था और इस दृष्टि से भी यह कदम उचित था, लेकिन आगे

भी इसकी उपयोगिता बनी रहे और राज्य सरकारों की हितों की आप रक्षा कर सकें और खनिजों से प्राप्त होने वाली जो आय है, राज्य सरकारों को उनका उचित अंश मिल सके ताकि वे विकास के लिए संभव हो सके। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसका समर्थन निश्चित रूप से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उन राज्यों की हितों की रक्षा हो सकेगी जिनको सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णयों के कारण कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अनेकों कानूनों को नियम-विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया गया था।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य विधायिका के पास कर के समतुल्य उपकर थोपने वाले कानूनों को पारित करने का अधिकार नहीं है इस निर्णय का मुख्य आधार जहां तक मैं समझ रहा हूं यह है कि उपकर एक प्रकार का कर है और एक विशेष केन्द्रीय कानून खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार राज्य विधायिकाओं को खनिज विकास के नाम पर या खनिज विकास के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कर थोपने का अधिकार नहीं है।

इस निर्णय का मुख्य कारण सातवीं अनुसूची की सूची-I का परिशिष्ट 54 है जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया है। इसके अनुसार :

> "उस सीमा तक अन्तरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास जहां तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोक-हित में समीचीन घोषित किया जाए।"

अगर हम इसके सादृश्य सातवीं अनुसूची के सूची-II का परिशिष्ट 23 देखें, जो कि राज्य सूची है और जिसका जिक्र भी माननीय मंत्री महोदय ने किया है, उसमें उल्लेख है :—

> "संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची I के उपबन्धों के सशर्त खानों का विनियमन और खनिजों का विकास।"

अनेकों कानूनों के माध्यम से लगाए गए उपकर जिन्हें नियम-विरुद्ध घोषित किया गया, के संबंध में यह माना गया कि वास्तव में इसके द्वारा रायल्टी के ऊपर कर थोपा जाता है। अगर हम भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश, स्व० श्री साब्यसाची मुखर्जी के द्वारा दिए गए निर्णय का अध्ययन करें तो पायेंगे कि उनके निष्कर्ष का मुख्य आधार यह था कि उपकर की राशि भी रायल्टी पर कर है और रायल्टी राशि का अंश है जिस पर वे अधिनियम स्पष्टतया उपकर के माध्यम से कर लगाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम का उल्लेख किया है, जिसकी धारा 9 केन्द्र सरकार को खनिज विकास के सम्बन्ध में कुछ उपाय करने के लिए अधिकृत करती है। लेकिन पूरे अधिनियम में कोई भी ऐसी धारा नहीं है, जो केन्द्र सरकार को उपकर या कोई अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार से कर लगाने के लिए अधिकृत करती हो। लेकिन उसके अन्तर्गत एक प्रावधान है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार कर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। इस सम्बन्ध में कुछ विषमताए हैं, जिसके कारण कई राज्य सरकार कानून-निर्माण करने के लिए उद्यत हुई। यह बिल्कुल विवाद-रहित है कि राज्यों को भी अपनी गतिविधियां और विशेष विकास कार्यों को जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। राज्यों के पास कर लगाने के लिए बहुत ही सीमित अधिकार उपलब्ध हैं। सभी राज्यों द्वारा बिक्री-कर स्पिरिट और आबकर, उपकरों और शुल्कों के सम्बन्ध में सीमित अधिकार और कोयला तथा दूसरे खनिजों पर रायल्टी का आश्रय लिया गया, जिसका साधारण सा कारण था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उपकर लगाया जा सकता था।

मैं सिर्फ सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 1989-90 के दौरान आठ राज्यों ने उपकर के माध्यम से 1,043.93 करोड़ रुपये की वसूली की, जिसमें बिहार अपने खनिज स्रोतों के कारण 648.59 करोड़ रुपये की उगाही करके सूची में प्रथम रहा। उसके बाद क्रमशः इन राज्यों का क्रम यह रहा—पश्चिम बंगाल—279.49 करोड़, मध्य प्रदेश—22.32 करोड़, आंध्र प्रदेश—46 करोड़ इत्यादि।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक पश्चिम बंगाल के कानून को नियम-विरुद्ध घोषित नहीं किया है। केवल पश्चिम बंगाल ही विशेष कारणों से जिसका उल्लेख हम दूसरे अधिनियमों से कर रहे हैं, उपकर वसूल करने में सक्षम है। और मुझे सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल राज्य को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अगली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 6 अप्रैल को हो रही है। यह राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इसमें कोई संदेह नहीं (व्यवधान) महोदय यह स्थिति है। सभी दूसरे अधिनियमों को नियम-विरुद्ध घोषित किया जा चुका है। केवल असम और पश्चिम बंगाल अछूते बचे हैं और पश्चिम बंगाल का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 6 अप्रैल को आना है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हमेशा ऐसा रवैया अपनाया है और कहा भी है कि जो भी उप कर लगाये जायेंगे उनका उपयोग सम्बन्धित राज्य द्वारा ही किया जायेगा। अभी मैंने 1043.93 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया अगर उपकर को खत्म कर दिया जाता है जैसा कि अन्य राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण करना पड़ा तो हमें सिर्फ रायल्टी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो कुछ राज्यों को होने वाली भारी हानि को तो कुछ राज्यों को अत्यधिक लाभ को दर्शाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उपकर की उगाही करते रहे हैं जो कि उनके कर-आधार या आय-आधार की प्रतिशतता में पर्याप्त वृद्धि करते हैं। वर्ष 1989-90 में, बिहार में रायल्टी के रूप में 27.93 करोड़ रुपये और उपकर के रूप में 648.59 करोड़ रुपये तथा कुल 676.52 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई। लेकिन अब इन आयातों को नियम-विरुद्ध घोषित कर दिए जाने के बाद रायल्टी के नये निर्धारित दर के आधार पर यह राशि 676 करोड़ रुपये से घटकर 541 करोड़ हो जायेगी। अतः एक राज्य को प्रत्यक्ष रूप से 135 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसी आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल के पास यह राशि 290 करोड़ रुपये से घटकर 176.89 करोड़ रुपये रह जायेगी। इस प्रकार उसे लगभग 120 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

ऐसे में जबकि राज्य ज्यादा संसाधन चाहते हैं और केन्द्र भी कह रहा है कि राज्यों के द्वारा अधिक से अधिक संसाधन जुटाए जाने चाहिए यदि इन राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उपकर वसूलने के अधिकार से अंततः वंचित किया जाता है, तो इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अब जबकि एक कानून को महज तकनीकी आधार पर नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, मैं इसे तकनीकी कारण कहता हूं भारतीय संसद ने जनहित में खानों और खनिजों को संघ के नियंत्रण के अधीन घोषित किया है। यह मद 54 के अन्तर्गत है। मैं इस मुद्दे को पहले भी सदन में उठा चुका हूं। मैंने कहा था कि पूरे भारत में खान और खनिज के सामान्य विकास कार्य को राज्यों के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए और उन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाने का भी अधिकार होना चाहिए।

जहां तक उपकरों या दूसरे करों की उगाही का प्रश्न है, इसे राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। और राज्य सरकार के पास, संसद द्वारा जनहित में घोषित उसके लिए निहित अधिकारों को छोड़कर समस्त अधिकार होने चाहिए। इस प्रकार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे संविधान-निर्माताओं के विचारों के अनुकूल न हों। अगर केन्द्र द्वारा इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया जाता और न ही कोई घोषणा की जाती तो निःसंदेह राज्य सरकारों के पास उपकर वसूलने का अधिकार बना रहता।

आजकल हम वित्त मन्त्री के लम्बे भाषण सुन रहे हैं कि वह किस प्रकार राज्य सरकारों की मदद करने के प्रयास कर रहे हैं और केन्द्र सरकार किस प्रकार त्याग कर रही है और वित्त मन्त्री ने किस प्रकार राज्यों को 1500 करोड़ दिए हैं। ठीक है, वे अधिक देंगे तो बेहतर है। हम किसी भी अतिरिक्त संसाधनों का स्वागत करते हैं।

महोदय, यह राज्यों के संसाधनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है, विशेषकर उन राज्यों में जहां पर कोयला तथा अन्य खानें हैं, उनसे ये वसूली की जा सकती है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से यह अपील है। यदि आप वास्तव में बेहतर केन्द्र-राज्य सम्बन्ध चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि राज्य अपने स्वयं के कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर विकास करें तो आपको मेरा सुझाव मान लेना चाहिए। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों के सम्मुख संसाधन जुटाने की गंभीर समस्या है। इन राज्यों को विकसित करने के लिए अनेक कार्य किए जाने हैं और अनेक परियोजनाओं पर अभी कार्य शुरू होना है। परन्तु संसाधनों के अभाव में इन कार्यक्रमों को शुरू नहीं किया जा सकता। अब स्रोत का एक तरीका उपकर हैं। लेकिन इसमें कुछ संवैधानिक मुश्किलें है जो कि बुनियादी नहीं हैं। मैं कहता हूं कि ये बुनियादी नहीं हैं क्योंकि यह ऐसा कर नहीं है जिस पर 268 की तरफ पूर्ण प्रतिबन्ध हो अथवा जहां पर यह आयात निर्यात इत्यादि का मामला हैं। ऐसे मामलों में तो हम समझ सकते हैं कि यह एक संवैधानिक प्रतिबन्ध है। जहां तक इसका सम्बन्ध है, आप प्रविष्टि 54, सूची I के तहत उचित कानून बना सकते हैं। इसलिए आप कृपया कराधान के उपाय के सम्बन्ध में अपना नियन्त्रण हटा लें। यही मेरी पहली अपील है।

दूसरे, मैं रायल्टी के बारे में कहना चाहता हूं। कानून के तहत, रायल्टी को प्रत्येक तीन वर्षों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। पिछला संशोधन गत वर्ष हुआ है। इसलिए 1994 तक कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि केन्द्र ने यह कानून तैयार किया है। यह अध्यादेश भी उचित है क्योंकि अन्यथा राज्य सरकारों को बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता। मैं मानता हूं कि ऐसा बहुत कम अवसरों पर होता है जबकि केन्द्र की अध्यादेश की शक्ति का उचित उपयोग होता है। अब आप वास्तव में अच्छे काम करते हैं तो हम आपका समर्थन करते हैं।

अगर यदि अध्यादेश नहीं होता तो बिहार को 4 अप्रैल, 1991 से, उड़ीसा को 22 दिसम्बर, 1989 से और मध्य प्रदेश को 23 मार्च, 1989 से राशि वापस लौटानी पड़ती। राज्य सरकारें दिवालिया हो जाती। आपको यह अध्यादेश लाने इस वजह से पड़ा कि राज्य सरकारों को अत्यधिक वित्तीय-तंगी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सभी मामलों में ऐसा ही हो। हम एक संगठित भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें प्रत्येक भाग विकसित हो। हम क्षेत्रीय असंतुलन रहित भारत चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह सोचने का मौका न मिले कि उसकी भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य कारणों से एक व्यक्ति विकास के मार्ग पर उस प्रकार अथवा उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जोकि वह केन्द्र सरकार के थोड़े से सहयोग से कर सकता है। इसलिए अलगाववाद की भावना नहीं आनी चाहिए।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि यह ऐसा अवसर है जब सभी क्षेत्रों और लोगों के सभी वर्गों के समान विकास के लिए विकास का लाभ सभी को देने के लिए एक संगठित भारत के लिए लोगों की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करें। इसलिए कृपया ऐसी कोई कार्यवाही मत कीजिए जिससे राज्य सरकारों को संसाधन जुटाने और कर वसूलने में कठिनाई हो। किसी भी व्यक्ति ने यह शिकायत नहीं की है कि ये कर भारी कर हैं क्योंकि इसका दायरा काफी विस्तृत है। वे इसे वहन कर सकते हैं। इसमें तकनीकी प्रश्न विधायी क्षमता का है। न्यायापालिका को क्या करने के लिए बाध्य किया गया है? आपने एक मुश्किल को अस्थाई तौर पर हटा दिया है लेकिन अन्य कठिनाईयों को भी सुलझाया जाये ताकि बार-बार होने वाली यह समस्या न रहे। राज्य सरकारें अपनी देय राशि वसूलने में समर्थ हैं।

राज्य सरकारों ने अभ्यावेदन भेजे है। श्री लालू प्रसाद यादव ने अनशन पर जाने की धमकी दी है। इस पर सारी सभा ने चिंता व्यक्त की। मैं समझता हूं कि इसी कारण यह विधेयक सभा के संमुख लाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने भी एक अनुरोध किया है। एक राज्य में सत्ताधारी राजनैतिक पार्टी के दल से परे हटकर प्रत्येक राज्य सरकार, कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों भी इस कठिनाई का सामना कर रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में विचार करें। मुझे विश्वास है वे राज्य सरकार को कठिनाई में नहीं डालेंगे, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा नहीं चाहते। मुझे उम्मीद है कि तिरूपति में इस स्थिति में परिवर्तन नहीं आयेगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी इससे सम्बद्ध हों हम इस बारे में बातचीत करना चाहते कि इस प्रश्न का समाधान बेहतर तरीके से किस प्रकार हो। हर तीन वर्ष के बाद रायल्टी बढ़ाने मात्र से समस्या का

समाधान नहीं होगा । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में खुले दिमाग और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ उचित ध्यान दिया जाये ।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभा के सम्मुख इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है । मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य उपकर समाप्त कर देने के बाद राज्य कठिनाई महसूस कर रहे थे और केन्द्र सरकार ने इसलिए राज्यों की मदद के लिए यह कदम उठाया है । महोदय, लेकिन जैसा श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा, इससे समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलेगी । यदि राज्य सरकारों को अपने राज्यों से संसाधन जुटाने की सुविधा दे दी जाये, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है । उदाहरण के लिए उड़ीसा को लें । उड़ीसा राज्य खनिज समृद्ध राज्य है । उड़ीसा में सारे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक कोयला है । उड़ीसा में अन्य खनिज भी बहुत हैं । 1962 में उपकर अधिनियम पारित होने के समय से उड़ीसा राज्य इस उपकर से अपने संसाधन जुटा रहा था । इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा असहयोग के बावजूद कुछ परियोजनाओं को चलाने में राज्य को मदद मिली । अब अगर यह उपकर तकनीकी कारणों से समाप्त कर दिया जाता है तो इससे राज्यों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक व्यापक कानून बनाकर राज्यों की मदद की जाए; यदि आवश्यक हो तो संवैधानिक संविधान में संशोधन किया जाए ताकि राज्य सरकारों द्वारा उपकर वसूल करने में आ रही अड़चन दूर हो सके । यह राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं कहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है । हम इसे पारित करेंगे लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि सरकार हमारे अनुरोध पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें । मुझे एक या दो सुझाव देने हैं ।

राज्य अब जो रायल्टी उपकर प्राप्त करेंगे वह कम है ।

यदि रायल्टी खनिज की बजाय उनके मूल्य के आधार पर लगाई जाए तो राज्य का हिस्सा बढ़ सकता है ।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि खनिजों पर रायल्टी मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि इसके मूल्य के आधार पर लगाई जाये ।

मेरा दूसरा सुझाव खनिजों के बारे में है । सरकार खनिजों के सम्बन्ध में गम्भीर रुख अपनाए । क्योंकि खनिज सीमित मात्रा में हैं । इनका उचित प्रकार उपयोग होना चाहिए । कुछ राज्य इन पहलुओं पर गौर नहीं कर रहे । उड़ीसा का उदाहरण लें । भारत में क्रोम के कुल भंडार का 74 प्रतिशत उड़ीसा में उपलब्ध है । भारत में 94 प्रतिशत 'क्रोम' है । 'क्रोम' बहुत ही कीमती खनिज है । इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बहुत अधिक है । हाल ही में श्री बीजू पटनायक के नेतृत्व में हमारी उड़ीसा सरकार ने एक कार्य किया है । उड़ीसा में एक 'फैरो चार्ज क्रोम' कारखाना था । यह रुग्ण था । जब यह रुग्ण हुआ तो मुख्यमन्त्री ने इसे टाटा को बेचने का निर्णय लिया । यह निर्णय कैसे लिया गया । यह किसी को नहीं पता । इसकी कीमत कैसे तय की गई ? यह भी कोई नहीं जानता । इस प्रकार यह सौदा उड़ीसा के मुख्यमन्त्री और टाटा के बीच हुआ । इसके साथ ही मुख्यमन्त्री ने शर्त के रूप में टाटा को

[श्री लोकनाथ चौधरी]

'क्रोम' खानों का बड़ा क्षेत्र दे दिया है। वार्षिक उत्पादन के लिए कम से कम एक लाख टन 'क्रोम' अयस्क की जरूरत होती है। उन्हें जो क्षेत्र दिया गया है वह उनकी जरूरत से बहुत अधिक था। इसका मतलब यह है कि टाटा को दी गई सुविधा अनपेक्षित है। इस क्षेत्र में उड़ीसा के खनिजों का उपयोग होता है। इसलिए उड़ीसा सरकार केन्द्र के पास आये और सुनिश्चित करे कि यह 'क्रोम' अयस्क जो टाटा को शर्त के तहत दिया जाना था, न दिया जाये।

मैं यह अपील इसलिए कर रहा हूं कि इस सौदे से संदेह उत्पन्न होता है। जिस प्रकार इस उद्योग को बेचा गया और टाटा को क्रोम की खान पट्टे पर दी गई, इत्यादि बातों से संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए यह सौदा संदेहास्पद है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इसके बावजूद आप उस सरकार का समर्थन करते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : चार्ल्स जी, आप समाचारपत्र नहीं पढ़ते। आप बहुत पीछे हैं। आप पहले अपनी जानकारी बढ़ाइये।

इसलिए मेरा यह मुद्दा है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि राज्यों की मदद के लिए एक व्यापक विधेयक लाये ताकि राज्यों को खानों से संसाधन मिल सके। मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार राज्य के खनिजों का दुरुपयोग न करे। इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाये। मैं यही कहना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य शुरू किया जाए। 6 बजने वाले हैं। पिछली बार यह निर्णय लिया गया था कि आज 6 बजे सभा में गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य किया जायेगा। अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि चर्चा समाप्त करें तथा मतदान पूरा कर लें, क्योंकि यह एक अध्यादेश है। मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य समय सीमा जानते हैं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : हम इस पर कल फिर चर्चा कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे इस पर कल फिर चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना ही होगा कि आप मन्त्रालयों की मांगों पर चर्चा का समय भी ले लेंगे।

श्री सुधीर गिरि : हमारे पास पर्याप्त समय होगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ठीक है। हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू करें।

श्री सुधीर गिरि : हम कल भी पर चर्चा जारी रख सकते हैं। अभी हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू कर लेते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : पिछली बार यह निर्णय लिया गया था कि 6 बजे गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं भी यही कह रहा हूं।

6.00 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 11 'क' का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू करते हैं। 13 मार्च, 1992 को श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे विचार होगा :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : गत शुक्रवार को मैंने संविधान निर्माताओं द्वारा योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद गठित करने के मंतव्य का उल्लेख किया था। संविधान लागू करने के कुछ वर्ष बाद मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग का गठन कर दिया गया।

संसद और संविधान सभा ने कभी भी इस प्रतिष्ठित निकाय को संविधानिक स्तर देने की बात नहीं सोची।

इसी प्रकार, सबसे पहले 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी और बाद में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1967 में इसे पुनर्गठित किया गया। जैसाकि आप जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्त्ता, अर्थशास्त्री तथा भारत के प्रसिद्ध नेता योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं जैसे श्री अशोक मेहता, श्री गाडगिल, श्री सी० सुब्रह्मण्यम जो आजकल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि योजना आयोग स्थापित किए जाते समय कोई आपत्ति नहीं की गई थी। जैसाकि हम सभी जानते है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एक महान लोकतंत्रवादी, सामाजिक चिंतक तथा आयोजक थे और वह योजना बनाकर कार्य करने में विश्वास करते थे। उस दिन भी मैं बता रहा था कि भारत में योजना का युग कैसे शुरू हुआ।

यहां तक कि वित्त मंत्री, जान मैथेई भी योजना-आयोग के गठन संबंधी विचार से सहमत नहीं थे, जिसमें वित्त मंत्री को एक आम सदस्य के रूप में इसकी बैठक में शामिल होना होता है। वह कहा करते थे कि यह संविधानता निकाय है। लेकिन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के समर्थन से इस निकाय का विकास हुआ और यह देश की अच्छी संस्थाओं में से एक बन गई। देश की योजना बनाने का कार्य इसे सौंप दिया गया और शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि योजना आयोग का परामर्श देने का कार्य होगा और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होंगी।

श्री चित्त बसु ने अपने भाषण में राष्ट्रीय विकास परिषद का जिक्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : श्री चित्त बसु ने चर्चा शुरू की थी। उन्होंने काफी विस्तार से अपने विचार रखे। मुझे उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मैं अब शुरू कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शुक्रवार को 15 मिनट बोल चुके है और अब भी 5 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक में यह 15 मिनट और 5 मिनट नहीं गिनने चाहिएं। यह सही आवश्यक नहीं है। सरकारी कार्य में समय की सीमा होती है। लेकिन आपको कुछ उदार होना चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : आपको भी और समय देना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : तेलगूदेशम दल के यह नए सदस्य भी सहमत है।

अब मैं संक्षेप में बात करूंगा।

योजना आयोग दृष्टिकोण पत्र तैयार करता है। विचाराधीन विधेयक में प्रस्तावकर्ता यह चाहता है कि यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपा जाए। उन्होंने जो कहा है यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तब कोई अन्तर नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य बहुत विस्तृत है।

मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य बताए हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसे निर्देश दिए गए हैं कि यह राष्ट्रीय योजना बनाए जिसमें संसाधनों का आकलन भी शामिल है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीति पर विचार करे, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करे, समय-समय पर योजना के कार्यकरण की समीक्षा करे तथा योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करे।

परिषद का गठन क्या है ? वर्तमान परिषद राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने के लिए निर्देश देने और उस पर चर्चा करने के लिए उच्चतम निकाय है।

इस परिषद के सदस्य कौन-कौन हैं ? इसकी अध्यक्षता प्रधान मन्त्री द्वारा की जाती है, केन्द्र सरकार के सभी मंत्री राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक, दिल्ली के राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद इसके सदस्य हैं। मुझे इसकी बैठक में शामिल होने का अनुभव है, मुख्य मंत्री जब इसकी बैठक में शामिल होते हैं तब वह अपने साथ योजना और वित्त मंत्रियों को भी साथ लाते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जाता है। वे भी इसके सदस्य है।

अत: इसका स्वरूप अत्यन्त विस्तृत है, उससे भी अधिक विस्तृत है जैसा कि विधेयक के प्रस्तुत कर्ता द्वारा कहा गया है कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए। वर्तमान परिषद यह कार्य योजना आयोग के अधीन रहते हुए करती है। योजना आयोग को भी महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। योजना का दृष्टि-कोण पत्र इसके द्वारा तैयार किया जाता है। शुरू में राष्ट्रीय विकास परिषद यह निर्देश देती है कि दृष्टिकोण पत्र कैसे तैयार किया जाना चाहिए और यह पत्र तैयार होने के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में इसके सभी सदस्य तथा योजना आयोग के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह समय-समय पर विकास सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण कर सकता है तथा सभी महत्वपूर्ण आर्थिक मामले योजना आयोग में प्रस्तुत किए जाते हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतन्त्र का अर्थ

है। उत्तरदायित्व। जैसाकि महोदय, आप जानते हैं कि हमने मंत्रिमंडलीय प्रकार की सरकार चुनी है। प्रधानमन्त्री देश का वास्तविक नेता होता है। वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

महोदय, जनता की भावनाओं तथा देश की आवश्यकताओं को देखते हुए वह कुछ वायदे करता है। उसके दल के चुनाव घोषणा-पत्र में अनेक कार्यक्रम दिए होते हैं। अतः स्वभाविक तौर पर सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद यह उसका दायित्व है कि इन वायदों को पूरा करे अतः यदि यह संविधानिक निकाय बन जाता है, तो इसमें कोई लचीलापन नहीं रह जाएगा। कभी-कभी योजना आयोग नए प्रधान मंत्री के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। लोकतंत्र में इसी प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं।

महोदय, हमने भीषण बाढ़ों जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं। कभी तूफान आते हैं। उस समय प्रधानमन्त्री को परम्परा तोड़कर भी प्रभावी राज्य को सहायता देनी पड़ती है, क्योंकि वह समय की आवश्यकता होती है। अतः लोकतन्त्र में मंत्रिमण्डल को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त होने हैं योजना के मामले में तथा अन्य मामलों में उसका अन्तिम निर्णय होता है। योजना आयोग देश का विशेषज्ञ सलाहकार निकाय है।

इसका कार्य सलाह देना होगा। निःसंदेह, अन्तिम निर्णय मन्त्रिमन्डल सरकार को लेना होगा। भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक देश के लिए यह अतिआवश्यक है।

महोदय, सरकारिया आयोग ने अभी हाल में, दो वर्ष पूर्व एक बृहदकार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। महोदय, जैसा आप जानते हैं, सरकारिया आयोग से बहुत से प्रतिष्ठित लोग सम्बद्ध थे। उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया, उन्होंने लोगों का साक्षात्कार लिया; वे मुख्यमंत्रियों से मिले और उन्होंने प्रश्नावली तथा अन्य सब कुछ तैयार किया। और विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद, उन्होंने सुझाव दिए थे कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को युक्तिसंगत कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने न तो राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए न ही योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग दो दशकों पूर्व से अधिक लगभग 1967 में इसकी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने भी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश नहीं की थी।

हम सब चाहते हैं कि हमारी योजना वास्तव में सूक्ष्मदर्शी योजना होनी चाहिए। इसका सूत्रपात निचले स्तर से किया जाना चाहिए। हमें योजना आयोग का केवल विकेन्द्रीकरण ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसका यह भी कत्तव्य होना चाहिए कि वह राज्य योजना बोर्डों व जिला योजना बोर्डों आदि के कार्यकरण की भी निगरानी रखे। निचले स्तर से योजना शुरू की जानी चाहिए। बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसे संवैधानिक दर्जा देने पर सभी ठीक-ठाक हो जाएगा बल्कि इसे लचीला बनाया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन लोकतन्त्र की जननी है वहां कोई लिखित संविधान नहीं है वहां समस्त कार्य परम्पराओं के आधार पर निबटाया जाता है। संविधान के निर्माताओं का यह आशय कभी नहीं था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए वे इसे केवल विशेषज्ञ निकाय के रूप में चाहते थे। हमें विशेषज्ञों की सलाह या सेवा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन अन्तिम निर्णय राजनैतिक प्रणाली अर्थात् मंत्रिपरिषद और सरकार को लेना होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री इस देश के सर्वोच्च नेता हैं उनको भी इस प्रकार के निर्णय लेने की कुछ हद तक स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

इन शब्दों के साथ, प्रस्तावक को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिससे हमें इस पर सैद्धान्तिक चर्चा करने का अवसर मिला। फिर भी मैं सरकार से मंत्री जी से जो यहां उपस्थित है से अनुरोध करूंगा कि इसमें जो कमियां है उसे दूर किया जाए और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को और अधिक कारगर बनाया जाए जिससे कि देश की जनता तथा बदलते समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने आधे घंटे का समय ले लिया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह अच्छा होगा यदि आप अपना-अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दें। कुछ सदस्य आधे घंटे का समय ले लेते है और कुछ सदस्यों को मुश्किल से पांच से छ: मिनट का समय ही मिलता है। उन्हें कहना मानना होगा। हमें बाद के वक्ताओं के प्रति शालीनता दिखानी होगी। घंटी बजाते रहना अच्छा नहीं लगता।

अब मैं श्री भगवान शंकर रावत को बोलने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, श्री चित्त बसु जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको प्रस्तुत करके उन्होंने एक बहुत ही एतिहासिक काम किया है। मैं उनके इस विधेयक का स्वागत करता हूं। पाणिग्राही जी कुल मिलाकर अन्त में उसका विरोध करना चाहते थे लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कहीं, जो कि काफी हद तक सही थीं। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग की चाहे सिफारिशें रही हों, चाहे सरकारिया आयोग की सिफारिशें रही हों उन्होंने योजना आयोग के राजनीतिकरण की गम्भीरता से निन्दा की थी और आलोचना की थी। उनकी वह आलोचना सटीक है, तथ्यपूर्ण है। वास्तव में योजना आयोग एक ऐसा क्लब बन गया है जिसमें एक्सपर्टस की टाक तो हो जाती है लेकिन उसके फैसलों का, उनके चिंतन, उसकी कार्यप्रणाली का कोई महत्त्व नहीं संवैधानिक अधिकार नहीं उसकी लीगल सैंटिटी नहीं, इसलिए परामर्शदात्री समिति के रूप में वह बनकर रह गई है वह टेक्निकल एडवाइज के जो परामर्श देती है, उस परामर्श को सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के चश्मे देखती रही है। जहां उसके परामर्श से सरकार को लाभ मिलता रहा वह परामर्श स्वीकार कर लिया, जहां राजनीतिक मंतव्यों की पूर्ति में बाधक सिद्ध हुआ वहां उस योजना आयोग की सिफारिश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश का नियोजित विकास नहीं हो सका। राजनीतिक आधार पर देश के विकास की योजनाएं बनीं और योजनाओं का कार्यान्वयन जो हुआ उसके अन्दर योजना आयोग की भावना, उसकी स्पिरिट को समाप्त करते हुए राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर उसको अमली-जामा पहनाया गया, कार्यान्वयन किया गया। योजना आयोग ने बहुत सी योजनायें दीं, लेकिन उनकी राजनीतिक हित पूर्ति नहीं हुई केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की तो उन्होंने उन योजनाओं को तिलांजलि दे दी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सत्तारूढ़ दल की हां में हां मिलाने वाली यह संस्था बनी रही, नियोजित विकास की दिशा में नेतृत्व और दिशा थामी कि जो मार्गदर्शन होना चाहिए था।

वांछित, वह योजना आयोग नहीं कर सका। इसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ, परिणाम यह हुआ कि योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप की संस्तुति के बावजूद और सात योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद, इसके साथ सात पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद और एक-एक साला अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद आज देश की बदहाली यह हो गई कि 10 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, इस देश के अन्दर 44 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो गरीबी की रेखा से भी नीचे जिन्दा रह रहे हैं और समूचा देश एक आर्थिक गर्त में फंस गया है। जहां पर बड़ी भारी इण्डस्ट्रीज प्लानिंग की खराबी के कारण सिक इण्डस्ट्रीज में बदल गई, योजनाकारों ने देश की योजना में विकास में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उन प्राथमिकताओं का नियोजन ठीक प्रकार से नहीं किया गया, जितना रुपया औद्योगिक विकास के लिए खर्च किया गया, इन सातों योजनाओं के अन्दर, काश, प्राथमिकताएं तय करते हुए कृषि के विकास पर यह पैसा खर्च किया गया होता, एक सब्सटेंशियल एमाउण्ट एक अच्छा प्रतिशत, जो भारी उद्योगों में लगाया गया है, उसी प्रकार से उसमें किया गया होता तो आज की यह दुर्दशा नहीं होती।

जहां पर 23 परसेंट बजट का पैसा केवल विदेशों से लिए गए ऋण के ऊपर ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है, यह हमारा नियोजन ठीक नहीं था, उसी का परिणाम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि योजना आयोग को स्टेचुटरी बाडी बनाकर, उसमें एक्सपर्टस को रखकर, संविधानिक रूप से उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा तो देश का स्टेटिकली, समुचित रूप से विकास होता रहेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक आर्थिक संसाधनों के प्रदेशों को आबंटन का प्रश्न रहा है, उसके अन्दर भी काफी भेदभाव बरता गया है। उस भेदभाव का दुष्परिणाम यह है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं कि 1950 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जो औसत आय थी और राष्ट्रीय औसत आय जो 1950 में थी, उसमें और आज की प्रति व्यक्ति औसत आय, जो उत्तर प्रदेश की है राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय है, उसमें एक वाइड गैप हो गया है, बड़ा लम्बा अन्तर पड़ गया है और उसका कारण यह है कि योजना आयोग ने राजनैतिक दबाव के कारण भेदभाव बरता। उत्तर प्रदेश के योजना व्यय के लिए प्रति व्यक्ति जितना औसत खर्चा दिया जाना चाहिए था, प्रति व्यक्ति जो इन्वेस्टमैंट होना चाहिए था, वह उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया।

इसी प्रकार से औद्योगीकरण के लिए प्रति व्यक्ति जितने संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में वह कम जुटाए गए इससे उत्तर प्रदेश औद्योगिक दौड़ में भी पिछड़ गया। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति औसत आय में भी पिछड़ गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सैंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स हैं, उनको अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, बाकी स्टेट्स को कम कराये जाते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ प्रदेशों के साथ पक्षपात किया गया और इसलिए वह विकास की दौड़ में पिछड़े गए, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े गए। आज समूचा उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है और हांफ रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वह यह उत्तर प्रदेश के साथ योजना आयोग में कुछ संस्तुतियों को स्वीकार किया गया अनपरा विद्युतगृह के लिए जापान से पैसा आया लेकिन योजना आयोग की संस्तुतियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अनपरा के लिए जो पैसा जापान से मिला था, आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया जिससेअनपरा का विद्युतगृह अधूरा पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि गैस के मामले में उत्तर प्रदेश को जो प्राकृतिक गैस मिलनी थी, जिसके लिए सरकार ने और योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी, वह प्राकृतिक गैस राजनैतिक कारणों से अभी तक उत्तर प्रदेश को नहीं दी जा

[श्री भगवान शंकर रावत]

रही है। औरैया की गैस क्रेकर परियोजना जिसके इम्पलीमेण्टेशन के बाद समूचे उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदल जाएगा स्वीकृति देने के बाद भी केन्द्र सरकार राजनैतिक मंतव्यों से गससे मुकर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इटावा के अन्दर जमीन का सिविल वर्क करके जितना विकास कार्य होना चाहिए, वह कर लिया है···मैं कहना चाहूंगा प्राकृतिक गैस के लिए जो गाजियाबाद का क्षेत्र है, उसके लिए केन्द्र सरकार सहमति दे चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी आज प्राकृतिक गैस का लेटर आफ इनटेंट इश्यू नहीं किया जा रहा है।

आज आप सब जानते हैं कि ताजमहल पर्यावरण प्रदूषण से मर रहा है, उसको बचाने के लिए आगरा के लोगों का गला तो घोंटा जा रहा है लेकिन वहां पर प्रदूषण से बचाने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल ऊर्जा के रूप प्राकृतिक गैस देने की बात थी, डेनमार्क की कम्पनी डेविडाल ने छः करोड़ रुपया दे दिया, इस बात के लिए भारत सरकार को, अब हम और आग्रह करेंगे पाइप लाइन ले डाउन करने के लिए, प्राकृतिक गैस की, वे शेष रुपया भी देने को तैयार है, वहां का मंत्री अभी पिछले महीने आया और मंत्री जी ने हिन्दुस्तान के मंत्री से कहा, पेट्रोलियम मंत्री से कि डेनमार्क की सरकार तैयार है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार वायदा करने के बाद भी मुकर रही है, इसलिए वह राजनीतिक आधार पर भेदभाव करना चाहती है, उत्तर प्रदेश का क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश पसन्द नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का गला घोंट दो, वहां की जनता को भूखा मार दो। (व्यवधान)

इसलिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि योजना आयोग के अन्दर अगर वह संवैधानिक शक्ति होती तो वह डिक्टेट देता केन्द्रीय सरकार को, कि इस प्रकार का भेदभाव और बेईमानी केन्द्र की सरकार न करे, जो वहां किया जा रहा है। इसलिए गैस की परियोजनाएं, प्राकृतिक गैस जो दी जानी थी, वह न देने से उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है। यही स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था बननी चाहिए, योजना आयोग के उसके लाज बननी चाहिए और लाज बनने के बाद जो प्रदेश प्रगति की दौर में पिछड़ गए हैं। उनके विकास के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत बनने चाहिए, उन सिद्धांतों के आधार पर देश का ठीक प्रकार से योजना में नियोजन होना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चित्त बसु के विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं चित्त बसु को विधेयक पुरःस्थापित करने और इस महत्वपूर्ण मामले पर हम सब को चर्चा करने का मौका देने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बार हमें कई मंत्रालयों पर चर्चा करने का मौका मिलता है। लेकिन योजना जो इस देश के विकास के लिए बहुत ही व्यापक पहलू है इस पर चर्चा करने का मौका बहुत कम मिलता है। वह ठीक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग बहुत सी बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ नहीं है जिनका इस देश को सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि देश ने कुछ प्रगति की है लेकिन इतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी अन्य अनेक देशों ने की है जिन मार्गों पर हमने विकास शुरू किया उन्होंने भी किया है।

मैं राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के सुझाव का

समर्थन करता हूं । मैं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें जो प्राय: बहुत कम होती है और योजना आयोग द्वारा सुझाए गए योजना व्यय के प्रारूप की स्वीकृति के बारे में सुझाव देना चाहूंगा । इस तरह नहीं किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें प्राय: होनी चाहिए और विस्तारपूर्वक चर्चाएं होनी चाहिए । जो कुछ अब हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए ।

चीन ने भी सोवियत रूस की तरह ही चलना शुरू कर दिया है और उन्होंने पूंजी तथा बड़े उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देते हुए योजना के माध्यम से आर्थिक विकास शुरू किया है । परन्तु, चीन को सूखे के रूप में कुछ व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था तथा महान नेता माओ-त्से-तुंग ने समस्या को समझा और उन्होंने अपनी वरीयताओं को अपने अनुभव के आधार पर बदला । उन्होंने सर्वप्रथम वरीयता कृषि को दी तथा लघु और मध्यम उद्योग को दूसरी वरीयता प्रदान की तथा उसके पश्चात ही बड़े उद्योगों की ओर ध्यान दिया । इसी बात पर हमारे राष्ट्रपिता ने भी जोर दिया था तथा वह इस बात का हमेशा समर्थन करते रहे कि जब तक गांव का विकास नहीं होता, देश उन्नति नहीं कर सकता । और वह ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने केवल इस देश को ही नहीं, अपितु समस्त विश्व को स्वयं रोजगार का प्रतीक दिया तथा आज भी महान अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि गांधी जी की विचारधारा आज भी सुसंगत है तथा आने वाले लम्बे समय तक वह सुसंगत रहेगी । परन्तु जवाहरलाल नेहरू जिनके हाथों में देश को विकास की ओर ले जाने के सारे अधिकार निहित थे, वह किसी और दिशा की ओर अग्रसर होना चाहते थे जिसके कारण आज हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । महोदय, आजादी प्राप्त करने के 44 वर्ष पश्चात भी देश में 3.7 करोड़ बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं······

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सात मिनट का समय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, तीन मिनट रह गये हैं । आप सात मिन्ट तक बोल चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आज 40 लाख बेरोजगार स्नातक हैं ।

एक माननीय सदस्य : चालीस लाख ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जी हां, 40 लाख से भी अधिक, तथा फिर भी हम यह कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, परन्तु 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करती है, उनकी खरीदने की क्षमता बहुत कम है । हम यह कहते हैं कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है । वास्तव में अगर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की खरीद क्षमता उनकी घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार हो जाये तो यह अनाज की मात्रा पर्याप्त नहीं है ।

महोदय, सारी योजना प्रक्रिया के बावजूद 48 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ है तथा केवल 52 प्रतिशत पढ़ी लिखी है । अब सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए राजीव टैक्नोलोजी मिशन आरम्भ किया गया है तथा अभी 1,40,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी है तथा 1000 से 1500 तक के जनसंख्या वाले 30 प्रतिशत गांवों में सभी मौसमों में उपयोग में आने वाली सड़कें नहीं है तथा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले 13 प्रतिशत गांवों में सड़क की सुविधा उपलब्ध करवाना शेष है । तथा जैसा कि आप इस तथ्य से अच्छी प्रकार अवगत हैं कि विकास की प्रक्रिया जहां तक

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

पहुंचती है जहां तक सड़क पहुंचती है, जहां सड़क बन्द हो जाती है, वहां विकास की प्रक्रिया भी बन्द हो जाती है। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति ऐसी है तथा आवास सुविधा के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि 2.3 करोड़ आवासीय ईकाइयों के निर्माण की आवश्यकता है तथा इस शताब्दी के अन्त तक 6.3 करोड़ आवासीय इकाइयों की हमें आवश्यकता है, तथा हमारे समाज का सामाजिक ढांचा होने के बावजूद, टाटा उद्योग समूह जिनकी परिसम्पतियों का मूल्य 1951 में 116 करोड़ रुपए था, 1989-90 में बढ़ कर 8530 करोड़ रुपए हो गया तथा बिरला समूह की परिसम्पतियों का मूल्य 8400 करोड़ रुपए तथा अब यह आंकड़ा शायद 10,000 करोड़ पार कर चुका हो। तथा अम्बानी समूह (रिलायन्स ग्रुप) ने केवल 10 वर्षों में 3600 करोड़ रुपए की परिसम्पतियां अर्जित कर ली है। इस प्रकार समाजवाद तथा समाजवादी सामाजिक ढांचे की सभी चर्चाओं के बावजूद विषमतायें बढ़ी हैं। विषमताएं बढ़ी हैं तथा नीचे के 20 प्रतिशत परिवारों की परिसम्पतियां 20 समृद्ध परिवारों के बराबर भी नहीं हैं। अतः; हम मामले में पुनर्विचार क्यों नही करते ? अब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना को कियान्वित करने जा रहे हैं। कम से कम अब तो आपको लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। हम से कहां पर गलती हुई ? सरकारिया आयोग ने बड़ी स्पष्ट सिफारिशें की हैं। कृपया उन्हें लागू कीजिए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष आपका आज्ञापालक मात्र नहीं होना चाहिए। उसे एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री होना चाहिए लोगों को यह अनुभव होना चाहिए कि सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है तथा किसी व्यक्ति का राजनैतिक पुनर्वास नहीं किया है। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा। विपक्ष सत्ता में था, तो भी उसने सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मूल रूप में कार्यान्वित नहीं किया। आपको इस मुद्दे पर राष्ट्र व्यापी चर्चा करवानी चाहिए कि क्या वर्तमान योजना प्रक्रिया ठीक है अथवा इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी संकेतात्मक योजना' की चर्चा कर रहे थे। सरकार को लोगों के समक्ष यह समझने के लिए चर्चा आरम्भ करनी चाहिए कि हमने गलती कहां पर की, ताकि लोगों की मूल समस्याओं को सुलझाया जा सके। समय बड़ी तेजी से हाथ से निकल रहा है तथा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्षों तक इन्तजार नहीं करेंगे। पहले ही पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में सामाजिक विषमताओं तथा बेरोजगारी के कारण काफी तनाव और उथल-पुथल है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा महाराष्ट्र के वन-क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियां जारी हैं। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये बगैर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री गोर्बाच्योव ने सोवियत यूनियन में 'ग्लासनास्ट' तथा 'पेरेस्त्रोइका' की प्रक्रिया तब आरम्भ की थी, वह राष्ट्रपति थे तथा बाद में उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया। इसलिए, अब यह सरकार लोकतांत्रिक सिद्धान्तों से जुड़ी हुई है, तो इसे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए देश के लोगों को सही दिशा में ले जाना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री चित बसु को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के प्रावधान केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर आधारित है तथा जब हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की बात करते है तो हमें यह महसूस होता है कि इस विषय में इस सदन तथा सदन के बाहर काफी कुछ कहा जा चुका है।

सरकारिया आयोग ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में एक अच्छा फार्मूला प्रस्तुत किया है। परन्तु इस फार्मूले को लागू नहीं किया गया है। हम संसदीय ढांचे में रहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी

ताकतों के इस देश से निष्कासन से पहले, हमारे पूर्वजों, स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश के लोगों को यह आश्वासन दिया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम संघीय ढांचा अपनायेंगे।

संघीय ढांचे में हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं तथा संघीय ढांचे की कुछ मूल विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो यह कि इसमें एक केन्द्र तथा राज्य होते हैं। केन्द्र तथा राज्यों में अधिकारों का विभाजन होता है। एक संविधान होना चाहिए जो कि केन्द्र तथा राज्यों में अधिकारों का विभाजन करे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रभुत्व होना चाहिए। यह मुख्य चार विशेषताएं हैं।

इन विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। किसी भी स्थिति में केन्द्र को यह नहीं समझना चाहिए कि यह दूसरे राज्यों से स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च है। हम उस वर्ग में नहीं सम्मिलित होना चाहते जो लोग संघीय ढांचे तथा केन्द्र को इस रूप में परिभाषित करते हैं।

मेरा यह कहना है कि संघीय ढांचे में विपरीत विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। पहली विचारधारा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्तियों का समूह, अथवा प्रत्येक समुदाय अपनी पहचान बनाकर रखना चाहता है। इसके साथ-साथ यह व्यक्ति अथवा समुदाय दूसरे व्यक्तियों अथवा समुदाय के साथ एक होकर भी रहना चाहते हैं। बातचीत के द्वारा इस समन्वय को स्थापित किया जा सकता है। अगर संघीय ढांचे को सफल बनाना है तो इन दो बातों का समन्वय करना होगा तथा उनका कड़ाई से अनुपालन करना होगा अगर केन्द्र राज्यों पर अपना स्वामित्व दर्शाता है तो संघीय ढांचा सफल नहीं हो सकता। परन्तु हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव यह है कि केन्द्र ने कई अवसरों पर मुख्यमंत्रियों तथा चर्चा में भाग लेने आए प्रतिनिधियों की तरफ सत्तावादी दृष्टिकोण अपनाया है। यहां तक कि एक प्रधानमन्त्री ने एक राज्य के मुख्यमंत्री को धमकाया। यह समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ। हमें यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री को डांट लगाई। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री दोनों जनप्रतिनिधि हैं एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा केन्द्र का मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को अपना-अपना समान स्तर समझना चाहिए जब केन्द्र सत्तावादी दृष्टिकोण अपनाता है तो यह राज्य के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्हें केन्द्र की हिदायतों का अनुपालन करना चाहिए अथवा नहीं।

वित्त आयोग की सिफारिशों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। एक अवसर पर वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल को 235 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी। परन्तु माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने अपनी कलम का प्रयोग करते हुए इस राशि को देने से इन्कार कर दिया। इस सिफारिश के अनुसार एक पैसा भी नहीं दिया गया। हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विकास असन्तुलित रहा है। इससे कुछ ताकतों का जन्म होगा तथा कुछ ताकतें और उभरेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट। अब निर्धारित समय समाप्त हो गया है। अब 6.45 म० प० बजे हैं। इसलिए हम सभा की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाते हैं।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : इसे अगले दिन जारी रखा जा सकता है। दो अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं और फिर मैं भी थोड़ा समय लूंगा इसलिए इसे शुक्रवार को लिया जाए। इसके लिए समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम समय बढ़ाएं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : इसे अगले शुक्रवार को जारी रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 7.00 या 8.00 म० प० तक बैठेंगे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम 7.00 म० प० पर समाप्त कर सकते हैं और फिर इसे शुक्रवार को ले सकते हैं।

श्री सुधीर गिरी : सिर्फ यही नहीं। संविधान के निर्माताओं ने केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति और वित्तीय संसाधनों के विभाजन में राज्यों की अपेक्षा केन्द्र को वरीयता दी। राज्यों को अपने क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या हमारे सम्मुख है। इस अत्यन्त गम्भीर समस्या से निपटा जाए। आय में असमानता और लोगों की गरीबी असीमित हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन समस्याओं से उचित तरीके से निपटा जाए और इसके लिए एक योजना आयोग हो।

समस्याओं का समाधान उचित परिप्रेक्ष्य में तथा लोगों की भावनाओं का उचित सम्मान रखकर नहीं किया गया है जिससे पृथकतावादी शक्तियों ने अपने गलत कार्य करने शुरू कर दिए हैं। हम ऐसा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम में देख रहे हैं और हाल में हमने यह झारखंड मुक्ति मोर्चों के आन्दोलनों में देखा है। ये सभी मामले राज्य को आर्थिक रूप से वंचित रखने से जुड़े हुए हैं। गम्भीर बेरोजगारी की समस्या के कारण ये सभी मुद्दे उत्पन्न हो रहे है और इनका उचित परिप्रेक्ष्य में समाधान किया जाना चाहिए।

हमारा भारत एक महाद्वीप है। इसकी विविधताएं महाद्वीपीय स्तर की हैं। भाषा, धर्म, जाति रंग, रहन-सहन, संस्कृति, जीवन का तरीका, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि के सम्बन्ध में अत्यधिक विविधताएं हैं और इन सभी विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने और देश में एकता और अखंडता कायम करने के लिए हमें इन सबका विकास करना है। हमें सभी क्षेत्रीय ताकतों और संस्कृतियों के विकास पर जोर देना है। हम अपने देश में इन सभी शक्तियों को संगठित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश में ज्ञान, शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य देशभक्ति, भारतीयता के प्रसार को अपनाया जाए। इसे कौन करेगा कौन-सा संगठन यह सब करेगा ? राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की जा सकती है वह पहले ही गठित है इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा केन्द्र के प्रतिनिधि इकट्ठे मिलें और इस प्रकार मिलें कि प्रत्येक को महसूस हो कि दूसरा भी उसके बराबर है।

राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों और केन्द्र के बीच उत्पन्न मतभेदों का समाधान करेगी और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास, सहयोग की भावना के प्रसार इत्यादि के लिए उपाय और साधन बताएगी इस उद्देश्य हेतु हम राष्ट्रीय विकास परिषद चाहते हैं और आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास के उद्देश्य हेतु हम योजना आयोग चाहते हैं। इस संगठन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। केन्द्र सरकार के लिए नियोजित विकास का अर्थ अनेक क्षेत्रों में नियंत्रण को ढीला करना है। वे व्यापारिक शक्तियों पर निर्भर हो रहे हैं। व्यापारिक शक्तियों ने अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों को क्या दिया है ? वे पूर्णतया व्यापारी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर गरीबी है; बेरोजगारी की दर और अधिक बढ़ रही है। अतः वे अपनी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर सके हैं। वे मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसलिए हम बाजारी शक्तियां नहीं चाहते लेकिन यह सामाजिक शक्तियों पर निर्भर होना चाहिए जोकि हमारे देश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी कराएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि

राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारा देश इसके योग्य है।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कार फर्नान्डीज।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहूंगा क्योंकि भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपने इस सम्बन्ध में सूचित किया है।

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु का इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम इस सम्माननीय सभा के सदस्य देश की जनता के प्रति वचनबद्ध हैं हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम कहां तक लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में सफल हुए है। वास्तव में यह चर्चा इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए है इस चर्चा का विषय है कि क्यों हम योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दे सकते हैं। लेकिन सही अर्थों में इस चर्चा का मूल उद्देश्य यह है कि स्वतन्त्रता के समय जनता को दिए गए वायदे को हम निभाने में कहां तक सफल हुए हैं। मुख्यत: चार दशकों के दौरान हमारी उपलब्धियों पर चर्चा की जानी चाहिए। स्वतन्त्रता के समय हमारे देश के ग्रामीण लोग बहुत गरीब थे। आज मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खुशी है कि यह 'दमाशय' कम होकर 1/3 रह गई है। यह कैसे सम्भव हुआ? यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी तथा राजीवजी के दृढ़ प्रयासों से हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सके। हमने आशानुकूल हरित क्रांति में सफलता प्राप्त की। हमारा मूल कर्त्तव्य जनता को रोटी कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं तथा नौकरियां उपलब्ध कराना है। हमने इस लक्ष्य में संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की है। मैं अपने आत्मविश्वास से यह कह रहा हूं। यह सच है कि इस समय 1/3 जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी दूर करने के लिए हमें संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होगा। विश्व की तुलना में हमारे देश में तकनीकी रूप से शिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए निचले स्तर से ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विकास के बहुत क्षेत्रों में अन्य देशों का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे विचार से श्री चित्त बसु के प्रस्ताव का मुख्य ज़ोर यह है कि हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कितनी सफलता प्राप्त की है और न कि योजना आयोग का संवैधानिक दर्जा देने के बारे में है। इसलिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस सदन में पंचायती राज विधेयक को पुन:स्थापित किया था उस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए गांव स्तर पर तालुक स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों को अधिकार देने के बारे में था। वह पार्टी जो इस समय परिवर्तनों के लिए कह रही है उसको उस समय विधेयक का विरोध करना चाहिए था। मैं मात्र आलोचना से बचने के लिए यह सब कुछ नहीं कह रहा हूं। समूची योजना प्रक्रिया लोगों के ही हाथ में होती है अगर उस समय वे सहमत हो जाते और राज्य सभा में इसे पारित कर दिया जाता।

अब योजना आयोग केन्द्र स्तर पर है राष्ट्रीय विकास परिषद भी केन्द्र स्तर पर है आज हम यह नहीं कह सकते कि हमने योजना आयोग के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। योजना प्रक्रिया को

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अधिक कारगर और लाभकारी बनाने के लिए हमें राज्य स्तर पर कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करके उसकी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। केन्द्र धन आबंटित करता है और राज्य भी अंशदान करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आम लोगों को सहायता मिले। योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो योजना आयोग पांच वर्षों के लिए रहेगा। लेकिन योजना आयोग को हमारी राजनैतिक प्रणाली में कारगर ढंग से कार्य करना कठिन हो जाता है। यदि केन्द्रीय सरकार बदलती है तो योजना आयोग का स्वरूप भी बदल जाता है। एक सरकार ही राष्ट्र के विकास के बारे में कतिपय निर्णय ले सकती है। यदि कोई नई पार्टी योजना आयोग के पांच वर्ष पूरे होने से पूर्व सत्ता में आती है तो योजना आयोग कैसे काम कर सकता है। नई सरकार का अपना चुनाव घोषणा पत्र होगा। लोगों के प्रति उसके अपने आश्वासन होंगे। उनके वायदे पूरे करना सरकार के लिए अनिवार्य होता है ऐसी परिस्थितियों में दूसरी सरकार द्वारा गठित योजना आयोग अपना कार्य प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार कर सकता है। प्रधानमंत्री योजना के अध्यक्ष होते हैं। यदि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो आयोग ऊपर दिए गए कारणों के होते हुए किस न्यायपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है ?

मेरे सहयोगी श्री सुधीर गिरि ने कतिपय समस्याओं का उल्लेख किया है। जिसका हमारी सरकार इस समय सामना कर रही है यह सच है कि अनेक क्षेत्रों में असंतुलन है। कुछ क्षेत्र अर्ध विकसित हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। विशेषतया बहुत से हरिजन, गिरिजन, तथा आदिवासी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए और उनका जीवनस्तर सुधारने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायें। इस उद्देश्य के लिए हमारे यहां कुछ विशेष कार्यक्रम है। पिछले चार दशकों के दौरान हमें अपनी उपलब्धियां कार्यक्रम योजनाओं पर चर्चा करनी होगी। हमें उन क्षेत्रों पर भी विचार करना चाहिए जिसमें हमें सफलता नहीं मिली। इस बारे में चर्चा का स्वागत करूंगा। मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है इसलिए मैं अपने माननीय सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को प्रतिष्ठान का मुद्दा न बनाये और इसको वापिस ले लें। मैं केन्द्र से भी इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के लिए कहूंगा ताकि योजना आयोग और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री चर्चा के दौरान इन सभी मुद्दों का उत्तर देंगे।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु का आभारी हूं। महोदय, इस विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

7.00 म० प०

श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करती हूं जिसमें संविधान से ही अधिकार प्राप्त करके, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ उनके नियोजन तथा कार्यों को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए कहा गया है।

योजना आयोग से आशा की जाती है कि वह देश के आर्थिक विकास की गति को दिशा दे निरूपण और निर्धारण करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत बनाये। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य, श्री चित्त बसु ने ठीक ही कहा है कि यह बहुत दुःख और चिन्ता का विषय है कि योजना आयोग भारत सरकार का एक ऐसा अनुपयोगी तथा

नौकरशाही प्राप्त संगठन बनकर रह गया है जिसके पास न कोई प्राधिकार है, न कोई शक्ति है और न ही कोई पहल करने की भावना और सोद्देश्यता है।

जैसाकि माननीय सदस्य आकर कहा करते हैं कि योजना आयोग एक संवैधानिक बाह्य निकाय है जिसे राज्यों के आकार तथा उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर राज्यों की व्यय योजना का निर्धारण और राज्यों को ऋण व अनुदान प्रदान करने का अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के गतिशील और विविध स्वरूप को देखते हुए इसके कार्यकरण के तरीके की पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

महोदय देश में बहुत तेजी से हुए उदारीकरण के उपायों के कारण देश के बदलते जा रहे आर्थिक और औद्योगिक परिवेश को देखते हुए सिक्किम जैसे छोटे राज्य अपने बारे में काफी चिंतित हो गए हैं। जैसाकि सभी माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि राज्य सरकार द्वारा सिक्किम को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में दिलाने के लिए 1975 में भारत के साथ विलय होने से लेकर अब तक अनेक साहसिक कदम उठाये जाने के बावजूद सिक्किम एक पिछड़ा राज्य बना हुआ है। जबकि मैं इस रूप के पिछड़ेपन के ऐतिहासिक कारणों में नहीं जाना चाहता फिर भी मैं आपका ध्यान राज्य के बुनियादी ढांचे की दयनीय अवस्था की ओर दिलाना चाहती हूं। योजना आयोग और केन्द्र सरकार को उसको उस राज्य के प्रति निष्क्रियता और लापरवाही के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। इससे अत्याधिक क्षेत्रीय असंतुलन और इस राज्य की सामाजिक स्थिति संकटोन्मुख हो गयी है। मेरे विचार से यदि केन्द्र सरकार सिक्किम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्त, औद्योगिक की बुनियादी ढांचा और संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक तथा सुविचारित पैकेज कार्यक्रम नहीं तैयार करायेगी तो इन क्षेत्रों का आर्थिक पिछड़ापन निश्चित रूप से राजनैतिक असंतोष के रूप में प्रकट होगा। इस पैकेज पर यह सोचे बिना विचार किया जाना चाहिए कि इस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। इस मामले में राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

छोटे राज्यों खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों के साथ भेदभाव व असहृदयता के व्यवहार से स्पष्ट झलकता है कि योजना आयोग अपने सोद्देश्यता और निष्पक्षता खो चुका है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरे देश में विकास केन्द्रों के गठन की एक योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इन विकास केन्द्रों का सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान किया जायेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़े राज्यों की सूची में सिक्किम का नाम फिर नहीं आया है जबकि पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों में इन विकास केन्द्रों का प्रावधान किया गया है औद्योगिक विकास की दृष्टि में इनके से कुछ राज्य निश्चय ही सिक्किम की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि पिछड़े राज्यों की सूची बनाने में कौन सी सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक बातों को ध्यान में रखा गया है। ईमानदारी से कहती हूं कि मुझे इन राज्यों को और अधिक आर्थिक सुविधाएं मिलने से मुझे खुशी है लेकिन इन मापदण्डों बनाने में सरकार के कपटपूर्ण रवैये के प्रति मुझे दुःख है। इससे लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या सरकार सिक्किम को देश के औद्योगिक नक्शे पर लाना भी चाहती है या नहीं। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि जबसे सिक्किम भारत का अंग बना है तब से एक भी उद्योग वहां नहीं लगाया गया है। आर्थिक सहायता की भारी कमी ने सिक्किम के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्रों को प्रवेश से रोक दिया है।

केवल इसी संदर्भ में मैं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के व्यापक मामले को उठाना चाहती हूं। पहाड़ी

तथा पर्वतीय क्षेत्र मिलकर हमारी आर्थिक तथा सुरक्षा व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग इन क्षेत्रों की समस्याओं को कभी भी अलग से पहचान नहीं पाया है और उनके सतत विकास के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं निर्धारित कर सका है। सभी विकास परियोजनाओं में एक और इकाई बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने और उनमें धन का उचित अंश दिलाने के अनुरोध के लिए 1990 में पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्री नवें वित्त आयोग के अध्यक्ष से एक साथ मिले थे, परन्तु ठोस कार्यवाही के रूप में इसका कोई प्रतिफल नहीं निकला है।

मुझे इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि योजना आयोग विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक पृथक तथा सशक्त कक्ष क्यों नहीं स्थापित कर सका। इस पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता और आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती।

महोदय, जैसा श्री चित्त बसु ने सुझाव दिया है कि जब तक योजना आयोग का स्वरूप निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और साहसिक संगठन नहीं बन जाता मुझे आशंका है कि उदारीकरण के सभी उपायों की परिणति केवल क्षेत्रीय असंतुलन ही उत्पन्न करेगी जिसके दुखदायी परिणाम होंगे इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

———

अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान की समय-तालिका में परिवर्तन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय आपकी अनुमति से, मैं घोषणा करता हूं कि जैसा आज माननीय अध्यक्ष के साथ नेताओं की मीटिंग में निर्णय किया गया था, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास, खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा की जायेगी।

यह भी निर्णय किया गया था कि इन मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के लिए आबंटित समय आ० घण्टे से बढ़ाकर दस घण्टे कर दिया जाये।

मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह भी निर्णय लिया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा विदेश कार्य मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद ही की जायेगी। मुझे आशा है सदन इस प्रबन्ध व्यवस्था से सहमत होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषित इस व्यवस्था से सदन सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 मार्च, 1992/11 चैत्र, 1914 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटिंग प्रैस, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/10/24/92 (एन.)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।